

níl jk v/; k; fu"i knu ys[kki jh{kk

- 2.1 e/; klǵ Hkkstu ; kstuk
- 2.2 , p-vkbzoh-@, M4 i frjks'k dk; Øe dk fØ; kǵo; u
- 2.3 futh fo' ofo | ky; ka dh LFkki uk ds fy, <kjpk
- 2.4 I kekftd I gj {kk i s'ku ; kstukvka dk fØ; kǵo; u
- 2.5 fo' ofo | ky; ea foRrh; i za'ku rFkk futh egkfo | ky; ka dh I Ec) rk
- 2.6 vud fpr tkfr , oa vud fpr tutkfr ds fo | kffkz; ka grq i kLV e'V'd Nk=ofRr dk i za'ku
- 2.7 jkT; ea ykd I ok dk vf/kdkj dkuu dk fØ; kǵo; u
- 2.8 e/; ins'k ea fo'ks'k : i Is detkj tutkrh; I egka ds fodkl ds fy; s dk; Øeka dk fØ; kǵo; u
- 2.9 tsy i za'ku iz kkyh , oa eykdkr i za'ku iz kkyh dh I upuk i kS| kfxdh fu"i knu ys[kki jh{kk
- 2.10 "e/; ins'k fo/kku I Hkk fuokpu {ks= fodkl ; kstuk" ij fu"i knu I eh{kk dh vuqrhZ ys[kki jh{kk

निर्देशक व/; क; % fu"i knu ys[kki jh{kk

i pk; r , oa xkeh.k fodkl foHkkx

2-1 e/; kUg Hkkstu ; kst uk

dk; 7 kyu l kjka k

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (जिसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), दिनांक 15 अगस्त 1995 को केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। नामांकन, निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के मुख्य उद्देश्यों के साथ प्राथमिक शिक्षा का सर्व व्यापीकरण योजना का उद्देश्य था। योजना के अंतर्गत पोषक पका हुआ भोजन जिसकी पोषक मानक 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए इत्यादि का प्रावधान था। वर्ष 2008-09 से योजना का विस्तार माध्यमिक विद्यालय स्तर (कक्षा VI से VIII) तक किया गया।

पोषक पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन करती है। मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2010-11 से 2014-15 में निम्नलिखित प्रकट हुआ :

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा योजना क्रियान्वयन पर कुल उपलब्ध राशि ₹ 5,191.59 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4,974.36 करोड़ का व्यय किया गया।

%dfMdk 2-1-8-1%

- नमूना जाँच किये गये दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण पाये गये। मध्यान्ह भोजन योजना निधि का उपयोग दूध प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी आदि प्रयोजनों के लिए किया गया। उपरोक्त व्यपवर्तित राशि में से दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

%dfMdk 2-1-8-2%

- मध्यान्ह भोजन योजना का एक उद्देश्य उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया।

%dfMdk 2-1-9-1%

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010-11 में 111.19 लाख बच्चों से वर्ष 2014-15 में 92.51 लाख बच्चों की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010-11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010-11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 75.02 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन का प्रभाव नहीं देखा गया।

%dfMdk 2-1-9-2 , oa 2-1-9-3%

• मध्याह्न भोजन के वितरण में व्यवधान थे। नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

%dfMdk 2-1-9-8%

• योजना दिशा निर्देशों के अनुसार मध्याह्न भोजन के अनुपूरक के रूप में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स तथा डी-वार्मिंग दवायें, डी-वार्मिंग तथा विटामिन-ए की पूरक छःमाही खुराक के द्वारा, आयरन तथा फोलिक एसिड, जिंक की साप्ताहिक खुराक तथा स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य कमियों की पूर्ति हेतु उपयुक्त अन्य पूरक दवायें भी दिया जाना चाहिए। नमूना जाँच किये गये 300 विद्यालयों में हमने पाया कि 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का वितरण नहीं किया गया।

%dfMdk 2-1-9-9%

• नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के वितरण किये जाने में सुरक्षा तथा स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में जाँच किये गये विद्यालयों में अद्योसंरचना सुविधायें जैसे रसोई घर, पर्याप्त बर्तनों आदि की कमी थी।

%dfMdk 2-1-9-10%

• योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं।

%dfMdk 2-1-10-2%

2-1-1 iLrkouk

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (जिसे सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), दिनांक 15 अगस्त 1995 को केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। नामांकन निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ प्राथमिक शिक्षा के सर्व व्यापीकरण को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य था। प्रारंभ में कार्यक्रम शासकीय, स्थानीय निकाय तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) तक के बच्चों पर केन्द्रित था, जिसका विस्तार अक्टूबर 2002 से शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.) तथा वैकल्पिक एवं इनोवेटिव शिक्षा केन्द्रों (ए.आई.ई.) में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा अप्रैल 2008 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता एवं मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों को योजना में शामिल किया गया था।

प्रारंभ में योजनांतर्गत सूखा राशन अथवा दलिया/खिचड़ी के वितरण का प्रावधान था। सितम्बर 2004 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों में पुनरीक्षण कर पका हुआ भोजन जिसमें 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा दी जानी थी। मुफ्त खाद्यान्न प्रदाय के अतिरिक्त संशोधित योजना में केन्द्रीय सहायता भोजन पकाने तथा प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन लागत के लिए दी गई। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदाय की जानी थी।

सितम्बर 2006 में योजना पुनः पुनरीक्षित की गई। पुनरीक्षित मध्याह्न भोजन योजना के निम्न उद्देश्य थे :

(i) शासकीय, स्थानीय निकाय तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं ई.जी.एस./ ए.आई.ई. केन्द्रों में कक्षा I से V तक के बच्चों में पोषण स्थिति का सुधार करना;

- (ii) उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को और अधिक नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए उनकी मदद करना; तथा
- (iii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदाय किया जाना।


सितम्बर 2006 के पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार पके हुये मध्यान्ह भोजन में पोषण मात्रा को 450 केलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम तक बढ़ाई गई थी। पुनरीक्षित निर्देशों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रियेंट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए इत्यादि का प्रावधान था। वर्ष 2008-09 से योजना का विस्तार माध्यमिक विद्यालय स्तर (कक्षा VI से VIII) तक कर दिया गया था।

2.1.2 I & BukRed I j puk

मध्यान्ह भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षारता) विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। तथापि पोषक पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मध्यप्रदेश में अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद का गठन मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत फरवरी 2007 में किया गया था। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद राज्य समन्वयक के अधीन है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर मध्यान्ह भोजन योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के लिये उत्तरदाई है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वयक अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विद्यालय स्तर पर पालक शिक्षक संघ/गैर सरकारी संस्थाएं (एन.जी.ओ.)/स्व-सहायता समूह के माध्यम से योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदाई हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के द्वारा विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना क्रियान्वयन का कार्य दिया गया है।

विद्यालय स्तर पर योजना का अनुवीक्षण सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत समूह स्त्रोत समन्वयक/ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाता है। संगठनात्मक संरचना pkV&1 में दर्शाई गई है:



2.1.3 यशकि जहकक दस मनस ;

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- आवंटित निधियों का उपयोग मितव्ययी तथा प्रभावी तरीके से किया जा रहा था;
- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्तर के सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना में शामिल करने की योजना का क्रियान्वयन योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था;
- प्राथमिक शिक्षा के नामांकन निरंतरता तथा उपस्थिति में वृद्धि जैसे योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया;
- प्राथमिक/माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पोषक स्थिति में सुधार सम्बन्धी योजना के उद्देश्य को प्राप्त किया गया; और
- योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी तरीके से अनुवीक्षण किया गया।

2.1.4 यशकक इजहकक एकुन.म

मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित के संदर्भ में अभिनिश्चित की गई:

- प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2006 पर योजना के दिशानिर्देश;
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत जिला स्तर से भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के मूल्य के भुगतान के विकेन्द्रीकरण हेतु दिशानिर्देश (फरवरी 2010);
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत भोजन की स्वच्छता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश (22 जुलाई 2013);
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचना, विज्ञप्ति, निर्देश, अनुदेश;
- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु वार्षिक कार्य योजना तथा बजट;
- सामान्य वित्तीय नियम; तथा
- योजना के मूल्यांकन प्रतिवेदन।

2.1.5 यशकि जहकक दक; लकस= रफकक इफरप; उ

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की नमूना जाँच 50 जिलों में से 10 जिलों के अभिलेखों के माध्यम से की गई। आठ जिलों का चयन प्रोबेविलिटी प्रपोर्शन टू साइज विदाउट रिफ्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) चयन पद्धति से किया गया। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आग्रह पर दो जिलों (ग्वालियर एवं विदिशा) का चयन किया गया। इन दस जिलों से 32 ब्लॉक के 300 विद्यालयों (273 ग्रामीण विद्यालय तथा 27 शहरी क्षेत्र के विद्यालय) का चयन सिम्पल रेंडम सैम्पलिंग विदाउट रिफ्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) प्रतिचयन पद्धति से किया गया। विवरण i f j f ' k " V & 2 - 1 में दर्शाया गया है।

2.1.6 यशकि जहकक इ) फर , oa दक; लफोफ/क

निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य दिनांक 02.03.2015 को लेखापरीक्षा संबद्ध पत्र जारी कर प्रारंभ किया गया। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ दिनांक 17.03.2015 को प्रवेश सम्मेलन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों,

मापदण्ड एवं जिलों तथा विद्यालयों के चयन पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च-जुलाई 2015 के मध्य की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई (सितम्बर 2015) तथा शासन के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.7 dfe; ka ds l drka l s l h[k yuk rFkk l onu'khyrk

2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा पूर्व में की गई थी तथा लेखापरीक्षा के परिणाम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) के पैरा 3.2 में प्रतिवेदित किए गए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कंडिकावार उत्तर लोक लेखा समिति को अक्टूबर-2010 में प्रस्तुत किए गए थे। लोक लेखा समिति में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं हुई (मई-2015)। मुख्य कमियां तथा उन पर विभाग के उत्तर rkydk&1 में दिए गए हैं।

rkydk&1 % i wZ ys[kki jh{kk i fronu ea n'kkbz xbl ed[; dfe; ka rFkk i pk; r , oa xkeh.k fodkl foHkkx }kjk i Lr r mUkj n'kkUs okyk fooj.k

l-Ø-	i wZ ys[kki jh{kk i fronu ea n'kkbz xbl ed[; dfe; ka rFkk i pk; r , oa xkeh.k fodkl foHkkx }kjk i Lr r mUkj n'kkUs okyk fooj.k	'kkI u dk mUkj
1	बेस लाईन सर्वे नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं
2	विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार न होना तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की निरंतर गिरावट	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन होने के कारण बच्चों की उपस्थिति में निरंतरता है।
3	खाद्यान्न के नमूने संग्रहित/प्रतिवेदित न किए जाने के कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई	खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच जिला कलेक्टर के द्वारा नामित समिति के द्वारा की जाती है।
4	शिक्षक पालक संघों को परिवहन व्यय हेतु राशि का भुगतान न होने के उदाहरण	प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित है। अन्य एजेन्सियों के परिवहन दावों के भुगतान के लिए प्रयास किए गए हैं।
5	पका हुआ भोजन का कम वितरण/वितरण न होने के उदाहरण	खाद्यान्न की कमी, अद्योसंरचना में कमियां अथवा अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण पका हुआ भोजन का कम वितरण/वितरण नहीं हुआ।
6	माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का कम वितरण/वितरण न होना	स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण किए जाने हेतु प्रयास किये गये परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स के वितरण पर प्रभाव पड़ा।
7	दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कम बैठकों का होना	चूंकि योजना की समीक्षा नियमित रूप से जिला स्तर पर की गई थी। अतः ब्लाक स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के न किये जाने का योजना क्रियान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ा।
8	अद्योसंरचना में कमी के उदाहरण	रसोई घरों के निर्माण में प्रगति लाने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि अधिकांश कमियां वही थीं जो कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्व प्रतिवेदन में उठाई गई थीं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

यसूची 1.1.8

2.1.8 फंडिंग; इकाई, आ; कस्तक

मध्याह्न भोजन योजना मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। राज्य को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जाती है :

- प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय में प्रति विद्यालय दिवस में प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम/150 ग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति;
- भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से खाद्यान्न के परिवहन के लिए किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम ₹ 75 प्रति क्विंटल की प्रतिपूर्ति;
- भोजन पकाने पर आने वाली लागत प्रति विद्यार्थी प्रति शिक्षण दिवस की दर का विवरण तालिका 2 में दिया गया है :

तालिका 2: इकाई, आ; कस्तक

प्रति क्विंटल ₹

वर्ष	इकाई, आ; कस्तक			प्रति क्विंटल ₹		
	दलहन	जई	कुल	दलहन	जई	कुल
वर्ष 2010	2.12	0.67	2.79	3.02	1.01	4.03
वर्ष 2011	2.17	0.72	2.89	3.25	1.09	4.34
वर्ष 2012	2.33	0.78	3.11	3.49	1.16	4.65
वर्ष 2013	2.51	0.83	3.34	3.75	1.25	5.00
वर्ष 2014	2.69	0.90	3.59	4.04	1.34	5.38


इकाई & जई; दलहन, जई, कुल, आ; कस्तक

भोजन पकाने की लागत के अतिरिक्त रसोईयों को मानदेय की राशि ₹ 1,000 प्रतिमाह की सहायता केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के मध्य 75:25 के आधार पर बांटा जाता है:

- राज्य शासन द्वारा घोषित किए गए "सूखा प्रभावित" क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन हेतु वित्तीय सहायता;
- अधिकतम राशि ₹ 60,000 प्रति इकाई के मान से चरणबद्ध तरीके से रसोई सह भण्डार कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता;
- विद्यालयों में भोजन बनाने व परोसने के बर्तन बदलने/प्रदाय करने हेतु चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता राशि ₹ 5,000 प्रति विद्यालय के औसत की दर से; तथा
- कुल प्राप्त वित्तीय सहायता राशि के 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु राज्य शासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

मध्याह्न भोजन योजना में वार्षिक कार्य योजना तथा बजट को विद्यालय, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित जानकारी के आधार पर तैयार किये जाने को महत्व दिया गया है। इस वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना तथा बजट के अनुमोदन उपरांत मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष माह अप्रैल/मई में केन्द्रीय वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त जारी की जाती है। प्रथम किस्त से किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर माह

सितम्बर/अक्टूबर में मंत्रालय द्वारा द्वितीय किस्त की राशि दी जाती है। निधियों के प्रवाह का चार्ट निम्नानुसार है:-



2-1-8-1 e/; klg Hkkstu ; kstuk ds fy, fuf/k dh mi yC/krk , oa fuf/k dk tkjh fd; k tkuk

केन्द्रीय एवं राज्य के अंश के आहरण एवं संवितरण की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है। योजना के विभिन्न घटकों जैसे भोजन पकाने की लागत, रसोईयों का मानदेय, प्रबंधन अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन, खाद्यान्न की लागत तथा परिवहन के लिए मद में प्राप्त राशि राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद के बैंक खाते में जमा की जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद से राशि ई-ट्रांसफर के माध्यम से सीधे जिला पंचायत में मध्याह्न भोजन योजना हेतु संधारित नोडल बैंक खाते में अंतरित की जाती है। जिला पंचायत द्वारा भोजन पकाने की लागत की राशि क्रियान्वयन एजेन्सियों के खातों में तथा रसोईयों के मानदेय की राशि शाला प्रबंधन समिति के खाते में अंतरित की जाती है। खाद्यान्न की लागत ई-ट्रांसफर द्वारा एफ.सी.आई./एम.पी.एस.सी.एस.सी.¹ के खाते में अंतरित की जाती है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध राशि ₹ 5,191.59 करोड़ में से राशि ₹ 4,974.36 करोड़ का व्यय किया गया।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्राप्त एवं जारी की गई निधियों की स्थिति रकफयड&3 में दर्शाई गई है :-

r k f y d k & 3 % j k T ; e / ; k l g H k k s t u d k ; Ø e i f j " k n } k j k
i k l r , o a t k j h d h x b z f u f / k ; k a d k f o o j . k

dk dj k M e h

o"kl	i kj fEHkd 'kSk	i kflr	dy mi yC/k jkf'k	0; ;	vfre 'kSk
2010-11	155.06	861.00	1,016.06	995.73	20.33
2011-12	20.33	979.72	1,000.05	947.39	52.66
2012-13	52.66	1,027.87	1,080.53	978.85	101.68
2013-14	101.68	1,054.66	1,156.34	1,126.58	29.76
2014-15	29.76	908.85	938.61	925.81	12.80

(l kr & tkudkj h e/; klg Hkkstu dk; Øe i f j "kn dh jkdM+cgh l s , df=r dh x b)

ueuk tkp fd, x,
l kr ftyka ea
e/; klg Hkkstu
; kstuk fuf/k dh
jkf'k ₹ 7-68 dj k M+
vU; ; kstukvka ds
fØ; k l o; u ea
0; i ofr dh x; h

2.1.8.2 ; kstuk fuf/k; ka dk 0; i orU

मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1(8) के अनुसार योजना निधियों को मध्याह्न भोजन योजना से भिन्न अन्य उद्देश्यों पर व्यपवर्तन नहीं किया जाना था। हमने नमूना जाँच किए गए सात जिलों (अनूपपुर, भोपाल, धार, मंदसौर, राजगढ़, सीधी एवं विदिशा) में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन किए जाने के प्रकरण पाये, विवरण i f j f ' k " V & 2-2 में दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना की राशि का उपयोग दूध

¹ एफ.सी.आई.- भारतीय खाद्य निगम/एम.पी.एस.सी.एस.सी.-मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, आदि प्रयोजनों के लिए किया गया था। उपर्युक्त व्यपवर्तित राशि में से दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार जिला प्राधिकारियों द्वारा योजना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को समायोजन करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.1.8.3 *Lo&l gk; rk l engka@iky d f'k{k d l @kka }kjk vffhkys[kka dk l a'kkj.k u fd;k tkuk*

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्व-सहायता समूहों को खाद्यान्न पंजी, रोकड़ बही देयक/प्रमाणक फोल्डर एवं बर्तनों की भण्डार पंजी के संधारण हेतु निर्देश जारी (सितम्बर-2007) किए थे।

नमूना जाँच किए गए दस जिलों के 300 विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि 198 स्व-सहायता समूहों तथा तीन शिक्षक पालक संघों द्वारा खाद्यान्न पंजी, रोकड़ बही तथा प्रमाणक फोल्डर संधारित नहीं किए तथा 26 स्व-सहायता समूहों एवं तीन शिक्षक पालक संघों द्वारा इन अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार इन अभिलेखों को संधारित करने में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ। विवरण i f j f ' k " V 2-3 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि स्व-सहायता समूहों को अभिलेख संधारित करने तथा वार्षिक लेखों के सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

vuq kd k

पकाने की लागत के दावों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत लाभों के रिसाव को रोका जा सके।

2.1.8.4 *fØ; k l o; u , t f l l ; ka ds 'ks'kka dks ftyka ds viz Ør 'ks'kka ea l ftefyr u fd;k tkuk*

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1(9) के अनुसार अव्ययित शेषों की गणना सभी स्तरों अर्थात् राज्य, जिले, ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर स्टॉक एवं रोकड़ के शेषों पर विचार करने के पश्चात करनी चाहिए।

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि 31 मार्च 2015 की स्थिति में बैंक में राज्य स्तर पर अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की राशि ₹ 16.22 करोड़ बैंक में रखी हुई थी।

- नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में पांच जिलों (धार, जबलपुर, राजगढ़, सीहोर तथा सीधी) की क्रियान्वयन एजेन्सियों के बैंक खातों में राशि ₹ 4.09 करोड़ अप्रयुक्त निष्क्रिय पड़ी थी। उक्त राशि में से जिला राजगढ़ द्वारा 2014-15 में राशि ₹ 1.55 करोड़ वसूल कर ली गई थी जबकि इसी स्थिति में राशि ₹ 2.54 करोड़ क्रियान्वयन एजेन्सियों के खातों में पड़ी हुई थी (जुलाई 2015), विवरण i f j f ' k " V & 2-4 में दर्शाया गया है।

e/; k l g Hkktu
i dkus , oa forj.k
ea l yXu 201
Lo&l gk; rk
l engka@f'k{k d
iky d l @kka }kjk
mlga ink; fd,
x, [kk| k l u , oa
fuf/k; ka ds vffhkys[k
l a'kkj.r ugha fd,
x,

ueuk tkp fd, x,
i kp ftyka ea
fØ; k l o; u , t f l l ; ka
ds [kk'ka ea jkf'k
₹ 4-09 djkm+
viz Ør jgh A Hkkj r
l jdkj dks C; kt dh
vk; ₹ 15-54 djkm+
l fpr ugha dh x b l

- हमने यह भी पाया कि नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 15.54 करोड़ को आगामी वर्ष की प्रथम किस्त से समायोजन किये जाने हेतु भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने बताया कि जिले/ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर योजना निधि के अव्ययित शेषों एवं अर्जित ब्याज की राशि को राज्य स्तर पर अर्जित ब्याज की राशि के साथ समेकित कर भारत सरकार को सूचित किया जाएगा।

2.1.8.5 [kk/klu i fjogu ds ns dks dk fui Vku u gkuk

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.06.2005 के द्वारा वर्ष 2005-06 से खाद्यान्न परिवहन हेतु मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। राशि ₹ 75 प्रति क्विंटल के परिवहन प्रभार की राशि जिसे अन्य वितरण एजेंसियों² के मध्य वितरित किया जाना था, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मार्च 2012-13 तक भुगतान किया गया। तथापि 2013-14 से मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को परिवहन प्रभार ₹ 38 प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया एवं लीड/लिंग समितियों, स्व-सहायता समूहों तथा शिक्षक पालक संघों के परिवहन व्यय के दावों के निपटान करने हेतु जिला पंचायतों को ₹ 37 प्रति क्विंटल जारी की गई।

(i) नमूना जाँच किये गये दस जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि खाद्यान्न परिवहन हेतु आवंटित राशि ₹ 130.46 लाख 31 मार्च 2015 की स्थिति में जिला पंचायतों के खातों में अप्रयुक्त रही। विवरण i fjf'k"V&2-6 में दर्शाया गया है।

(ii) मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पुनरीक्षित निर्देशों (अप्रैल 2013) के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों तक खाद्यान्न लाने तथा वहां से उचित मूल्य की दुकानों को वितरित किये जाने के स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से लीड/लिंग समितियों को प्रदाय किया गया। हमने देखा कि राज्य शासन द्वारा 2013-15 की अवधि में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों तक खाद्यान्न के परिवहन हेतु ₹ 38 प्रति क्विंटल की दर से राशि ₹ 11.73 करोड़ परिवहन प्रभार के लिए मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई। चूंकि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया। अतः मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को किया गया भुगतान अनियमित था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि नवीन विकेन्द्रीकृत उपार्जन नीति के अंतर्गत परिवहन व्यय की दरों में आवश्यक पुनरीक्षण का निर्णय मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से परामर्श उपरांत किया जाएगा।

2.1.8.6 xj l jdkjh l lFkk dks j l kbz k ekuns dh jkf'k dks vfu; fer : lk l s tkjh djuk

मध्याह्न भोजन के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.9.1 के अनुसार गैर सरकारी संस्था को बिना लाभ के कार्य करने की आधार पर संबद्ध किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संस्था के पास आवश्यक मात्रा में मध्याह्न भोजन प्रदाय करने हेतु वित्तीय एवं लोजिस्टिक क्षमता

² मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ₹ 38, लीड/लिंग सहकारी समितियां ₹ 23, उचित मूल्य की दुकाने ₹ 09, पालक शिक्षक संघ ₹ 05

होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ग्वालियर शहर में मध्यान्ह भोजन पकाने एवं प्रदाय करने हेतु एक गैर सरकारी संस्था (आकांक्षा समग्र विकास समिति) को सम्बद्ध किया गया।

गैर सरकारी संस्था के साथ किए गए अनुबंध (दिसम्बर 2011) की शर्त 4 के अनुसार स्थान, मशीन, रसोईयों आदि अद्योसंरचना सुविधाओं की व्यवस्था गैर सरकारी संस्था द्वारा की जानी थी। अनुबंध के अनुसार उपरोक्त मदों में जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाना था। तथापि हमने पाया कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 की अवधि में जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा गैर सरकारी संस्था को केन्द्रीकृत रसोई में संबद्ध रसोईये के भुगतान हेतु राशि ₹ 42.07 लाख अनियमित रूप से जारी की गई।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को आवश्यक कार्रवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2.1.8.7 *jkt; e/; klg Hkkstu dk; Øe ifj"kn ds okf"kd ys[ks r\$ kj ugha fd; k tkuk*

मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद की विनियम के पैरा 35 के अनुसार परिषद अपने वार्षिक लेखे तैयार करेगी एवं इन लेखों की सनदी लेखाकार से लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए।

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि समीक्षा अवधि में परिषद के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे तथा लेखापरीक्षा नहीं कराई गई थी।

इंगित किये जाने पर संयुक्त आयुक्त, राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद ने उत्तर दिया (मई 2015) कि वार्षिक लेखे तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर था। निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षण का कार्य सनदी लेखाकार को सौंप दिया गया था।

2.1.8.8 *jkdM+ cgh e/ l Ø; ogkjs dh i fof"V; ka ugha fd; k tkuk*

मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा लेखा-3 प्रपत्र में रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिए जिसमें समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों की प्रविष्टियां दर्ज की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाना चाहिए।

जिला पंचायत ग्वालियर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लेखा शाखा द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए मध्यान्ह भोजन योजना की रोकड़ बही तैयार एवं संधारित नहीं की गई थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान योजनांतर्गत किए गए संव्यवहारों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को रोकड़ बही अद्यतन संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2.1.9 ; kst uk dk fØ; klu; u

2.1.9.1 mi f{kr oxk ds xjhc cPpk dh i gpku ugha fd; k tkuk

मध्याह्न भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 2.2.1 (ii) के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कक्षा के क्रियाकलापों में ध्यान केन्द्रित करने में मदद करना है। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान करने हेतु न तो कोई मानदण्ड बनाए गए और न ही ऐसे बच्चों को ढूँढने के लिए सर्वे किया गया।

मानदण्ड या सर्वेक्षण के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना के प्रमुख उद्देश्य – उपेक्षित वर्ग के गरीब बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि समस्त जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार बच्चों का सर्वेक्षण करें।

vuq kd k

विद्यालय, नामांकन एवं विद्यालय जाने वाले आयु समूह के समस्त बच्चों के सर्वे के आंकड़ों का उपयोग नियोजन कार्य में किया जाना चाहिए।

2.1.9.2 ukekadu ij iHkko

बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने तथा विद्यालय में नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की गई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010-11 में विद्यार्थियों का नामांकन 111.19 लाख था जो कि वर्ष 2014-15 (विगत पांच वर्षों) में घटकर 92.51 लाख रह गया जिसका विवरण rkfydk&4 में दिया गया है –

rkfydk&4: e/; klu; Hkktu ; kst uk xlr 'kkfey fo|ky; ka ea ukekadu ea deh dk foj .k

I - Ø	o"z	e/; klu; Hkktu ; kst uk ea 'kkfey fo ky; ka ea ukekadu	foxr o"z dh rnyuk ea ukekadu ea deh %i ol o"z ds ukekadu ea l s pkyw o"z dk ukekadu ?kVkdj½	ifr'kr
1	2010-11	1,11,18,960	--	--
2	2011-12	1,08,02,279	3,16,681	-2.85
3	2012-13	1,02,91,879	5,10,400	-4.72
4	2013-14	99,62,326	3,29,553	-3.20
5	2014-15	92,51,038	7,11,288	-7.14
o"z 2010&15 ds nkj ku ukekadu ea dgy deh			18,67,922	-16.80

(l kr %jkt; e/; klu; Hkktu dk; Øe ifj"kn }kjk iLr r vkadM)

इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.) द्वारा प्रस्तुत राज्य के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण में हमने पाया कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान 63,591 से 1,26,485 बच्चे न तो शासकीय विद्यालयों में और न ही प्राइवेट विद्यालयों में नामांकित किए गए थे। विवरण ifj'k"V&2-7 में दिया गया है।

2011-15 की अवधि के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र से एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-12 में विद्यार्थियों का नामांकन

e/; klu; Hkktu
l pkyr 'kkl dh;
fo|ky; ka ea ukekadu
ea 16-80 ifr'kr dh
deh gpl tcfd fcuk
e/; klu; Hkktu
l pkyr fo|ky; ka ea
ukekadu ea 37-90
ifr'kr dh of) gpl

34.86 लाख था जो कि वर्ष 2014-15 में (अर्थात चार वर्षों के दौरान) बढ़कर 48.08 लाख हो गया जिसका विवरण rkydk&5 में दिया गया है।

rkydk&5 e/; klg Hkktu ; kstuk ds vlr xr 'kkfey ugha fd; s x; s fo | ky; ka ea i ath; u n'kkz okyk foj .k

I - Ø-	o"z	e/; klg Hkktu ; kstuk ds vlr xr 'kkfey ugha fd; s x; s fo ky; ka ea ukekadu	ukekadu ea of) %i fr'kr½
1	2011-12	34,86,444	--
2	2012-13	38,22,075	9.63
3	2013-14	41,63,267	8.93
4	2014-15	48,08,023	15.49
o"z 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku dly of)			37.90

%i fr'kr½; f'k{kk dlnz }jkk ink; fd, x, vkadM½

rkydk&4 एवं rkydk&5 से स्पष्ट है कि 2011-15 के दौरान प्राथमिक/माध्यमिक स्तर प्राइवेट स्कूल एवं मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृत्ति विपरीत हुई। बच्चों का नामांकन गैर मध्याह्न भोजन संचालित विद्यालयों में 37.90 प्रतिशत बढ़ा जबकि शासकीय विद्यालयों में 16.80 प्रतिशत कम हुआ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग को प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण के कारण विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट आई।

तथ्य यह है कि, जनसंख्या के ऐसे हिस्से में वृद्धि हो रही है जो मुफ्त भोजन की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देता है तथा यह भी दर्शाता है कि विद्यालय में बच्चों की निरंतरता के लिए मुफ्त भोजन अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक इसके साथ पढ़ने/पढ़ाने के परिणामों में सुधार को सम्मिलित न किया जाए।

2.1.9.3 i kFkfed@ek/; fed d{kvk dh vkj r mi fLFkfr ea deh

मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 2.2.1(ii) के अनुसार योजना का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षित वर्ग के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना था तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु मदद करनी थी।

राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा की संवीक्षा में हमने देखा कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की प्रतिदिन औसत उपस्थिति वर्ष 2010-11 में 80.10 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2014-15 में 75.67 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार माध्यमिक कक्षाओं में प्रतिदिन औसत उपस्थिति वर्ष 2010-11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 75.02 प्रतिशत हो गई। विवरण rkydk &6 में दिया गया है -

rkydk-6: fo | kFkz; ka dh vkj r nFud mi fLFkfr ea deh dk foj .k

I - Ø-	o"z	i kFkfed d{kk		mPPk i kFkfed d{kk	
		Ldly	vkj r nFud mi fLFkfr %i fr'kr½	Ldly	vkj r nFud mi fLFkfr %i fr'kr½
1	2010-11	85,748	80.10	28,445	79.67
2	2011-12	86,083	78.23	29,106	78.34
3	2012-13	86,142	77.09	29,790	75.87
4	2013-14	86,142	76.47	30,565	75.23
5	2014-15	85,933	75.67	31,104	75.02

(l kr: jkT; e/; klg Hkktu dk; Øe ifj"kn }jkk ink; vkadM½)

o"kl 2010&11 l s
2014&15 ds nkj ku
i kFkfed d{kkvka
ea vkj r nFud
mi fLFkfr 80-10
ifr'kr l s ?kVdj
75-67 ifr'kr rFkk
ek/; fed d{kkvka
ea 79-67 ifr'kr
l s ?kVdj 75-02
ifr'kr gks xbl

नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि वार्षिक औसत उपस्थिति में उतार चढ़ाव रहा। जिला धार में वर्ष 2010-11 में औसत उपस्थिति अधिकतम 92 प्रतिशत रही तथा जिला विदिशा में वर्ष 2012-13 में सबसे कम औसत उपस्थिति 60 प्रतिशत थी। विवरण i f j f ' k " V & 2-8 में दर्शाया गया है।

नमूना जाँच किये गये 300 विद्यालयों की जाँच में हमने पाया कि लेखापरीक्षा निरीक्षण के दिनांक को अधिकतम औसत उपस्थिति 82 प्रतिशत जिला अनूपपुर में तथा न्यूनतम औसत उपस्थिति 33 प्रतिशत जिला ग्वालियर में पाई गई। जिला अनूपपुर को छोड़कर शेष जिलों द्वारा प्रतिवेदित की गई औसत उपस्थिति, निरीक्षण के दिन की औसत उपस्थिति से कम थी। विवरण i f j f ' k " V & 2-9 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव नहीं देखा गया जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में चाहा गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

2.1.9.4 i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o h k k x r F k k l o z f ' k { k k v f h k ; k u } k j k i L r r f o / k y ; k a d h l a ; k , o a f o / k f f k ; k a d s u k e k a d u d s i L r r v k a d M k a e a v a r j

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (सितम्बर 2012) के अनुसार एम.डी.एम. पोर्टल के लिए स्कूल स्तर के डाटा प्रदाय की जिम्मेदारी स्कूल प्रभारी तथा ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक को सौंपी गई थी। जिला स्तर पर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा मासिक डाटा एंट्री कार्य का अनुवीक्षण किया जाना था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आर.एस.के.³ द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की तुलना में हमने वर्ष 2010-15 के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों की संख्या तथा विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़ों में बहुत भिन्नता पाई गई। अंतर का विवरण r k f y d k & 7 में दिया गया है :

r k f y d k & 7 % i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o h k k x , o a j k T ; f ' k { k k d l n z } k j k i L r r f d ; s x ; s v k a d M k a e a v a r j d k f o o j . k

i p k ; r , o a x k e h . k
f o d k l f o h k k x r F k k
l o z f ' k { k k v f h k ; k u d s
e / ; k l j g H k k s t u
l p k f y r f o / k y ; k a e a
u k e k a d u r F k k
f o / k y ; k a d h l a ; k d s
v k a d M k a e a c g r v a r j
F k k

I - 0-	o"kl	fo ky; ka dh l a ; k			ukekadu		
		i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o h k k x	j k T ; f ' k { k k d l n z	v a r j	i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o h k k x	j k T ; f ' k { k k d l n z	v a r j
1	2010-11	1,14,193	1,11,747	2,446	1,11,18,960	1,06,59,878	4,59,082
2	2011-12	1,15,189	1,13,514	1,675	1,08,02,279	1,03,19,633	4,82,646
3	2012-13	1,15,932	1,14,092	1,840	1,02,91,879	99,74,647	3,17,232
4	2013-14	1,16,707	1,15,883	824	99,62,326	96,04,061	3,58,265
5	2014-15	1,17,037	1,14,231	2,806	92,51,038	86,55,291	5,95,747

(l k r % i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o h k k x , o a j k T ; f ' k { k k d l n z d s } k j k i L r r f d , x , v k a d M k a e a v a r j

उपरोक्त दर्शित डाटा में अंतर का कारण उपयुक्त अनुवीक्षण एवं दोनों विभागों के मध्य समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत विद्यालय तथा विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी जिला पंचायतों

³ राज्य शिक्षा केन्द्र

द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों के प्रभारियों से प्राप्त की जाती है जो कि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर संकलित की जाती है। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में आंकड़ों में कोई भिन्नता न हो।

वृद्धि

विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के मितव्ययी एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

2.1.9.5 [क/कु/क/क/क]

मध्याह्न भोजन योजना दिशा निर्देश 2006 के पैरा 5.1(3) के अनुसार राज्य सरकार को मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत पूर्व वर्ष के औसत लाभान्वित छात्रों की संख्या के आधार पर जिले वार विस्तृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करना था। राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना एवं बजट में खाद्यान्न की आवश्यकता एवं चालू वर्ष के लिए भोजन पकाने की लागत के लिए केन्द्रीय सहायता का संकलन किया जाना चाहिए एवं प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड (पी.ए.वी.) से स्वीकृत कराया जाना था।

राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रदाय डाटा की जाँच में हमने देखा कि अवधि 2010-15 के दौरान आवंटित खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम/म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम से नहीं किया गया था। अवधि 2010-15 के दौरान कुल आवंटित खाद्यान्न 11,75,103 मैट्रिक टन के विरुद्ध मध्याह्न भोजन योजना के लिए केवल 10,31,267 मैट्रिक टन का उठाव किया गया था। उठाव न किए गए आवंटन की मात्रा कुल आवंटित खाद्यान्न के 5.45 प्रतिशत से 15.94 प्रतिशत के मध्य रही, जिसका विवरण i f j f ' k " V & 2 - 1 0 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, खाद्यान्न का आवंटन वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि खाद्यान्न का आवंटन प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड से अनुमोदित विगत वर्ष की छात्रों की संख्या की औसत उपस्थिति के आधार पर किया गया था, जबकि जिलों द्वारा खाद्यान्न का उठाव वास्तविक उपस्थिति एवं आवश्यकतानुसार किया गया था।

2.1.9.6 [क/कु/क/क/क]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (फरवरी 2010) के पैरा 2.6 के अनुसार जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत के विकेन्द्रीकरण हेतु जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई एक माह के अग्रिम खाद्यान्न का बफर स्टॉक सुरक्षित रखेगी जिससे कि आकस्मिक परिस्थितियों में योजना का संचालन प्रभावित न हो।

नमूना जाँच किये गये 10 जिलों के चयनित 300 विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने देखा कि विद्यालयों में खाद्यान्न का बफर स्टॉक संधारण किये जाने संबंधी प्रणाली नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि बफर स्टॉक संधारण के निर्देश पूर्व से ही दे दिए गए हैं।

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.1.9.7 [kk|klu ds uewuk dk l xg u fd; k tkuk rFkk l'kkfjr u djuk

uewuk tkp fd,
x, ftyka ea
Hkkjrh; [kk| fuxe
l s mBko fd, x,
[kk|klu ds uewuka
ds vffkys[k ftyk
Lrj ij l'kkfjr
ugha fd, x, Fks

जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की कीमत के विकेन्द्रीकृत भुगतान के दिशा-निर्देशों के पैरा 3 के अनुसार जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना था कि खाद्यान्न कम से कम अच्छी औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू) का भारतीय खाद्य निगम डिपो से प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावित उठाव किये जाने वाले स्टॉक के नमूने (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि की संयुक्त उपस्थिति में लिये जाने थे।

नमूना जाँच किये गये दस जिलों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए खाद्यान्न के नमूने जिला स्तर पर संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, खाद्यान्न की अच्छी औसत गुणवत्ता जिला स्तर पर सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि खाद्यान्न उठाव हेतु स्वीकृत आदेशों में आवश्यक निर्देशों को सम्मिलित कर लिया गया है तथा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न की अच्छी औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए थे।

vuq ka k

खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के लिए खाद्यान्नों के नमूने नियमित रूप से एकत्रित किए जाने चाहिए।

2.1.9.8 i ds gg Hkkstu ds forj. k ea 0; o/kku

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित होने वाले प्रत्येक बच्चे को समस्त शैक्षणिक कार्य दिवसों में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 3.3 के अंतर्गत राज्य सरकार को पौष्टिक पका हुआ भोजन की नियमित एवं बाधा रहित निश्चितता के लिए राज्य विशिष्ट मापदण्ड एवं रूपरेखा निर्धारित करना है।

नमूना जाँच किए गए दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय जानकारी तथा अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि मध्याह्न भोजन प्रत्येक शैक्षणिक कार्य दिवस में वितरित नहीं किया गया था। मध्याह्न भोजन वितरण में व्यवधान : 66 विद्यालयों में 1,687 दिन (वर्ष 2010-11), 73 विद्यालयों में 1,751 दिन (वर्ष 2011-12), 74 विद्यालयों में 1,767 दिन (वर्ष 2012-13), 73 विद्यालयों में 1,530 दिन (वर्ष 2013-14), 55 विद्यालयों में 1,024 दिन (वर्ष 2014-15) था। विवरण i f j f ' k " V - 2.11 में दिया गया है।

नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों के निरीक्षण में हमने पाया कि निरीक्षण के दिन पांच जिलों (भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, सीधी तथा विदिशा) के 17 विद्यालयों में स्व-सहायता समूहों द्वारा भोजन न पकाये जाने अथवा शिक्षण दिवसों में विद्यालय के बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया गया था। विवरण i f j f ' k " V & 2-12 में दिया गया है।

जिला भोपाल में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) द्वारा निर्देश जारी किए गए, कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में गत वर्ष के नामांकन के 50 प्रतिशत के आधार पर भोजन वितरित किया जाए, यदि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिक हो तो ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक की अनुशंसा पर अधिक उपस्थिति के आधार पर भोजन वितरित किया जाए। हमने देखा कि गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) द्वारा केन्द्रीकृत रसोई व्यवस्था अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरित किया

uewuk tkp fd, x,
ftyka ea l eh{k
vof/k ds nkjku
7|759 fo|ky; dk; l
fnol ka ea e/; kljg
Hkkstu ea : dkoV
gpz

गया। एन.जी.ओ. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 में 24 विद्यालयों में भोजन की आवश्यक मात्रा की मांग की पूर्ति नहीं की गई थी। जिसका विवरण i fjf' k"V&2-13 में दिया गया है।

इस प्रकार, कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक शिक्षण दिवस में मध्याह्न भोजन वितरण की निरंतरता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

vuq kd k

पके हुए भोजन की नियमित तथा बिना व्यवधान आपूर्ति में सामान्य बाधाओं को दूर करने हेतु राज्य सरकार को विस्तृत दिशा-निर्देश परिचालित करने चाहिए।

2.1.9.9. ekbØkd; fV²; dVI dh 0; oLFkk , oa LokLF; ijhf{k.k

योजना के दिशा निर्देश के पैरा 4.5 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के साथ पूरक माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स तथा डी-वार्मिंग दवायें दिया जाना है (अ) डी-वार्मिंग तथा विटामिन-ए की पूरक छःमाही खुराक, (ब) आयरन तथा फोलिक एसिड पूरक, जिंक की साप्ताहिक खुराक (स) स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य कमियों की पूर्ति हेतु उपयुक्त अन्य पूरक दवाएं।

नमूना जाँच किए गए 300 विद्यालयों की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का वितरण नहीं किया गया। जैसा कि i fjf' k"V&2-14 में वर्णित है।

vuq kd k

राज्य सरकार बच्चों के पोषण स्तर में सुधार को अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करे एवं इन स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को लेखबद्ध करे।

2.1.9.10 I j{kk rFkk LopNrk ds ekudka dk ikyu u gkuk

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में आवश्यक है कि सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों का निर्धारण तथा उनका पालन गम्भीरता से किया जाए। नमूना जाँच किए गए 10 जिलों के विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण में सुरक्षा तथा सफाई के मानकों के पालन में निम्नलिखित कमियां पाई गई :

- मध्याह्न भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 4.2 के अनुसार, रसोई सह भण्डार कक्ष मध्याह्न भोजन योजना का प्रमुख भाग है। रसोई सह भण्डार कक्ष की अनुपलब्धता या अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बच्चे फूड पॉइजनिंग तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के शिकार हो सकते हैं। नमूना जाँच किए गए 108 विद्यालयों में हमने पाया कि भोजन रसोई घरों में नहीं पकाया गया था। 26 विद्यालयों में अध्ययन कक्षों में, 42 विद्यालयों में स्व-सहायता समूहों के अध्यक्षों के घरों में तथा 40 विद्यालयों में अन्य स्थानों पर भोजन पकता हुआ पाया गया।

- मध्याह्न भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 4.1 के अनुसार खाद्यान्न नमी वाले क्षेत्र से दूर, एयरटाइट कंटेनर में संग्रहीत किया जाना चाहिए जिससे कि खाद्यान्न कीड़ों से संक्रमित न हो। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में हमने पाया कि 230 विद्यालयों में खाद्यान्न संग्रहण रसोई घरों/विद्यालयों में नहीं किया गया था तथा 177 विद्यालयों में खाद्यान्न उपयुक्त कंटेनरों में संग्रहीत नहीं किया गया। खाद्यान्न बोरेटों में संग्रहीत रखा पाया गया। मध्याह्न भोजन परोसने एवं रखने हेतु 88 विद्यालयों

ueuk tkp fd, x,
187 fo|ky; ka ea
fu; fer LokLF;
ijhf{k.k ugha gq s
rFkk ueuk tkp
fd, 192 fo|ky; ka
ea ekbØkd; fV²; dVI
dk forj.k ugha gqk

e/; klG Hkstu
forj.k fd, tkus
ea I j{kk rFkk
l Qkb/ ekudka dk
i kyu ea dfe; ka
Fkh

में पर्याप्त बर्तन नहीं थे। जिला अनूपपुर में खाद्यान्न (चावल) कीड़ों से संक्रमित पाया गया।



ykokl | Øfer pkoy ek/; fed fo |ky; [kkMjh]
[ykd t&gkjh] ftyk vui i g] fnukad 7.04.2015

- योजना के दिशा निर्देश (पैरा 4.4 के अनुलग्नक 10) में विद्यालयों में बच्चों को सही गुणवत्ता के भोजन प्रदाय की जाँच हेतु माताओं को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में हमने पाया कि 183 विद्यालयों में माताओं का रोजर या तो संधारित नहीं था अथवा अपूर्ण था।
- 79 विद्यालयों में भोजन करने से पहले हाथ साफ करने हेतु साबुन/तौलिया जल स्रोत के पास उपलब्ध नहीं थे।
- केन्द्रीय रसोई घर भोपाल के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि विद्युत मशीनों पर पकाई गई रोटियां पूरी तरह से पकी हुई नहीं थी।



xj | jdkjh | LFkk }kjk v/ki dh jkMh dk forj.k | kFkfed
fo |ky;] fot; uxj] Hkki ky 'kgj] fnukad % 12-3-2015

- नमूना जाँच किये गये सात जिलों के 19 विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन होने के बावजूद भोजन लकड़ी के उपयोग से पकाया गया जैसा कि ifjf'k"V&2-15 में वर्णित है। परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा बताया गया कि गैस एजेन्सियों के विद्यालयों से दूर स्थित होने के कारण सिलेन्डर भरवाने में परेशानी आती है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि जिलों को सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विशिष्टताओं का पालन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

2.1.9.11 j l kbz ?kjk dk fuelk k

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दिशानिर्देश 2006 के पैरा 2.3(v) के अनुसार केन्द्र सरकार रसोई सह-भण्डार कक्ष के निर्माण हेतु इस प्रकार चरणबद्ध रूप में सहायता प्रदान करेगी कि रसोई घरों का निर्माण दो से तीन वर्षों में पूर्ण किया जा सके। रसोई सह-भण्डार कक्ष का निर्माण कार्य स्वीकृत आदेश के अनुसार तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

(i) राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रस्तुत डाटा की संवीक्षा में हमने देखा कि अवधि 2006-07 से 2014-15 में कुल 1,00,751 रसोई घर स्वीकृत किए गए थे उन में से 2014-15 तक कुल 86,680 रसोई घर पूर्ण किए गए तथा 7,662 इकाईयों में किचन शेड कार्य निर्माणाधीन था। 6,409 इकाईयों में कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया (मई 2015)। विवरण i f j f ' k " V & 2-16 में दर्शाया गया है।

(ii) कई प्रकरणों में ग्राम पंचायतों को रसोई घरों के निर्माण हेतु राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की गई परंतु ग्राम पंचायतों द्वारा न तो निर्माण कार्य किया गया और न ही राशि वापस की गई। हमने चयनित नमूना जाँच किये गये चार जिलों⁴ में ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत राजस्व वसूली (आर.आर.सी.) राशि ₹ 34.35 लाख के 60 प्रकरण पाए।

(iii) भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर तथा उज्जैन नगर पालिक निगम जहां पहले से केन्द्रीकृत किचन व्यवस्था उपलब्ध है के अलावा नौ नगर निगमों⁵ में राशि ₹ 6.60 करोड़ केन्द्रीकृत रसोई घर निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 में जारी की गई तथापि केवल दो जिलों (बुरहानपुर एवं खण्डवा) में केन्द्रीकृत रसोई घर जुलाई 2015 तक संचालित किए जा सके थे। अन्य शेष सात जिलों में केन्द्रीकृत रसोई घर पूर्ण नहीं किए गए थे (जुलाई 2015)।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा की आपत्ति अनुसार आवश्यक अनुपालना की जाएगी।

2.1.9.12 e/; klg Hkkstu ; kstuk dk vl; fodkl ; kstukvka ds l kfk vfHkl j .k ugha fd; k tkuk

v | kl j puk fodkl
ds fy, e/; klg
Hkkstu ; kstuk ds
l kfk vl; xkeh.k
fodkl ; kstukvka
dk vfHkl j .k ugha
fd; k x; k Fkk

मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देश 2006 के पैरा 2.5 के अनुसार अधोसंरचनात्मक तत्व जैसे रसोई सह भण्डार, पानी आपूर्ति, किचिन के बर्तन तथा स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम के साथ अभिसरण की आवश्यकता है।

राज्य में रसोई सह भण्डार गृह में निर्माण कार्य का अभिसरण अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ नहीं किया गया, 2,927 रसोई सह भण्डार गृह (अर्थात कुल निर्मित रसोई सह भण्डार गृह 98,458 का तीन प्रतिशत) को छोड़कर जिनका निर्माण अन्य योजनाओं में अभिसरण के अंतर्गत मार्च 2015 तक की स्थिति में था।

- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015-16 के अनुसार राज्य में समीक्षा अवधि के दौरान 1,14,456 विद्यालयों में से मात्र 210 विद्यालयों में रसोई के बर्तन अभिसरण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
- मध्याह्न भोजन योजना के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम एवं माइक्रोन्यूट्रियेंट्स के वितरण का अभिसरण नहीं पाया गया।

⁴ अनूपपुर 16 इकाई राशि ₹ 9.11 लाख, ग्वालियर 36 यूनिट राशि ₹ 21.60 लाख, मंदसौर एक यूनिट राशि ₹ 1.54 लाख तथा सीहोर सात यूनिट राशि ₹ 2.10 लाख।

⁵ बुरहानपुर ₹ 60 लाख, देवास ₹ 90 लाख, कटनी ₹ 60 लाख, खण्डवा ₹ 90 लाख, रतलाम ₹ 60 लाख, रीवा ₹ 120 लाख, सागर ₹ 60 लाख, सतना ₹ 60 लाख एवं सिंगरोली ₹ 60 लाख।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार, अन्य विकास योजनाओं से निधियों की उपलब्धता हेतु अभिसरण के प्रस्ताव लिये जायेंगे। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स वितरण किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

वृत्त

अन्य विकास योजनाओं के साथ मध्याह्न भोजन योजना के अभिसरण की योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

2.1.10 वृत्त, ओ फुजि

2.1.10.1 {करक फोदक}

राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद ने वर्ष 2006-07 में प्रत्येक जिले में एक टास्क मैनेजर एवं दो क्वालिटी मॉनीटर के पद स्वीकृत किए थे। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (अप्रैल 2009) के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी, टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर माह में कम से कम 20 दिवस दौरे पर रहेंगे, जिससे वर्ष में विद्यालयों का न्यूनतम एक निरीक्षण किया जा सके।

राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि राज्य स्तर पर टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर के पदों को भरा नहीं गया था।

हमने यह भी पाया कि छह जिलों (अशोक नगर, झाबुआ, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना तथा श्योपुर) में न तो टास्क मैनेजर एवं न ही क्वालिटी मॉनीटरों के पद भरे थे। नमूना जाँच किए गए चार जिलों (अनूपपुर, मन्दसौर, राजगढ़ एवं सीधी) में हमने पाया कि टास्क मैनेजर के पद भरे नहीं थे। नमूना जाँच किए गए सात जिलों⁶ में क्वालिटी मॉनीटर के पद खाली थे। विवरण i j f ' k " V - 2.17 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियों की कार्रवाई प्रगति पर है।

वृत्त

राज्य तथा जिला स्तर पर योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण हेतु टास्क मैनेजर तथा क्वालिटी मॉनीटर की पदस्थापना की जानी चाहिए।

2.1.10.2 fn'kkn'khz, oa ekhuvfjx des/h dh vi; klr l q; k ea cBda

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 अगस्त 2010 के अनुसार जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण कमेटी (एस.एम.सी.) की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जानी चाहिए एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक छह माह पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए जिसमें सामान्य गतिविधियों के अलावा जिले स्तर पर हुई एस.एम.सी. बैठकों की समीक्षा की जानी थी। एस.एम.सी. के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद एवं चयनित जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की संवीक्षा में हमने पाया कि एस.एम.सी. की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुईं। पाँच वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान राज्य स्तर पर, एस.एम.सी. की

jkT; ,oa ftyk
Lrj ij VklD
eLstj rFkk
DokfyVh ekWuhVj
ds in ugha Hkjs
x, Fks

e/; kUg Hkktu ; kstuk
ds dk; kUo; u ds
i; bsk.k grq jkT;
,oa ftyk Lrj ij
, l -, e-l h- dh cBda
fu/kkjr l q; k ea
ugha dh x; ha Fkh

⁶ अनूपपुर, धार, मन्दसौर, राजगढ़, सीहोर, सीधी एवं विदिशा

निर्धारित 10 बैठकों के विरुद्ध मात्र पांच बार⁷ ही बैठकें हुईं। जिला स्तर की एस.एम.सी. बैठकों के कार्यवृत्त विवरण (वर्ष 2011-2012 से 2014-15) राज्य स्तर की एस.एम.सी. बैठकों के परिचर्चा की कार्यसूची में शामिल नहीं किए गए थे। आगे जिला स्तर पर एस.एम.सी. की बैठकें भी निर्धारित आवृत्ति पर नहीं हुईं। विवरण i f j f ' k " V & 2-18 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर एस.एम.सी. की बैठकें योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।

v u q k d k

राज्य तथा जिला स्तर पर एस.एम.सी. की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएं ताकि योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके।

2.1.10.3 e / ; k l l g H k k s t u ; k s t u k d k f u j h k . k

मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 6.2 के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण सुनियोजित कर किया जाना चाहिए। एस.एम.सी. बैठकों के निष्कर्षों का प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं मध्याह्न भोजन योजना के समर्पित कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

दस जिलों की नमूना जाँच में हमने पाया कि निरीक्षण संबंधी मापदण्डों का पालन नहीं किया गया था। टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटरों द्वारा निरीक्षण डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों का संकलन नहीं किया गया। विवरण i f j f ' k " V - 2.19 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि जिलों को मापदण्डों के अनुसार नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.1.10.4 f ' k d k ; r f u o k j . k r a d h d f e ; k a

मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 2.8 के अनुलग्नक 11 भाग-ब के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

विभिन्न समाचार वेबसाइटों पर उपलब्ध प्रतिकूल प्रकाशित प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान छह जिलों में मध्याह्न भोजन खाने से छह अवसरों पर 236 विद्यार्थी बीमार हुए। इन तथ्यों की पुष्टि किये जाने हेतु एवं राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद (जुलाई 2015) द्वारा इन रिपोर्टों पर की गयी कार्यवाही का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। तथापि, शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय, बालापुरा (ब्लॉक- इच्छावर, जिला-सीहोर) में 15 अगस्त 2014 को मध्याह्न भोजन खाने के बाद 53 बच्चों के बीमार होने के तथ्यों की पुष्टि जिला पंचायत सीहोर के अभिलेखों से हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर द्वारा राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद को प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) में संबंधित स्व-सहायता समूह तथा रसोईयों को हटाए जाने का उल्लेख किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि जिलों को जिला आकस्मिक प्लान तैयार करने तथा राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद को

⁷ वर्ष 2010-11 की बैठकों के विवरण प्रदाय नहीं किए गए, वर्ष 2011-12- बैठकों की संख्या: एक, वर्ष 2012-13- बैठकों की संख्या: दो, वर्ष 2013-14 - बैठकों की संख्या: एक, वर्ष 2014-15 - बैठकों की संख्या: एक

कार्यवाही प्रतिवेदन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) 24 घंटे के अंदर ई-मेल से भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे।

2.1.11 fu"d"kl , oa vuq kd k, a

- नमूना जाँच किए गए दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण थे। इसमें से 31 मार्च 2015 तक ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना निधि हेतु पुनः प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

- विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण में संलग्न स्व-सहायता समूहों द्वारा आवश्यक अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार खाद्यान्न की उपयोगिता तथा भोजन पकाने की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

खाद्यान्न की उपयोगिता एवं स्व-सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघों द्वारा खाना पकाने की लागत के दावों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत लाभों के रिसाव को रोका जा सके।

- राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया। इस प्रकार 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले योग्य बच्चों को योजना के अंतर्गत नहीं लाया जा सका।

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010-11 में 111.19 लाख से वर्ष 2014-15 में 92.51 लाख की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010-11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010-11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 75.02 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन का प्रभाव नहीं देखा गया था।

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्यान्ह भोजन योजना में शामिल विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़ों में भिन्नता थी, जो उपयुक्त अनुवीक्षण की कमी एवं दोनों विभागों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

मध्यान्ह भोजन योजना के मितव्ययी एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की वास्तविक संख्या के आंकड़े प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय प्रणाली की स्थापना विभाग द्वारा की जानी चाहिये।

- भारतीय खाद्य निगम/मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से उठाए गए खाद्यान्नों के नमूने जिला स्तर पर संग्रहीत नहीं किए गए थे।

खाद्यान्नों की अच्छी औसत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के नियमित नमूने संग्रहीत किए जाने चाहिए।

- मध्यान्ह भोजन का वितरण बाधित हुआ। नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के पाँच वर्षों के दौरान मध्यान्ह भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

पके हुए भोजन की नियमित तथा बिना रूकावट आपूर्ति में व्यवधानों को हटाने हेतु राज्य सरकार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

- नमूना जाँच किए गए 300 विद्यालयों में से, 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किए गए थे तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का वितरण नहीं हुआ था।

राज्य सरकार बच्चों के पोषण स्तर में सुधार को अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करे एवं इन स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को लेखबद्ध करे।

- नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के पालन में कमियां थीं। लेखापरीक्षा में जाँच किए गए विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे रसोई घर, उपयुक्त बर्तनों आदि की कमी थी।

- रसोई सह भण्डार कक्ष निर्माण हेतु मध्याह्न भोजन योजना का अन्य विकास योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया। इसी प्रकार रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के साथ तथा स्वास्थ्य परीक्षण तथा माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स वितरण कार्य स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण से नहीं किया गया।

अन्य विकास योजनाओं के साथ मध्याह्न भोजन योजना के अभिसरण किए जाने की आवश्यकता है।

- राज्य एवं जिला स्तर पर टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर के कई पद रिक्त थे।

राज्य तथा जिला स्तर पर योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण हेतु टास्क मैनेजर तथा क्वालिटी मॉनीटर की पदस्थापना की जानी चाहिए।

- योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं।

राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठकें की जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके।

यस LokLF; , oa i fjokj dY; k.k foHkkx

2-2 , p-vkbzoh-@, M4 i frjks/k dk; Øe dk fØ; kko; u

dk; i kyu l kjk k

ह्यूमन इम्यूनो-डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो-डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के प्रतिरोध हेतु भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999-2006 के दौरान एन.ए.सी.पी. -द्वितीय तथा वर्ष 2007-12 के दौरान एन.ए.सी.पी.-तृतीय का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.-चतुर्थ को वर्ष 2012-2017 के दौरान लागू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा.प.क.वि.) की अध्यक्षता में गठित एक पंजीकृत समिति है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में राज्य में एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किया गया। हमने पाया कि वर्ष 2010-15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया गया था।

(dfMdk 2.2.5 rFkk 2.2.6)

- एन.ए.सी.पी.-चतुर्थ चरण का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत (एन.ए.सी.पी.-तृतीय के अंतर्गत आधारभूत वर्ष 2007) तक कम करना था। तथापि हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 की अवधि में नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरण 4,972 थे, वहीं वर्ष 2014-15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

(dfMdk 2.2.7)

- राज्य में 17 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केंद्र तथा 37 लिंक ए.आर.टी. केंद्र थे। राज्य में कुल 38,268 प्रतिवेदित वयस्क एच.आई.वी. मरीजों में से ए.आर.टी. पर 30,484 मरीज ही पंजीकृत हुए थे। इसके विरुद्ध 20,668 मरीजों की ए.आर.टी. शुरू की गई थी उनमें से 13,213 मरीज ही सतत रूप से उपचार जारी रखे थे।

(dfMdk 2.2.7)

- मानचित्र आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 उच्च जोखिम तथा 1,25,834 प्रवासी आबादी निवासरत थी। वर्ष 2010-15 के दौरान उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के लिए 204 लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थीं। जिसमें से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थीं। आगे वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान टी.आई. परियोजनाओं के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(dfMdk 2.2.8)

• यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को प्राप्त करने तथा संचरण करने की संभावना को कई गुणा बढ़ाते हैं। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षण के व्यक्तियों को कवर करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध 9.90 लाख की उपलब्धि थी। 12 चयनित जिले के एस.टी.आई. क्लीनिकों में औषधियों, मानव संसाधन तथा भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई थी।

(dfMdk 2.2.10)

• रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह रक्त संग्रहण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है तथा इसलिए एन.ए.सी.पी.-तृतीय में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) पर बी.एस.यू. की स्थापना करना प्रस्तावित था। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों के 75 में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन जिलों के 13 रक्त बैंक बिना वैध नवीनीकरण लाईसेंस के संचालित थे।

(dfMdk 2.2.11)

• वर्ष 2010-15 के दौरान एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों (आई.सी.टी.सी.) पर संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के निर्धारित लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि प्राप्त की गई। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिले के आई.सी.टी.सी. में परीक्षण किट, भौतिक अधोसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी थी।

(dfMdk 2.2.13)

• माता-पिता से बच्चों में संचरण को रोकने (पी.पी.टी.सी.टी.) के कार्यक्रम के अंतर्गत माता से बच्चों में संचरण को समाप्त करने के लिए सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को कवर करना था। हमने पाया कि वर्ष 2010-15 के दौरान एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई थी। आगे पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(dfMdk 2.2.14)

• राज्य में एन.ए.सी.पी.-तृतीय (2007-12) में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किया गया था। तथापि राज्य के द्वारा कार्यक्रम के मध्यावधि एवं समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.-तृतीय के मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने की जानकारी नहीं थी।

(dfMdk 2.2.18)

2.2.1 iLrkouk

ह्यूमन इम्यूनो-डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो-डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999-2006 के दौरान एन.ए.सी.पी.-द्वितीय तथा वर्ष 2007-12 के दौरान एन.ए.सी.पी.-तृतीय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.-चतुर्थ को वर्ष 2012-2017 के दौरान क्रियान्वित किया जाना है तथा इसका उद्देश्य नए संक्रमण को 50 प्रतिशत तक कम करना एवं एच.आई.वी. के साथ जीवित रहने वाले लोगों (पी.एल.एच.आई.वी.) को समुचित देखभाल व सहायता तथा उन सभी लोगों को जिनको आवश्यकता है को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एच.आई.वी. आकलन 2012 के

अनुसार वयस्कों (15 से 49 आयु समूह) में एच.आई.वी. की व्याप्तता में सतत गिरावट देखी गई थी, जो राष्ट्रीय स्तर में वर्ष 2007 के 0.33 प्रतिशत के अनुमानित स्तर की तुलना से वर्ष 2011 में 0.27 प्रतिशत रही।

मध्य प्रदेश में एच.आई.वी. की व्याप्तता में वर्ष 2007 में 0.11 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 0.09 प्रतिशत की गिरावट आई। एच.आई.वी. आकलन 2012 के अनुसार राज्य में पी.एल.एच.आई.वी./एड्स की अनुमानित संख्या 0.40 लाख थी। महामारी विज्ञान एवं संवेदनशीलता के मानदंड के अनुसार मध्य प्रदेश को उच्च संवेदनशील राज्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। राज्य के 51 जिलों में से, 5 जिलों को 'ए' श्रेणी (उच्च व्याप्तता), 3 जिलों को 'बी' श्रेणी (महामारी केंद्रित), 24 जिलों को 'सी' श्रेणी (बढ़ती संवेदनशील जनसंख्या के साथ कम व्याप्तता) तथा 19 जिलों को 'डी' श्रेणी (कम/अज्ञात संवेदनशीलता तथा कम व्याप्तता) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

2.2.1.1 / 1FKkxr 0; oLFkk

मध्य प्रदेश में कार्यक्रम को लागू करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा.प.क.वि.) की अध्यक्षता में म.प्र.रा.ए.नि.स. एक पंजीकृत समिति है। म.प्र.रा.ए.नि.स. के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। जिसके सचिव, म.प्र.रा.ए.नि.स. के परियोजना निदेशक हैं। जिला स्तर पर 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के जिलों में जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाई (डी.ए.पी.सी.यू.) तथा 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के जिलों में जिला एड्स नियंत्रण समिति (डी.ए.सी.एस.), जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे।

जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी.एल.एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को एंटी रेट्रो-वायरल (ए.आर.वी.) ड्रग्स तथा अवसरवादी संक्रमण ड्रग्स प्रदान करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केंद्र स्थापित किए गए थे। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं (टी.आई.) का क्रियान्वयन गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से उच्च जोखिम समूह (महिला यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुषों, सुई से नशा करने वाले) तथा सेतु आबादी (ट्रक ड्राइवर तथा प्रवासी) को शामिल करने के लिए किया गया था। एस.टी.आई./आर.टी.आई. (यौन संचारित संक्रमण/प्रजनन पथ के संक्रमण) क्लीनिक शासकीय अस्पतालों/लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं में यौन संचारित संक्रमण की जाँच सुविधा तथा उपचार के लिए स्थापित किए गए थे। एकीकृत परामर्श व परीक्षण केंद्र (आई.सी.टी.सी.) शासकीय अस्पतालों में संदिग्ध एच.आई.वी. रोगियों को परामर्श व जाँच उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों, ए.आर.टी. केंद्रों तथा आई.सी.टी.सी. के लिए भवन व बुनियादी संरचनाएं प्रदान की गई थी। इन केंद्रों के लिए उपभोज्य सामग्री एवं जाँच किट नाको द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. के माध्यम से प्रदाय किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों के लिए दवाई एवं मानव शक्ति आंशिक रूप से म.प्र.रा.ए.नि.स. तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की गई थी।

2-2-2 ys[kki jh{kk ds mnns ;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- निधि पर्याप्त रूप से एवं समय पर आवंटित एवं जारी की गई थी तथा एन.ए.सी.पी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम वित्त का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया गया था;

- कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया गया तथा लक्ष्य प्राप्त किए गए थे; तथा
- प्रस्तावित क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए समुचित संस्थागत प्रबंध किए गए थे।

2-2-3 ys[kki jh{kk ekunM

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा जारी वित्तीय नियम एवं वित्तीय प्रबंधन दिशानिर्देश;
- नाको द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश, परिपत्र तथा निर्देश;
- अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन इत्यादि; तथा
- योजनाओं के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए नाको द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा निर्धारित प्रक्रियाएं।

2-2-4 ys[kki jh{kk l eko' ku dk dk; [ks= rFkk dk; fof/k

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2010-11 से 2014-15 को शामिल किया गया था। 25 प्रतिशत जिलों अर्थात् 12 जिलों (प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम 2 जिलों) का चयन सामान्य यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन विधि से किया गया था। परियोजना निदेशक (पी.डी.), मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कार्यालय, 12 चयनित जिलों¹ के चार डी.ए.पी.सी.यू., आठ डी.ए.सी.एस., 31 आई.सी.टी.सी., पांच ए.आर.टी. केंद्र, सात लिंक ए.आर.टी. केंद्र, 19 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिक, 13 रक्त बैंक तथा 23 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं के कार्यालयों को शामिल किया गया था जैसा कि ifj'k"V-2.20 में वर्णित है।

परियोजना निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के साथ मार्च 2015 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ सितम्बर 2015 में निर्गम सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उनके उत्तरों/विचारों को समीक्षा में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

2-2-5 ifj; kstuk foUkh; i x'ku dk fØ; kUo; u

यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र प्रवर्तित योजना है तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में अनुदान सीधे म.प्र.रा.ए.नि.स. को तथा वर्ष 2014-15 में राज्य कोषालय पद्धति से जारी किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा इन निधियों को डी.ए.पी.सी.यू. डी.ए.सी.एस तथा लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं हेतु गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को जारी किया गया था।

कार्यक्रम के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान जारी अनुदान तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

¹ बालाघाट तथा हरदा (ए श्रेणी), भोपाल तथा इंदौर (बी श्रेणी), बड़वानी, खंडवा, खरगौन तथा सिहोर (सी श्रेणी) तथा अशोकनगर, डिंडोरी, झाबुआ तथा रायसेन (डी श्रेणी)।

रक्यदक&1% jkT; ea mi yC/k fuf/k , oaf d, x, 0; ;

(₹ djkM+e)

o"z	ukdks }kj k vupkfnr dk; l ; kst uk	i kj fHkd 'k'k	ukdks l s o"z ds nkj ku i klr vupku	o'f C; kt	dj mi yC/k fuf/k	o"z ds nkj ku 0; ;	vfre 'k'k	cpr ¼ fr'kr½
2010-11	36.80	15.26	29.64	0.48	45.38	19.29	26.09	57
2011-12	38.20	26.09	24.21	0.72	51.02	25.78	25.24	49
2012-13	34.12	25.24	17.28	0.77	43.29	18.66	24.63	57
2013-14	47.34	24.63	9.06	0.52	34.21	32.46	1.75	5
2014-15	55.61	1.75	43.62	0.22	45.59	31.91	13.68	30
; ksx	212.07		123.81	2.71	141.78²	128.10		

¼ ksr-% e-izjk, -fu-l -)

jkT; Lrj ij o"z
2010&15 ds
nkj ku fuf/k; ka dk
i kp l s 57
i fr'kr rFk
ftys Lrj ij
rhu l s 76
i fr'kr rd de
mi ; ksx fd; k
x; k

उपर्युक्त रक्यदक&1 से स्पष्ट है कि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया तथा पांच से 57 प्रतिशत निधियां राज्य स्तर पर उपयोग नहीं की जा सकी। नमूना जाँच किए गए 12 जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि वर्ष 2010-15 की अवधि में जिले स्तर पर म.प्र.रा.ए.नि.स. से निधि प्राप्ति में देरी, विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन न होने तथा पदों के विरुद्ध रिक्तियों के कारण तीन से 76 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। क्षेत्रीय इकाईयों को निधियां जारी करने में विलंब तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 11 से 62 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में नाको ने माह सितम्बर 2014 में ₹ 13.62 करोड़ की द्वितीय एवं अंतिम किस्त जारी की, परंतु यह किस्त राज्य सरकार द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. को जारी नहीं की गई तथा 31 मार्च 2015 को व्यक्तिगत खाते में अवरुद्ध रही। इस प्रकार इस किस्त का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि नाको द्वारा निधि जारी करने में विलंब तथा जिला इकाईयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब, निधियों के कम उपयोग के साथ ही साथ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य के मुख्य कारण थे।

2.2.5.1 ctV dk fu#i .k , oa okf"kd dk; l ; kst uk dh r\$ kjh

ctV , oa okf"kd
dk; l ; kst uk
cukus ea
ckWe&vi , i kp
dks 'kkfey ugha
fd; k Fkk

नाको के वित्तीय प्रबंधन के लिए परिचालित दिशानिर्देश के पैरा 5.1 के अनुसार निचले स्तर की इकाईयों से प्राप्त सूचनाएं राज्य एड्स नियंत्रण समिति के स्तर पर बजट की तैयारी तथा गतिविधियों के नियोजन के संबंध में बॉटम-अप एप्रोच को शामिल किया जाना चाहिए था। गतिविधियों की योजना की तैयारी विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए थी। इस संबंध में एक बजट परिपत्र सभी क्रियान्वयन इकाईयों को देना चाहिए था जिससे कि वे समय से अपनी आवश्यकताओं के बारे में अवगत करा सकें।

² वर्ष 2010-11 का प्रारंभिक शेष (₹ 15.26 करोड़) + कुल प्राप्त अनुदान (₹ 123.81 करोड़) + बैंक ब्याज (₹ 2.71 करोड़)

तथापि, यह देखा गया कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बजट का निरूपण तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने से पहले न तो क्रियान्वयन इकाइयों को बजट परिपत्र जारी किए गए न ही इन इकाइयों से कोई सूचना प्राप्त की गई। अतः बॉटम-अप एप्रोच को राज्य एवं जिला स्तर पर योजनाओं के तैयार करने में अंगीकार नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों, जिलों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में भी उपयोग किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किए गए डी.ए.पी.सी.यू. तथा डी.ए.सी.एस द्वारा बताया गया कि बजट तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कोई सूचना नहीं ली गई थी।

वृद्धि

वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा नियोजन प्रक्रिया में बॉटम-अप एप्रोच अपनाई जाए।

2-2-6 ढक; Øe fØ; kllø; u

रोकथाम एन.ए.सी.पी. कार्यनीति का मुख्य आधार था। कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च जोखिम समूह, अति संवेदनशील/सेतु आबादी एवं सामान्य समुदाय के वृद्ध संख्या के नवयुवक व नवयुवतियां जो कि देश की कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत हैं को संतुष्ट करते हुए ध्यान केंद्रित करना था। तदनुसार, उच्च जोखिम समूह तथा सेतु आबादी को शामिल करने के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) साइट्स की स्थापना, एस.टी.आई./आर.टी.आई. नियंत्रण एवं रोकथाम सेवाएं, सुरक्षित रक्त आधान सेवा, कंडोम प्रचार, एच.आई.वी. परामर्श एवं जाँच तथा पी.एल.एच.आई.वी. लोगों के लिए देखभाल, सहायता एवं उपचार सुविधाएं कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य आधार बिंदु थे। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में घटकवार निधियों का आवंटन एवं व्यय रकम में दर्शाते हैं-

रकम: ₹ करोड़, लाख, हजार, पैसे ;

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	देखभाल, सहायता एवं उपचार (सी.एस.टी.)	15.78	10.04	5.74	36%
2.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.)	69.44	38.73	30.71	44%
3.	लिंग कार्यकर्ता योजना (एल.डब्ल्यू.एस.)	14.94	8.14	6.80	46%
4.	यौन संचरित संक्रमण (एस.टी.आई.)	6.58	4.21	2.37	36%
5.	रक्त सुरक्षा	19.54	13.67	5.87	30%
6.	एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (आई.सी.टी.सी.)	34.45	22.38	12.07	35%
7.	सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)	31.06	15.80	15.26	49%
8.	प्रहरी निगरानी/ सामरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एस.एम.आई.एस.)	2.41	0.88	1.53	63%
	कुल	194.20	113.85	80.35	41%

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु 30 से 63 प्रतिशत उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। यह कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कमजोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत था, जिसपर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.6.1 , p-vkbZoh- igjh fuxjkuh ¼, p-, l -, l -½

जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच भौगोलिक दृष्टि से महामारी के फैलाव के जटिल आंकड़ों को उपलब्ध कराने तथा उचित रणनीति की योजना बनाने के लिए सभी जिलों में एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी केंद्र की स्थापना कर प्रहरी निगरानी की जानी थी। एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता को देखने के लिए वर्ष में एक बार प्रहरी निगरानी की जानी थी। प्रहरी निगरानी की प्रकृति तथा साइट्स, एस.टी.डी. प्रहरी समूह के लिए एस.टी.डी. क्लिनिक, उच्च जोखिम समूह तथा सेतु जनसंख्या के लिए गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित टी.आई. साइट्स एवं गर्भवती महिला प्रहरी समूह के लिए प्रसव पूर्व क्लिनिक थे।

जैसा कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी के तीन चरण आयोजित किए गए, जिसका क्रम निम्न है।

क्र.सं. 2010-11 से 2014-15 तक की , p-vkbZoh- igjh fuxjkuh की जानकारी

वर्ष	, p-vkbZoh- igjh fuxjkuh की जानकारी	टी.आई. साइट्स	'कफेय' उच्च जोखिम समूह	एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी केंद्र	एस.टी.डी. प्रहरी समूह	एस.टी.डी. क्लिनिक	प्रसव पूर्व क्लिनिक
2010-11	ए.एन.सी., एस.टी.डी., एच.आर.जी.	50	45	56	19,550	18,924	177
2011-12	कोई निगरानी नहीं						
2012-13	ए.एन.सी.	50	47	47	18,800	18,771	26
2013-14	कोई निगरानी नहीं						
2014-15	ए.एन.सी.	51	49	49	19,600	अक्टूबर 2015 तक निगरानी प्रक्रियाधीन थी	

संख्यात्मक जानकारी

- एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी के तहत वर्ष 2010–11 के दौरान पांच जिले (अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया), वर्ष 2012–13 के दौरान तीन जिले (झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया) तथा वर्ष 2014–15 के दौरान दो जिलों (आगर मालवा तथा उमरिया) को कर्मचारियों तथा निर्धारित साइज नमूना एकत्रित करने के लिए अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया गया था।

- वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2012–13 में एच.आई.वी. पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या कम थी। तथापि, यह एस.टी.डी. और एच.आर.जी. प्रहरी समूह को शामिल न करने के कारण थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि नीति के अनुसार म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी आयोजित करने में नाको की दिशानिर्देश एवं निर्देशनों का पालन किया गया था।

वर्ष 2010-11 के दौरान पांच जिले (अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया), वर्ष 2012-13 के दौरान तीन जिले (झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया) तथा वर्ष 2014-15 के दौरान दो जिलों (आगर मालवा तथा उमरिया) को कर्मचारियों तथा निर्धारित साइज नमूना एकत्रित करने के लिए अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया गया था।

2-2-7 ns[kHkky] l gk; rk rFkk mi pkj ¼ h-, l -Vh-½

, -vkj-Vh- dñka
ij l Hkh i h-, y-
, p-vkbZoh-
i at h d r ugha
Fks

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के देखभाल, सहायता तथा उपचार घटक (सी.एस.टी.) का मुख्य उद्देश्य पी.एल.एच.आई.वी. को मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.), मनोवैज्ञानिक सहयोग, अवसरवादी संक्रमण (ओ.आई.) सहित क्षय रोग की रोकथाम व उपचार तथा गृह आधारित देखभाल की सुविधा प्रदान करना एवं उसके प्रभावों को कम कर व्यापक सेवाएं प्रदान करना था। सी.एस.टी. सुविधा ए.आर.टी. केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ए.आर.टी. केंद्रों की स्थापना जिले/क्षेत्रों में एच.आई.वी. की व्यापकता, खोजे गए पी.एल.एच.आई.वी. की संख्या तथा संस्थाओं द्वारा ए.आर.टी. संबंधित सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता के आधार पर की गई थी। लिंक ए.आर.टी. केंद्र मुख्यतः जिले/उप जिले स्तर के अस्पतालों में आई.सी.टी.सी. में स्थापित थे तथा जो कि सुलभ दूरी पर स्थित नोडल ए.आर.टी. केंद्र से जुड़े थे। राज्य में 17 ए.आर.टी. तथा 37 लिंक ए.आर.टी. थे।

एन.ए.सी.पी.-तृतीय के अंतर्गत यह देखा गया कि 5900 पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. प्रदान करने के लिए लक्ष्य के विरुद्ध 7147 पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. प्रदाय की गई थी। एन.ए.सी.पी.-चतुर्थ का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत तक कम करना था (एन.ए.सी.पी.-तृतीय 2007 बेसलाइन)। तथापि, म.प्र.रा.ए.नि. स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान नए एच.आई.वी. प्रकरण 4,972 थे जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान 5,186 वर्ष 2013-14 के दौरान 5,040 तथा वर्ष 2014-15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

2-2-7-1 , -vkj-Vh- dñka ij i at h d r jkfx; ka dh fLFkfr

ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा पंजीकृत रोगियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

Rkkfydk&4% , -vkj-Vh- ij i at h d r rFkk , -vkj-Vh- ij thfor jkfx; ka dh fLFkfr

o"z	, -vkj-Vh- ij i at h d r .k dk y{; ¼ p; h½	o; Ld , p-vkbZoh- jkfx; ka dh fLFkfr			cky , p-vkbZoh- jkfx; ka dh l a; k		
		, -vkj-Vh- ea i at h d r jkfx; ka dh l a; k ¼ p; h½	, d s jkfx; ka dh l a; k ftudh , - vkj-Vh- i kj ðk dj nh xbz Fkh ¼ p; h½	, -vkj-Vh- ij thfor jkfx; ka dh l a; k ¼ p; h½	, -vkj-Vh- ea i at h d r jkfx; ka dh l a; k ¼ p; h½	, d s jkfx; ka dh l a; k ftudh , - vkj-Vh- i kj ðk dj nh xbz Fkh ¼ p; h½	, -vkj-Vh- ij thfor jkfx; ka dh l a; k ¼ p; h½
2010-11	14,000	15,174	9,236	5,021	1,139	542	317
2011-12	17,000	20,301	12,652	7,147	1,495	720	465
2012-13	23,000	25,043	16,103	9,018	1,849	918	606
2013-14	30,000	25,803	16,767	11,175	1,855	970	717
2014-15	32,000	30,484	20,668	13,213	2,032	1,159	840

(l ks% e-izjk, -fu-l -)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार पाया गया—

- ए.आर.टी. केंद्रों पर पी.एल.एच.आई.वी. के पंजीकरण के लिए संचयी लक्ष्य केवल 32,000 थे, जबकि मार्च 2015 तक आई.सी.टी.सी. द्वारा 38,268 वयस्क एच.आई.वी. तथा 2,794 बाल एच.आई.वी. के प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बताया गया कि आई.सी.टी.सी. पर कुछ रोगियों द्वारा दो या तीन बार जाँच कराई गई, अतः प्रतिवेदित प्रकरण की संख्या अधिक थी लेकिन वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कम थी। इस प्रकार एक से अधिक बार एक ही पी.एल.एच.आई.वी. के पंजीकरण को रोकने के लिए किसी तंत्र का अभाव था, जिसके फलस्वरूप आई.सी.टी.सी. द्वारा पी.एल.एच.आई.वी. के बढ़े हुए आंकड़े प्रतिवेदित किए।

- कुल 20,668 वयस्क रोगियों जिनकी ए.आर.टी. शुरु की गई थी, उनमें से केवल 13,213 (64 प्रतिशत) रोगी ही ए.आर.टी. पर जीवित (ए.आर.टी. पर सक्रिय रूप से संपर्क में थे) थे। इसी प्रकार बाल एच.आई.वी. रोगियों के प्रकरण में कुल 1,159 रोगी जिनकी ए.आर.टी. शुरु की गई थी, के विरुद्ध केवल 840 (72 प्रतिशत) रोगी ए.आर.टी. पर जीवित थे। अतः एआरटी केंद्रों से दूर हो गए रोगियों के अनुवर्तन के कार्य में कमी थी।

- औषधि अवलंबन (ड्रग एडहेरेंस) ए.आर.टी. कार्यक्रम के साथ-साथ एच.आई.वी. औषधि प्रतिरोध रोकथाम के लिए सफलता की कुंजी थी। दिशानिर्देश के अनुसार रोगियों की औषधि अवलंबन दर 95 प्रतिशत और उससे अधिक बनाए रखनी थी। वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य स्तर पर औषधि अवलंबन दर 88 से 96 प्रतिशत तथा जिले स्तर पर (12 चयनित जिलों में) 70 से 99 प्रतिशत थी। बाल रोगियों के लिए औषधि अवलंबन दर के पृथक से आंकड़े संधारित नहीं किए गए थे।

- ए.आर.टी. सेवाओं के दिशानिर्देश के अनुसार ए.आर.टी. में पंजीकृत प्रत्येक पी.एल.एच.आई.वी. को छह महीने के नियमित अंतराल पर क्लस्टर ऑफ डिफरेंसिएशन-4 (सी.डी.-4) परीक्षण से गुजरना निर्धारित था। 12 चयनित जिले के पांच ए.आर.टी. तथा सात लिंक ए.आर.टी. केंद्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आवश्यक 42,500 के विरुद्ध 37,076 सी.डी.-4 परीक्षण किए गए। आगे, 12 चयनित जिलों के सात लिंक ए.आर.टी. द्वारा कुल भेजे गए 466 रोगियों में से केवल 322 रोगी ही मुख्य ए.आर.टी. पर सी.डी.-4 जाँच तथा औषधि रेजीमन प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। इस प्रकार मुख्य ए.आर.टी. एवं लिंक ए.आर.टी. के बीच समन्वय का अभाव था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि ए.आर.टी. शुरु करने से पूर्व औषधि परामर्श रोगियों को प्रदान किया गया था, तथापि कुछ लोग स्वयं के विश्वास, वित्तीय स्थिति, ए.आर.टी. से दूरी के कारण उपचार जारी नहीं रख सके। चले गए रोगियों की सूची पी.एल.एच.आई.वी. के सामुदायिक सहायता केंद्र को दी गई थी। परीक्षण किट की अनुपलब्धता/सी.डी.-4 मशीन की खराबी के कारण आवश्यक सी.डी.-4 परीक्षण नहीं कराए जा सके।

2-2-7-2 वरिष्ठ , ओ.ए.टी. / ए.आर.टी. / ए.आर.टी. / ए.आर.टी.

सभी ए.आर.टी. केंद्रों को ए.आर.टी. औषधियां संबंधित रा.ए.नि.स. के माध्यम से नाको द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ ओ.आई. औषधियां जिन संस्थाओं में ए.आर.टी. केंद्र स्थापित हैं उनके द्वारा प्रदान की जानी थी एवं शेष ओ.आई. औषधियां की नाको/रा.ए. नि.स. द्वारा अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति की जानी थी। ए.आर.टी. केंद्र के प्रतिवेदन प्रारूप, के अनुसार 12 एवं 10 प्रकार की ए.आर.टी. औषधियां क्रमशः वयस्क एवं बाल ए.आर.टी. हेतु तथा 24 प्रकार की औषधियां ओ.आई. औषधि के लिए सूचीबद्ध थीं। पांच ए.आर.टी. तथा छह लिंक ए.आर.टी. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी की संवीक्षा में वयस्क एवं बाल

, -vkj-Vh- dnka
ij vkskf/k rFkk
ekuo l d k/ku
dh deh i kbz
xbz

ए.आर.वी. तथा ओ.आई. औषधि की कमी पाई गई, जिसका ब्यौरा i f j f ' k " V & 2-22 में दिया गया है। आवश्यक औषधियों की कमी ने ए.आर.टी. सुविधाओं को प्रभावित किया।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, ए.आर.टी. केंद्रों को चिकित्सीय, पैरा चिकित्सीय एवं सहायक कर्मियों की एक टीम से सुसज्जित किया जाना था। तथापि, 17 ए.आर.टी. केंद्रों पर स्वीकृत 139 पदों के विरुद्ध 42 पद (30 प्रतिशत) रिक्त थे, जिसका ब्यौरा i f j f ' k " V & 2-23 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि कुछ ए.आर.वी. औषधियां उपयोग में नहीं है या कार्यक्रम से बाहर हो गई हैं, परंतु उनके नाम ए.आर.टी. प्रारूप में अभी भी दर्ज हैं। अतः इन दवाओं को उपलब्ध नहीं प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है।

v u d k d k

सभी पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकृत किया जाए तथा चले गए रोगियों को पुनः ए.आर.टी. से जोड़ा जाए। बाहर हुई दवाओं के नाम हटाकर ए.आर.टी. प्रतिवेदन प्रारूप को संशोधित किया जाए।

2-2-8 m P p t k f [k e l e n g r f k k l r q v k c k n h d s f y , y { ; x r g l r { k i

लक्ष्यगत हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार तथा यौन जनित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा एच.आई.वी. संक्रमण को ग्रहण करने के जोखिम को कम करना है। सेतु आबादी (ट्रक चालक एवं प्रवासी) अपने कार्य की प्रकृति एवं गतिशीलता के कारण एच.आर.जी. से सामान्य आबादी में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं (टी.आई. परियोजना) गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से लागू की गई थी। एच.आर.जी. की टी.आई. परियोजना में महिला यौन कर्मी (एफ.एस.डब्ल्यू.), समलैंगिक पुरुष (एम.एस.एम.), हिजड़ा (टी.जी.) तथा सूई से नशा करने वाले (आई.डी.यू.) शामिल हैं। सेतु आबादी के टी.आई. परियोजना में उच्च जोखिम व्यवहार वाले ट्रक चालक तथा प्रवासी शामिल हैं। टी.आई. एन.जी.ओ. ने व्यवहार परिवर्तन संचार, कंडोम प्रचार, आई.डी.यू. के लिए सुरक्षित सुई और सीरिज, एस.टी.आई. देखभाल, एच.आई.वी. परीक्षण हेतु रैफरल, उपदंश परीक्षण एवं ए.आर.टी. में भेजने जैसी सुविधा उपलब्ध कराई।

एन.ए.सी.पी.—तृतीय चरण (2007—12) में कुल 37,747 एच.आर.जी. के तथा 98,750 सेतु आबादी को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 34,444 एच.आर.जी. के व्यक्ति तथा 1,01,125 सेतु आबादी के व्यक्तियों को शामिल किया गया था। आगे, एन.ए.सी.पी.—चतुर्थ चरण (2012—17) में 43,085 एच.आर.जी. तथा 1,67,000 सेतु आबादी को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था।

टी.आई. घटक के अंतर्गत वर्ष 2010—15 के दौरान कुल उपलब्ध निधि ₹ 69.44 करोड़ के विरुद्ध ₹ 38.73 करोड़ का उपयोग किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्राथमिकताओं को अभिनिश्चित करने के लिए एच.आर.जी. (महिला यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुष, सूई से नशा करने वाले) तथा सेतु आबादी (प्रवासी मजदूर तथा ट्रक चालक) की संख्या तथा स्थानों की पहचान एवं वर्गीकरण हेतु वर्ष 2008—09 से सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार कार्यक्रम का क्रियान्वयन एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी की वास्तविक संख्या तथा स्थानों की जानकारी को अद्यतन किए बिना किया गया था।

• वर्ष 2008-09 के सर्वेक्षण में एच.आर.जी. की कम संख्या प्रतिवेदित होने के कारण 11 जिलों³ ('सी' श्रेणी के चार जिलों तथा 'डी' श्रेणी के 7 जिलों) में टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई थी।

• मानदंडों के अनुसार टी.आई. परियोजनाओं की कार्य अवधि दो वर्ष सीमित थी तथा आगे का विस्तार उनके संतोषजनक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रदान किया जाना था। इस संबंध में, हमने पाया कि वर्ष 2010-15 के दौरान कुल 236 में से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थीं। इसके अतिरिक्त, 176 संचालित टी.आई. परियोजनाओं द्वारा क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक उत्प्रेरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन न होने तथा परियोजना में पद रिक्त होने के कारण दिए गए अनुदान ₹ 3.92 करोड़ बिना उपयोग किए म.प्र.रा.ए.नि.स. को वापिस कर दिए गए।

• लक्ष्यगत हस्तक्षेप एन.जी.ओ. के साथ संदर्भित शर्तों के अनुसार टी.आई. की जवाबदारी थी कि वह परियोजना बंद होने के 15 दिनों के अंदर परियोजना का अव्ययित शेष अनुदान तथा अनुदान से सृजित अचल परिसंपत्तियां तथा परियोजना से संबंधित सभी अन्य अभिलेख/दस्तावेज सौंप दें। इस संबंध में हमने पाया कि कुल बंद 79 टी.आई. परियोजनाओं में से 30 परियोजनाओं द्वारा अव्ययित शेष ₹ 44.04 लाख वापिस या समायोजित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त 28 बंद टी.आई.-एन.जी.ओ. द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदत्त अनुदान से क्रय की गई ₹ 22.40 लाख की अचल परिसंपत्तियां वापिस नहीं की गईं। अतः मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एन.ए.सी.पी.-तृतीय (2006-11) के लिए जारी अग्रिमों का निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 44.04 लाख के अग्रिम 30 टी.आई. परियोजनाओं के पास चार से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी लंबित थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि शामिल न किए गए जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था तथा बंद टी.आई. से अव्ययित शेष राशि की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

2-2-8-1 , p-vkj-th- rFkk l r q vkcknh dks 'kkfey djuk

(i) प्रतिचित्रण आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 एच.आर.जी. (एफ.एस. डब्ल्यू.-28,418 एम.एस.एम.-13,346 आई.डी.यू.-7021) तथा 1,25,834 प्रवासी रह रहे थे तथा वर्ष 2010-15 की अवधि में एच.आर.जी. के लिए 204 टी.आई. परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। टी.आई. के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी को शामिल करने का वर्षवार लक्ष्य का ब्यौरा i f j f ' k " V & 2-24 में दिया गया है।

हमने पाया कि वर्ष 2010-15 के दौरान एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी तथा एच.आर.जी. के प्रकरण में 11 से 23 प्रतिशत तक तथा प्रवासियों के प्रकरण में 52 प्रतिशत तक की उपलब्धि में कमी थी।

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार टी.आई. परियोजनाओं का मुख्य कार्य एच.आर.जी. को एस.टी.आई. तथा एच.आई.वी. संक्रमण के परीक्षण व उपचार के लिए प्रेरित करना था। प्रत्येक एच.आर.जी. को तीन तथा छह माह के अंतराल पर क्रमशः एस.टी.आई. क्लीनिक तथा आई.सी.टी.सी. पर भेजा जाना था। 12 चयनित जिले के 14 नमूना परीक्षित

³ आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, दमोह, डिंडोरी, मंडला, नीमच, शहडोल तथा उमरिया।

टी.आई. परियोजनाओं के संबंध में भेजे गए प्रकरणों की जानकारी का ब्यौरा रकफ्यद&5 में दिया गया है।

Rkkyfkd&5 ueuk ijhf{kr ftyka ea , p-vkj-th- ds jQjy rFkk dojst dh lLFkfr

o"kl	, l -Vh-vkbZ Dyhfud dks jQjy			vkbZ l -Vh-l h- dks jQjy		
	jQj fd, x, , p-vkj-th- idj. kka dh l a; k	igaps , p- vkj-th- idj. kka dh l a; k	deh	jQj fd, x, , p-vkj-th- idj. kka dh l a; k	igaps , p- vkj-th- idj. kka dh l a; k	deh
2010-11	4,511	4,271	240	2,449	1,869	580
2011-12	3,868	3,637	231	4,590	2,671	1,919
2012-13	4,324	4,146	178	3,943	3,140	803
2013-14	9,339	8,055	1,284	8,650	6,777	1,873
2014-15	18,904	16,999	1,905	15,927	11,706	4,221
dy	40,946	37,108	3,838 (9%)	35,559	26,163	9,396 (26%)

¼ kr% ueuk tkp Vh-vkbZ ifj ; kstuk, a

जैसे कि रकफ्यद&5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-15 की अवधि में एस.टी.आई. सेवाओं के रेफरल के प्रकरणों में नौ प्रतिशत एच.आर.जी. तथा आई.सी.टी.सी. सुविधाओं के रेफरल प्रकरणों में 26 प्रतिशत एच.आर.जी. व्यक्ति परीक्षण केंद्र पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस प्रकार, परीक्षण व उपचार के लिए एच.आर.जी. को प्रेरित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि प्रवास, मृत्यु, एच.आर.जी. के मध्य अभिरुचि की कमी इत्यादि के कारण सेवाओं का कम उपयोग हुआ। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में बाहर हुए एच.आर.जी. को शामिल करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे।

2-2-9 fyad dk; drkl ; kstuk

लिंक कार्यकर्ता योजना (एल.डब्ल्यू.एस.) ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी. रोकथाम परामर्श, रेफरल तथा एच.आर.जी. को जरूरत अनुसार देखभाल तथा संवदेनशील समुदाय आधारित पहुंच की कार्यनीति थी।

2.2.9.1 fyad dk; drkl ; kstuk dk dk; klo; u

(i) एल.डब्ल्यू.एस. की दिशानिर्देश के अनुसार, जिले के 100-150 मुख्य संवदेनशील ग्रामों को क्रियान्वयन के लिए चिह्नित किया जाना था तथा इन ग्रामों को 4-6 के समूह में विभाजित करना था। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (पर्यवेक्षक, लिंक कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवकों) को संवदेनशील आबादी, उच्च जोखिम व्यक्तियों, ग्रामों तथा दुर्गम क्षेत्रों के नवयुवकों एवं महिलाओं के शामिल करने के लिए समर्थ बनाना था। इसके अतिरिक्त, एक राज्य या क्षेत्रीय स्तर की मुख्य एजेंसी को मुख्य एन.जी.ओ. के रूप में चिह्नित करना था। तथापि, ऐसे राज्य जहां एल.डब्ल्यू.एस. का क्रियान्वयन सीधे राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जा रहा है, वहां पर मुख्य एन.जी.ओ. की अवधारणा पर विचार नहीं करना था।

fyad dk; drkl ; kstuk eq; , u- th-vks ds }kjk l Qyrki idd f0; kflo; r ugha dh x; h

वर्ष 2010-13 के दौरान राज्य में एल.डब्ल्यू.एस. दो मुख्य एन.जी.ओ. यथा वॉल्यूंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वी.एच.ए.आई.) (2010-12) तथा एल.ई.पी.आर.ए. (लेप्रा) (मार्च से दिसम्बर 2013) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदायित अभिलेख के अनुसार कुल निधि ₹ 9.28 करोड़ (वी.एच.ए.आई. ₹ 4.79 करोड़, लेप्रा ₹ 4.49 करोड़) इन मुख्य एन.जी.ओ. को योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध ₹ 3.97 करोड़ (वी.एच.ए.आई. ₹ 1.5 करोड़, लेप्रा ₹ 2.47 करोड़) बिना किसी उपयोग के वापस कर दिए गए थे तथा ₹ 0.19 करोड़ वी.एच.ए.आई. के पास तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद समायोजन के लिए लंबित हैं।

तथापि, वर्ष 2010-13 के दौरान इन मुख्य एन.जी.ओ. द्वारा किए गए क्रियान्वयन, लक्ष्य एवं उपलब्धि, शामिल किए गए क्षेत्र तथा जनसंख्या जानकारी म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में इन मुख्य एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वित योजना का आकलन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्य एन.जी.ओ. का चयन नाको द्वारा किया गया था तथा वे सीधे नाको को ही प्रतिवेदित करते थे, जिस कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि म.प्र.रा.ए.नि.स. तथा मुख्य एन.जी.ओ. के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार मुख्य एन.जी.ओ., म.प्र.रा.ए.नि.स. को प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।

(ii) इस योजना को दिसम्बर 2013 से म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा अधिगृहीत किया गया था तथा 12 जिलों⁴ (श्रेणी 'ए' तथा श्रेणी 'बी' के समस्त जिलों को शामिल करते हुए) में 12 एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2013-15 में परिस्थिति आधारित मूल्यांकन (एस.एन.ए.) के अंतर्गत 79,780 व्यक्तियों⁵ को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 73,600 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- दिशानिर्देश के अनुसार लिंक कार्यकर्ता के द्वारा कार्यनीति उद्देश्यों के लिए जनसांख्यिकीय विवरण को प्रत्येक स्तर से एकत्र करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करना था। इस संबंध में पाया गया कि गृह आधारित सर्वेक्षण वर्ष 2013-15 में नहीं किया गया था।
- दिशानिर्देश के अनुसार एल.डब्ल्यू.एस. को क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को ग्रामीण परिवेश में एच.आई.वी. को समझने के लिए तीन चरणों का मॉड्यूलर प्रशिक्षण दिया जाना था। तथापि द्वितीय एवं तृतीय चरणों के प्रशिक्षण अभी तक आयोजित नहीं किए थे।
- यह योजना 12 जिलों में क्रियान्वित की गई थी, जिनमें से चार जिले (बालाघाट, भोपाल, हरदा तथा इंदौर) की नमूना जाँच लेखापरीक्षा में की गई थी। हमने पाया कि वर्ष 2013-15 के दौरान एस.एन.ए. के अंतर्गत 47,191 व्यक्तियों को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 40,837 व्यक्तियों को शामिल किया गया था।
- लिंक कार्यकर्ता समुदाय तथा सेवा संस्थानों (आई.सी.टी.सी., एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिक) के बीच समन्वय के लिए उत्तरदाई थे। तथापि चार नमूना परीक्षित जिलों में रेफर किए एच.आर.जी. के प्रकरणों में 42 तथा 48 प्रतिशत प्रकरण क्रमशः एस.टी.आई. क्लिनिक तथा आई.सी.टी.सी. में परीक्षण एवं उपचार के लिए उपस्थित नहीं हुए थे जैसा कि ifjf'k"V&2-25 में दर्शित है। एच.आर.जी. की सेवा संस्थानों तक

⁴ बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, हरदा, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ तथा उज्जैन।

⁵ एच.आर.जी., सेतु आबादी, संवेदनशील आबादी, ए.एन.सी. में शामिल आबादी तथा अनाथ संवेदनशील बच्चे सहित।

पहुंच में कमी, लिंक कार्यकर्ता, उनके पर्यवेक्षण, संबंधित एन.जी.ओ. तथा म.प्र.रा.ए.नि.स. के प्रयासों में विफलता को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि नाको द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में लगातार परिवर्तन/संशोधन के कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे। उन्होंने आगे बताया कि लिंक कार्यकर्ताओं को राज्य प्रशिक्षण संसाधन एजेंसी के उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षित नहीं किया जा सका था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के अंतर्गत एस.टी.आई. तथा आई.सी.टी.सी. सुविधाओं के विस्तार के द्वारा अधिकतम ग्रामीण आबादी को कवर करने के प्रयास किए जाएंगे।

2-2-10 , I -Vh-vkbZ@vkj-Vh-vkbZ fu; æ.k , oa jkdFkke

यौन संचरित संक्रमण (एस.टी.आई.) और प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को ग्रहण करने प्रसारित करने की संभावना को कई गुना बढ़ाते हैं। अतः एस.टी.आई./आर.टी.आई. नियंत्रण एवं रोकथाम एच.आई.वी. के रोकथाम की महत्वपूर्ण कार्यनीति थी। इस घटक के अंतर्गत जाँच व उपचार सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ प्रशिक्षित मानव शक्ति तथा आवश्यक औषधि एवं अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी।

एन.ए.सी.पी.-तृतीय (2007-12) चरण के अंतर्गत एस.टी.आई. लक्षणों वाले 6.81 लाख वयस्कों को शामिल करने तथा एस.टी.आई. प्रकरणों में 2.16 लाख एच.आर.जी. के उपचार के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि क्रमशः 3.95 लाख तथा 1.99 लाख थी। इसके अतिरिक्त, एन.ए.सी.पी.-चतुर्थ (2012-17) चरण के अंतर्गत एस.टी.आई. लक्षणों वाले 8 लाख वयस्कों को शामिल करने तथा एस.टी.आई. प्रकरणों में 3 लाख एच.आर.जी. के उपचार के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

वर्ष 2010-15 के दौरान इस घटक में उपलब्ध कुल निधि ₹ 6.58 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.21 करोड़ ही उपयोग किया जा सका। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई:

2.2.10.1 , I -Vh-vkbZ@vkj-Vh-vkbZ I okvka dh mi yf/krk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. दिशानिर्देशों के अनुसार, ये सेवाएं जिला (चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों) तथा उप जिला (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) स्तर पर प्रदाय की जानी थी। जिला स्तर पर यह सेवा नाको के पूर्णतः समर्थन से रा.ए.नि.स. के माध्यम से प्रदाय किया जाना था तथा उप जिला स्तर पर सभी गतिविधियों का संचालन नाको तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अभिसरण से किया जाना था।

म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदायित जानकारी के अनुसार एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाएं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. में प्रदाय की जा रही थीं। तथापि इस तथ्य की पुष्टि 12 चयनित जिलों से प्राप्त जानकारी से नहीं हुई थी, क्योंकि ये सेवाएं 70 में से 67 सी.एच.सी. तथा किसी भी 271 पी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार एन.एच.एम. के साथ अभिसरण में सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर एस.टी.आई. तथा आर.टी.आई. सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2.10.2 Hkkfrd yf; rFkk mi yf/krk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. एपिसोड को शामिल करने के संदर्भ में वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धि i f j f ' k " V & 2-26 में दर्शित है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षणों के लोगों के शामिल करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध

उपलब्धि 9.90 लाख थी। इसके अतिरिक्त, 12 चयनित जिलों के 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई. क्लीनिकों में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी का प्रतिशत 6 से 57 के मध्य था। चयनित 12 जिलों के सी.एम.एच.ओ. ने बताया (अप्रैल से जून 2015) कि लक्ष्य प्राप्त न होने के मुख्य कारण मानव शक्ति तथा भैतिक अधोसंरचना की कमी थी।

2.2.10.3 , l -Vh-vkbZ Dyhfudka ij HkkSfrd v/kks j'puk rFkk vkSf/k; ka dh mi yC/krk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार एस.टी.आई. क्लीनिकों में न्यूनतम अधोसंरचना, उपकरण, सामान्य तथा प्रतीक्षा क्षेत्र के लिए उपभोज्य सामग्री, परामर्श तथा परीक्षण कक्ष तथा प्रयोगशाला की परिकल्पना की गई थी। चयनित 12 जिलों के नाको समर्थित 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई. क्लीनिकों में पाया गया कि एस.टी.आई. मरीजों की जाँच, परामर्श तथा परीक्षण हेतु फर्नीचर (यथा प्रतीक्षा कुर्सी, परीक्षण पलंग इत्यादि), उपकरण (यथा वेजाइना स्पेकुला, फारसेप, वजन मशीन इत्यादि) तथा उपभोज्य सामग्री (यथा डिस्पोजबल सीरिंज तथा सुई, परीक्षण किट इत्यादि) की अपर्याप्तता थी।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार सभी एस.टी.आई. क्लीनिकों में एस.टी.आई./आर.टी.आई. प्री पैकड किट्स तथा आवश्यक एस.टी.आई./आर.टी.आई. औषधि का पर्याप्त स्टॉक रखना है तथा सभी प्रकार की किट्स तथा औषधि न्यूनतम तीन महीने के लिए हमेशा रखना चाहिए। इस संबंध में पाया गया कि 12 चयनित जिलों में जिला अस्पताल बालाघाट, डिंडोरी तथा सी.एच.सी.-मंडीदीप (रायसेन) को छोड़कर शेष नमूना परीक्षित 16 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में सभी प्रकार की औषधियां उपलब्ध नहीं थीं।

इस प्रकार न्यूनतम अधोसंरचना के साथ-साथ औषधियों की उपलब्धता एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों पर सुनिश्चित नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अधोसंरचना की उपलब्धता संबंधित स्वास्थ्य सुविधा की मौजूदा अधोसंरचना पर निर्भर थी तथा मौजूदा अधोसंरचना में कमी की पूर्ति हेतु एक बार अनुदान देने का प्रावधान था। औषधियों की अनुपलब्धता के संबंध में बताया कि नाको से कलर कोटेड किट की अनियमित आपूर्ति किए जाने के कारण ये उपलब्ध नहीं थी, तथापि जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति एन.एच.एम. के अभिसरण से सुनिश्चित की जाएगी।

2.2.10.4 ekuo l d k/ku , oa {kerk o) Lu

दशानिर्देशों में एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तर पर मानव संसाधन की सेवाओं की आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया था। तदनुसार प्रत्येक एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में पर्याप्त मानव शक्ति की तैनाती सुनिश्चित की जानी थी। चयनित 12 जिलों के 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में मानव शक्ति की स्थिति⁶ निम्नानुसार थी—

rkydk&6% , l -Vh-vkbZ@vkj-Vh-vkbZ Dyhfudka ij ekuo 'kfr dh fLFkr n'kkUs okyk i=d

l -0-	in dk uke	vko' ; drk	dk; j' r	deh
1.	चिकित्सा अधिकारी	20	16	4
2.	स्टाफ नर्स/लेडी हेल्थ विजिटर	19	3	16
3.	मेडिको-सोशल वर्कर/परामर्शदाता	19	19	0
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	19	4	15

% kr% ueuk i jhf{kr , l -Vh-vkbZ@vkj-Vh-vkbZ Dyhfud

⁶ जैसा कि चयनित जिलों द्वारा अप्रैल से जून 2015 के दौरान प्रतिवेदित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्तरों पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तथा सहायक प्रणाली विकसित करनी थी। तदनुसार चिकित्सीय, पैरा चिकित्सीय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यथा— आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष तथा महिला) को लक्षणात्मक प्रकरण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना था। यह पाया गया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों में से छह⁷ जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए लक्षणात्मक प्रकरण प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। वर्ष 2010—15 के दौरान संपूर्ण राज्य में प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति का ब्यौरा ifj'k"V&2-27 में दर्शाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति में 39 प्रतिशत तक की कमी पाई गई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि मानव संसाधन विशेषकर चिकित्सा अधिकारियों की कमी पूरे राज्य में व्याप्त है तथा अन्य मानव संसाधनों की भर्ती एन.एच.एम. के माध्यम से की जाएगी। मानव शक्ति की कमी के कारण प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

vuq kd k

एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिकों पर भौतिक अधोसंरचना, आवश्यक औषधि तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-11 jDr l j{kk

स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में रक्त के घटकों की तैयारी तथा उपलब्धता के साथ रक्त के तर्कपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए नियमित स्वैच्छिक रक्तदान (वी.बी.डी.) में वृद्धि के द्वारा रक्त एवं रक्त के अन्य घटकों की अल्पता को दूर करने के उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की प्राथमिक जिम्मेदारी थी।

एन.ए.सी.पी.—तृतीय (2007—12) के दौरान 2007—12 की अवधि के दौरान 9,16,526 रक्त इकाई एकत्र की गई थी। इसके अतिरिक्त, 90 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 83 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक रक्त दान से एकत्रित किया गया था।

वर्ष 2010—15 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत उद्दिष्ट राशि ₹ 19.54 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 13.67 करोड़ का ही उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि वर्ष 2010—15 की अवधि में 12.46 लाख रक्त इकाईयां एकत्रित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 11.81 लाख रक्त इकाईयां एकत्रित की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

2.2.11.1 jDr c&d rFkk jDr H&Mkj .k bdkbz/dh mi yC/krk

रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता मुख्य रूप से रक्त भंडारण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है। इसीलिए एन.ए.सी.पी.—तृतीय (2006—11) में सभी सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित करने का प्रस्ताव था।

हमने पाया कि राज्य में अनूपपुर तथा अशोकनगर जिलों को छोड़कर सभी जिलों में नाको समर्थित 62 रक्त बैंक स्थापित किए गए थे। तथापि 12 चयनित जिलों के 75 सी.एच.सी. में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. की स्थापना नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त जैसा कि दिशानिर्देश में परिकल्पित है कि सभी रक्त बैंकों को नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (सी.एफ.डी.ए.) से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में, म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा रक्त बैंकों के लाइसेंस संबंधी राज्य स्तरीय

vf/kdka k jDr
c&d l ok, a fcuk
uohuhdj .k
ykb] d ds
l pkyr Fks

⁷ अशोकनगर, डिंडोरी, इंदौर, झाबुआ, खंडवा तथा खरगौन

जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। तथापि 12 चयनित जिले में देखा गया कि 13 में से सात रक्त बैंक तीन से 17 वर्ष से बिना वैध नवीनीकरण लाइसेंस के संचालित थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि बी.एस.यू. की स्थापना स्वास्थ्य विभाग की सहायता से की जा रही है तथा रक्त बैंकों के लाइसेंस नवीनीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2.2.11.2 v/kks j'puk rFkk ekuo l d k/ku dh mi yC/krk

रक्त बैंकों के प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार, 27 प्रकार के उपकरण तथा 20 प्रकार के परीक्षण किट तथा प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री रक्त बैंकों के सफल संचालन के लिए निर्धारित थे। 12 चयनित जिलों के 13 रक्त बैंकों के नमूना परीक्षण में हमने पाया कि परीक्षण किट (यथा— हेपेटाइटिस, वी.डी.आर.एल. परीक्षण किटें इत्यादि) के साथ-साथ उपकरणों तथा प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री (सेल काउंटर, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, डीप फ्रीजर इत्यादि) की कमी थी।

नाको समर्थित रक्त बैंक सेवाओं में नाको द्वारा एक परामर्शदाता तथा एक प्रयोगशाला तकनीशियन प्रदाय किया जाता है। हमने पाया कि 12 नमूना जिलों के 13 चयनित नमूना परीक्षित रक्त बैंकों में आवश्यक 13 प्रयोगशाला तकनीशियन की आवश्यकता के विरुद्ध छह पद रिक्त थे। इस प्रकार, पर्याप्त प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री, परीक्षण किटें तथा प्रयोगशाला तकनीशियन की कमी के कारण रक्त सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री, उपकरण तथा परीक्षण किटों की कमी नाको के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा कम आपूर्ति किए जाने के कारण थी। उन्होंने आगे सूचित किया कि नाको द्वारा भर्ती पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी थी।

vud kd k

रक्त बैंक सेवाओं में भौतिक अधोसंरचना, परीक्षण किट तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-12 dMke i pkj

असुरक्षित यौन-संबंध एच.आई.वी. प्रसार का एक बड़ा कारण है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एन.ए.सी.पी. के अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए कंडोम प्रचार को मुख्य आधार माना गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार कंडोम आउटलेट से कंडोम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि एवं जागरुकता लाने तथा कंडोम की उपलब्धता तथा पहुंच को बढ़ावा देते हुए एच.आई.वी. प्रसार के रोकथाम के लिए कंडोम के लगातार उपयोग को प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने थे।

एन.ए.सी.पी.—तृतीय (2007—12) चरण के अंतर्गत कंडोम वितरण के लक्ष्य 230.76 लाख के विरुद्ध 68.06 लाख कंडोम वितरित किए गए थे। आगे एन.ए.सी.पी.—चतुर्थ (2012—17) में 126.37 लाख कंडोम वितरण का लक्ष्य रखा गया था।

वर्ष 2010—15 के दौरान निःशुल्क वितरण तथा सामाजिक विपणन कार्यक्रम के तहत कंडोम वितरण का लक्ष्य रखा गया था। कंडोम वितरण की स्थिति i fjf'k"V&2-28 में दी गई है। हमने कंडोम वितरण के लक्ष्यों में वर्ष 2010—11 में 295 लाख से वर्ष 2014—15 में 79.06 लाख की महत्वपूर्ण कमी देखी। वर्ष 2010—11 से 2014—15 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि 18 से 69 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार,

jDr cfdka ea
mi dj.k] ijh{k.k
fdV] mi Hkkst;
l kexh rFkk
ekuo l d k/ku
dh deh FkhA

एच.आई.वी. प्रसार की रोकथाम के लिए कंडोम के लगातार उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए गम्भीरता से प्रयास नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा टी.आई. परियोजनाओं को एच.आर.जी. के प्रतिदिन के यौन संबंध की मानक गणना पर आधारित मांग के अनुसार कंडोम की आपूर्ति की गई थी। कभी-कभी एच.आर.जी. के कार्य न करने, अन्य स्थानों पर चले जाने, कम यौन संबंध बनाने के कारण टी.आई. परियोजना के पास अधिशेष कंडोम उपलब्ध थे।

2.2-13 , p-vkbzoh- ijke'kz , oa ijh{k.k | ok, a

एन.ए.सी.पी. यथाशीघ्र अधिक से अधिक पी.एल.एच.आई.वी. की पहचान तथा उन्हें समय पर समुचित ढंग से रोकथाम, देखभाल तथा उपचार सेवाओं से जोड़ने के लक्ष्य के साथ एच.आई.वी. परामर्श तथा उपचार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इन सेवाओं में एकीकृत परामर्श तथा जाँच केंद्र (आई.सी.टी.सी.), माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.) तथा एच.आई.वी.-टी.बी. (ट्यूबरकलोसिस) समन्वय सम्मिलित थे।

2.2.13.1 , dhdr ijke'kz , oa ijh{k.k dnrz %vkbzI h-Vh-I h-½

आई.सी.टी.सी. के कार्यों में एच.आई.वी. का शीघ्र पता लगाने, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहन तथा जोखिमता में कमी और पी.एल.एच.आई.वी. को अन्य एच.आई.वी. रोकथाम, देखभाल तथा उपचार सेवाओं से संबद्ध करने के उद्देश्य से एच.आई.वी. /एड्स के संचरण तथा रोकथाम की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने के साथ एच.आई.वी. का शीघ्र पता लगाना सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 30 सिविल अस्पताल, 269 सी.एच.सी. में आई.सी.टी.सी. तथा 522 पी.एच.सी. में एफ.आई.सी.टी.सी. अभी स्थापित किए जाने थे। जिसका ब्यौरा ijff'k"V&2-29 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 83 आई.सी.टी.सी. तथा 239 एफ.आई.सी.टी.सी. ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी. परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे।

2.2.13.2 y{; , oa mi yf{/k

संवेदनशील जनसंख्या एवं गर्भवती महिलाओं के बीच एच.आई.वी. परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एन.ए.सी.पी.-तृतीय चरण (2007-12) में 9.67 लाख संवेदनशील जनसंख्या तथा 8.46 लाख गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लक्ष्यों के विरुद्ध 7.05 लाख संवेदनशील जनसंख्या तथा 6.53 लाख गर्भवती महिलाओं को आई.सी.टी.सी. सेवाएं प्रदाय की गई थी। वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए परीक्षण तथा एच.आई.वी. पॉजिटिव की स्थिति ijff'k"V&2-30 में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि-

- वर्ष 2010-15 की अवधि में आई.सी.टी.सी. में संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि थी। तथापि वर्ष 2012-13 के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ष में संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

- उच्च जोखिम समूह तथा सेतु आबादी में एच.आई.वी. संक्रमण का जल्द पता लगाने तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु आवश्यक परामर्श देने के लिए आई.सी.टी.सी. को रेफर करना लक्ष्यगत हस्तक्षेप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। लेखापरीक्षा

l kekl; DykbV rFkk
xHkbrh efgyk dls
ijke'kz rFkk ijh{k.k
ds y{; iklr ugha
fd, x, Fks

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान लक्षित जनसंख्या की रेफरल सेवाओं में 39 से 70 प्रतिशत की कमी थी, जिसका ब्यौरा i f j f ' k " V & 2-31 में दिया गया है।

- आई.सी.टी.सी. में किए गए कुल एच.आई.वी. परीक्षण व परामर्श में चिकित्सीय रूप से संदिग्ध तथा स्वैच्छिक रूप से उपस्थित हुए प्रकरणों में 90:10 का अनुपात था, जिसका ब्यौरा i f j f ' k " V & 2-32 में दिया गया है।

- आई.सी.टी.सी. में पूर्व परामर्श दिए गए 36.92 लाख व्यक्तियों में से 35.13 लाख का परीक्षण हुआ तथा 33.94 लाख व्यक्तियों को बाद में परामर्श दिया गया था। यद्यपि पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकरणों में पूर्व तथा पश्चात परामर्श आवश्यक है। 1.19 लाख व्यक्तियों को एच.आई.वी. की स्थिति एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श नहीं दिया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि आई.सी.टी.सी. को एच.आर.जी. के रेफरल का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि एच.आई.वी. परीक्षण स्वैच्छिक है तथा यदि कोई व्यक्ति परीक्षण के लिए सहमति न दे तो आई.सी.टी.सी. परीक्षण नहीं कर सकता तथा इसी प्रकार कोई व्यक्ति बाद के परामर्श के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे परामर्श नहीं दिया जा सकता।

2.2.13.3 Hkkfrd v/kks j'puk rFkk ekuo l d k/ku dh mi yC/krk

दिशानिर्देशों के अनुसार आई.सी.टी.सी. द्वारा सेवाएं प्रदाय करने के संबंध में उच्चतम गुणवत्ता के मानकों को रखना था। 12 चयनित जिलों में 31 नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. में सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार थी—

- अंतिम परीक्षण परिणाम जानने के लिए सभी चार प्रकार के एच.आई.वी. परीक्षण किट्स किसी भी नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. पर उपलब्ध नहीं थे। पी.ई.पी.⁸ औषधियां जो एच.आई.वी. के जोखिम से बचाने के लिए आवश्यक थीं, नमूना परीक्षित 31 में से 17⁹ आई.सी.टी.सी. में उपलब्ध नहीं थीं।

- इफैंटोमीटर जो कि पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं में उपयोग होता है, 31 नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. में से केवल आई.सी.टी.सी. वारासिवनी (बालाघाट) में ही उपलब्ध था।

- आई.सी.टी.सी. में रक्त संग्रहण केंद्रों के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण के संबंध में रक्त एकत्रीकरण के लिए ट्यूब तथा शीशियों, सुई तथा सीरिंज आदि की 23 आई.सी.टी.सी. में कमी पाई गई थी।

- आई.सी.टी.सी. में गोपनीय वातावरण के लिए एक से एक तथा एक से समूह परामर्श के लिए परामर्श कक्ष हेतु न्यूनतम आवश्यक फर्नीचर तथा उपकरण निर्धारित थे। तथापि आंगतुकों के परामर्श तथा संचार के लिए आवश्यक अधोसंरचना (यथा—आंगतुकों के लिए कुर्सी, टी.वी. तथा डी.वी.डी. प्लेयर, कंडोम इस्तेमाल के प्रदर्शन मॉडल इत्यादि) सुविधाओं की कमी 15 आई.सी.टी.सी. में पाई गई थीं।

- एच.आई.वी. परीक्षण किट, उपकरण तथा उपभोज्य सामग्री सहित आई.सी.टी.सी. / एफ.आई.सी.टी.सी. के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की निधि

⁸ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस

⁹ बालाघाट— डीएच, कटंगी, लालबर्सा तथा वारासिवनी, भोपाल— हमिदिया अस्पताल तथा जेपी अस्पताल, हरदा— डीएच, खिरिकिया तथा टिमरनी, इंदौर— एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, झाबुआ, खंडवा, खरगोन— बड़वाह, महेश्वर तथा सनावद तथा रायसेन— डीएच और मंडीदीप।

जारी (2011-12) की गई थी। जिसमें से ₹ 1.25 करोड़ म.प्र.रा.ए.नि.स. (₹ 0.66 करोड़) तथा जिला सी.एम.एच.ओ. (₹ 0.59 करोड़) के पास तीन से चार वर्ष व्यतीत होने के बाद अनुपयोगी पड़े थे।

- आई.सी.टी.सी. में प्रबंधक¹⁰ (चिकित्सा अधिकारी), परामर्शदाता, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा उच्च व्याप्तता वाले जिलों में जिला पर्यवेक्षक को शामिल करते हुए कुशल व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता थी। तथापि कुल 163 कार्यरत आई.सी.टी.सी. में से 27 एवं 34 आई.सी.टी.सी. क्रमशः परामर्शदाता तथा प्रयोगशाला तकनीकीशियन के बिना कार्यरत थे तथा 8 आई.सी.टी.सी. में दोनों पदों के विरुद्ध रिक्त थी। बालाघाट तथा हरदा जिलों में जिला पर्यवेक्षक के पद रिक्त थे जबकि ये दोनों उच्च व्याप्तता वाले जिले थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संचार सामग्री, औषधि तथा परीक्षण किट सभी आई.सी.टी.सी. पर दिए जा रहे हैं तथा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2-2-14 एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं से एच.आई.वी. की संभावना के साथ जन्मे नवजात शिशुओं का ड्राइड ब्लड स्पॉट (डी.बी.एस.) के द्वारा डी.एन.ए.-पी.सी.आर. (डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड पोलिमरेज चेन रिएक्शन) जाँच तथा पूर्ण रक्त नमूना के माध्यम से किया जाना होता है। परीक्षण जन्म के छह सप्ताह पर, यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर छह महीने पर तथा यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर 12 महीने पर करना था। एच.आई.वी. की अंतिम पुष्टि 18 महीने में आई.सी.टी.सी. पर तीन रैपिड एंटी बॉडी परीक्षण कर की जानी थी।

माता-पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम का उद्देश्य देश की सभी गर्भवती महिलाओं (सार्वभौमिक कवरेज) का एच.आई.वी. परीक्षण करना था, ताकि सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जा सके एवं मां से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण का निर्मूलन किया जा सके। म.प्र.रा.ए. नि.स. द्वारा प्रदायित जानकारी के अनुसार पी.पी.टी.सी.टी. सेवाएं सभी 163 कार्यरत आई.सी.टी.सी. में प्रदाय की जा रही थीं। पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं के अंतर्गत शामिल की गई गर्भवती महिलाओं की स्थिति 1/2 V&2-33 में दी गई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2010-15 के दौरान गर्भवती महिलाओं के परीक्षण के लिए 22.74 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 18.11 लाख (80 प्रतिशत) परीक्षण किए गए तथा आगामी वर्षों में पॉजिटिव माताओं की संख्या में वृद्धि हुई।

- एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं से एच.आई.वी. की संभावना के साथ जन्मे नवजात शिशुओं का ड्राइड ब्लड स्पॉट (डी.बी.एस.) के द्वारा डी.एन.ए.-पी.सी.आर. (डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड पोलिमरेज चेन रिएक्शन) जाँच तथा पूर्ण रक्त नमूना के माध्यम से किया जाना होता है। परीक्षण जन्म के छह सप्ताह पर, यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर छह महीने पर तथा यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर 12 महीने पर करना था। एच.आई.वी. की अंतिम पुष्टि 18 महीने में आई.सी.टी.सी. पर तीन रैपिड एंटी बॉडी परीक्षण कर की जानी थी।

हमने पाया कि पॉजिटिव माताओं से जन्मे 1,218 शिशुओं में से छह सप्ताह पर परीक्षण पर 50 पॉजिटिव पाए गए। कुल शेष 1,168 शिशुओं में से 341 शिशुओं की जाँच छह माह पर की गई जिनमें से 74 पॉजिटिव पाए गए। आगे शेष 1,094 शिशु में से, केवल 348 शिशु की जाँच 18 माह पर की गई, जिनमें से 73 पॉजिटिव पाए गए। शेष 746 शिशुओं की जाँच न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किए जा सके। इस प्रकार, कार्यक्रम का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

¹⁰

संबंधित अस्पताल/स्वास्थ्य सेवाओं से नियमित स्टाफ की तैनाती

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षित 31 में से 20 आई.सी.टी.सी.¹¹ में 6 से 18 माह के अंतराल पर शिशु के परीक्षण के अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

• एन.ए.सी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार आउटरिच कार्यकर्ता (आशा, ए.एन.एम. तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) का कर्तव्य था कि वे गर्भवती महिलाओं को पी.पी.टी.सी.टी. सेवा तथा माता एवं शिशु दोनों का ए.आर.वी. (एंटी रेट्रो वायरल) प्रोफाइलैक्सिस एवं संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। तथापि 12 चयनित जिले के 31 आई.सी.टी.सी. में हमने पाया कि आउटरिच सेवाएं केवल 14 आई.सी.टी.सी.¹² में या तो आउटरिच कार्यकर्ता या आई.सी.टी.सी. के परामर्शदाता द्वारा दी जा रही थी तथा शेष 17 आई.सी.टी.सी. में आउटरिच सेवाएं प्रदाय नहीं की जा रही थीं।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में केवल 12 डी.बी.एस. एकत्रीकरण साइट थे तथा मरीजों को नमूना एकत्रीकरण के लिए इन साइटों पर आने के लिए यात्रा करनी थी। तथापि विभिन्न कारणों से यथा वित्तीय समस्याओं, घर से नमूना एकत्रीकरण साइट की दूरी, माताओं या नवजात शिशु की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण मरीजों के माता-पिता नहीं आ रहे थे तथा कभी-कभी नमूना परीक्षण किट्स की अनुलब्धता के कारण निर्धारित संख्या में शिशुओं का परीक्षण नहीं किया जा सका था।

वृद्धि

पी.पी.टी.सी.टी. पर बुनियादी सुविधाओं, परीक्षण किट्स तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-15 , p-vkbZoh-&Vh-ch- l ello;

एच.आई.वी. के साथ जीवित रहने वाले लोगों में होने वाली उच्च मृत्यु दर के लिए एच.आई.वी.-टी.बी. एक घातक संयोजन है। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों में टी.बी. एक सर्वाधिक होने वाला अवसरवादी संक्रमण है। अतः पी.एल.एच.आई.वी. में रुग्णता तथा मृत्यु दर को कम करने के लिए एन.ए.सी.पी. तथा पुनरीक्षित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के बीच समन्वय होना महत्वपूर्ण था।

राज्य स्तर पर पंजीकृत टी.बी. मरीजों के आई.सी.टी.सी. में एच.आई.वी. परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि अवधि वर्ष 2010-15 में वर्ष 2011-12 को छोड़कर पंजीकृत टी.बी. मरीजों के एच.आई.वी. परीक्षण के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-34 में दिया गया है। एच.आई.वी.-टी.बी. के सह-संक्रमण से हुई मृत्यु की जानकारी म.प्र.रा.ए.नि.स. के स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

नमूना परीक्षित 12 आई.सी.टी.सी. तथा 12 आर.एन.टी.सी.पी. जो कि एक ही जिला अस्पताल में स्थापित थे द्वारा प्रदाय जानकारी की संवीक्षा में हमने आर.एन.टी.सी.पी. से आई.सी.टी.सी. में रेफर तथा आई.सी.टी.सी. से आर.एन.टी.सी.पी. में रेफर किए गए मरीजों की एच.आई.वी.-टी.बी. सह-संक्रमण के परीक्षण की संख्या का प्रति सत्यापन (क्रास वेरीफिकेशन) किया था। प्रति-सत्यापन के परिणाम तथा रेफरल प्रकरणों की संख्या में मेल नहीं पाया गया था जैसा कि ifjf'k"V&2-35 में दर्शित है। आई.सी.टी.सी. द्वारा आर.एन.टी.सी.पी. में रेफर किए गए एच.आई.वी. मरीजों के विरुद्ध आर.एन.टी.सी.पी. को प्राप्त रेफर प्रकरणों में 2,311 (12,593-10,282) मरीजों का अंतर था। इसी प्रकार आर.एन.टी.सी.पी. द्वारा आई.सी.टी.सी. में रेफर किए गए टी.बी. मरीजों तथा

¹¹ बालाघाट-डीएच, बड़वानी, भोपाल-बीएमएचआरसी तथा हमिदिया अस्पताल, डिंडोरी, हरदा- खिरिकिया तथा टिमरनी, इंदौर- देपालपुर, मांगीलाल अस्पताल, तथा एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, झाबुआ, खंडवा, खरगौन- बड़वाह, डीएच, महेश्वर तथा सनावद, रायसेन-डीएच तथा मंडीदीप, सिहोर-आश्टा तथा डीएच।

¹² अशोकनगर, बालाघाट-डीएच, कंटगी, लालबर्ष तथा वारासिवनी, भोपाल-बीएमएचआरसी और जेपी अस्पताल, डिंडोरी, खंडवा, खरगौन-सनावद, रायसेन-डीएच तथा मंडीदीप, सिहोर-आश्टा तथा डीएच

आई.सी.टी.सी. में प्राप्त रेफरल प्रकरणों की संख्या में 18,705 (39,468–20,763) मरीजों का अंतर था। इसने एच.आई.वी.–टी.बी. प्रति-सत्यापन की निगरानी में अनुवीक्षण की कमी को दर्शाया था। यह भी पाया गया कि एच.आई.वी.–टी.बी. संक्रमण से मृत हुए मरीजों की संख्या का दोनों स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पता नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि आर.एन.टी.सी.पी. तथा एन.ए.सी.पी. में बेहतर समन्वय के लिए जिला टी.बी. अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभार सौंपा जाएगा।

वृद्धि

आई.सी.टी.सी. तथा आर.एन.टी.सी.पी. के बीच सहयोग को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

2-2-16 | पुनर्निर्माण प्रकल्प | प्रकल्प 1/2010-15 | एड्स/टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम

परीक्षण, उपचार, देखभाल तथा सहायता के लिए प्रेरित करने के साथ रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए संचार आवश्यक था। एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ में सामान्य आबादी (विशेषकर नवयुवक तथा महिलाओं) में जानकारी को बढ़ाने तथा जोखिम वाली आबादी (एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी) में व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में आई.ई.सी./मुख्य धारा के लिए उपलब्ध निधि ₹ 31.06 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 15.80 करोड़ का उपयोग किया गया था।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा:

- एन.ए.सी.पी. के अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स को एजेंडा के रूप में प्रत्येक सरकारी विभाग की विकास नीति, गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा बजट निर्माण में शामिल करना था। हमने देखा कि वर्ष 2010–15 में एच.आई.वी./एड्स के मुख्य धारा के रूप में सरकारी विभागों में प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा कार्यशाला के लिए आवंटित निधि ₹ 1.89 करोड़ में से मात्र ₹ 0.26 करोड़ ही उपयोग किया जा सका था। हमने देखा कि मुख्य धारा की सभी गतिविधियां विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वयं के बजट से क्रियान्वित की गई थी, अतः ये निधि उपयोग नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार आई.ई.सी. के लिए बजट आवंटन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नहीं था।
- वर्ष 2010–15 के दौरान मास मीडिया से संबंधित अभियान (दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर दृश्य एवं श्रव्य प्रसारण तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि) के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। तथापि, सामान्य एवं जोखिम आबादी को शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। अतः कवरेज की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2-2-17 | निष्पादन लेखापरीक्षा | प्रकल्प 1/2010-15 | एड्स/टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम

नाको द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त, कुशल तथा सक्षम मानव संसाधन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मान्यता दी गई थी। एन.ए.सी.पी. का उद्देश्य नेतृत्व तथा कार्यनीति प्रबंधन, तकनीकी तथा संचार कुशलता में राज्य तथा जिला स्तर के कार्यक्रम प्रबंधकों में क्षमता निर्माण करना था। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- म.प्र.रा.ए.नि.स. को कार्यक्रम प्रबंधन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए परियोजना निदेशक, अतिरिक्त परियोजना निदेशक, वित्तीय नियंत्रक, लेखाकार, कार्यक्रम सहायक इत्यादि की तैनाती करने की आवश्यकता थी। हमने पाया कि मार्च 2015 में 54 पदों के

I kekl; rFkk
tkf[ke vkcknh dks
doj djus ds fy,
y{; fu/kkZj r ugha
Fks

विरुद्ध 16 पद रिक्त थे। डी.ए.पी.सी.यू. स्तर पर आवश्यक 24 के विरुद्ध पांच पद¹³ रिक्त थे।

- योजना, कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन गतिविधियों के प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन प्रारूप के माध्यम से प्राप्त जटिल आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन अधिकारी एवं महामारी विशेषज्ञ के आवश्यक पद म.प्र.रा.ए.नि.स. स्तर पर रिक्त थे।
- सभी स्तर के कार्मिकों को कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन में प्रशिक्षण उसके बाद घटक विशेष प्रशिक्षण दिया जाना था ताकि संबंधित अधिकारी अपने कार्य से संबंध समस्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय मुद्दों से परिचित हो सके। हमने पाया कि वर्ष 2010-12 के दौरान प्रशिक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 2013-15 के दौरान प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य 2,439 के विरुद्ध 1,136 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षण के वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

2-2-18 वृत्तिका रफक एन.ए.सी.पी.

- एन.ए.सी.पी.-तृतीय के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य एड्स परिषद् (एस.सी.ए.) का गठन करने की आवश्यकता थी। एस.सी.ए. द्वारा नीतिगत दिशानिर्देश तथा प्रमुख विभागों द्वारा किए गए मुख्यधारा के कार्यों सहित राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी थी। तथापि यह पाया गया कि राज्य में एस.सी.ए. का गठन नहीं किया गया था।
- एन.ए.सी.पी.-तृतीय के दिशानिर्देशों के पैरा 15.7 के अनुसार कार्यक्रम के मध्यावधि तथा समाप्ति पर बाह्य कार्यक्रम मूल्यांकन करना था। यह राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर किया जाना था।

एन.ए.सी.पी.-तृतीय (2007-12) के दौरान राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किए गए थे। तथापि, राज्य द्वारा कार्यक्रम का मध्यावधि तथा अंतिमावधि मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. को नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.-तृतीय के किसी मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने के बारे में भी अनभिज्ञ था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि एन.ए.सी.पी.-तृतीय का मूल्यांकन प्रतिवेदन म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास उपलब्ध नहीं था तथा एस.सी.ए. के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

2-2-19 वृत्तिका रफक वृत्तिका क, अ

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किए गए। हमने पाया कि वर्ष 2010-15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म0प्र0रा0ए0नि0स0 द्वारा नहीं किया गया था।

वित्तीय संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

¹³

निगरानी तथा मूल्यांकन सहायक-3 पद तथा जिला आई.सी.टी.सी. पर्यवेक्षक-2 पद

- ए.आर.टी. केंद्रों पर वृहद संख्या में पी.एल.एच.आई.वी. पंजीकृत नहीं थे तथा ऐसे मरीज जिनकी ए.आर.टी. की शुरुआत हो चुकी थी वे उपचार सतत रूप से जारी नहीं रखे थे।

सभी पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकृत किया जाए तथा चले गए मरीजों को ए.आर.टी. से पुनः जोड़ा जाए।

- एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के टी.आई. परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे। उल्लेखनीय संख्या में टी.आई. परियोजनाएं खराब प्रदर्शन के कारण बंद कर दी गई थीं।

- ए.आर.टी. केंद्र, आई.सी.टी.सी. तथा एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिक आवश्यक भौतिक अधोसंरचना, आवश्यक औषधियां तथा मानव संसाधन से सुसज्जित नहीं थे।

सभी सुविधा केंद्रों पर भौतिक अधोसंरचना, परीक्षण किट, आवश्यक औषधियां तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- एन.ए.सी.पी.-तृतीय (2007-12) के दौरान सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रक्त संग्रहण इकाई स्थापित करने के लक्ष्य के बावजूद यह सभी सी.एच.सी. पर स्थापित नहीं किए जा सके थे, जिससे सुरक्षित रक्त आधान का उद्देश्य विफल हुआ।

सभी सी.एच.सी. पर रक्त संग्रहण इकाईयां स्थापित करने के प्रयास किए जाएं।

- नए एच.आई.वी. संक्रमण प्रकरणों में वृद्धि हुई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों की संख्या 4972 थी, जबकि वर्ष 2014-15 में नए प्रकरणों की संख्या 5348 प्रतिवेदित की गई थी। पॉजिटिव माताओं की संख्या में वर्ष 2010-15 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं से जन्में बच्चों के परीक्षण हेतु नमूना एकत्रीकरण साइटों की सुगम्य स्थानों पर स्थापना सुनिश्चित की जाए।

mPp f' k{k k foHkkx

2-3 futh fo' ofo | ky; ka dh LFkki uk ds fy, <kjpk

dk; i kyu | kjka k

मध्य प्रदेश राज्य विधान-मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए विनियमित ढाँचा प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम) बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और यह कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकायों के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से, यदि संतुष्ट होती है, तो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के ढाँचे की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न लिखित प्रकट हुआ:

- अधिनियम के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के साथ पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी। तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित सांविधिक आवश्यकता में असंगति थी जिसके कारण प्रायोजी निकायों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में एकरूपता नहीं रही।

%dfMdk 2-3-7-2%

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की।

%dfMdk 2-3-7-3%

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि, सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे।

%dfMdk 2-3-7-5%

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाए थे। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवर्तनों का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

%dfMdk 2-3-8-1%

• यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के लिए अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।

%dfMdk 2-3-8-2%

• म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने सूचित किया कि वह मानव शक्ति की कमी के कारण निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नहीं कर सका।

%dfMdk 2-3-9-3%

2-3-1 iLrkouk

मध्य प्रदेश राज्य विधान-मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उनके कार्यों के विनियमन हेतु मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम) बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 बनाए थे।

अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के सामान्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में निर्देशन, अनुसंधान, अध्यापन, तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं अत्याधुनिक अनुसंधान, ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिए उपबंध करना, बौद्धिक क्षमता के उच्चतर स्तर का सृजन करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए कला सुविधाओं को सुलभ करना, गवेषणा एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके उपयोजन के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों को सृजित करना इत्यादि है। मार्च 2015 तक मध्य प्रदेश में 15 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। जिसका विवरण ifjf'k"V&2-36 में दिया गया है।

2-3-2 futh fo' ofo | ky; ka dh LFkki uk ds fy, fofu; fer <kjpk

अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु विनियामक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तथा अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान इत्यादि के उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्रीय विनियामक निकायों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक विनियामक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और यह कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकायों के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रस्ताव की जांच तथा मूल्यांकन के पश्चात यदि म.प्र.नि.वि.वि.आ. की यह राय हो कि प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर दिया जाए, तो म.प्र.नि.वि.वि.आ. राज्य सरकार को प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी करने हेतु अपनी अनुशंसा करता है। इसके आधार पर राज्य सरकार प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर सकती है।

आशय पत्र में कुछ शर्तें समाविष्ट रहती हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य परिसर स्थापित करने, मुख्य परिसर हेतु न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु न्यूनतम निर्मित क्षेत्र तथा निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु निर्धारित अपेक्षित परिवचन का प्रस्तुत किया जाना शामिल है। राज्य में निजी

विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रायोजी निकायों द्वारा इन शर्तों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

प्रायोजी निकाय से आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात म.प्र.नि.वि. वि.आ. उसका परीक्षण करता है तथा संतुष्ट होने पर राज्य सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजता है। राज्य सरकार, म.प्र.नि.वि.वि.आ. से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा निर्णय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे। म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. के निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो तो, निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक शर्त यह भी है कि संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, निजी विश्वविद्यालय अपने प्रथम/पश्चातवर्ती परिनियमों और प्रथम/पश्चातवर्ती अध्यादेशों को म.प्र.नि.वि.वि.आ. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हैं।

इन परिनियमों तथा अध्यादेशों के विषय जैसे कि शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, विद्यापरिषद के गठन, शक्तियां एवं कार्य इत्यादि, कुलपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अन्य अधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति की शर्तें, शक्तियों तथा कार्यों इत्यादि पदों के सृजन एवं उनके समाप्ति की प्रक्रिया, लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम हेतु फीस, निजी विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों का विवरण, छात्रों के प्रवेश, अध्येतावृत्तियों (फेलोशिप), छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदकों एवं पारितोषिक प्रदान करने संबंधी शर्तों से संबंधित हो सकते हैं।

2-3-3 | अणुकरुण ककक

म.प्र.नि.वि.वि.आ. कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उच्चतर शिक्षा विभाग (विभाग), प्रमुख सचिव के अधीन राज्य स्तर पर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकार नीति विषयक प्रश्नों पर विनियामक आयोग को निर्देश जारी कर सकेगी जो बाध्यकारी होंगे।

2-3-4 यसुक्कि जहकक दस मन्स ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या :

- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना विधिक प्रावधानों के अनुरूप थी;
- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं, अधिनियम और पश्चातवर्ती संशोधनों के संदर्भ में कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी; तथा,
- यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र मौजूद था कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सम्बन्धित विनियामक संस्था या विनियामक परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जा रहा है।

2-3-5 ys[kki jh{kk ekun.M

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानदण्डों को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया था :

- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007;
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013;
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008;
- यू.जी.सी. अधिनियम-1956, यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों) की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003;
- आवधिक अनुवीक्षण प्रतिवेदन; तथा
- सरकार द्वारा समय समय पर जारी संशोधन, अधिसूचनाएं, नियम, आदेश एवं निर्देश।

2-3-6 ys[kki jh{kk dk dk; [ks=] | eko's ku , oa fØ; kfof/k

आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 17 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड एवं समावेशन पर चर्चा की गई थी। 2007-08 से 2014-15 तक राज्य में सभी 15 निजी विश्वविद्यालयों ¼i fjf'k"V&2-36½ की स्थापना के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. और उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च 2015 और जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के साथ निर्गम सम्मेलन 9 सितम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। उत्तरों को समीक्षा में यथा स्थान शामिल किया गया है।

ys[kki jh{kk fu"d"K

2-3-7 futh fo' ofo | ky; ka dh LFkki uk

2-3-7-1 mPp f'k{kk foHkkx }kjk iLrkoka dk ew; kadu u fd; k tkuk

राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-36 के तहत फरवरी 2008 की अधिसूचना के माध्यम से, राज्य विनियामक आयोग के गठन तक विनियामक आयोग के कर्तव्यों का पालन करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संबंधित प्रायोजी निकायों से नवम्बर 2007 से जून 2008 के बीच सात आवेदन प्राप्त हुए। तथापि, विभाग द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन नहीं किया गया। म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना (अक्टूबर 2009) होने पर ये सात आवेदन म.प्र.नि.वि.वि.आ. को जनवरी/फरवरी 2010 में अग्रेषित कर दिए गए थे। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के प्रस्तावों पर विभाग ने 21 से 26 महीनों तक ¼i fjf'k"V&2-37½ कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण इन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना में देरी हुई।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की संवीक्षा की गई थी। अतः सांविधिक दायित्वों के लिए प्रक्रिया के कारण विलम्ब हुआ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि म.प्र.नि.वि.वि.आ. के गठन होने तक विभाग को विनियामक आयोग के कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया था।

2-3-7-2 *ik; ksth fudk; ka ds ys[kk ijhf{kr ys[kkvka dh l kfof/kd vko'; drkvka dks fu/kk{jr djus ea vl xfr*

अधिनियम की धारा 4 (2) (ख) के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के साथ पिछले पाँच वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी। तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रायोजी निकायों के लेखा परीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सांविधिक आवश्यकता निर्धारित करने में असंगति थी। इस असंगति के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजी निकायों के तीन आवेदनों (सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल, ए.के.एस. चेरिटेबल ट्रस्ट, सतना एवं रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली) में तीन वर्ष के लेखा, पांच आवेदनों (जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली, आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल, देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल, समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर एवं आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल) में चार वर्षों के लेखा तथा अन्य सात आवेदनों में पांच वर्षों के लेखा प्रस्तुत किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने विषमता को स्वीकार किया एवं बताया कि आवेदन प्रारूप अधिनियम के अनुरूप सही कर लिया गया है।

2-3-7-3 *vk'k; i = dks tkjh djuk , oa ml ds vuqkyu dk l R; ki u djuk*

अधिनियम की धारा-7 के अनुसार सरकार द्वारा जारी आशय पत्र में विभिन्न शर्तें, जैसे कि मुख्य परिसर की स्थापना, विन्यास निधि, न्यूनतम भूमि एवं निर्मित क्षेत्र और निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु निर्धारित अपेक्षाओं से संबंधित परिवचन, समाविष्ट रहेंगी। म.प्र.नि.वि.वि.आ., प्रायोजी निकाय के अनुपालन प्रतिवेदन का परीक्षण करता है और संतुष्ट होने पर, राज्य सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजता है। सरकार, म.प्र.नि.वि.वि.आ. से प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत, यदि संतुष्ट होती है, निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। जारी किए गए आशय पत्र और उसके अनुपालन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

1/d% vk'k; i = tkjh djus vkj vuqkyu ifronu ds l R; ki u grq l e; l hek dk fu/kk{jr u gkuk

अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत म.प्र.नि.वि.वि.आ. से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में आशय पत्र जारी कर सकती है। तथापि, अधिनियम में आशय पत्र जारी करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक मामले में विभाग ने म.प्र.नि.वि.वि.आ. से अनुशंसा प्राप्त होने के ही दिन प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी किया था। तथापि, अन्य 14 मामलों में आशय पत्र जारी करने में 13 से 171 दिनों का समय लिया गया था *1/i f j f' k"V&2-381A*

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-8 के अनुसार प्रायोजी निकाय आशय पत्र की शर्तों के अनुपालन में सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन प्रतिवेदन एवं परिवचन, म.प्र. नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करेंगे। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. के लिए अनुपालन प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। यह नोट किया गया कि म.प्र.नि.वि.वि. आ. ने दो निजी विश्वविद्यालयों, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना एवं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर के प्रायोजी निकायों के अनुपालन प्रतिवेदनों को परीक्षण करने में क्रमशः 411 एवं 164 दिवसों का समय लिया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि कुछ प्रकरणों में सांविधिक परीक्षण हेतु पर्याप्त समय आवश्यक है, अतः समय का अंतर न्यायोचित है। तथापि, विभाग ने स्वीकार किया कि विनियम में कुछ लचीली समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है।

वृद्धि

आशय पत्र जारी करने एवं आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन की संवीक्षा हेतु राज्य सरकार समय सीमा निर्धारित कर सकती है।

1/2 vk'k; i = dh 'krk dh i frz l fuf'pr fd, fcuk futh fo'ofok/ky; dh LFkki uk

- आशय पत्र की शर्तों में से एक शर्त के अनुसार प्रायोजी निकाय के पास मुख्य परिसर स्थापित करने हेतु न्यूनतम 20 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिये एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इसके स्वामित्व के कागजात म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करना चाहिए। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भूमि की आवश्यकता तत्पश्चात घटाकर 10 हैक्टेयर कर दी गई थी।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. संबंधित जिला कलेक्टरों से प्रायोजी निकायों द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी विवरणों के साथ अनुपालन प्रतिवेदन के सत्यापन हेतु निवेदन करता है। जिला कलेक्टरों की संबंधित प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि छह प्रायोजी निकायों के पास शैक्षणिक उद्देश्य हेतु निर्धारित 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी 1/2 f'f'k"V&2-39/2। चार प्रायोजी निकायों के प्रकरण में उनकी सम्पूर्ण 20 हैक्टेयर भूमि शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जबकि दो प्रायोजी निकायों के पास क्रमशः 3.94 हैक्टेयर एवं 5.15 हैक्टेयर भूमि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए थी। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने प्रतिवेदन में छह निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा राज्य सरकार से की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किया जाना सुनिश्चित किए बिना उनकी स्थापना की थी।

इंगित किए जाने पर सभापति, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने बताया (जुलाई 2015) कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग संबंधी दस्तावेजों को निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने उत्तर में कहा कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिये भूमि उपयोग परिवर्तन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा तथा उसका अनुसरण किया जाएगा।

वृद्धि

म.प्र.नि.वि.वि.आ. एवं विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

- अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल (प्रायोजी निकाय) द्वारा इस आशय के दो आवश्यक परिवचन प्रस्तुत नहीं किए – (1) यह कि विनियामक निकायों द्वारा, समय समय पर निर्धारित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना सुविधाएं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करेगा और (2) वह स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा, जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने प्रतिवेदन में आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल के

'k'kf.kd mnns';ka ds fy, vif{kr Hkife dh vuq yC/krk l cdkh dfe;ka dks gVk; k tkuk l fuf'pr fd, fcuk Ng futh fo'ofok/ky;ka dh LFkki uk dh xbz Fkh

प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा की थी। विभाग ने भी आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना विश्वविद्यालय की स्थापना की।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि परिवचन प्रायोजी निकाय से प्राप्त कर लिया गया था जो कि अब दस्तावेजों में उपलब्ध था। तथापि, तथ्य यह है कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के समय म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास परिवचन उपलब्ध नहीं थे।

2-3-7-4 ; wth-l h- }kjk iLrkfor futh fo'ofok/ky; dk fujh{k.k

अधिनियम की धारा 8(5) के अनुसार राज्य सरकार, आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात यू.जी.सी. से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा और यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा निर्णय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

यू.जी.सी. द्वारा निरीक्षण से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

(1) उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर के अधोसंरचना, भवन, भूमि, स्टाफ, पुस्तकालय एवं पाठ्यक्रमों की स्थिति के निरीक्षण हेतु सचिव, यू.जी.सी. नई दिल्ली को अनुरोध किया था (06.07.2013)। तथापि, प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. से किए गए अपने अनुरोध के तीन माह की समाप्ति के पूर्व ही, विभाग ने 17.09.2013 को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(2). जेपी यूनिवर्सिटी, गुना अप्रैल, 2010 में स्थापित हुई थी जबकि विभाग द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के अधोसंरचना, भवन, भूमि, स्टाफ, पुस्तकालय एवं पाठ्यक्रमों की स्थिति के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. को जुलाई 2010 में अनुरोध किया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा कहा गया कि यू.जी.सी. रेगुलेशन 2003 के प्रकाश में अधिनियम की धारा-8(5) में पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. को तीन महीने की अवधि प्रदान की गई है, तथापि अनुसूची में संशोधन कर, एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना तीन महीने की समयावधि की समाप्ति के पूर्व एवं एक अन्य प्रकरण में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया था।

2-3-7-5- l af/kr ifjfu; e ,oa v/; kns'k ds i xk'ku ds i wZ futh fo'ofok/ky; ka dk i kjEhk gks tkuk

अधिनियम की धारा-7(चार)(ड) के साथ पठित धारा-35 के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। समस्त परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सात निजी विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पहले अध्यादेश एवं परिनियम के अनुमोदन के पूर्व, शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए थे ¼i fjf'k"V&2-40¼। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इन सात निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी।

Lkkfof/kd i ko/kkuka ds
foijhr] l kr futh
fo'ofok/ky; ka }kjk
vi us igys v/; kns'k
,oa ifjfu;e ds
vupknu ds i wZ vi us
'kqf.kd i kB; dæ
'kq dj fn; s x; s Fks

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ प्रकरणों में प्रायोजी निकायों को प्रारंभिक चरणों में जारी आशयपत्र के शब्दों में कुछ गलतफहमी के कारण इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसे सुधारा जा चुका है। आयोग ने भविष्य में इसे रोकने की पहल की है। इस पक्ष पर दृढ़ता से ध्यान दिया जाएगा।

vuq kd k

म.प्र.नि.वि.वि.आ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के पूर्व अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू न कर सके।

2-3-8 fu th fo' ofo | ky; k ds i xaku vk | pkyu dk vu ph{k. k

2-3-8-1 e-i zfu-fo-fo-vk- }kjk vu ph{k. k dh del

अधिनियम की धारा 36 (10) के अनुसार, म.प्र.नि.वि.वि.आ. का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि :

1. निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान का मानक बनाए रखने के लिए ऐसे समस्त कदम उठाए जिन्हें वह आवश्यक समझे;
2. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय केवल उतनी फीस और अन्य प्रभार संग्रहीत करें जो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को पूरा कर सकें और युक्तियुक्त अधिशेष राशि भी प्रदान करे जिसका उपयोग वे आस्तियों के संधारण और विस्तार करने में कर सकें;
3. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य किसी विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हों;
4. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, परिनियमों, अध्यादेशों, यू.जी.सी. तथा अन्य संबंधित कानूनी निकायों द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है; तथा
5. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का शोषण न हो और उनसे असम्यक या अत्यधिक फीस संग्रहीत करने के लिये अनैतिक तरीके न अपनाए जाएं।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. अधिनियम में निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका था, जिनकी विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है।

• **dk; k ds fu"i knu ds fy, fofu; e u cukuk**

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 का नियम 12 (1) के अनुसार आयोग अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए तथा प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये विनियम के रूप में प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2015 तक म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में पालन करने के लिये तथा प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये कोई विनियम तैयार नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने कहा कि विनियमों को बनाया जाना प्रक्रियाधीन था।

e-i zfu-fo-fo-vk- us
vi us dk; k dk
fu"i knu dj us g r q
vko' ; d fofu; e
ugha cuk, Fks

futh fo'ofok|ky; ka dh
fofHkUu xfrfof/k; ka tS s
fd&f'k{k.k ds ekudka
ik; ksth fudk; ka }kjk
iLrqr ifjopu ij
vuoprhz dk; bkgjh fol; kl
fuf/k dh vk; lsgq s 0; ;
bR; kfn dk vuoph{k.k
e-izfu-fo-fo-vk- }kjk ugha
fd; k x; k

- *futh fo'ofok|ky; ka ea f'k{k.k ds ekudka dk vuoph{k.k u djuk*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम अर्हताएं तथा अध्यापकों की न्यूनतम उपलब्धता पर ध्यान देने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण के मानक यू.जी.सी. के मापदण्ड के अनुसार थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों को सुनिश्चितता एवं सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये म.प्र.नि.वि.वि.आ. को निर्देशित किया जाएगा।

- *ik; ksth fudk; ka }kjk iLrqr ifjopuka ij vuoprhz dk; bkgjh dk vuoph{k.k u djuk*

अधिनियम की धारा-7 के अनुसार सरकार द्वारा जारी आशयपत्र में विभिन्न शर्तें जैसे मुख्य परिसर की स्थापना, विन्यास निधि, न्यूनतम भूमि एवं निर्मित क्षेत्र तथा विभिन्न परिवचन शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-8 के अनुसार प्रायोजी निकाय आशयपत्र की शर्तों के अनुपालन में सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन प्रतिवेदन तथा परिवचन म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आशयपत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत परिवचन के संदर्भ में प्रायोजी निकायों द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अनुवीक्षण नहीं किया था। इस उद्देश्य हेतु न तो कोई निरीक्षण किया गया और न ही कोई आवधिक प्रतिवेदन निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया गया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि आयोग नियमित निरीक्षण के लिए कार्यनीति तैयार कर रहा था।

- *ik; ksth fudk; ka ds i'wthxr 0; ; dh pj. kc) fLFkr dk vuoph{k.k u fd; k tkuk*

अधिनियम की धारा-4 (2) (च) एवं (छ) के अनुबंध अनुसार प्रायोजी निकाय पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति विवरण तथा उसके वित्त के स्रोत की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि समस्त 15 प्रायोजी निकायों द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास के लिये पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की थी $\frac{1}{2}$ । तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि आयोग नियमित निरीक्षण के लिए कार्यनीति तैयार कर रहा था।

- *fol; kl fuf/k dh vk; lsgq 0; ; dk vuoph{k.k u djuk*

अधिनियम की धारा 11 (3) के अनुसार, विन्यास निधि से आय का उपयोग निजी विश्वविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के सिवाय, निजी विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय हेतु नहीं किया जाएगा। तथापि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालय द्वारा विन्यास निधि के निवेश से हुई आय से हुए व्यय पर नजर नहीं रखी थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को आवधिक निरीक्षण हेतु तंत्र रखने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

• *f'kdk; r i d j . k k a l s l a f / k r v f h k y s [k k a d k j [k j [k k o u d j u k*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. में प्राप्त शिकायतों का कोई समेकित अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। म.प्र.नि.वि.वि.आ. पिछले पांच सालों में प्राप्त शिकायतों की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को शिकायत पंजी तैयार करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

v u d k a k

म.प्र.नि.वि.वि.आ. अपने कार्यों के निष्पादन, आयोग के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए विनियम बनाए। म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह कर सके।

2-3-8-2 ; w t h - l h - } k j k v k o f / k d f u j h { k . k r F k k e - i z f u - f o - f o - v k - } k j k d f e ; k a d k l q k k j

अधिनियम की धारा 39 (1) के अनुसार, यू.जी.सी. निजी विश्वविद्यालय का आवधिक निरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये यू.जी.सी. संबंधित निजी विश्वविद्यालय से समस्त सुसंगत जानकारियां मांग सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 36 (1) के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विनियामक निकायों के बीच मध्यस्थ के रूप में, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, छात्रों के हितों का संरक्षण तथा कर्मचारियों की युक्तियुक्त सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 15 स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में से सात का निरीक्षण यू.जी.सी. द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक किया जा चुका था। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने मार्च 2015 तक केवल एक प्रतिवेदन (जेपी यूनिवर्सिटी, गुना) प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा जानकारी दी गई (सितम्बर 2015) कि चार प्रतिवेदन¹ और प्राप्त किये जा चुके हैं तथा दो निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना एवं आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन) अभी प्राप्त किया जाना हैं।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने उत्तर में बताया कि (सितम्बर 2015) जेपी यूनिवर्सिटी, गुना का यू.जी.सी. प्रतिवेदन मार्च 2015 के पूर्व प्राप्त हो गया था तथा यू.जी.सी. की सकारात्मक टिप्पणी होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी। चार अन्य प्रकरणों में जिनमें यू.जी.सी. द्वारा कमियां बताई गई थी, उनमें कमियों को दूर करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे। म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने यह भी बताया कि यू.जी.सी. को निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रदाय करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा क्योंकि ये उनके (यू.जी.सी.) द्वारा म.प्र.नि.वि.वि.आ. को नहीं भेजे जा रहे थे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के अनुवीक्षण तंत्र में कमी रही।

2-3-8-3 f u t h f o ' o f o / k y ; k a e a v f / k d k f j ; k a d h f u ; f D r

अधिनियम की धारा-14 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय में निम्न अधिकारी होंगे यथा (क) कुलाध्यक्ष (ख) कुलाधिपति (ग) कुलपति (घ) कुलसचिव (ङ) मुख्य वित्त एवं

¹ आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर, ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर, पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल एवं श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर

लेखाधिकारी और (च) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए।

अभिलेखों एवं निजी विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि कुलाधिपति, कुलपति एवं कुल सचिव की नियुक्ति के संबंध में विवरण म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास उपलब्ध था तथापि, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों के परिनियमों में घोषित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए म.प्र.नि.वि.वि.आ. को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2-3-8-4 *futh fo'ofu /ky; ka dk olf'kld ifronu , oa ysfkki jhf{kr ysfkk*

अधिनियम की धारा-38 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा जिसमें तुलनपत्र सम्मिलित है, तैयार किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति शासी निकाय की टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष एवं म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत की जाएगी। म.प्र.नि.वि.वि.आ. वार्षिक प्रतिवेदन, लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा। निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से उद्भूत विषय पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा दिये गये निर्देश, निजी विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. में इसके परीक्षण के संबंध में कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने स्वीकार किया और माना कि सरकार को म.प्र.नि.वि.वि.आ. में कमियों के संबंध में पता है, जिन्हें समय पर ठीक नहीं किया जा सका था तथा अब कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

2-3-8-5 *Nk=ka l s , df=r Qhl ds , d ifr'kr ds tek fd , tkus eafoyc*

अधिनियम की धारा-12 तथा 2013 में संशोधन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर छात्रों से संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, जमा किया जाएगा तथा म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त फीस की रकम 15 दिन के भीतर कोषालय में जमा करेगा।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 9(3) के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों से संग्रहीत की गई फीस के संबंध में जानकारी और शासकीय कोषालय में जमा की गई फीस तथा दाण्डिक ब्याज, यदि कोई हो, जो अधिरोपित किया गया हो और शासकीय कोषालय में जमा किया गया हो और इस संबंध में अन्य सुसंगत जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के कार्यालय में रखी जाएगी। दाण्डिक ब्याज की जानकारी नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में रखी जाएगी। तथापि, दाण्डिक ब्याज की दर निर्धारित नहीं की गई है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत, राशि ₹ 466.99 लाख म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा, प्राप्त की गई तथा कोषालय में जमा की गई।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि :

1. एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2011-12 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस की एक प्रतिशत राशि ₹ 1.05 लाख जमा की (अक्टूबर 2013)। इसी प्रकार पीपुल्स विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा सत्र 2014-15 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस की एक प्रतिशत राशि ₹ 67.05 लाख निर्धारित 30 दिन की समयावधि के पश्चात जमा की (जून 2015)। यह भी देखा गया कि जुलाई 2015 तक रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा सत्र 2014-15 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत म.प्र.नि.वि.वि.आ. में जुलाई 2015 तक जमा नहीं किया गया था। तथापि, दाण्डिक ब्याज अधिरोपित करने हेतु म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त, हमने यह देखा कि जेपी यूनिवर्सिटी, गुना ने 17.09.2010 को राशि ₹ 13.01 लाख एवं 17.01.2011 को राशि ₹ 5.41 लाख म.प्र.नि.वि.वि.आ. में जमा की थी किन्तु म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने कुल राशि ₹ 18.42 लाख कोषालय में दिनांक 31.03.2011 को निर्धारित समय सीमा 15 दिन की अवधि के बाद क्रमशः 180 एवं 58 दिवसों के विलंब से जमा की थी।

3. यह भी देखा गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. में, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा फीस के एक प्रतिशत की सत्यता अभिनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने स्वीकार किया एवं माना कि (1) म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रक्रिया को और अधिक यथोचित रूप से मानकीकृत करने के निर्देश दिए जाएंगे। तथापि, लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों पर छात्रों से एकत्रित फीस के एक प्रतिशत को देरी से जमा करने पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर पर जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 51004 जुर्माने के रूप में जमा किए गए। (2) म.प्र.नि.वि.वि.आ. को नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। (3) आयोग ने भविष्य में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के माध्यम से फार्म-डी में दर्ज जानकारी के सत्यापन का निर्णय लिया है।

वुद कड क

म.प्र.नि.वि.वि.आ. छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत विलम्ब से जमा करने पर निजी विश्वविद्यालयों पर दण्डात्मक ब्याज लगाए।

2-3-9 e-izfu-fo-fo-vk- dh | dFkkxr 0; oLFkk, a

2-3-9-1 e-izfu-fo-fo-vk- }kjk ctV u cuk; k tkuk

नियम-21 के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय दर्शाते हुये बजट तैयार करना आवश्यक है तथा उसकी प्रतिलिपियां, उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान-सभा द्वारा सम्यक विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित की जाएंगी।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा न तो वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि हेतु बजट तैयार किया गया था और न ही उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान सभा द्वारा सम्यक विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित किया गया था। तथापि विभाग द्वारा म.प्र.नि.वि.वि.आ. को बजट आवंटन

किया गया था। विभाग द्वारा प्रदाय आवंटन एवं उसमें से, म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा किए गए व्यय का विवरण rkydk&1 में दर्शाया गया है।

rkydk&1% o"kl 2010&15 ds nkjku e-i zfu-fo-fo-vk- dk vko&u , oa 0; ;
 yj k'k ₹ e#

o"kl	vko&u	0; ;
2010-11	4,50,000	2,76,002
2011-12	84,93,000	45,18,607
2012-13	81,15,000	53,00,505
2013-14	85,74,185	75,04,140
2014-15	68,21,000	57,12,929

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि भविष्य में म.प्र.नि.वि.वि.आ. को बजट प्राक्कलन तैयार करने एवं विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2-3-9-2 foll; kl fuf/k dk i.zll/ku

अधिनियम की धारा-11 (1) के अनुसार प्रायोजी निकाय आशयपत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर पांच करोड़ रुपये की विन्यास निधि स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 5(1) के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. निधि की तरलता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये, विन्यास निधि का एक अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विनियोजन करेगा।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने विन्यास निधि को सावधि जमा के रूप में निवेश करते समय मुनाफे को अभिनिश्चित नहीं किया। विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक दरें प्राप्त नहीं की गईं। आगे यह भी पाया गया कि दस अवसरों पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा विन्यास निधि प्राप्त होने के 11 से 140 दिनों के बाद अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विन्यास निधि को निवेश किया था। जिसके कारण म.प्र.नि.वि.वि.आ. को ₹ 22.05 लाख (लगभग) के ब्याज की हानि हुई।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को विन्यास निधि का निवेश समय पर करने हेतु तथा बैंक में सावधि जमा करने से पूर्व तुलनात्मक चार्ट बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

vuq kd k

म.प्र.नि.वि.वि.आ. को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु प्रायोजी निकाय से ₹ 5 करोड़ की विन्यास निधि प्राप्त होने के तुरन्त बाद सावधि जमा के रूप में निवेश कर देना चाहिए।

2-3-9-3 e-i zfu-fo-fo-vk- dh ekuo 'kfdR dk i.zll/ku

अधिनियम की धारा-36 के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें से एक सदस्य, सदस्य-शैक्षणिक और दूसरा सदस्य,

सदस्य-प्रशासनिक होगा और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। म.प्र.नि.वि. वि.आ. में एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2009 में म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना से पूर्व अधिनियम को लागू करने हेतु विभाग में एक सेल बनाया गया था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर 17 पद² स्वीकृत किए गए थे। तथापि, 2009 में म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना के पश्चात इन पदों को म.प्र.नि.वि.वि.आ. को हस्तांतरित नहीं किया गया था। म.प्र.नि.वि. वि.आ. ने इन पदों के हस्तांतरण हेतु 2014 में विभाग से अनुरोध किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जवाब में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा बताया गया कि मानव शक्ति के अभाव में म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय के संबंध में अपनी विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों का निष्पादन नहीं कर पाया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि इन पदों हेतु 15 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसके लिये नियुक्तियां शीघ्र की जाएंगी।

2-3-10 fu"d"kl , oa vuq ka k, a

- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के साथ पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी। तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सांविधिक माँग निर्धारण में असंगति थी जिसके कारण प्रायोजी निकायों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में एकरूपता नहीं रही।

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. एवं विभाग निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व प्रायोजी निकाय द्वारा कमियों को दूर करना सुनिश्चित करें।

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि, सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के बाद अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करें।

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाया था। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवर्तनों का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

² ओएसडी-01, अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी-02, वित्तीय सहायक/लेखापाल-02, प्रोग्रामर-02, डाटा एन्ट्रीआपरेटर-02, स्टेनोग्राफर-03 एवं आफिस बाय-05

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों के चरणबद्ध पूंजीगत व्यय एवं विन्यास निधि के निवेश से व्यय पर नजर नहीं रखी थी।
- यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण में अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।
म.प्र.नि.वि.वि.आ. अपने कार्यों के निष्पादन, आयोग के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए विनियम बनाए। म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह सुनिश्चित कर सके।
- मानव शक्ति की कमी के कारण म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न परिवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नहीं कर सका।

I kekftd U; k; foHkkx

2-4 I kekftd I j {kk i s ku ; kst ukvka dk fØ; kll; u #

dk; i kyu I kjka k

समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें चार सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पें.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पें.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पें.यो.) एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो.) शामिल है।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की परित्यक्त बी.पी.एल. महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए वर्ष 1981 से समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पें.यो.) का कार्यान्वयन किया है।

अवधि 2010-11 से 2014-15 के लिए 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को रा.सा.स.का के कार्यान्वयन हेतु ₹ 3,600.42 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 2,490.84 करोड़ व्यय हुये थे।

%dfMdk 2-4-7-1%

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, राज्यों से कम-से-कम केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर की अतिरिक्त राशि दिये जाने हेतु दृढ़ता से आग्रह किया गया था, जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके। तथापि राज्य सरकार ने इ.गा.रा.वि.पें.यो., इ.गा.रा.नि.पें.यो. एवं रा.प.स.यो. अंतर्गत कोई योगदान नहीं किया। राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65-79 आयु वर्ग में केन्द्रीय सहायता ₹ 200 के साथ ₹ 75 अतिरिक्त पेंशन के रूप में प्रदान कर रही थी।

%dfMdk 2-4-7-2%

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था। 1.49 लाख हितग्राहियों को ₹ 7.74 करोड़ पेंशन राशि का भुगतान नियत तिथि से एक से 16 माह विलम्ब से किया गया। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर गलत बैंक विवरण अपलोड किये जाने के कारण पेंशन की राशि ₹ 1.32 करोड़ पेंशनर्स के खातों में जमा नहीं हुई थी।

%dfMdk 2-4-7-6] 2-4-7-7 , oa 2-4-7-8%

bfnjk xka/kh jk"Vh; o) koLFkk i s ku ; kst uk %o-xk-jk-o-i s; ks½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत 14.37 लाख हितग्राही थे। 2010-15 के दौरान इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 1,694.43 करोड़ का व्यय किया गया था।

%dfMdk 2-4-8-1%

- दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना इ.गा.रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

%dfMdk 2-4-9-1%

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था। विभाग ने बताया कि इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

%dfMdk 2-4-9-2%

bfñjk xk/kh jk"Vh; fo/kok i s ku ; kst uk %b-xk-jk-fo-is; ks½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के अंतर्गत 4.81 लाख हितग्राही थे। 2010-15 के दौरान इ.गा.रा.वि.पें.यो.के अन्तर्गत ₹ 391.58 करोड़ का व्यय किया गया था।

%dfMdk 2-4-10-1%

- इ.गा.रा.वि.पें.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

%dfMdk 2-4-11-1%

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 1.70 लाख व्यक्ति थे, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

%dfMdk 2-4-11-3%

- बढ़ी हुई दर से पेंशन भुगतान के लिए भारत सरकार के परिपत्र के विलम्ब से कार्यान्वयन के कारण, अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के स्थान पर पुरानी दर ₹ 200 प्रतिमाह से पेंशन का भुगतान किया गया।

%dfMdk 2-4-11-4%

bfñjk xk/kh jk"Vh; fu%kDr i s ku ; kst uk %b-xk-jk-fu-i s; ks½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में 0.98 लाख हितग्राही थे। वर्ष 2010-15 में इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत ₹ 176.28 करोड़ का व्यय किया गया था।

%dfMdk 2-4-12-1%

- इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे निःशक्तता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

%dfMdk 2-4-13-1%

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 0.12 लाख व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.नि.पें.यो हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

%dfMdk 2-4-13-2%

- अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के विरुद्ध पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियों को कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-13-3%

jk"Vh; i fjokj l gk; rk ; kstuk ¼j k-i -l -; ks½

- 2010-11 से 2014-2015 के दौरान राज्य में 1.95 लाख हितग्राही थे। अवधि 2010-2015 के दौरान रा.प.स.यो. के अन्तर्गत ₹ 217.07 करोड़ का व्यय किया गया था। रा.प.स.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे-मृतक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को सहायता प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-14-1 , oa 2-4-15-1½

- जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई सहायता दर ₹ 20,000 के विरुद्ध एकमुश्त सहायता पुरानी दर ₹ 10,000 का भुगतान किया गया जिसके कारण रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियों को राशि ₹ 910.40 लाख का कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-15-2½

l exz Lkkeftd l j {kk i ku ; kstuk ¼ -l k-l qi ; ks½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में 8.64 लाख हितग्राही थे। वर्ष 2010-15 के दौरान स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 1,106.95 करोड़ का व्यय किया गया था।

¼dfMdk 2-4-17-1½

- स.सा.सु.पें.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे भूमिहीन तथा निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-18-1½

2.4.1 i lRkouk

समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएँ अर्थात् (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पें.यो.), (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पें.यो.), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पें.यो.) तथा (iv) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो.) शामिल है। इन पेंशन योजनाओं के पात्रता मानदण्ड i f j f ' k " V & 2 - 4 3 में दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. विधवा महिलाएँ, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएँ एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पें.यो.) का कार्यान्वयन किया है।

2.4.2 l xBukRed <kpk

सामाजिक न्याय विभाग राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख सचिव, राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग (विभाग), के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं एवं एक मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन उनकी सहायता करते हैं। विभाग में 7 संभागीय कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक कार्यालय में संयुक्त संचालक प्रमुख हैं व जिला स्तर पर 43 उप संचालक हैं।

2.4.3 यस्क्कि ज्जिहक्क द्दस म्मिः ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का विस्तृत उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदाय निधि पर्याप्त थी तथा इष्टतम रूप से लक्षित/योग्य/वास्तविक हितग्राहियों/पेंशनरों के लिए उपयोग की गई तथा निधियों का व्यपवर्तन नहीं था;
- प्रत्येक योजनांतर्गत लक्षित हितग्राहियों/पेंशनरों की पहचान सम्बन्धी प्रणाली थी तथा कुशलता पूर्वक कार्य कर रही थी;
- पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया था एवं लक्षित पात्र/वास्तविक हितग्राहियों को योजना अनुरूप अभीष्ट लाभ दिया गया; तथा
- अनुवीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.4.4 यस्क्कि ज्जिहक्क एकुन.म

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे :

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना हेतु समय-समय पर जारी योजना दिशानिर्देश एवं निर्देश;
- बजट नियमावली, राज्य की वार्षिक कार्य योजना, विभाग के बजट एवं बजट के परिणाम; तथा
- मौजूदा हितग्राहियों की पुष्टि हेतु जिला एवं राज्य स्तर के वार्षिक सत्यापन प्रतिवेदन।

2.4.5 यस्क्कि ज्जिहक्क लैकोऽकु द्दक; [कस=] , ओा द्दक; फोफ/क

कुल 50 जिलों में से चयनित 14 जिलों¹ एवं प्रत्येक चयनित जिले से दो जनपद पंचायतों एवं दो नगरीय स्थानीय निकायों में अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। जिलों का चयन में दो जनपद पंचायत एवं दो नगरीय स्थानीय निकायों का, प्रत्येक चयनित जिले में जिनमें एक सबसे अधिक हितग्राहियों की संख्या वाला एवं दूसरा सबसे कम हितग्राहियों की संख्या वाली इकाई शामिल है, 'प्रतिस्थापन पद्धति बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन' विधि के आधार पर किया गया था।

राज्य स्तर पर आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त संचालक/उप संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जिला पंचायत, मु.का.अ. जनपद पंचायत, आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय के अभिलेखों की नमूना जांच की गई, जिसका विवरण ifjf'k"V&2-44 में दर्शाया गया है।

मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के साथ दिनांक 02 जून 2015 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं मानदण्ड पर चर्चा हुई। दिनांक 29 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन में सचिव, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मिशन संचालक के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा उनके उत्तरों/विचारों को निष्पादन समीक्षा में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

¹ भोपाल, छतरपुर, छिंदवाडा, डिंडोरी, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा, सागर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी एवं उज्जैन

2.4.6 ys[kki jh{kk l k{;

प्राथमिक लेखापरीक्षा साक्ष्य संचालनालय एवं लेखा परीक्षित इकाईयों तथा उनके उत्तरों से एकत्र की गई जानकारी था। इसके अलावा रा.सा.स.का., ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (पेंशन पोर्टल) इत्यादि के वेबसाइटों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई थी।

2.4.7 ys[kki jh{kk fu"d"kl

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.) पदाभिहित अधिकारी थे। आवेदक अपने आवेदन पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते थे। आवेदन प्राप्त होने पर, मु.का.अ., जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/सी.एम.ओ. अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रकरण जहाँ आवेदनों को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया हो, ग्राम पंचायत की अनुशंसा के साथ मु.का.अ. जनपद पंचायत को स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे। पदाभिहित अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के पूर्व हितग्राहियों का बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया जाना था।

सामाजिक न्याय विभाग पेंशन वितरण हेतु बजट तैयार कर मु.का.अ. जिला पंचायत को निधियों का आवंटन करता है। मु.का.अ. जिला पंचायत शहरी क्षेत्रों में तथा मु.का.अ. जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। पात्र हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु, देयक के साथ हितग्राहियों की सूची तथा बैंक खाते के विवरण पेंशनर्स के बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में पेंशन जमा करने हेतु संबंधित कोषालयों को प्रस्तुत किए गए थे।

jk"Vh; l kekftd l gk; rk dk; De ¼jk-l k-l -dk-½

2-4-7-1 jk"Vh; l kekftd l gk; rk dk; De ds fy, forrh; 0; oLFkk

रा.सा.स.का. वर्ष 2002-03 से राज्य योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां राज्यों को जारी की गयी थीं। तदनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं अर्थात् इ.गा.रा.वृ.पे.यो., इ.गा.रा.वि.पें.यो., इ.गानि.पें.यो. एवं रा.प.स.यो. के लिए एकल आवंटन के रूप में राज्य समेकित निधि के लिए निधियां जारी की गई थीं एवं राज्यों को आवश्यकतानुसार अलग-अलग उप योजनाओं के लिए आवंटन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। 1 अप्रैल 2014 से रा.सा.स.का. पुनः केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में शामिल हुआ तथा वर्ष 2014-15 से सभी राज्यों को योजनावार निधियां जारी की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को रा.सा.स.का के कार्यान्वयन हेतु ₹ 3,600.42 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 2,490.84 करोड़ खर्च हुए।

2-4-7-2 jk-l k-l -dk- ds vllrxr vuq i vdk dk ; kxnku ugha fd; k x; k

रा.सा.स.का. दिशानिर्देश के पैरा 2.4.1 के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर कम-से-कम अतिरिक्त राशि दिये जाने हेतु राज्यों से दृढ़ता से आग्रह किया गया था, जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके।

हमने पाया कि, राज्य सरकार द्वारा इ.गा.रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत 65 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को केन्द्रीय सहायता ₹ 200 प्रतिमाह के साथ ₹ 75 प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन राशि राज्य शासन के हिस्से के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी। राज्य शासन

b-x-jk-o-i 8; ks es
₹ 75 ifrekg ds
vykok jk-l k-l -dk-
vllrxr vuq i vdk
ink; u fd; k tkuk

द्वारा इ.गा.रा.वि.पें.यो, इ.गा.रा.नि.पें.यो एवं रा.प.स.यों. अन्तर्गत कोई योगदान नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक द्वारा बताया गया, कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय (2006) लिया गया था कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में राज्यांश से ₹ 75 प्रतिमाह 65 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाए।

2-4-7-3 fuf/k; kə dk vo:) jguk

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार, विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2013 से रा.सा.स.का. तथा स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत हितग्राहियों को विविध पेंशन तथा सहायता के वितरण के लिए केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली अपनाई गई थी। इस आहरण व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारीवार बजट आवंटन नहीं किया गया था, एवं कोषालय अधिकारी बजट नियंत्रण अधिकारी के कोषालय सर्वर पर उपलब्ध आवंटन से सीधे आहरण कर हितग्राहियों को भुगतान कर रहे थे। तदनुसार मु.का.अ., जिला पंचायत एवं मु.का.अ. जनपद पंचायत पेंशन देयक तथा हितग्राहियों की सूची लाभार्थियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में पेंशन जमा करने हेतु संबंधित कोषालयों को प्रस्तुत कर रहे थे।

केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली के पूर्व, राज्य द्वारा जिलों को विभिन्न पेंशन योजनाओं में एकमुश्त बजट प्रदाय किया गया था। कोषालय से पेंशन राशि आहरित करने के पश्चात, वितरण हेतु राशि जनपद/शहरी स्थानीय निकायों को अनुमानित हितग्राहियों की संख्या के आधार पर हस्तांतरित कर दी गई थी। भुगतान की बदली हुई व्यवस्था के मद्देनजर, जिलों/जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों स्तर पर बैंक खातों में अव्ययित पड़ी शेष राशि राज्य शासन को वापिस की जानी थी।

14 p; fur ftyks
e₹ ₹ 30-24
djkM dh jkf'k
vo: } i kb/ xbl

14 चयनित जिलों 22 जनपद पंचायतों तथा 24 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों/बैंक पासबुक/रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि रा.सा.स.का. तथा स.सा.सु.पें.यो के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं की शेष राशि ₹ 30.24 करोड़ उनके बैंक खाते में मार्च से जुलाई 2015 तक अव्ययित पड़ी थी। विवरण i f j f ' k " V & 2-45 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि जिला/जनपद स्तर पर जमा की स्थिति के लिए समय-समय पर पत्र जारी किए गए थे। आगे इसके लिए पत्राचार किया जा रहा था।

2-4-7-4 mi ; kfxrk i ek. k i = kə dks okLrfod 0; ; ds vk/kkj ij iLrṛ u fd; k tkuk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, प्रथम किश्त राज्य सरकार को स्वतः जारी की जाएगी। दूसरी किश्त जारी करने के प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त निधि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

14 चयनित जिलों तथा सभी चयनित जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिलों द्वारा जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों से निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र न तो प्राप्त किए गए और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त को भेजे गए। तथापि, आयुक्त द्वारा मैदानी स्तरों से वास्तविक व्यय की पुष्टि किये बिना भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि चूंकि सभी पेंशन योजनाएं केन्द्रीय बजट प्रणाली के अन्तर्गत शामिल थी, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र कोष एवं लेखा विभाग से प्राप्त व्यय की जानकारी के आधार पर भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर से भी उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचनाएं प्राप्त की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली वर्ष 2013-14 से प्रारंभ हुई थी एवं चयनित जिलों द्वारा वर्ष 2013-14 से पूर्व के उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2-4-7-5 *dl/nh; ; kst uk vk; kst uk vuq/k. k iz kkyh ¼ h-i-h, l-, e-, l -½*

सी.पी.एस.एम.एस. कार्यान्वयन एजेन्सियों और हितग्राहियों को ई-पेमेन्ट तथा निधि प्रबंधन के लिये वेब आधारित लेन-देन की रूपरेखा है। सी.पी.एस.एम.एस. का मूल उद्देश्य कुशल निधि प्रवाह एवं व्यय नेटवर्क स्थापित करना था। यह वास्तविकता के आधार पर भारत की संचित निधि से जारी की गई निधियों के उपयोग पर विशिष्ट योजना एम.आई.एस. के लिये तैयार करता है। रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रा.सा.स.का. योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का वितरण करने के लिये सी.पी.एस.एम.एस. का उपयोग करना चाहिये।

हमने देखा कि राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 से कार्यान्वयन अभिकरणों एवं हितग्राहियों को ई-पेमेन्ट द्वारा पेंशन के भुगतान की शुरुआत की गई थी। तथापि, निधि प्रवाह प्रणाली, व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की एम.आई.एस. में ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि राज्य में वित्त विभाग के अनुदेश में, सी.पी.एस.एम.एस. के स्थान पर पेंशन के ई-भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली प्रारंभ की गई। आगे यह बताया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर एम.आई.एस. की जानकारी की प्रविष्टि अपलोड की कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-7-6 *fgr xkfg; ka dk okf"kd l R; ki u*

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश की कंडिका 3.1 के अनुसार, राज्यों द्वारा मौजूदा हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन हेतु एक विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाना चाहिए। उपलब्ध बी.पी.एल. सूची के आधार पर, हितग्राहियों की उनके घर तक जाकर सक्रियता से पहचान की जाना चाहिए। सत्यापन के पश्चात व्यक्तियों को चयनित एवं हटाने हेतु प्रस्तावित सूची पृथक से प्रकाशित की जानी चाहिए।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि रा.सा.स.का. के अन्तर्गत मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने अपने उत्तर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी.ई.ओ./जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त, नगर निगम एवं सी.एम.ओ. द्वारा हितग्राहियों का सत्यापन समग्र पेंशन पोर्टल के कार्यान्वयन के पूर्व अप्रैल 2014 में किया गया था। ग्राम पंचायत/वार्डवार हितग्राहियों की सूची समग्र पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई थी। पात्र हितग्राहियों का सत्यापन बी.पी.एल. सूची के आधार पर किये जा रहा था।

उत्तर स्वीकार नहीं था, क्योंकि नमूना जांच हेतु चयनित जिलों के संबंधित संयुक्त/उप संचालकों ने लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया था कि मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था।

vuq kd k

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश अनुसार हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा किया जाए।

2-4-7-7 *i dku dk foyEc l s Hkq rku*

आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी आदेश (सितम्बर 2005) के अनुसार हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किया जाना चाहिए।

Hkkjr ljdkj ds ,e-
vkbZ, l- ea fuf/k
iØkg iz kkyh rFkk
0; ; ntZ ugha fd,
x,

fo' kSk l R; ki u ny
}kjk ekSt ink
fgr xkfg; ka dk okf"kd
l R; ki u ugha fd; k
x; k Fkk

1-49 यक [k fgrxkfg; ka
dks ₹ 7-74 djkm+ i dku
dk , d l s 16 ekg rd
foyc l s Hkqrku fd; k
x; k

14 चयनित जिलों में से छह जिलों के पेंशन भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान रा.सा.स.का./स.सा.सु.पें.यो. के 1.49 लाख हितग्राहियों को पेंशन ₹ 7.74 करोड़ का भुगतान देय तारीख से एक से 16 माह तक विलम्ब से किया गया। विवरण i f j f ' k " V & 2-46 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि जब कभी भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी उनमें सुधार हेतु कार्यवाही की गई थी।

2-4-7-8 i dku Hkksfx; ka dks i dku dk Hkqrku u fd; k tkuk

वर्ष 2013-14 से पेंशन का भुगतान पेंशन पोर्टल द्वारा संधारित हितग्राहियों के डाटाबेस के आधार पर किया गया है। जनपद पंचायत एवं नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर पेंशन भोगियों का विवरण जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण, आयु इत्यादि पेंशन पोर्टल पर अपलोड एवं अद्यतन किया जाता है एवं दस्तावेज भी उनके द्वारा ही रखे जाते हैं।

चयनित 7 जिलों² में पेंशन भुगतान के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रा.सा.स. का./स.सा.सु.पें.यो. से संबंधित अवितरित पेंशन ₹ 1.32 करोड़ बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जिला कार्यालयों को वापस की गई थी। तथापि ऐसे पेंशनभोगियों की सूची बैंकों द्वारा नहीं दी गई थी। इस अवितरित पेंशन राशि में से ₹ 52.12 लाख संबंधित वितरण प्राधिकारियों के बैंक खातों में जमा थे तथा ₹ 79.79 लाख डिमांड ड्राफ्ट एवं बैंकर चेक के रूप में जिला स्तर पर निष्क्रिय पड़े थे। हितग्राहियों के खाते में पेंशन जमा न होने से, वे नवम्बर 2013 से जून 2015 तक योजना के लाभों से वंचित रहे।

i dku jkf'k ₹ 1-32
djkm+ ds fMekM
MkqV @c&l l p&d
vforfjr ik, x,



ftyk i pk; r Hkks ky ea fuf'Ø; j [ks c&dj pDl

इस ओर इंगित किए जाने पर, जिला अधिकारियों ने बताया कि हितग्राहियों के खाते क्रमांक/आई.एफ.एस.सी. कोड गलत होने के कारण पेंशनरों के खातों में पेंशन जमा नहीं की गई थी एवं बैंक द्वारा वापस की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया था कि सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पेंशन वितरण के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-7-9 fgrxkfg; ka ds MkVks/ ds fy; s i z&ku l puk iz kkyh ¼ e-vkbz, l -½

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 5.2 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लेन-देन/कार्य प्रवाह आधारित निधि प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक

² भोपाल ₹ 47.37 लाख, डिंडोरी ₹ 1.48 लाख, झाबुआ ₹ 41.59 लाख, कटनी ₹ 26.67 लाख, शहडोल ₹ 7.32 लाख, शिवपुरी ₹ 6.09 लाख तथा उज्जैन ₹ 1.39 लाख

, u-, l -, -i h-&
, e-vkbz, l - ij MkVv
i kfV& l fuf' pr
ugha fd; k x; k

सॉफ्टवेयर विकसित किया था। राज्य जिन्होंने स्वयं का सॉफ्टवेयर तैयार किया था उन्हें एक ब्रिज-सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी सूचनाएं/डाटा रा.सा.स.का.-एम.आई.एस. पर पोर्ट करना सुनिश्चित करना था। रा.सा.स.का.-एम.आई.एस. के कार्यात्मक रूप के अनुसार राज्यों को पात्र हितग्राहियों का एक डेटाबेस रखना था तथा उसे पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया जाना था। लिगेसी डेटाबेस को रा.सा.स.का. की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की भी आवश्यकता थी। नए हितग्राहियों का डेटा ऑनलाईन प्रविष्टि की आवश्यकता है। यह देखा गया कि:

- (i) भारत सरकार द्वारा विकसित एम.आई.एस. राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया था। राज्य ने अपना स्वयं का पेंशन पोर्टल वर्ष 2013-14 से विकसित किया था। तथापि मंत्रालय की रा.सा.स.का. एम.आई.एस. पर डाटा पोर्टिंग सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- (ii) रा.सा.स.का. के वेबसाइट से प्राप्त (7 जनवरी 2015) प्रतिवेदन के अनुसार इ.गा.रा. वृ.पें.यो., इ.गा.रा.वि.पें.यो एवं इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत रा.सा.स.का.-एम.आई.एस. पर उपलब्ध तथा राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रतिवेदित हितग्राहियों की संख्या में अंतर था। विवरण निम्न रकफ्यdk&1 में हैं:

Rkfydk&1% fofHkU i s ku ; kst ukvka ds varxr fgrxkfg; ka dh l a; k ea MkVv vUvj

l jy Øekad	; kst uk dk uke	jk-l k-l -dk- , e-vkbz, l ij mi yC/k fgrxkfg; ka dh l a; k	jkT; }kjk xkeh.k fodkl ea-ky; dks i frosnr fgrxkfg; ka dh l a; k	MkVv vUvj
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	8,20,252	10,61,033	2,40,781
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1,24,846	2,30,317	1,05,471
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	72,856	1,19,898	47,042
	; ksx	10]17]954	14]11]248	3]93]294

¼ ks-% jk-l k-l -dk- dh ocl kbV l s i klr vkadM½

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया कि राज्य स्तर पर ब्रिज सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया था। तथापि, जनवरी 2015 तक लगभग 18.00 लाख हितग्राहियों का विवरण रा.सा.स.का. के अन्तर्गत भारत सरकार की एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। यह आगे जोड़ा गया था कि डाटा का अपलोड करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। डाटा अन्तर के संबंध में बताया गया कि विभाग द्वारा भारत सरकार को डाटा मासिक प्रगति प्रतिवेदन-1 के माध्यम से भेजे गए थे।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा रा.सा.स.का.-एम.आई.एस. पर ब्रिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा पोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप एम.आई.एस. में डाटा में अन्तर था।

bfnjk xka/kh jk"Vh; o) koLFkk i s ku ; kst uk ¼o-xk-jk-o-i s; ks½

इ.गा.रा.वृ.पें.यो. मध्य प्रदेश में अगस्त 1995 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बी.पी.एल. हितग्राही (पुरुष या स्त्री) पात्र हैं। इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही के दर से केन्द्रीय सहायता प्रदाय की जानी थी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों की सहायता दरें दिनांक 01.04.2011 से ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 500 प्रति माह की गई थी। संशोधित मानदण्ड नवम्बर 2012 के अनुसार, 60-79 वर्ष की बी.पी.एल. विधवाएं एवं 60-79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्तजन को इ.गा.रा.वृ.पें.यो. से हटा दिया था तथा उनको अन्य

योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिया गया था। मार्च 2015 की स्थिति में, इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत राज्य में 14.37 लाख हितग्राही थे।

जून 1996 से 65 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को राज्यांश से अतिरिक्त सहायता ₹ 75 प्रतिमाह का लाभ दिया जाना था। तथापि, अतिरिक्त लाभ हेतु आयु मानदण्ड अप्रैल 2013 में संशोधित कर दिया गया था एवं अब 65-79 वर्ष के आयु के हितग्राहियों को राज्यांश से अतिरिक्त सहायता ₹ 75 प्रतिमाह का लाभ दिया जाता है।

2.4.8 foRrh; i xdku

2-4-8-1 ctV iko/kku , oa 0; ;

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय rkfydk& 2 में दिए गए हैं।

rkfydk&2% 2010&11 l s 2014&15 rd ds b-xk-jk-o-i; ks ds ctV vkoWu , oa 0; ; A
~~₹ djkm+e#~~

o"z	ey ctV	vuqj d ctV	i qofu; kst u @l ei zk	dy ctV	dy 0; ;	ey ctV ds l nHkZ ea cpr %&%@ vkf/kD; %\$%#
2010-11	336.45	0.00	-67.59	268.86	269.90	-66.55
2011-12	313.99	0.00	-5.62	308.37	303.36	-10.63
2012-13	380.95	57.87	-1.38	437.44	429.74	48.79
2013-14	433.20	7.97	-113.19	327.98	327.02	-106.18
2014-15	452.33	0.00	-79.14	373.19	364.41	-87.92
; ksx	1,916.92	65.84	-266.92	1,715.84	1694.43	-222.49

¼ ks% foLrr fofu; ks y\$kk%

rkfydk&2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के ₹ 1,916.92 करोड़ बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,694.43 करोड़ उपयोग कर सकी। ₹ 222.49 की बचत कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान अभीष्ट उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग नहीं किए जा सके।

2-4-8-2 b-xk-jk-o-i; ks ds vr xir Hkkjr ljdkj }kjk ink; jkf'k dk jkT; k k ea mi; ksx fd; k tkuk

b-xk-jk-o-i; ks
 vUrxir ink;
 Hkkjr ljdkj dh
 fuf/k ₹ 1-65
 djkm+ dk mi; ksx
 jkT; kd k ea fd; k
 x; k Fkk

इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राहियों को पेंशन ₹ 275 प्रतिमाह थी। प्रतिमाह ₹ 200 की राशि केन्द्रांश से एवं अतिरिक्त राशि ₹ 75 प्रतिमाह राज्यांश से दी जानी थी।

14 चयनित जिलों में से 6 जिलों³ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के 2.20 लाख हितग्राहियों को माह अक्टूबर 2013 से फरवरी 2015 तक राज्यांश की राशि ₹ 1.65 करोड़ भारत सरकार की निधि से वितरित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि राशि के समायोजन के पश्चात संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जाएंगे। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अन्तर्गत अक्टूबर 2015 से पेंशन पोर्टल पर ₹ 200 केन्द्रांश एवं ₹ 75 राज्यांश का पृथक आहरण के लिए प्रणाली तैयार की गई थी।

³ भोपाल में 0.88 लाख हितग्राहियों को ₹ 66.23 लाख, डिंडोरी में 0.09 लाख हितग्राहियों को ₹ 6.92 लाख, झाबुआ में 0.21 लाख हितग्राहियों को ₹ 15.27 लाख, कटनी में 0.45 लाख हितग्राहियों के ₹ 33.95 लाख, शहडोल में 0.24 लाख हितग्राहियों के ₹ 18.30 लाख एवं उज्जैन में 0.33 लाख हितग्राहियों को ₹ 24.19 लाख

2-4-8-3 fuf/k; ka dk 0; i orLu

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 4.4 (जी) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के साथ जारी होगी कि राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 14 चयनित जिलों में से चार जिलों में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदाय राशि ₹ 4.96 करोड़⁴ का उपयोग स.सा.सु.पें.यो. में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

b-x-jk-o-i s; ks
vllrxlr Hkkjr
l jdkj }kjk ink;
₹ 4-96 djkm+ dk
0; i orLu l-l k-l qis
; kstuk ea fd; k x; k
Fkk

2.4.9 dk; Øe fØ; kko; u

2-4-9-1 b-xk-jk-o-i s; ks vllrxlr vkondka dh ik=rk dh tkp ea deh

दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की, चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत 5,338 स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान 315 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए। आवश्यक दस्तावेज (यथा जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. की मार्गदर्शिका के अन्तर्गत आवश्यक सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विवरण i f j f ' k " V & 2-47 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले में जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर विसंगतियां पाई गईं तो, उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuqkd k

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-9-2 b-xk-jk-o-i s; ks ds ik= fgrxkfg; ka dks i s ku i l r u gkuk

सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ प्रदाय करने हेतु नवम्बर 2014 में डोर-टू-डोर सर्वे किया गया था। यह सर्वे ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी द्वारा किया गया था, जिसमें मौजूदा हितग्राहियों का सत्यापन किया गया था तथा नए हितग्राही जोड़े गए थे। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची समग्र पोर्टल पर नगरीय स्थानीय निकाय/जनपद पंचायतों द्वारा अपलोड की गई थी।

समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.वृ.पें.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के 14.37 लाख हितग्राही थे, राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 20 वर्ष के बाद भी पात्र जनसंख्या का बड़ा अनुपात (53 प्रतिशत) योजना अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु शेष था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्ट्या (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया

⁴ उप संचालक सामाजिक न्याय, शिवपुरी-₹ 100.00 लाख, आयुक्त नगर निगम उज्जैन-₹ 134.30 लाख, मु.का.अ. जिला पंचायत डिंडोरी-₹ 18.40 लाख, मु.का.अ. जिला पंचायत भोपाल-₹ 240.00 लाख, मु.का.अ. जनपद पंचायत फंदा (भोपाल)-₹ 0.72 लाख एवं मु.का.अ. जनपद पंचायत बैरसिया (भोपाल)-₹ 2.50 लाख

था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जाँच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

वृद्धता

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

**2-4-9-3 ब-ख-ज-क-0-1; कः वल्ल-ख-र 60&79 0%ल वः; ग दः एकःतःनक गःर-ख-क-गः; कः दःकः
ब-ख-ज-क-फ-0-1; कः र-फ-क ब-ख-ज-क-फ-0-1; कः एः ल-फ-क-क-र-फ-ज-र द-ज-क**

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश (नवम्बर 2012) के अनुसार, इ.गा.रा.वृ.पें.यो., इ.गा.रा.वि.पें.यो. तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. में हितग्राहियों के पात्रता मानदण्डों को संशोधित किया गया था। संशोधित मानदण्डों के अनुसार, आयु 60-79 वर्ष के बी.पी.एल. व्यक्तियों को (बी.पी.एल. विधवाएं एवं गंभीर एवं बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्ति को छोड़कर) इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही दिया जाता है। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही की गई और हितग्राहियों की आयु 40-59 वर्ष से संशोधित कर 40-79 वर्ष की गई। इसी प्रकार, इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही की गई और हितग्राहियों की आयु 18-59 वर्ष से संशोधित कर 18-79 वर्ष की गई।

संशोधित मानदंड के मद्देनजर, सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में आयु वर्ग 60-79 वर्ष के मौजूदा हितग्राहियों में से विधवा और निःशक्त व्यक्ति जो इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो अन्तर्गत संशोधित मानदंड को पूर्ण करते हो, को चिन्हित कर, उन्हें संबंधित पेंशन योजनाओं में स्थानान्तरित किया जाए। संशोधित मानदण्डों का कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2012 से लागू होना था।

हमने पाया कि चयनित जिलों में वर्ष नवम्बर 2012-मार्च 2015 की अवधि के लिए पात्र विधवा और निःशक्त व्यक्तियों जो उपरोक्त संशोधित पात्रता मानदण्डों को पूर्ति कर रहे थे, का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। इस प्रकार इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. के पात्र हितग्राहियों को इ.गा.रा.वृ.पें.यो. (₹ 200 प्रतिमाह) के संदर्भ में उच्चतर पेंशन (₹ 300 प्रतिमाह) से वंचित रखा गया।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक द्वारा बताया गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के मौजूदा हितग्राहियों जिनकी आयु 60-79 वर्ष थी, में इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. के अन्तर्गत विधवा एवं निःशक्त व्यक्ति जो संशोधित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति कर रहे थे को संबंधित पेंशन योजनाओं में 01 अप्रैल 2015 से स्थानान्तरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संशोधित मानदंड अक्टूबर-2012 से क्रियान्वित किए जाने थे।

ब-ख-ज-क-ख-क-1; व-क-क-1; कः कु ; कःतःक-क-क-फ-0-1; कः/2

इ.गा.रा.वि.पें.यो. मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत आयु वर्ग 40 से 59 वर्ष के बी.पी.एल. विधवा हितग्राही अप्रैल 2009 से ₹ 200 प्रतिमाह केन्द्रीय सहायता के पात्र थे। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 1 अक्टूबर 2012 से पेंशन दर ₹ 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह की गई तथा हितग्राहियों की आयु की पात्रता 40-59 वर्ष से संशोधित कर 40-79 वर्ष की गई थी। मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत 4.81 लाख हितग्राही थे।

2.4.10 foRrh; iɔɔku

2-4-10-1 ctV iko/kku , oa 0; ;

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो के वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय rkfydk&3 में दिए गए हैं।

rkfydk&3% 2010&11 l s 2014&15 rd ds b-xk-jk-fo-i s; ks ds ctV vko&u , oa 0; ;
 % djkM+ e&h

o"kl	ey ctV	vuqjd ctV	i qfo; kstu @l ei zk	dy ctV	dy 0; ;	ey ctV ds l nHk es cpr %&%@ vkf/kD; %\$%
2010-11	40.79	2.49	-2.51	40.77	39.84	-0.95
2011-12	45.20	0.00	-2.32	42.88	45.06	-0.14
2012-13	36.00	36.00	-3.17	68.83	72.41	36.41
2013-14	129.60	4.00	-20.41	113.19	113.28	-16.32
2014-15	134.29	0.00	-11.20	123.09	120.99	-13.30
; ksx	385.88	42.49	-39.61	388.76	391.58	5.70

% ks-% foLr r fofu; ksx ys[k&

2-4-10-2 fuf/k; ka dk 0; i orLu

रा.सा.स.का. की दिशानिर्देश की कंडिका 4.4 (जी.) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के अधीन जारी होगी कि राज्य सरकार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।

नगर निगम, उज्जैन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत उपलब्ध कराये गए ₹ 90.40 लाख वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में का स.सा.सु.पें.यो. में उपयोग किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2.4.11 dk; Øe dk; kbo; u

2-4-11-1 b-xk-jk-fo-i s; ks ds vllrxr vkondka dh ik=rk dh tkp es deli

संबंधित दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार इ.गा.रा.वि.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के 3,280 आवेदन पत्रों की संवीक्षा के दौरान, 390 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए आवश्यक दस्तावेज (यथा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विवरण i f j f ' k " V & 2-47 में है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले की जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियाँ पाई गईं तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuqkd k

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

b-x-jk-fo-i s; ks
 vllrxr Hkkjr
 ljdkj }kjk ink;
 jkf'k ₹ 90-40 yk[k
 dk mi; ksx l-l k-l q
 is ; kstuk ea fd; k
 x; k Fkk

b-x-jk-fo-i s; ks
 vllrxr 3280
 ueuk tkp fd,
 x, idku Lohdfr
 ds idj.kks ea l s
 390 vkonuka dh
 tkp viwz ikbz
 xbl

2-4-11-2 रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 3.1.3 के अनुसार, विधवाओं के प्रकरण में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य एक राजस्व प्राधिकारी मनोनीत करेगा। राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकारियों द्वारा विवाहित पुरुषों के लिए जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी जीवित पत्नी (विधवा) का नाम दर्ज होना अति आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया था कि इ.गा.रा.वि.पें.यो. के लिए सुपात्र महिला अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम नहीं होना था।

हमने देखा कि राज्य ने विवाहित पुरुषों के मृत्यु प्रमाण पत्र में जीवित पत्नी (विधवा) का नाम दर्ज करने की सुनिश्चितता हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी मनोनीत नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया कि पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधान उपरोक्त आदेशानुसार नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र (भारत के महापंजीयक की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसार) में मृतक के पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करने का प्रावधान है।

2-4-11-3 b-xk-jk-fo-i s; ks ds ik= fgrxkfg; ka dks i s ku i klr u gkuk

पूर्व कंडिका 2.4.9.2 में चर्चा अनुसार, समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किये गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 1.70 लाख व्यक्ति थे जो इ.गा.रा.वि.पें.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के 4.81 लाख हितग्राही थे, योजना अंतर्गत वंचित जनसंख्या कुल पात्र व्यक्तियों की 26 प्रतिशत थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्टया (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

vuqkd k

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

2-4-11-4 fgrxkfg; ka dks i s ku dk de Hkxrkku

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर, 2012) के अनुसार, इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 01.10.2012 से पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 रुपये प्रतिमाह कर दी थी, जबकि राज्य द्वारा उपर्युक्त पेंशन की दरें 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थीं।

हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक हितग्राहियों को पुरानी दर से पेंशन का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 4.88 लाख हितग्राहियों को राशि ₹ 4.88 करोड़ का कम भुगतान किया गया, विवरण i f j f ' k " V & 2-48 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012-13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया था।

b-x-jk-fo-i s; ks
vUrxkr ₹ 4-88
djkm+ dk de
Hkxrkku fd; k x; k

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर-2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट प्रावधान करने की आवश्यकता थी।

bfnj k xk/kh jk"Vh; fu%kDr i s ku ; kstuk %b-xk-jk-fu-i s; ks½

इ.गा.रा.नि.पें.यो. मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत आयु वर्ग 18-59 वर्ष के गम्भीर या बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्तियों को अप्रैल 2009 से ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही केन्द्रीय सहायता प्रदाय की जानी थी। निःशक्तता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। इ.गा.रा.नि.पें.यो. के अन्तर्गत 01 अक्टूबर 2012 से पेंशन दर ₹ 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह कर दी गई थी तथा हितग्राहियों की पात्रता आयु 18-59 वर्ष से संशोधित कर 18-79 वर्ष कर दी गई थी। मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 0.98 लाख हितग्राही थे।

2.4.12 foRrh; i c/ku

2-4-12-1 ctV i ko/kku , oa 0; ;

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य में इ.गा.रा.नि.पें.यो. के वर्ष वार आवंटन एवं व्यय नीचे rkfydk&4 में दिए गए हैं:

rkfydk&4% o"z 2010&11 l s 2014&15 rd b-xk-jk-fu-i s; ksdk ctV , oa 0; ;

dkjkm, e#

o"z	ey ctV	vuij d ctV	i qofou; kstu@ l ei zk	dy ; kx	dy 0; ;	ey ctV ds l nHkz ea es cpr %&½ @vkf/kD; %\$½
2010-11	32.25	4.30	-5.46	31.09	31.14	-1.11
2011-12	28.92	0.00	-1.25	27.67	33.46	4.54
2012-13	26.00	20.00	-2.34	43.66	42.90	16.90
2013-14	55.80	0.00	-23.50	32.30	33.60	-22.20
2014-15	57.68	0.00	-26.42	31.26	35.18	-22.50
; kx	200-65	24-30	&58-97	165-98	176-28	&24-37

¼ ks=&foLrr fofu; kx y\$½

Rkfydk&4 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इ.गा.रा.नि.पें.यो. के ₹ 200.65 करोड़ बजट प्रावधान में से ₹ 176.28 करोड़ का उपयोग कर सकी। ₹ 24.37 करोड़ की बचत कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान को अभीष्ट उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग नहीं किए जा सका।

2-4-12-2 fuf/k; ka dk 0; i orL

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश की कंडिका 4.4 (जी.) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के अधीन जारी होगी कि राज्य सरकार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।

नगर निगम, उज्जैन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक भारत सरकार द्वारा इ.गा.रा.नि.पें.यो. अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधि ₹ 62.72 लाख का उपयोग स.सा.सु.पें.यो. में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

b-x-jk-fu-i s; ks
vLrxr Hkkjr
l jdkj }kjk ink;
jkf' k ₹ 62-72 yk[k
dk 0; i orL l -l k-
l qi s; ks ea fd; k
x; k

2.4.13 dk; Øe dk; kllø; u**2-4-13-1 b-xk-jk-fu-i ; k; ds vllrxr vkondk dh ik=rk dh tkp e del**

दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार, रा.सा.स.का. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.ग.रा.नि.पें.यो. के 1,239 स्वीकृत प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान, 361 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अधूरे पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (यथा निःशक्तता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची तथा सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, पेंशन प्रकरण की जांच अपूर्ण थी, जिसका विवरण i fjf' k"V&2-47 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले में जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियां पाई जाती हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuq kd k

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.नि.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-13-2 b-xk-jk-fu-i ; k; ds ik= fgrxtfg; k dks i s ku i klr u gkuk

जैसा कि पूर्व कंडिका 2.4.9.2 में चर्चा अनुसार, समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किये गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 12,159 व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.नि.पें.यो. हेतु पात्र थे, लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्ट्या (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

vuq kd k

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

2-4-13-3 fgrxtfg; k dks i s ku dk de Hkqrku

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर, 2012), के अनुसार जारी इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 01.10.2012 से पेंशन दर ₹ 200 से बढ़कर ₹ 300 रुपये प्रतिमाह कर दी थी जबकि राज्य द्वारा उपर्युक्त पेंशन की दरें 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थीं।

हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक हितग्राहियों को पुरानी दर से पेंशन का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियों को राशि ₹ 2.02 करोड़ का कम भुगतान किया गया विवरण i fjf' k"V&4-48 में दर्शाया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012-13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया था।

b-xk-jk-fu-i ; k; s
vllrxr ₹ 2-02
djkm+ dk de
Hkqrku gqvk

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर 2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट में प्रावधान कर देने चाहिए थे।

2-4-14 foRrh; i xdku

रा.प.स.यो. मध्य प्रदेश में अगस्त 1995 से कार्यान्वित की गई थी। रा.प.स.यो. अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के मुख्य पालनकर्ता सदस्य (पुरुष या महिला) जिसकी आयु 18-64 हो, की मृत्यु होने पर ₹ 10,000 एकमुश्त केन्द्रीय सहायता शोकसंतप्त परिवार को प्रदान की जाना थी। मृतक परिवार के उस जीवित सदस्य को जो, स्थानीय पूछताछ के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया गया था, को सहायता का भुगतान किया जाना था। 18.10.2012 से पात्रता आयु भी 18-64 के स्थान पर संशोधित कर 18-59 वर्ष कर दी गई एवं एकमुश्त सहायता राशि ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 20,000 की गई। 2010-11 से 2014-15 के दौरान रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 1.95 लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ था।

2-4-14 foRrh; i xdku

2-4-14-1 ctV i to/kku , oa 0; ;

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य में रा.प.स.यो के वर्ष वार बजट आवंटन एवं व्यय नीचे rkfydk&5 में दिए गए हैं:

rkfydk&5% o"kl 2010&11 l s 2014&15 rd jk-i-l -; ks ds o"kbkj vko&u , oa 0; ;

ks ds o"kbkj vko&u , oa 0; ;

o"kl	ey ctV	vuijd ctV	i pofou; kstu@ l ei zk	dy ; ks	dy 0; ;	ey ctV ds l nHk ea cpr %&1/2@v kf/kD; %\$1/2
2010-11	57.25	2.00	-8.61	50.63	55.12	-2.13
2011-12	51.24	0.00	-1.98	49.26	49.39	-1.85
2012-13	40.00	9.00	-0.48	48.52	48.80	8.80
2013-14	96.27	0.82	-73.35	23.74	24.59	-71.68
2014-15	100.23	0.00	-61.33	38.90	39.17	-61.06
; ks	344.99	11.82	&145.76	211.05	217.07	&127.92

ks ds o"kbkj vko&u , oa 0; ;

Rkfydk&5 से स्पष्ट है कि 2010-15 के दौरान रा.प.स.यो. मूल बजट प्रावधान ₹ 344.99 करोड़ में से ₹ 217.07 करोड़ का व्यय किया गया था। यह कमजोर बजट निर्माण का सूचक है।

2-4-15 dk; Øe dk; kJo; u

2-4-15-1 jk-i-l -; ks ds vllrxr vkondka dh ik=rk dh tkp ea deh

दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार ही रा.प.स.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में रा.प.स.यो. के 249 स्वीकृत आवेदन पत्रों की संवीक्षा के दौरान 108 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (यथा मृतक का जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गए थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। विवरण i jf'k"V&2-47 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले की जनपद/स्थानीय निकाय में विसंगति पाई जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vud kd k

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को सहायता स्वीकृत करने में रा.प.स.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-15-2 jk-i-l -; ks vllrxr fgrxtfg; ka dks ykth dk de Hkqrku

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर, 2012) के अनुसार, रा.प.स.यो. अन्तर्गत 18.10.2012 से सहायता दर ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 20,000 की गई थी। तथापि राज्य द्वारा उपरोक्त सहायता 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थी।

हमने देखा कि जनवरी 2013 से मार्च 2013 (ifjfk"V&2-48), के दौरान हितग्राहियों को पुरानी दर से सहायता का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रा.प.स.यो. अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियों को राशि ₹ 9.10 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012-13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर 2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट में प्रावधान कर देने चाहिए थे।

2-4-16 jk"Vh; l kekftd l gk; rk dk; Øe ds dk; kWo; u dk vuoph{k.k , oa eW; kdu

2-4-16-1 jkT; Lrjh; l fefr

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 6.1.2 के अनुसार राज्य स्तरीय समिति का प्रमुख, मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे जो कार्यक्रम और उससे संबंधित मामलों के कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य स्तरीय समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना चाहिए। तथापि, राज्य स्तर पर इस तरह की समिति गठित नहीं की गई थी एवं अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि राज्य स्तरीय समिति को गठित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-16-2 ftyk Lrjh; l fefr

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 6.1.3 के अनुसार कपटपूर्ण प्रकरणों, हितग्राहियों के गलत चयन इत्यादि से बचने के लिए जिले के अंदर कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाए। समिति की नियमित रूप से बैठक होना चाहिए। उन्हें अपनी रिपोर्ट राज्य नोडल विभाग को मासिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

हमने पाया कि नमूना जांच किए गए जिलों में, जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, जिला स्तर पर रा.सा.स.का. के कार्यान्वयन हेतु यथोचित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति को गठित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

jk-i-l -; ks
vllrxr ₹ 9-10
dk de
Hkqrku fd; k
x; k Fkk

jk-l k-l -dk- ds
i; bsk.k , oa
vuoph{k.k grq jkT;
Lrjh; l fefr dk
xBu ugha fd; k
x; k Fkk

ftyk Lrjh;
l fefr dk xBu
ugha fd; k x; k
Fkk

वृत्त

रा.सा.स.का. के पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के लिए राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर बैठक होना चाहिए।

2-4-16-3 / लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा
के लिए
लेखापरीक्षा
लेखापरीक्षा
लेखापरीक्षा

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश का पैरा 6.10 के अनुसार, रा.सा.स.का. के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण में 'सामाजिक लेखापरीक्षा' आवश्यक थी। सामाजिक लेखापरीक्षा हितग्राहियों की शिकायतों का निवारण के साथ ही न केवल योजनाओं को परिष्कृत करती है बल्कि पारदर्शिता और दायित्व को भी बढ़ाती है। रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा, ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा के कार्यवृत्त, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित अभिलिखित कर जिला अधिकारी को भेजे जाएंगे।

यह पाया गया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान नमूना जांच किये गए जिलों में ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता, दायित्व बढ़ाने तथा हितग्राहियों की शिकायतों का निवारण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए समस्त कलेक्टरों को पत्र जुलाई-2015 में लिख दिया गया था।

वृत्त

विभाग को रा.सा.स.का. के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने राज्य में निवासरत व्यक्तियों के लिए स.सा.सु.पें.यो. वर्ष 1981 से कार्यान्वित की। योजना अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, स.सा.सु.पें.यो. अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र है। हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 150 रुपये प्रदाय किये जाते हैं।

स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, निराश्रित को परिभाषित किया गया जो-व्यक्ति बेसहारा हो तथा जीविका के लिए क्षमता खो चुका हो या उनके पास भूमि न हो या निर्वाह के लिए पर्याप्त आय न हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित व्यक्ति को भूमिहीन⁵ तथा असहाय होना चाहिए।

स.सा.सु.पें.यो. के विभिन्न मापदण्डों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मु.का.अ., जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम, सी.एम.ओ नगर पालिका पेंशन स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं। मार्च 2015 की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत 8.64 लाख हितग्राही थे।

⁵ भूमिहीन का अर्थ है कि व्यक्ति जिसके पास एक हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि या आधा हेक्टेयर सिंचित भूमि हो

2-4-17 foRrh; i cdku

2-4-17-1 ctV iko/kku , oa 0; ;

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य में स.सा.स.पें.यो. के वर्षवार बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी नीचे rkfydk&6 में दिए गए हैं:

rkfydk&6% o"kz 2010&11 l s 2014&15 rd l-l k-l qis; ks dk o"kbkj ctV , oa 0; ;

₹ djkM+e%

o"kz	ey ctV	vujjd ctV	i pfofu; kstu@ l eizk	dy ; ks	dy 0; ;	ey ctV ds l nhkz es cpr %&½@v kf/kD; %\$½
2010-11	310.00	43.45	-82.96	270.49	269.32	-40.68
2011-12	281.22	0.00	-22.99	258.23	253.84	-27.38
2012-13	304.38	0.00	-19.76	284.62	294.40	-9.98
2013-14	341.63	0.00	-184.20	157.43	154.68	-186.95
2014-15	310.45	0.00	-182.96	127.49	137.71	-175.74
; ks	1]547-68	43-45	&492-87	1]098-26	1]106-95	&440-73

¼ ks=&foLrr fofu; ks ys[kkz

Rkfydk&6 से स्पष्ट है कि पांच वर्षों 2010-2015 के दौरान ₹ 440.73 करोड़ की बचत थी, जो मूल बजट ₹ 1547.68 करोड़ का 28.48 प्रतिशत थी। यह कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान अभीष्ट उद्देश्य हेतु वितरित नहीं किया जा सका।

2-4-18 dk; Øe dk; kko; u

2-4-18-1 l-l k-l qis; ks ds vllrxir vkondka dh ik=rk dh tkp es del

l-l k-l qis; ks
vllrxir 32]984
tkp fd, x;s
idj.kka ea l s 2]152
vik= ik; s x; s

दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार स.सा.सु.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में स.सा.सु.पें.यो. के आवेदनों की नमूना जाँच के दौरान 32,984 प्रकरणों में से 2,152 हितग्राहियों के आवेदन अपूर्ण पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (निराश्रित एवं भूमिहीन का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निशक्तता प्रमाण पत्र एवं स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन पत्रों के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति के लिए दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। विवरण i f j f ' k " V & 2-47 में दिया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी जिले की जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuqkd k

विभाग द्वारा वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-19 vkUrfjd fu; æ.k izkkyh

2-4-19-1 foHkkxh; fujh{k.k , oa vkUrfjd ys{kk ijh{k

विभाग की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विभाग की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभागीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त संभागीय/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण होना है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई नहीं थी। 14 चयनित जिलों में, अवधि 2010-15 के दौरान निरीक्षण के लिए न तो रोस्टर तैयार किया गया था न ही निरीक्षण किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि निरीक्षण का रोस्टर प्रतिवर्ष तैयार किया जाता था एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों का निपटान करने के लिए मौखिक निर्देश जारी किये गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान निरीक्षण नहीं किए गए।

2-4-20 fu"d"kl , oa vuq kd k, a

- इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65-79 आयु वर्ग में ₹ 200 प्रतिमाह के विरुद्ध रा.सा.स.का. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹ 75 को छोड़कर अनुरूप अंश का योगदान नहीं किया गया। जिला/जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों में विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि ₹ 30.24 करोड़ अव्ययित पड़ी थी।

- रा.सा.स.का. के अंतर्गत मौजूदा हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन नहीं किया गया था। दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किये बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों के अनुसार हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा किया जाना चाहिए। विभाग वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

- रा.सा.स.का./स.सा.सु.पें.यो. अंतर्गत पेंशन का भुगतान देय तिथि से 1 से 16 माह विलम्ब से किया गया था। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर बैंक खाता विवरण गलत अपलोड करने से पेंशन ₹ 1.32 करोड़ अवितरित थे।

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत 16.16 लाख व्यक्ति, इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत 1.70 लाख व्यक्ति तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. अंतर्गत 0.12 लाख व्यक्ति थे जो संबंधित पेंशन योजनाओं हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, पात्र जनसंख्या का बड़ा अनुपात योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु शेष था।

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

- पेंशन की बढ़ी हुई दर का विलम्ब से कार्यान्वयन किए जाने के कारण, इ.गा.रा. वि.पें.यो., इ.गा.रा.नि.पें.यो. तथा रा.प.स.यो. के अन्तर्गत अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच पेंशनर्स को कम भुगतान किया गया था।

- योजनाओं के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया।

पेंशन योजना के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा नियमित अंतराल पर बैठक होना चाहिए।

- 2010-15 के दौरान रा.सा.स.का. की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता, दायित्व बढ़ाने तथा हितग्राहियों के शिकायतों का निवारण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

विभाग को पेंशन योजनाओं का मानदण्डों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

- स.सा.सु.पें.यो के दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किये बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई नहीं थी। चयनित जिलों में, 2010-15 के दौरान न तो निरीक्षण हेतु रोस्टर बनाये गए थे, न ही निरीक्षण किए गए थे।

विभाग द्वारा वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में स.सा.सु.पें.यो के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

mPp f'k{kk foHkkx

2.5 fo'ofok |ky; ea foRrh; iadku rFkk futh egkfo |ky; ka dh l Ec) rk

dk; i kyu l kjk k

उपाधि प्रदाय करने या देने का अधिकार एक केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित या स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय विभिन्न शिक्षा संकायों के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इत्यादि की शिक्षा प्रदाय करते हैं। विश्वविद्यालय के संशाधनों में इसके स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां, राज्य शासन से अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) तथा अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से अनुदान सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर 2010-11 से 2014-15 की अवधि को शामिल करते हुये निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

thokth fo'ofok |ky;] Xokfy; j

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-6-1)

- विश्वविद्यालय ने वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के अनुसार वार्षिक लेखे शासन को नहीं भेजे गए थे।

(dfMdk 2-5-6-1 , oa 2-5-6-1½)

- हमने देखा कि विश्वविद्यालय यू.जी.सी. एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान ₹ 13.17 करोड़ में से ₹ 4.13 करोड़ का उपयोग नहीं कर सका। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपयोग किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र यू.जी.सी. को नहीं भेजे गए थे।

(dfMdk 2-5-6-2 ii)

- रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप ₹ 4.80 करोड़ का मिलान न किया हुआ अंतर था।

(dfMdk 2-5-6-3)

- स्ववित्त पाठ्यक्रम (एस.एफ.सी.) विनियम की आवश्यकतानुसार, एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाना था। हमने देखा कि 2010-15 के दौरान एस.एफ.सी. के विरुद्ध ₹ 8.08 करोड़ की देयताओं में से ₹ 3.82 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त नहीं हुए थे।

(dfMdk 2-5-6-4)

- यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 संशोधित 2012 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व महाविद्यालयों द्वारा संकाय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधायें, नागरिक सुविधायें इत्यादि के संबंध में निर्धारित मानकों की पूर्ति किया जाना है। हमने देखा कि निजी महाविद्यालयों को अधोसंरचना में कमियों का निवारण सुनिश्चित किए बिना सशर्त सम्बद्धता अनुवर्ती वर्षों में बार बार दी गई। 74 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के विरुद्ध राशि ₹ 1.19 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dfMdk 2-5-6-5 ½, oa 2-5-6-5 ½)

noh vfgY; k fo' ofo | ky;] blinkj

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे, जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-7-1)

- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा उद्देश्य के लिए प्रदाय किए गए ₹ 7.06 करोड़ के 27 वर्षों तक के अग्रिम असमायोजित पड़े थे। इसके अतिरिक्त लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-5-7-2 (i))

- 2008-15 के दौरान यू.जी.सी. तथा अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त ₹ 8.79 करोड़ की उपलब्ध निधि में से विश्वविद्यालय ने ₹ 4.06 करोड़ उपयोग किये। निधियों का उपयोग समय पर न होने तथा अव्ययित राशि के कारण अनुगामी अनुदान जारी नहीं किए गए।

(dfMdk 2-5-7-2 (ii))

- हमने देखा कि 2010-14 के दौरान एस.एफ.सी. की आय के 20 प्रतिशत के विरुद्ध ₹ 39.53 करोड़ की देयताओं में से ₹ 14.79 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त नहीं हुए थे।

(dfMdk 2-5-7-4)

- निजी महाविद्यालयों को पूर्व की कमियों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना अनुवर्ती/अनुगामी वर्षों में सशर्त सम्बद्धता बार बार दी गई। 212 सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से ₹ 5.48 करोड़ का वार्षिक सम्बद्धता शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था।

(dfMdk 2-5-7-5 ½, oa 2-5-7-5 ½)

cjdrmYyk fo' ofo | ky;] Hkks ky

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे, जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-8-1)

- ₹ 2.39 करोड़ के अग्रिम असमायोजित होने से लंबित पड़े थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-5-8-2 (i))

- मदवार व्यय के आवंटन का निर्णय विलंब (अगस्त 2014) से होने से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदाय निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। आगे यू.जी.सी. अनुदान के विरुद्ध ₹ 5.41 करोड़ के आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर न प्रस्तुत किए जाने के कारण नहीं की गई।

(dfMdk 2-5-8-2 (ii))

- 2010-15 के दौरान एस.एफ.सी.विनियम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार एस.एफ.सी.का विश्वविद्यालय अंशदान ₹ 2.94 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में अंतरित नहीं किया गया था।

(dfMdk 2-5-8-4)

- निजी संस्थाओं को पूर्व की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना अनुवर्ती/अनुगामी वर्षों में सशर्त सम्बद्धता बार बार दी गई। आगे, राशि ₹ 63.53 लाख का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dfMdk 2-5-8-5 ii, or 2-5-8-5 iii)

jkuh nqkbrh fo' ofo | ky;] tcyig

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचितदृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-9-1)

- विश्वविद्यालय ने 2013-14 के दौरान यू.जी.सी./अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान में से ₹ 3.35 करोड़ नियत जमा प्राप्तियों (एफ.डी.आर.) /सावधि जमा प्राप्तियों (टी.डी.आर.) में निवेश किए थे।

(dfMdk 2-5-9-1 ii)

- मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय अमले को विशेष उद्देश्यों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए राशि ₹ 3.21 करोड़ के अग्रिम 1999-2000 के बाद से असमायोजित रहे थे। अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-5-9-2 (i))

- रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया जा रहा था। मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़ बहियों तथा नौ खातों की बैंक विवरणियों के शेषों के मध्य ₹ 124.37 करोड़ का अंतर था।

(dfMdk 2-5-9-3)

2.5.1 iLrkouk

उपाधि प्रदान करने या देने का अधिकार एक केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत, सम्मिलित या स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से राज्य में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रगति एवं प्रसार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य करता है:

- (क) ऐसी शाखाओं में निर्देश प्रदान जैसा यह निर्धारित करे (ख) शोध तथा ज्ञान की प्रगति एवं प्रसार के लिए प्रावधान करना (ग) महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभाग तथा अध्ययन शालाओं को स्थापित, रख-रखाव तथा प्रबंधन करना (घ) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक भेद को संस्थागत करना (ङ) महाविद्यालयों तथा संस्थानों को

सम्बद्ध या मान्यता प्रदान करना एवं ऐसी संबद्धता या मान्यता को वापिस लेना (च) ऐसा शुल्क एवं अन्य प्रभार तय करना, मांग करना तथा प्राप्त करना जैसा निर्धारित हो (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण तथा अनुशासन को पर्यवेक्षित तथा नियंत्रित करना (ज) विभिन्न परीक्षाओं के लिए निर्देशों का निर्धारण तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों का निर्धारण जो परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि सम्मिलित कर सकता है।

2.5.2 | xBukRed | j puk

राज्य में विश्वविद्यालयों के कार्य प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। म.प्र. के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू परिनियमों एवं अध्यादेशों का परीक्षण करने तथा संशोधनों के सुझाव देने हेतु तथा विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समिति (सी.सी.) गठित है। कुलाधिपति समन्वय समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग सचिव होता है।

कुलाधिपति द्वारा नियुक्त कुलपति (वाइस-चांसलर) विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासनिक तथा अकादमिक अधिकारी होता है तथा जिसकी सहायता कुलसचिव, संकायों के अधिष्ठाता एवं वित्त अधिकारी द्वारा की जाती है। कार्य परिषद (ई.सी.) विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय होता है। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य होते हैं।

कुलपति की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की वित्त समिति विश्वविद्यालय के वित्त को नियंत्रित करती है। प्रमुख सचिव तथा आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग या उनके नामित व्यक्ति वित्त समिति के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वित्त मामलों के प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो, समन्वय समिति को विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग पेंशन निधि तथा विश्वविद्यालयों को भुगतान किए गए संधारण अनुदान का विनियमन तथा अनुवीक्षण करता है।

2.5.3 y[kki jh{kk ds mnns ;

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- वार्षिक बजट अनुमान/पुनरीक्षित अनुमान बनाने के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया अस्तित्व में थी तथा बजट यथार्थवादी था;
- निधियों का उपयोग मितव्ययिता से तथा कुशलता पूर्वक किया गया था, तथा नगद प्रबंधन उचित एवं कुशल था;
- निजी महाविद्यालयों की संबद्धता परिनियम के संबंधित संहितागत प्रावधानों के अनुरूप थी; तथा
- समुचित अनुवीक्षण प्रणाली स्थापित थी, एवं प्रभावशाली थी।

2.5.4 y[kki jh{kk ds ekunM

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए थे:

- म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता (यू.एफ.सी.), सामान्य वित्तीय नियम 2005, वित्तीय तथा लेखाओं विनियम, 1978 तथा योजना अभिलेख;
- बजट अनुमान/पुनरीक्षित अनुमान तथा वार्षिक लेखे;
- सी.सी., ई.सी. तथा वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त;

- विश्वविद्यालयों के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
- यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देश/आदेश तथा विनियम, भारत सरकार राज्य शासन तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश छात्रवृत्ति/अध्ययतावृत्ति के दिशानिर्देश तथा विश्वविद्यालय की शुल्क संरचना;
- मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली तथा मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम; तथा
- विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित अनुवीक्षण प्रणाली।

2.5.5 विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) (सी. एवं ए.जी. का (डी.पी.सी.)) अधिनियम, 1971 की धारा 14(2) के प्रावधानों के अर्न्तगत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-11 से 2014-15 की अवधि सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 2014 तथा जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत स्थापित सात विश्वविद्यालयों में से चार (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा में समाविष्ट किए जाने हेतु सरल यादृच्छिक नमूना बिना प्रतिस्थापन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि अपना कर किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच तथा जानकारी का संग्रहण प्रमुख सचिव के कार्यालय तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी किया गया था। एक प्रवेश सम्मेलन (मार्च 2015) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ किया गया था जिसमें उन्हें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड तथा लेखापरीक्षा की कार्यविधि की व्याख्या की गई थी।

निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ 9 सितम्बर 2015 को हुआ था। विभाग के उत्तर (नवम्बर 2015) प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट कर लिए गए हैं।

विश्वविद्यालय राज्य शासन से संधारण अनुदान के रूप में तथा यू.जी.सी. एवं अन्य केन्द्र सरकार के संगठनों से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्रों से शुल्क, सम्बद्धता शुल्क, अर्थदंड, छात्रावासों तथा आवासीय भवनों की प्राप्तियों, निवेशों तथा बचत खातों से ब्याज इत्यादि के रूप में स्वयं का राजस्व प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय के व्यय विभिन्न बैंक खातों में रखे प्राप्तियों से पूर्ण किए जाते हैं। विश्वविद्यालय तथा इसके स्व-वित्त पाठ्यक्रमों (एस.एफ.सी.) के वित्त पृथक से प्रबंधित किए जाते हैं।

2.5.6 विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में की गई थी तथा विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 12 मुख्य संकाय के साथ 31 शैक्षणिक विभाग हैं जो 51 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 11 स्नातक पाठ्यक्रम, 20 एम.फिल. एवं 10 डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में कुल छात्रों की संख्या 18,450 थी। मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय से 498 महाविद्यालय सम्बद्ध थे। 2010-11 से 2013-14 की अवधि में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित

2.5.6 विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में की गई थी तथा विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 12 मुख्य संकाय के साथ 31 शैक्षणिक विभाग हैं जो 51 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 11 स्नातक पाठ्यक्रम, 20 एम.फिल. एवं 10 डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में कुल छात्रों की संख्या 18,450 थी। मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय से 498 महाविद्यालय सम्बद्ध थे। 2010-11 से 2013-14 की अवधि में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित

विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में की गई थी तथा विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 12 मुख्य संकाय के साथ 31 शैक्षणिक विभाग हैं जो 51 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 11 स्नातक पाठ्यक्रम, 20 एम.फिल. एवं 10 डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में कुल छात्रों की संख्या 18,450 थी। मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय से 498 महाविद्यालय सम्बद्ध थे। 2010-11 से 2013-14 की अवधि में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित

कर) में कुल छात्रों की संख्या क्रमशः 1.63 लाख, 1.96 लाख, 1.97 लाख तथा 2.00 लाख थी।

2.5.6.1 *Vk; rFkk 0; ;*

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24-क के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्त समिति को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तैयार करना तथा वार्षिक लेखापरीक्षा समय से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 48 के अनुसार विश्वविद्यालय को वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय निधि लेखाओं के परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम एक बार जो पंद्रह माह से अधिक के अंतराल पर न हो, कराया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना होता है जो इसे विधानसभा के पटल पर रखवाती है।

हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं के संधारण के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलना पत्रक को सम्मिलित होना चाहिए, हमने पाया कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में मात्र आय एवं व्यय लेखे सम्मिलित थे जो कि नकद आधार पर तैयार किए गए थे। उपचय आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार न किए जाने के कारण आय एवं व्यय लेखे लंबित व्यय, अग्रिम भुगतान व्यय तथा प्राप्ति योग्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वित्तीय स्थिति के सत्य एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने पाया कि वार्षिक लेखे तैयार करने तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 तक तैयार किए गए थे, जो संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षित किए गए थे। तथापि किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे शासन को राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाने हेतु नहीं भेजे गए थे।

हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं का सार विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था, जो राज्य विधानमंडल में रखे जाने हेतु शासन को भेजे गए थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखाओं को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय की अपने स्रोतों अर्थात् छात्रों से शुल्क, सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवनों का किराया तथा अन्य विविध आय से ₹ 270.61 करोड़ की आय थी। ऋण एवं अग्रिमों के शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 527.71 करोड़ की आय थी। विश्वविद्यालय ने राज्य शासन से संधारण अनुदान के रूप में भी ₹ 12.72 करोड़ तथा जी.ओ.आई. तथा अन्य निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं से ₹ 31.54 करोड़ अनुदान प्राप्त किया। विवरण i f j f ' k " V & 2-49 में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने विश्वविद्यालय में कार्यरत अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए संधारण अनुदान प्रदान किया। हमने पाया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को संधारण अनुदान आवंटन हेतु मापदंड निर्धारित करने हेतु जनवरी 2014 में एक समिति गठित की थी। तथापि संधारण अनुदान हेतु मापदंड अभी तय किए जाने थे।

2010-11 से 2014-15 की अवधि में विश्वविद्यालय का कुल व्यय, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर, ₹ 876.35 करोड़ था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय i f j f ' k " V & 2-50 में दर्शाए गए हैं।

विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखे तैयार करने से संबंधी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा तथा समन्वय समिति के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

शासन को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करने चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय विधि से तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु समय सारणी भी निर्धारित करनी चाहिए।

2.5.6.1 (i) *ctV ikDdyu@ijhfr ikDdyu rs kj djuk*

यू.एफ.सी. के नियम 142 से 150 के अनुसार विश्वविद्यालय के एफओ विश्वविद्यालय के अनुमानित आय एवं व्यय विवरणी, अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

ctV ifØ; k
dsfy, l e;
l kj .kh dk
vHkko Fkk

- वार्षिक बजट के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आय एवं व्यय (ifjf'k"V&2-51) के बीच अत्यधिक अंतर था जो कि समुचित बजट निर्माण का न होना इंगित करता है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक आय में बजट प्राक्कलनों से (-)29 से 50 प्रतिशत का अंतर था। इस अवधि में, वास्तविक की तुलना में अनुमानित व्यय में (-)28 प्रतिशत से 39 प्रतिशत का अंतर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने से संबंधित प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभाव पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने के लिए समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.5.6.1 (ii) *fuos'k*

विश्वविद्यालय ने मार्च 2015 की स्थिति में 86 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में ₹ 167.08 करोड़ का निवेश किया था। तथापि विश्वविद्यालय ने नीति जिसके आधार पर निवेश किया गया था को प्रस्तुत नहीं किया यद्यपि इसकी मांग लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी।

2.5.6.2 0; ; fu; &. k

2.5.6.2 (i) *yfcr vfxeka dk vl ek; kstu*

यू.एफ.सी. के नियम 166 से 179 कर्मचारियों के साथ-साथ संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिमों के समायोजन हेतु विनियम को निर्दिष्ट करते हैं। परियोजना अग्रिमों को छोड़कर अन्य सभी प्रदायित अग्रिमों का समायोजन एक माह के अंदर किया जाना होता है, तथा वी.सी. के विशेष आदेश द्वारा तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है परन्तु सभी लंबित अग्रिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के पूर्व समायोजित किए जाने चाहिए।

₹ 1-14 djkm+ ds
vfxæ
vl ek; kftr jgs
vfxæka dh
vkof/kd l eh{kk
ugha dh xbl Fkh

हमने पाया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए कुल ₹ 1.14 करोड़ के अग्रिम की राशि मार्च 2015 की स्थिति में

असमायोजित थी। इसमें से, ₹ 35.14 लाख के अग्रिम विश्वविद्यालय कर्मचारियों के विरुद्ध तथा ₹ 79.15 लाख विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध लंबित थे। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि यू.एफ.सी. के प्रावधानों के पालन हेतु तथा अग्रिमों की निर्धारित समयावधि के अंदर त्वरित समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन सुनिश्चित किए जाने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2.5.6.2 (ii) ; *with-1 h- rFkk Hkkjr ljdkj dh vll; fuf/k; ka ink u djus okyh l rFkkvka l s i klr fuf/k; ka dk mi ; ks u gkuk*

यू.जी.सी. की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, आवर्ती अनुदान प्रावधिक आधार पर किए गए निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा परन्तु पूंजीगत शीर्ष के लिए जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर भेजा जाना था। निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुवर्ती किशतों का प्रदाय पूर्व अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को भेजे जाने पर निर्भर करता था।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को भारत सरकार के अनुदानों को जारी किए जाने तथा उनके उपयोग का विवरण *ifj'k"V&2-52* में दर्शाया गया है। मार्च 2015 के अंत में, राशि ₹ 4.13 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं। हमने पाया कि प्राप्त निधियां उस वर्ष में उपयोग नहीं की गईं जिसके लिए वे प्रदान की गई थीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के यू.सी., यू.जी.सी. को नहीं भेजे गए थे।

आगे हमने पाया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के अंतर्गत यू.जी.सी. से ₹ 1.80 करोड़ प्राप्त हुए थे। यू.जी.सी. ने 11वीं योजना निधि की उपयोगिता अवधि 30 सितम्बर 2012 तक बढ़ा दी थी (मार्च 2012)। तथापि अतिरिक्त सहायता में से विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान ₹ 58.04 लाख स्मार्ट कक्षाओं पर व्यय किया था जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान की उपयोगिता की अनुमत्य अवधि से परे था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों के समय से उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का अधिकतम एवं समय से उपयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2.5.6.3 *jkdM+ cfg; ka rFkk c&d foofj. k; ka ds 'ks'kka dk feyku u fd; k tkuk*

परिनियम 21 का प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि एफ.ओ. को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेषों की स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में 27 बैंक खाते संधारित किए थे तथा पांच पृथक रोकड़ बहियों का संधारण किया था।

रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जांच ने उद्घाटित किया कि रोकड़ बही के आंकड़ों का बैंक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किया जा रहा था। यह पाया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों के शेषों में ₹ 4.80 करोड़ (मार्च 2014/फरवरी 2015 की स्थिति में) का अंतर था।

*Hkkjr ljdkj ds
fofHkUu l xBuka l s
i klr jkf'k ₹ 4-13
djkdM+ dh fuf/k; ka
viz, Ør jgha*

*c&d foofj. k; ka
rFkk jkdM+
cfg; ka ds 'ks'kka
ds e/; ₹ 4-80
djkdM+ dk varj
Fkk*

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों का मिलान सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों के शेषों का आवश्यक रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

2-5-6-4 लोफर; ईके; डेके डी ईके

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम चलाने का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं और रोजगार के अवसर एवं छात्रों की आवश्यकता दोनों के द्वारा विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायक होते हैं। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों से एकत्र शुल्क शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के समग्र विकास के खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अलग से वित्तीय विनियम बनाए गए हैं। अवधि 2010-15 के दौरान स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आय ₹ 40.39 करोड़¹ एवं व्यय ₹ 30.44 करोड़² था। हमने एस.एफ.सी. के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- एस.एफ.सी. विनियम 1997 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय खाते में जमा किया जाना था। हमने पाया कि एस.एफ.सी. के विरुद्ध ₹ 8.08 करोड़ के देयताओं में से 2010-15 के दौरान ₹ 3.82 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में प्राप्त नहीं किए गए थे।
- उच्च शिक्षा विभाग ने 24 पदों के सृजन की स्वीकृति (अगस्त 2010 एवं मार्च 2012) देते समय विश्वविद्यालय को एस.एफ.सी. की आय का 25 प्रतिशत या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, एफ.डी.आर. के रूप में बन्दोबस्ती निधि में जमा किए जाने के लिए निर्देशित किया था। निधियों को एस.एफ.सी. में प्रयुक्त अमले के भुगतान करने के लिए सुरक्षित रखा जाना था। तथापि 2010-15 के दौरान बन्दोबस्ती निधि के रूप में जमा किए जाने वाले ₹ 10.10 करोड़ में से मात्र ₹ 2.75 करोड़ इस निधि में रखे गए थे।
- उच्च शिक्षा विभाग ने 2010-11 एवं 2013-15 के दौरान एस.एफ.सी. की पेंशन अंशदान के विरुद्ध संधारण अनुदान में से ₹ 2.35 करोड़ की कटौती की थी। तथापि काटी गई राशि एस.एफ.सी. से प्राप्त नहीं की तथा विश्वविद्यालय निधि में जमा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान जमा करने, पेंशन अंशदान की धनराशि प्राप्त करने एवं बन्दोबस्ती निधि में आवश्यक राशि जमा करने के बारे में विभाग के आदेश का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-6-5 न्यू फुथ एग्लो/की; के डी ईके

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों का प्रवेश (सम्बद्धता) का आवेदन नए महाविद्यालय द्वारा या पूर्व से विद्यमान महाविद्यालय द्वारा नए विषय/संकाय/स्नातकोत्तर कक्षाओं को जोड़ने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग निकाय/प्राधिकारियों के नवीन महाविद्यालयों/संकायों/पाठ्यक्रमों से प्रति वर्ष प्राप्त

¹ 2010-11 ₹ 7.25 करोड़, 2011-12 ₹ 9.15 करोड़, 2012-13 ₹ 6.40 करोड़, 2013-14 ₹ 7.77 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 9.82 करोड़।

² 2010-11 ₹ 4.58 करोड़, 2011-12 ₹ 5.98 करोड़, 2012-13 ₹ 3.12 करोड़, 2013-14 ₹ 11.35 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 5.41 करोड़।

fo' ofo | ky; }kj k
, l -, Q-l h- l s
j k f' k ₹ 13-52
d j k M+ dk v d k n k u
i k l r u g h a f d ; k
x ; k F k k

आवेदनों पर अनिवार्य शर्तों की पूर्ति जैसे-भूमि की निर्धारित क्षेत्रफल की उपलब्धता, भवन एवं संकाय इत्यादि के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्रदान करता है। यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम, 2009 संशोधित 2012, के प्रावधानानुसार अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानक यथा शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं इत्यादि पूर्ण किया जाना है।

संस्थान/महाविद्यालय द्वारा कुलसचिव को सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरीक्षण समिति के गठन हेतु विद्या परिषद की स्थायी समिति को भेजा जाता है। समिति की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर, विद्या परिषद आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु कार्य परिषद को उचित अनुशंसा करेगी। कार्य परिषद स्थायी अथवा सीमित अवधि के लिए संबद्धता प्रदान कर सकती है तथा शर्तों को पूर्ण किया जाना तथा शर्तों को पूर्ण किये जाने का समय तथा तरीका प्रस्तावित कर सकती है। संस्थान जिन्हें सशर्त संबद्धता दी गई है, अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेखाओं की जांच से परिलक्षित हुआ कि जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 449 निजी संबद्ध महाविद्यालय थे। 28 निजी संबद्ध संस्थाएं जिन्हें 2010-11 से 2014-15 के दौरान सम्बद्धता प्रदान की गयी थी, के अभिलेखाओं की नमूना जांच से परिलक्षित हुआ कि:

- यू.जी.सी. विनियम के अन्तर्गत आवश्यक उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से एक अभियन्ता सभी 28 मामलों में निरीक्षण दल में सम्मिलित नहीं थे।
- सशर्त सम्बद्धता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय ने इन महाविद्यालयों/संस्थाओं को निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई आवश्यक अधोसंरचना सुविधाएं तथा शिक्षकों की भर्ती की पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए थे। तथापि संस्थाओं द्वारा सशर्त सम्बद्धता का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही विश्वविद्यालय ने सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की। आगे यह भी देखा गया कि उत्तरवर्ती वर्षों में उन्हीं संस्थाओं को सशर्त सम्बद्धता, पूर्व के निरीक्षण दलों द्वारा इंगित की गई कमियों के बिना निवारण सुनिश्चित किए प्रदान की गई।

कुलसचिव ने बताया (अप्रैल 2015) कि छात्रों के हित में सम्बद्धता दी गई थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत (अक्टूबर 2015) जानकारी के अनुसार, निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण विभाग के फरवरी तथा अक्टूबर 2014 के निर्देश के पालन में किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, 27 निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों की एन.ओ.सी. वापस ली गई थी तथा आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 10 निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पर शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

वृद्ध क

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति हेतु निरीक्षण तंत्र विकसित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

2.5.6.5 (ii) *jkf'k ₹ 1-19 djkm+ dh l Ec) rk 'kq'd dh ol iyh u gkuk*

परिनियम 27 की कंडिका 13(3) के प्रावधान की आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष 31 जुलाई तक निर्धारित वार्षिक सम्बद्धता शुल्क का भुगतान करेगी। शुल्क जमा में देरी होने की स्थिति में महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता वापस ली जा सकती है, यद्यपि कुलपति निर्धारित तिथि से तीन माह की अवधि में आवश्यक शुल्क के भुगतान किए जाने की

27 futh l Ec}
egkfo | ky; ka dh
, uvk h okil yh
xbz Fkh rFkk 10 futh
l Ec} egkfo | ky; ka
ea i os'k ij ifrcdk
yxk; k x; k Fkk

अनुमति आवश्यक शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त राशि के साथ दे सकता है।

jkf'k ₹ 1-19 djkm+
dk | Ec}rk 'ky'd
i klr ugha fd; k x; k
Fkk

सम्बद्धता शुल्क के अभिलेखाओं की जांच से उद्घाटित हुआ कि 74 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से ₹ 1.19 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क (अतिरिक्त राशि के साथ) प्राप्त नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने निर्धारित शुल्क जमा किए जाने हेतु महाविद्यालयों से कोई पत्राचार नहीं किया था।

कुलसचिव ने बताया (अप्रैल 2015) कि सम्बद्धता शुल्क की वसूली की जाएगी।

2.5.6.6 vkrfjd fu; .k rFkk | kfof/kd vuoph{k.k ra

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए) विश्वविद्यालय का लेखा परीक्षक होता है। डी.एल.एफ.ए ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अंत में, 2004-05 से 2013-14 की अवधि से संबंधित 74 कंडिकाएं निपटारे हेतु लंबित थीं। हमने आगे देखा कि विश्वविद्यालय ने ई.सी. के दिनांक 16 अगस्त 2011 के निर्णय के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन नहीं किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निपटारे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

vuq kd k

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

2.5.7 nsh vfgY; k fo' ofo | ky;] blnkj

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की स्थापना मई 1964 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार राज्य के सात जिलों में विस्तारित हैं। विश्वविद्यालय में 16 मुख्य संकाय के साथ 27 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 72 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 21 स्नातक पाठ्यक्रम, 26 एम.फिल. तथा 15 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में विद्यार्थियों की संख्या 6,992 थी। मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय के अधीन 282 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय में (संबद्ध महाविद्यालय को सम्मिलित कर) 2010-11 से 2013-14 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.81 लाख, 0.94 लाख, 0.32 लाख एवं 0.73 लाख थी।

2-5-7-1 vk; , oa 0; ;

कंडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा वर्ष 2013-14 तक तैयार किए गए थे, जिनकी संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, वार्षिक लेखाओं के संधारण के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखें तथा तुलन पत्रक को शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में मात्र आय एवं व्यय लेखे शामिल थे जो कि नगदी आधार पर तैयार किए गए थे। वार्षिक लेखाओं को उपचय आधार पर तैयार न किये जाने से, आय एवं व्यय लेखाओं में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करने एवं इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की

धारा 48 की आवश्यकता अनुसार वार्षिक लेखे शासन को नहीं भेजे गये थे। तथापि, वार्षिक लेखाओं के सार को विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जो कि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजा गया था।

2010-11 से 2014-15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 331.38 करोड़ सृजित किए थे। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 16.49 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010-15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को ₹ 25.15 करोड़ संधारण अनुदान प्रदाय किया था। भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली एजेंसियों से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय ने ₹ 44.85 करोड़ प्राप्त किया था। विस्तृत विवरण i f j f ' k " V 2-49 में दर्शाया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्ववित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 350.21 करोड़ था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय की आय एवं व्यय को i f j f ' k " V & 2-50 में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं के तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान से लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

v u d k d k

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

2-5-7-1 ½ ctV i k Ddyu @ i q j h f { k r i k Ddyu r s k j d j u k

कांडिका 2.5.6.1 (i) पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाई :

ctV i f 0 ; k
ds fy, l e;
l k j . kh ugha Fkh

- विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक बजट हेतु कोई समय सारणी तैयार नहीं की गई थी।
- बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आय एवं व्यय में अत्याधिक अन्तर था (i f j f ' k " V 2-51½ जो कि समुचित बजट तैयार न होना इंगित करता है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (-)47 से (-)34 प्रतिशत का अन्तर था। वास्तविक व्यय के एवज में प्राक्कलन में उसी अवधि में (-)62 से (-)56 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

v u d k d k

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-7-1 वि.सं. फुस'क

विश्वविद्यालय के वित्तीय एवं लेखाओं का विनियम, 1978 के नियम 189(i) निर्दिष्ट करता है कि एक निवेश पंजी संधारित की जानी है जिसमें निवेशों के विस्तृत विवरण जैसे निवेश राशि, ब्याज की दरें, परिपक्वता तिथि इत्यादि दर्ज की जानी है। पंजी में की गयी प्रविष्टियों को वित्त अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना था।

मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय ने ₹ 300.83 करोड़ का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में निवेश किया था। हमने पाया कि विनियम के अनुसार आवश्यक निवेश पंजी संधारित नहीं की गई थी। आगे विश्वविद्यालय ने जिस नीति के आधार पर निवेश किया था, को प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा उसकी मांग की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विनियम 1978 के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किया जाएगा।

वृद्धि का क

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को समुचित निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-7-2 0; ; fu; #.k

2-5-7-2 वि.सं. यफर वफे ₹ 7-06 द्जकम+ द्क वल ek; क्फत्र ज्गुक

कंडिका 2.5.6.2(i) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा उद्देश्य के लिए प्रदाय किए गए अग्रिम ₹ 7.06 करोड़ 27 वर्षों तक की लम्बी अवधि से असमायोजित था। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा अग्रिमों का निर्धारित समय सीमा में तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

वृद्धि का क

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2-5-7-2 वि.सं. ; wth-l h- rFkk Hkkjr l jdkj dh vl; fuf/k; ka ink u djus okyh l l Fkkvka l s i klr fuf/k; ka dk mi ; ksx u gkuk

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग भी भारत सरकार के विभिन्न निधिकरण संस्थाओं से वित्त पोषित हुए थे। पूर्व प्रदाय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने पर निधिकरण संस्थाओं से आगे की किस्तों का जारी होना था। भारत सरकार/यू.जी.सी. द्वारा जारी किये गये अनुदान एवं उनके उपयोग का विस्तृत विवरण 'वि.सं. 2-52 में दर्शाया गया है।

2008-15 के दौरान उपलब्ध प्राप्त निधि ₹ 8.79 करोड़ में से, विश्वविद्यालय ने ₹ 4.06 करोड़ उपयोग किए थे। निधियों का उपयोग समय पर न होने तथा अत्यधिक राशि रहने से, अनुगामी अनुदान जारी नहीं किए गए थे।

● यू.जी.सी. ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में शैक्षणिक मल्टीमीडिया शोध केन्द्र के लिए ₹ 8.28 करोड़ जारी किए थे, जिसके विरुद्ध ₹ 9.54 करोड़ उपयोग किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2010-14 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के लिए

₹ 7-06 द्जकम+
ds vfxe
vl ek; क्फत्र
FkA vfxeka dh
vkof/kd l eh{kk
ugha dh xbz Fkh

fofHkUu fuf/kdj.k
l l Fkkvka l s i klr
j kf' k ₹ 8-79 द्जकम+
ds fo: } ek=
j kf' k ₹ 4-06 द्जकम+
dh fuf/k; ka mi ; ksx
dh tk l dha

यू.जी.सी. ने ₹ 1.40 करोड़ जारी किए थे, जिसके विरुद्ध व्यय ₹ 3.12 करोड़ था। आधिक्य व्यय ₹ 2.98 करोड़ यू.जी.सी. से प्राप्त होना शेष था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि यू.जी.सी. से निधियों की प्रतिपूर्ति के अलावा, समय से निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृत्तिका

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का समय से तथा अधिकतम उपयोग हेतु एवं आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-7-3 *जिसके विरुद्ध व्यय; का रकम का फीस के अलावा; क त्रुटि*

विश्वविद्यालय ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20 बैंक खाते तथा मुख्यतः चार रोकड़ पंजियां जैसे सामान्य निधि हेतु, नगद लेनदेन, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एवं एस.एफ.सी. हेतु संधारित किए थे।

रोकड़ पंजियों तथा बैंक खातों की जांच में परिलिखित हुआ कि रोकड़ पंजियों तथा आठ बैंक खातों के शेषों में ₹ 36.28 करोड़ (मार्च 2014 तक) का अन्तर था। इसी तरह मार्च 2013 को एन.एस.एस. खाते के बैंक विवरण एवं रोकड़ पंजी में ₹ 19.35 लाख का अन्तर था। तथापि रोकड़ पंजियों के आंकड़ों का बैंक विवरण के साथ मिलान नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ पंजियों तथा बैंक विवरण का मिलान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृत्तिका

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेषों का अनिवार्य रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

2-5-7-4 *लोफोर्न; क; के अलावा; क*

विश्वविद्यालय ने एस.एफ.सी. के संचालन हेतु पृथक से विनियम तैयार किये थे। 2010-15 के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 254.22 करोड़³ तथा व्यय ₹ 201.44 करोड़⁴ थी। हमने एस.एफ.सी. के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाईं:

- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम विनियम 1993 के अनुसार, एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खातों में जमा किया जाना था। हमने देखा कि 2010-14 के दौरान एस.एफ.सी. पर देय ₹ 39.53 करोड़ में से, ₹ 14.79 करोड़ विश्वविद्यालय के खातों में प्राप्त नहीं हुए थे। 2014-15 के लिए विश्वविद्यालय के अंश की प्राप्ति की स्थिति वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप न दिये जाने से अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

- उच्च शिक्षा विभाग ने 245 शैक्षणिक एवं 253 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति देते समय (मई 2006 एवं जून 2013) एस.एफ.सी. की आय का 25 प्रतिशत या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, एण्डोमेंट फण्ड में जमा करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया था। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में नियोजित होने वाले अमले को भुगतान करने हेतु निधियों को आरक्षित रखा जाना था। तथापि, 2010-14

³ 2010-11 ₹ 38.31 करोड़, 2011-12 ₹ 43.66 करोड़, 2012-13 ₹ 52.85 करोड़, 2013-14 ₹ 62.85 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 56.55 करोड़।

⁴ 2010-11 ₹ 28.70 करोड़, 2011-12 ₹ 34.73 करोड़, 2012-13 ₹ 34.83 करोड़, 2013-14 ₹ 48.76 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 54.42 करोड़।

के दौरान जमा की जाने वाली एण्डोमेंट राशि ₹ 49.42 करोड़ में से मात्र ₹ 15.77 करोड़ इस निधि में जमा किए गए थे।

- पेंशन निधि में पेंशन अंशदान के रूप में एस.एफ.सी. की आय का 10 प्रतिशत राशि स्थानांतरित होनी थी। तथापि, हमने देखा कि 2010-14 की अवधि में पेंशन निधि अंशदान राशि ₹ 19.77 करोड़ में से ₹ 9.28 करोड़ एस.एफ.सी. से प्राप्त नहीं हुआ था।

- गैर शैक्षणिक अमले पर व्यय शैक्षणिक अमले पर व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था। तथापि विश्वविद्यालय ने 2010-15 के दौरान शैक्षणिक अमले पर व्यय का निर्धारित सीमा की तुलना में गैर शैक्षणिक अमले पर ₹ 3.10 करोड़ आधिक्य व्यय किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान जमा करने हेतु, पेंशन अंशदान प्राप्त करने हेतु, एण्डोमेंट फण्ड के संबंध में विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए तथा गैर शैक्षणिक अमले के व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

2.5-7.5 *futh egkfo/ky; ka dh l x) rk*

विश्वविद्यालय के अधीन 226 संबद्ध निजी महाविद्यालय संचालित थे। कंडिका 2.5.6.5(i) में पूर्व में चर्चा किये गए प्रावधानों के अनुसार नमूना जांच की गई 15 संस्थाएं जिनको 2010-11 से 2014-15 के दौरान संबद्धता प्रदान की गई थी, के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ:

- यू.जी.सी. विनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी 15 प्रकरणों में उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अभियंता निरीक्षण दल में शामिल नहीं थे।

- सशर्त संबद्धता के लिए अनुशंसित करते समय, निरीक्षण दल ने प्रयोगशाला में संयंत्र, पुस्तकालय में पुस्तकों की अपर्याप्तता एवं महाविद्यालयों में खेल मैदान की अनुपलब्धता इत्यादि इंगित की थी। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को निरीक्षण दल द्वारा इंगित की गई आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करते हुए संबद्धता प्रदान की थी। तथापि, सशर्त संबद्धता का अनुपालन प्रतिवेदन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। आगे यह देखा गया कि उन्हीं संस्थाओं को अनुगामी वर्षों में पूर्व शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित किये बगैर सशर्त संबद्धता बार बार दी गयी थी।

कुल सचिव ने बताया (मई 2015) कि विद्यार्थियों के हित में संबद्धता प्रदान की गई थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार, विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण सात संबद्ध निजी महाविद्यालयों की एनओसी वापस ली गई थी एवं चार संबद्ध निजी महाविद्यालय पर शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

vuq kd k

विद्यार्थियों के हित में संबद्धता की शर्तों की तुरंत पूर्ति हेतु शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

l kr l Ec) futh
egkfo|ky; ka dh
, uvks h okil yh
xbz Fkh rFkk pkj
l Ec) futh
egkfo|ky; ka ij
i.0'sk ea ifrc/k
yxk; k x; k Fkk

l Ec) rk 'kYd
 ₹ 5-48 dj kM+
 i klr ugha fd; k
 x; k Fkk

2-5-7-5 नि 1/2 l c) rk 'kYd jkf' k ₹ 5-48 dj kM+ ol ny u fd; k tkuk

कंडिका 2.5.6.5 (ii) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि 212 संबद्ध शासकीय/निजी महाविद्यालयों से वार्षिक संबद्धता शुल्क एवं अतिरिक्त राशि ₹ 5.48 करोड़ प्राप्त नहीं हुई थी।

कुल सचिव ने बताया (मई 2015) कि संबद्धता शुल्क की वसूली की जावेगी।

2-5-7-6 vkrfjd fu; &. k , oa vuoph{k. k r#

2-5-7-6 नि 1/2 fudk; @i kf/kdj. kka dk xBu u gkuk

विश्वविद्यालय के सभी मामलों में महासभा एक सलाहकारी निकाय है। तथापि, समन्वय समिति के निर्णय (नवम्बर 2006) के बावजूद महासभा का गठन नहीं किया गया था। आगे अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड जो कि कम अवधि एवं दीर्घ अवधि योजना तथा विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के कार्यों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है, का गठन नहीं हुआ था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि अधिनियम के प्रावधान का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-7-6 नि 1/2 vkrfjd ys[kki jh{k k u gkuk

vkrfjd ys[kki jh{k k
 dk; l ugha dj jgk
 Fkk

यह पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के स्वीकृत पद (एक अधीक्षक एवं तीन सहायक ग्रेड) के विरुद्ध 2010-14 के दौरान चार अमले के वेतन एवं भत्ते की राशि ₹ 45.32 लाख को आहरित किया गया था। तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा संचालित नहीं थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के संचालन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

vuq kd k

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली एवं अन्य आवश्यक निकाय/प्राधिकरणों की स्थापना की जाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सद्द करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-7-6 नि 1/2 LFkkuh; fuf/k l a jh{k k d fMdkvka dk fujkdj. k

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालय का सांविधिक लेखा परीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए लेखा परीक्षा की थी। मार्च 2014 के अंत में, 919 कंडिकाएं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 34.22 करोड़ था, निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने लंबित कंडिकाओं के निपटान हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा (नवम्बर 2015) था।

2.5.8 cjdrmYyk fo' ofo | ky;] Hkksj ky

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना अगस्त 1970 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 10 मुख्य संकाय के साथ 25 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 48 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पांच स्नातक पाठ्यक्रम, 12 एम.फिल. तथा 13 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय से 415 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय

में (संबद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित कर) 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.76 लाख, 0.72 लाख, 0.76 लाख, 1.27 लाख एवं 1.08 लाख थी।

2-5-8-1 vk; , oa 0; ;

कांडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं को संधारण करने का प्रपत्र निर्धारित नहीं था। यद्यपि, वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं, आय एवं व्यय लेखाओं तथा तुलन-पत्र शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे में मात्र आय एवं व्यय लेखा शामिल था जो कि रोकड़ आधार पर तैयार किया गया था। वार्षिक लेखे के उपचय आधार पर तैयार न किये जाने से, आय एवं व्यय लेखे में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं थी। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं।

आगे हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी एवं इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 तक तैयार किए गए थे, जिनकी संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। यद्यपि वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने हेतु शासन को नहीं भेजे गए थे। हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं का सारांश विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जोकि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजे गए थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन नहीं किया।

2010-11 से 2014-15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 371.92 करोड़ आय अर्जित की थी। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 48.31 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010-15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु ₹ 18.60 करोड़ संधारण अनुदान के लिए प्रदाय किए थे।

भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को ₹ 25.79 करोड़ प्राप्त हुए थे। विस्तृत विवरण ifj'k"V 2-49 में दर्शाया गया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 331.48 करोड़ था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय को ifj'k"V&2-50 में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq ka k

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करना चाहिए।

2-5-8-1 $\frac{1}{2}$ ctV ikDdyu@iujhf{kr ikDdyu r\$ kj djuk

कांडिका 2.5.6.1(i) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाईं:

ctV ifØ; k ds
fy, le;
I kj .kh ugha Fkh

- विश्वविद्यालय ने बजट प्रक्रिया हेतु कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी।
- 2010-11 से 2014-15 के दौरान बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय में अत्यधिक अन्तर था $\frac{1}{2}$ f'k"V 2-51 $\frac{1}{2}$ जो कि समुचित बजट तैयारी न होना इंगित करता है। वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (-) नौ से 23 प्रतिशत का अन्तर था एवं व्यय में (-) 44 से (-) 20 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-8-1 $\frac{1}{2}$ fuos'k

मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय ने ₹ 194.08 करोड़ के 265 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में एक से पांच वर्षों के लिए निवेश किया था। हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने अधिशेष निधियों के निवेश के लिए कोई निवेश नीति तैयार नहीं की थी। विश्वविद्यालय ने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु निवेश की जाने वाली राशि का न तो आकलन किया था, न ही निवेश समीक्षा की समयावधि निश्चित की थी। हमने आगे देखा कि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निवेश वार्षिक लेखाओं में पृथक से नहीं दर्शाये गए थे।

विभाग द्वारा निवेश नीति तैयार न करने के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (नवम्बर 2015)।

vuq kd k

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-8-2 0; ; fu; &.k

2-5-8-2 $\frac{1}{2}$ yfcr vfxeka dk I e; kstu u gkuk

कांडिका 2.5.6.2 (i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि मार्च 2015 को, अग्रिम राशि ₹ 2.39 करोड़ लंबित था। 2005-06 से विश्वविद्यालय के अमले के विरुद्ध अग्रिम ₹ 1.74 करोड़ एवं विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 64.66 लाख लंबित थे। इसके अतिरिक्त अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा निर्धारित समय सीमा में अग्रिमों के तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

₹ 2-39 djkm+ ds
vfxæ
vl ek; kftr jgA
vfxæka dh
vkof/kd I eh{kk
ugha dh xbz Fkh

2-5-8-2 निधि का इन्क्यूटिव ऑन एडवोकेटरी प्रोसेसिंग फंड का विकास; का इन्क्यूटिव ऑन एडवोकेटरी प्रोसेसिंग फंड का विकास; का इन्क्यूटिव ऑन एडवोकेटरी प्रोसेसिंग फंड का विकास

विश्वविद्यालय के विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान एवं उनके द्वारा निधियों के उपयोग का विस्तृत विवरण ifj'k"V 2-52 में दर्शाया गया है। मार्च 2015 को, निधि ₹ 4.54 करोड़ अप्रयुक्त रही। हमने देखा कि मदवार व्यय का विलंब से निर्णय (अगस्त 2014) लेने से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदाय की गई निधियों का उपयोग नहीं हो सका था।

हमने आगे देखा कि 11वीं योजना अवधि में यू.जी.सी. से वास्तव में प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास सहायता के अन्तर्गत ₹ 3.68 करोड़ एवं मर्ज्ड स्कीम के अन्तर्गत ₹ 1.01 करोड़ अधिक व्यय किए थे। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी चेअर के अन्तर्गत 2005-15 के दौरान ₹ 0.72 करोड़ आधिक्य व्यय हुए थे। तथापि यू.जी.सी. अनुदान के विरुद्ध ₹ 5.41 करोड़ की इस आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र न भेजने के कारण नहीं हुई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों का समय से उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने हेतु एवं अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने के लिए निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से समय पर निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी बताया गया कि राजीव गांधी चेअर के अन्तर्गत निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान का समय पर एवं अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए यू.जी.सी. से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

2-5-8-3 जे.के.एम. का विकास

2-5-8-3.1 जे.के.एम. का विकास; का विकास; का विकास

विश्वविद्यालय ने 10 बैंक खाते एवं छह पृथक रोकड़ बही जैसे सामान्य एवं परीक्षा स्ववित्त, नगद लेनदेन, परियोजना, विकास एवं एन.एस.एस. हेतु संधारित की थी।

रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जांच में परिलक्षित हुआ कि रोकड़ बही के आंकड़ों के साथ बैंक विवरणी का मिलान नहीं किया जा रहा था। मार्च 2015 को रोकड़ बहियों के शेष तथा सात खातों के बैंक विवरणी में ₹ 13.16 करोड़ का अन्तर था।

विभाग ने कहा कि रोकड़ पंजियां तथा बैंक विवरणियों के समाशोधन हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेष का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

fuf/k; ka i nku
djus okyh
l lFkkvka l s i klr
jkf'k ₹ 4-54
djkm+ dh fuf/k; ka
viz; or jgha

jkdm+ cfg; ka
rFkk c&d
foof.k; ka ds
'k's'ka ds e/;
₹ 13-16 djkm+
dk varj Fkk

2-5-8-3 *विश्वविद्यालय के भंडार के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि विश्वविद्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन संबद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा के उद्देश्य से परीक्षा फॉर्म विक्रय किए थे। 2010-11 से 2013-14 के दौरान, 11.34 लाख परीक्षा फॉर्म संबद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए थे, जिसमें से 9.92 लाख फॉर्म उपयोग में लाने के बाद 1.42 लाख फॉर्म महाविद्यालयों द्वारा वापस कर दिए गए थे। फॉर्म बिक्री के विरुद्ध देय राशि ₹ 9.91 करोड़ में से ₹ 9.73 करोड़ प्राप्त हुए थे और ₹ 18.62 लाख लंबित थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-10 से संबंधित ₹ 23.16 लाख भी वसूल नहीं किए गए थे। इस प्रकार परीक्षा फॉर्म बिक्री के विरुद्ध ₹ 41.78 लाख महाविद्यालयों के पास लंबित थे।*

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि महाविद्यालयों से राशि वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-8-4 *विश्वविद्यालय ने स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों (एस.एफ.सी.) के संचालन हेतु स्ववित्तीय पाठ्यक्रम विनियम 1999 तैयार किया था। 2010-15 की अवधि के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 47.17 करोड़⁵ तथा व्यय ₹ 44.17 करोड़⁶ था।*

विनियम की आवश्यकता के अनुसार, किसी भी सेमेस्टर में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद 30 दिवस के अंदर एस.एफ.सी. आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खाते में अंतरण किया जाना था। गैर शैक्षणिक अमले पर व्यय, शैक्षणिक अमले पर व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना था। विभाग ने ₹ 10 करोड़ एकमुश्त राशि एफ.डी.आर. के रूप में एंडोमेंट फंड बनाकर जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया था (अगस्त 2006)। इसके अतिरिक्त, एस.एफ.सी. आय का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष एंडोमेंट फंड में रखा जाना था।

हमने देखा कि 2010-15 के दौरान विश्वविद्यालय का अंश ₹ 2.94 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में अंतरित नहीं हुआ था। एकमुश्त राशि ₹ 10 करोड़ एफ.डी.आर. में नहीं रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, 2010-14 की अवधि में एंडोमेंट फंड में जमा हेतु ₹ 6.23 करोड़ की कमी थी। 2010-15 के दौरान चार से छह विभागों में गैर शैक्षणिक अमले पर ₹ 0.67 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय खाते में अंशदान जमा करने हेतु, एण्डोमेंट फण्ड के संबंध में विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए तथा गैर शैक्षणिक अमले पर आधिक्य व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-8-5 *विश्वविद्यालय के अधीन 338 संबद्ध निजी महाविद्यालय संचालित हैं। कंडिका 2.5.6.5(i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान के अनुसार, 14 निजी संस्थाओं को जिन्हें 2010-11 से 2014-15 के दौरान संबद्धता प्रदान की गई थी, में संबद्धता संबंधी अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ:*

fo' ofo | ky; }kj k
, l -, Q-l h-
vd knku ₹ 19-17
dj kM+ i klr ugha
fd; k x; k Fkk

5 2010-11 ₹ 10.04 करोड़, 2011-12 ₹ 9.75 करोड़, 2012-13 ₹ 8.04 करोड़, 2013-14 ₹ 9.22 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 10.12 करोड़।

6 2010-11 ₹ 8.01 करोड़, 2011-12 ₹ 10.87 करोड़, 2012-13 ₹ 9.95 करोड़, 2013-14 ₹ 8.88 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 6.46 करोड़।

5 2010-11 ₹ 10.04 करोड़, 2011-12 ₹ 9.75 करोड़, 2012-13 ₹ 8.04 करोड़, 2013-14 ₹ 9.22 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 10.12 करोड़।

6 2010-11 ₹ 8.01 करोड़, 2011-12 ₹ 10.87 करोड़, 2012-13 ₹ 9.95 करोड़, 2013-14 ₹ 8.88 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 6.46 करोड़।

• यू.जी.सी. विनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी 14 प्रकरणों में उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता निरीक्षण दल में शामिल नहीं थे।

• सशर्त संबद्धता के लिए अनुशंसित करते समय, निरीक्षण दल ने महाविद्यालयों की अधोसंरचना में संयंत्र की अपर्याप्तता को इंगित किया था। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को निरीक्षण दल द्वारा इंगित की गई आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करते हुए संबद्धता प्रदान की थी। तथापि, सशर्त संबद्धता के अनुपालन प्रतिवेदन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आगे हमने देखा कि उन्हीं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों को पूर्व शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित किए बगैर अनुगामी वर्षों में सशर्त संबद्धता दी गई थी।

कुल सचिव ने कहा (जुलाई, 2015) कि शर्तों की पूर्ति के लिए कार्यवाही प्रगति पर थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण 18 संबद्ध निजी महाविद्यालयों की एन.ओ.सी. वापस ली गई थी एवं आठ संबद्ध निजी महाविद्यालयों पर शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

वृद्धि की

विद्यार्थियों के हित में एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबद्धता की शर्तों के अनुपालन हेतु तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

2-5-8-5 निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रतिवर्षीय शुल्क के संबंध में

कंडिका 2.5.6.5 (ii) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक संबद्धता शुल्क ₹ 63.53 लाख संबद्ध महाविद्यालयों से वसूल नहीं किया गया था।

कुल सचिव ने कहा (जुलाई, 2015) कि वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2-5-8-6 निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रतिवर्षीय शुल्क के संबंध में

2-5-8-6 निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रतिवर्षीय शुल्क के संबंध में

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के अनुसार आवश्यक सदस्यों के साथ महासभा जो कि विश्वविद्यालय के सभी मामलों में एक सलाहकारी समूह है, का गठन किया जाना था। महासभा के कोरम हेतु 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी बशर्त स्थगित बैठक हेतु किसी कोरम की आवश्यकता नहीं थी।

यह पाया गया कि मार्च 2013 में महासभा का गठन हुआ था। तथापि आवश्यक संख्या में सदस्यों के नामांकित न किए जाने के फलस्वरूप महासभा का कोरम पूरा नहीं हुआ। महासभा की बैठक 2012-13 में हुई थी एवं अन्य वर्षों में बैठक नहीं हुई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

⁷ विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियां एवं कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक बजट प्राक्कलन पर विचार एवं अनुमोदन करना।

2-5-8-6 वि०/१/१५५५; फु/१/१/१५५५ द/१/१/१५५५ द/१/१/१५५५

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालयों का सांविधिक लेखापरीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अन्त में, 1971-72 से 2013-14 अवधि से सम्बन्धित 702 कंडिकाएं निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की जाएगी।

2-5-9 jkuh nqkbrh fo'ofok |ky; | tcyig

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना जून 1956 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार राज्य के सात जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 14 मुख्य संकाय के साथ 24 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 38 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 18 स्नातक पाठ्यक्रम, 25 एम.फिल. तथा 16 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग में विद्यार्थियों की संख्या 2,341 थी। मार्च 2015 को, विश्वविद्यालय के अधीन 228 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय में (संबद्ध महाविद्यालयों को मिलाकर) 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.36 लाख, 0.33 लाख, 0.36 लाख, 0.34 लाख एवं 0.35 लाख थी।

2-5-9-1 vk; , oal; ;

कंडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं को संधारण करने के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं, आय एवं व्यय लेखाओं तथा तुलन-पत्र शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में सिर्फ आय एवं व्यय लेखा शामिल था जो कि रोकड़ आधार पर तैयार किया गया था। वार्षिक लेखा उपचय आधार पर तैयार न किए जाने से, आय एवं व्यय लेखे में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं था। इस प्रकार विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी एवं उसके राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 तक तैयार किए गए थे, जो कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे। तथापि, वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने हेतु शासन को नहीं भेजे गए थे। हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं के सारांश को विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जो कि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजा गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के प्रावधान का पालन नहीं किया।

2010-11 से 2014-15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 107.45 करोड़ सृजित किए थे। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 23.56 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010-15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु ₹ 33.52 करोड़ संधारण अनुदान विश्वविद्यालय को प्रदान किए थे। भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को ₹ 21.00 करोड़ प्राप्त हुए थे। विस्तृत विवरण i jf'k"V 2-49 में दर्शाया गया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 217.03 करोड़ था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय को 100:50 में दर्शाया गया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय पर ₹ 157.15 करोड़⁸ व्यय था जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत से प्राप्त की गई आय (₹ 107.45 करोड़) एवं संधारण अनुदान (₹ 33.52 करोड़) से अधिक था। हमने देखा कि वेतन एवं भत्तों पर व्यय में 2010-11 में ₹ 18.55 करोड़ से 2014-15 में ₹ 26.30 करोड़ तक वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः सितम्बर 2013 में 98 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण होने से हुई थी। तथापि विश्वविद्यालय की अपने स्रोत से आय में उसी अनुरूप वृद्धि नहीं हुई थी, जो कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 19.82 करोड़ से ₹ 23.98 करोड़ के बीच थी। इसका यह कारण था कि विश्वविद्यालय में तथा उसके संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की संख्या लगभग समान थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं के तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

वृद्धि का

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

2-5-9-1 100:50 का अनुपात

कांडिका 2.5.6.1 (i) में पूर्व में चर्चा किये गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाईं:

100:50 का अनुपात
संशोधन, लेखा
परीक्षा के लिए

- वार्षिक बजट हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी।

- बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय 100:50 में 2010-11 से 2014-15 के दौरान अन्तर था जो कि समुचित बजट तैयारी न होना इंगित करता है। वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (-) 35 से 10 प्रतिशत का अन्तर था एवं व्यय में (-) 44 से (-) 07 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

वृद्धि का

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-9-1 100:50 का अनुपात

अभिलेखाओं की जांच से परिलक्षित हुआ कि विश्वविद्यालय ने मार्च 2015 को ₹ 31.53 करोड़ एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में निवेश किया था। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा निवेश

⁸ पूंजीगत व्यय एवं उपादान भुगतान एवं पेंशन अंशदान को छोड़कर।

नीति तैयार नहीं की गई थी। हमने आगे देखा कि यू.जी.सी./ अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त निधियों का उपयोग करने के स्थान पर विश्वविद्यालय ने ₹ 3.06 करोड़ पांच एफ.डी.आर. में निवेश किए थे (मार्च 2013)। जिनका पुनः मार्च 2014 में नवीनीकरण (₹ 3.35 करोड़) किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय की अधिशेष निधियों एवं भारत सरकार की निधियों के समुचित प्रबंधन हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को समुचित निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-9-2 0; ; fu; #.k

2-5-9-2 ¼½ yfcr vfxek dk l ek; kstu u gkuk

कांडिका 2.5.6.2 (i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि मार्च 2015 को विश्वविद्यालय अमले को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एवं अन्य संस्थाओं को प्रदाय की गई अग्रिम राशि ₹ 3.21 करोड़ 1999-2000 से असमायोजित थी। इनमें से, ₹ 2.55 करोड़ के अग्रिम विश्वविद्यालय अमले के विरुद्ध एवं ₹ 65.67 लाख विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध लंबित थे। अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा निर्धारित समय सीमा में अग्रिमों के तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2-5-9-2 ¼½ ; wth-l h- rFkk Hkkjr ljdkj dh vll; fuf/k; ka inku djus okyh l lFkkvka l s iklr fuf/k; ka dk mi; kx u gkuk

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग भी भारत सरकार के विभिन्न निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से वित्त पोषित हुए थे। पूर्व प्रदाय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे जाने पर अनुगामी किस्ते जारी होनी थीं।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को जारी किए गए जी.ओ.आई. अनुदान एवं अनुदान के उपयोग का विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-52 में दर्शाया गया है। हमने देखा कि निधियों का उपयोग संबंधित वर्ष जिसके लिए निधियां प्रदान की गई थी, में नहीं हुआ था। मार्च 2015 के अंत में, निधि ₹ 4.60 करोड़ अप्रयुक्त रहीं।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों के समय पर तथा अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-9-3 jkdlM+ cfg; ka rFkk c'd fooj. k ds 'ks'kka dk feyku u fd; k tkuk

विश्वविद्यालय में एस.एफ.सी. खातों को मिलाकर 25 बैंक खाते थे तथा सामान्य खाते, परीक्षा खाते, विकास खाते, शारीरिक शिक्षा खाते एवं एन.एस.एस. खाते हेतु पृथक से

fofHkuu fuf/k; ka
inku djus okyh
l lFkkvka l s iklr
jkf'k ₹ 4-60 djksM+
dh fuf/k; ka
viz; Ør jgh

jkM+ cfg; ka
rFkk cfd
foofj.k; ka ds
'ks'kka ds e/;
₹ 124.37 djM+
dk varj Fkk

रोकड़ बहियां संधारित थीं। रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि रोकड़ बहियों के आंकड़ों के साथ बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया गया था। मार्च 2015 को रोकड़ पंजियों की शेषों एवं नौ खातों के बैंक विवरण में ₹ 124.37 करोड़ का अंतर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरण के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vud kd k

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरण के शेष का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

2-5-9-4 Loforrh; i kB; Øeks dk i cdku

विश्वविद्यालय ने एस.एफ.सी. के संचालन हेतु पृथक से विनियम तैयार किए थे। 2010-15 के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 16.13 करोड़⁹ तथा व्यय ₹ 10.50 करोड़¹⁰ था।

विनियम के अंतर्गत आवश्यक एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के अंश के रूप में भुगतान किया जाना था। 2010-15 दौरान, प्राप्ति योग्य 20 प्रतिशत अंशदान ₹ 3.20 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.73 करोड़ प्राप्त हुए थे एवं ₹ 1.47 करोड़ एस.एफ.सी. से लंबित था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-9-5 egkfo / ky; ka@l LFkkuka dh l c) rk

हमने देखा कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 208 महाविद्यालयों को सशर्त संबद्धता प्रदान की गई थी। कंडिका 2.5.6.5(ii) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान के अनुसार हमने देखा कि वार्षिक संबद्धता शुल्क राशि ₹ 1.63 करोड़ संबद्ध महाविद्यालयों से वसूल नहीं की गई थी।

कुलसचिव ने बताया (जुलाई 2015) कि 2014-15 से सशर्त संबद्धता प्रदाय नहीं की गई थी तथा इसके पूर्व विद्यार्थियों के हित में सशर्त संबद्धता प्रदाय की गई थी। कुल सचिव ने आगे कहा कि संबद्धता एवं नवीनीकरण शुल्क का वसूली होना एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर रहा है।

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण पांच संबद्ध निजी महाविद्यालय की एनओसी वापस ली गई थी एवं दो संबद्ध निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

fo' ofo | ky; }kj k
, l -, Q-l h- l s
jkf' k ₹ 1-47 djM+
dk vdknku i klr
ugha gvk Fkk

ikp l c) futh
egkfo | ky; ka dh
, uvkd h okil yh
xbz Fkh rFkk nks
l c) futh
egkfo | ky; ka ds i ds k
ij ifrcdk yxk; k
x; k Fkk

⁹ 2010-11 ₹ 2.91 करोड़, 2011-12 ₹ 2.43 करोड़, 2012-13 ₹ 3.01 करोड़, 2013-14 ₹ 3.72 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 4.06 करोड़।

¹⁰ 2010-11 ₹ 1.78 करोड़, 2011-12 ₹ 1.91 करोड़, 2012-13 ₹ 1.65 करोड़, 2013-14 ₹ 1.93 करोड़, तथा 2014-15 में ₹ 3.23 करोड़।

2-5-9-6 वक्रांकित लेखापरीक्षा, ए.एफ.ए. का निष्पादन

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालयों का सांविधिक लेखा परीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अंत में, 2002-03 से 2013-14 के अवधि की 92 कंडिकाएं निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2-5-10 वक्रांकित लेखापरीक्षा, ए.एफ.ए. का निष्पादन

- विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन में कमी थी। वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे रोकड़ आधारित थे तथा तुलनपत्र शामिल नहीं था इस प्रकार विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे उनकी वित्तीय स्थिति का वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। आगे, विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक बजट एवं लेखाओं की तैयारी हेतु कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी।

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की तैयारी हेतु प्रपत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

- समायोजन न होने से अग्रिम लंबी अवधि से लंबित थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

- यू.जी.सी. एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का उपयोग विश्वविद्यालय नहीं कर सके थे। निधियों का उपयोग न होने से अनुगामी अनुदान विश्वविद्यालयों को जारी नहीं किए गए थे। प्राप्त अनुदान/आवंटन के विरुद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी।

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का समय से तथा अधिकतम उपयोग एवं आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

- विश्वविद्यालय द्वारा रोकड़ बहियों एवं बैंक विवरण का मिलान न किये जाने के फलस्वरूप शेषों में अत्यधिक असमायोजित अन्तर था।

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेषों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से आय का निर्धारित अंशदान विश्वविद्यालयों के खातों में जमा नहीं किया गया था।

- अधोसंरचना में कमियों के निवारण को सुनिश्चित किये बिना निजी महाविद्यालयों को सशर्त संबद्धता बार बार दी गई थी।

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति के लिए निरीक्षण तंत्र को विकसित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

वृद्धि पर त्रुटि दर; क.क. फोहक, वा. वफने त्रुटि दर; क.क. फोहक

2.6 वृद्धि पर त्रुटि, वा. वृद्धि पर त्रुटि दर | क.क. वा. ग. र. ग. क. व. ए. व. द. न. क. = ओ. र. र. द. क. इ. क. क.

द. क.; इ. क. यु. | क. क. क.

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई। भारत सरकार की इस योजना का लाभ अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को प्रदाय करना है जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो. मै. छा. यो. को उन विद्यार्थियों, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, तक विस्तृत किया गया है।

पो.मै.छा.यो. राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण (अ.जा.क.) एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अ.ज.जा.क.) विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। जिले स्तर पर, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण (स.आ.आ.जा.क.) एवं जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण (जि.स.आ.जा.क.) छात्रवृत्ति के संवितरण के लिये उत्तरदायी है। नामांकित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए "अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन" पर हुई निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य परिलक्षित हुए :

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की गई वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,129.33 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए। पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत राज्य सरकार ने अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए।

(द.क.क. 2.6.6)

- आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही जिलों को निधियां जारी की गई थी। मार्च 2015 के अंत में नमूना जाँच किए गए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थे, जो कि शासन को वापिस नहीं किए गए थे।

(द.क.क. 2.6.6.1 र.क.क. 2.6.6.2)

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में, एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

(द.क.क. 2.6.7.3)

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, 1.13 लाख अ.जा. विद्यार्थियों एवं 0.26 लाख अ.ज.जा. विद्यार्थियों को राशि ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

(dfMdk 2.6.7.4)

2-6-1 iLrkouk

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई थी। योजना का समय समय पर पुनरीक्षण किया गया है। पो.मै.छा.यो. में निर्वाह भत्ता एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क सम्मिलित है।

भारत सरकार की इस योजना का लाभ अ.जा. एवं अ.ज.जा. के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों जिन्होंने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है एवं जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को प्रदाय करना है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो.मै.छा.यो. को उन विद्यार्थियों जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, तक विस्तृत किया है। ₹ 2.50 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले प्रकरणों के लिए शिक्षण शुल्क के भुगतान के लिए छात्रवृत्ति की पूर्णतः प्रतिपूर्ति की जाती है तथा आय समूह ₹ 2.50 लाख से अधिक तथा ₹ 3.00 लाख तक के लिए शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

निर्वाह भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को चार समूहों में विभाजित किया गया है एवं निर्वाह भत्ते की दरें समूहवार निर्धारित की गई हैं। समूह-I में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम सहित एम.फिल., पी.एच.डी., मेडिसिन में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, अभियांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा, प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित हैं। समूह-II में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बाद फार्मसी, नर्सिंग, एल.एल.बी., पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, संचार पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं आदि क्षेत्रों में किए जाने वाले डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट तथा समूह-I के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे-एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./एम.एड./एम.फार्मा. इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। समूह-III में स्नातक उपाधि से संबंधित अन्य सभी पाठ्यक्रमों को जो समूह-I एवं II के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, जैसे-बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। समूह-IV में सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय गैर स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे-बारहवीं, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पॉलीटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाईस्कूल है, को सम्मिलित किया गया है। आगे, होस्टलर्स एवं डे-स्कॉलर छात्रों के लिए निर्वाह भत्ते की दरें भिन्न-भिन्न रखी गई हैं।

मध्य प्रदेश में, पो.मै.छा.यो. अनुसूचित जाति कल्याण (अ.जा.क.) एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अ.ज.जा.क.) विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। अवधि 2010-14 के दौरान, पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत ₹ 1,217.33 करोड़ (अ.जा. के विद्यार्थियों को ₹ 845.04 करोड़ एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को ₹ 372.29 करोड़) अ.जा. के 9.58 लाख विद्यार्थियों को (6.36 लाख बालक एवं 3.22 लाख बालिकाएं) एवं अ.ज.जा. के 6.39 लाख विद्यार्थियों को (4.27 लाख बालक एवं 2.12 लाख बालिकाएं) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई थी।

2-6-2 | अ.जा.क. एवं अ.ज.जा. के छात्रवृत्ति आवेदनों के संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है।

शासन स्तर पर अनुसूचित जाति कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों के प्रशासकीय प्रमुख, प्रमुख सचिव (प्र.स.) होते हैं। आयुक्त, अ.जा.क. एवं आयुक्त, अ.ज.जा.क. जो राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के प्रमुख हैं अ.जा. एवं अ.ज.जा. विद्यार्थियों हेतु पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण छात्रवृत्ति के वितरण हेतु उत्तरदायी हैं।

नामांकित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है। जिला कलेक्टर इन नोडल संस्थाओं के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी के रूप में चयनित करता है। नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति आवेदनों के भौतिक रूप से एवं अभिलेख सत्यापन हेतु उत्तरदायी हैं, ताकि वास्तविक विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके।

2-6-3 | अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- वित्तीय प्रबंधन विहित उद्देश्यों के अनुरूप एवं दक्षतापूर्ण था;
- पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय से वितरण के साथ आवेदन पत्रों के संसाधित करने में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया था एवं योजना का कार्यान्वयन प्रभावी था; तथा
- विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

2-6-4 | अ.जा.क. एवं अ.ज.जा. के छात्रवृत्ति आवेदनों के संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के निर्धारण के लिए निम्नलिखित स्रोत मानदण्ड थे:

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देश;
- भारत सरकार द्वारा जारी वेबसाइट के विकास हेतु दिशा निर्देश; तथा
- समय-समय पर जारी शासकीय आदेश एवं दिशानिर्देश।

2-6-5 | अ.जा.क. एवं अ.ज.जा. के छात्रवृत्ति आवेदनों के संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पो.मै.छा.यो. के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा दिसम्बर 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। राज्य में अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों¹ की अधिकतम संख्या के परिप्रेक्ष्य में चार जिले यथा-भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर चयनित किए गए थे।

नौ जिलों (देवास, धार, झाबुआ, खरगौन, मंडला, पन्ना, सागर, सीहोर एवं उज्जैन) का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया था। प्रवेश सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, (अ.जा.क.) के निवेदन पर दो अन्य जिले (भिण्ड एवं मुरैना) को भी चयनित किया गया था।

¹ भोपाल (47,093), ग्वालियर (34,692), इंदौर (68,624) एवं जबलपुर (33,264)

इस प्रकार कुल 15 जिले निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु चयनित किए गए। हमने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के आधार पर 90 नोडल संस्थाओं का चयन किया (प्रत्येक नमूना जाँच किये गये जिले में कम से कम छह)। इंदौर एवं जबलपुर जिलों में कोई नोडल संस्था नहीं थी। चयनित जिलों एवं नोडल संस्थाओं का विवरण i f j f ' k " V & 2.53 में दर्शाया गया है।

प्रवेश सम्मेलन 18 मार्च 2015 को प्रमुख सचिव, अ.जा.क. एवं अ.ज.जा.क. विभाग के साथ आयोजित हुआ जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्य, लेखा परीक्षा मानदण्ड, लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई। अ.जा.क. एवं अ.ज.जा.क. विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ 20 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। विभाग के उत्तर उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिए गए हैं।

2-6-6 foRrh; i c /ku

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था अतिरिक्त वचनबद्ध देयता राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। योजना अंतर्गत एक वर्ष के लिए राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान शासन द्वारा वहन की गई वास्तविक व्यय के समतुल्य होती है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु ₹ 1129.33 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 1035.46 करोड़ व्यय किए एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वर्षवार आवंटन एवं व्यय का विवरण i f j f ' k " V & 2.54 में दर्शाया गया है।

2-6-6-1 mi ; k f x r k i e k . k & i = k d k s i L r r u f d ; k t k u k

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (सितम्बर 1991), नोडल संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को भेजे जाने थे। इसी प्रकार, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र आयुक्त, आदिम जाति विकास/अनुसूचित जाति विकास को भेजे जाने थे।

हमने देखा कि आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही निधियां जारी की गई थी। नोडल संस्थाओं द्वारा न ही जिलों को और जिलों द्वारा न ही राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे गए।

इंगित किए जाने पर, नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण एवं नोडल संस्थाओं ने उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को भेजे जाने की प्रक्रिया का अनुपालन न होना स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि जिलों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

v u d k d k

सहायक आयुक्त आ.जा.क./जिला संयोजक आ.जा.क. द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को राज्य शासन को भेजा जाना चाहिए एवं अव्ययित शेष राशि समय से वापिस की जानी चाहिए।

2-6-6-2 ftyk Lrj ij fuf/k dk vo:) jguk

आदिम जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार, नोडल संस्थाओं को अशासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की अनुशंसा सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को भेजना आवश्यक थी। सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध निधियों में से विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ते के रूप में छात्रवृत्ति एवं संस्थाओं को शिक्षण शुल्क के रूप में राशि जारी करनी थी। छात्रवृत्ति के वितरण के उपरांत, नोडल अधिकारियों को निधियों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र देना था एवं अवितरित राशि, यदि कोई हो तो, सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के पक्ष में चालान द्वारा वापिस की जानी थी। सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि को अ.जा. एवं अ.ज.जा. संचालनालयों को समर्पित करना थी।

15 जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने देखा कि मार्च 2015 की समाप्ति पर संबंधित जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में पड़ी हुई थी। विवरण i f j f ' k " V & 2.55 में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर, नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि अव्ययित शेष के वापसी की प्रक्रिया प्रगतिरत थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) ने बताया कि अव्ययित शेष राशि विगत वर्षों की अवितरित छात्रवृत्ति की राशि थी। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा जिलों से अद्यतन स्थिति चाहा जाना बताया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि अव्ययित शेष राशि सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा वापिस नहीं की गई थी जो आदिम जाति कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के विपरीत था।

2-6-6-3 jkdM+ cgh , oa ckd [kkrk ds 'ks'kka dk feyku u fd; k tkuk

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (अक्टूबर 2009), बैंक खाता धारक अधिकारी, बैंक खाते एवं रोकड़ बही में दर्शाए गए शेषों के त्रैमासिक मिलान हेतु उत्तरदायी थे जिससे वित्तीय अनियमितताओं की संभावनाओं को रोका जा सके।

15 जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत जारी निधि सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में जमा कराई गई थी, तथापि, रोकड़ बही और बैंक खातों के मध्य मिलान नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, (अ.जा.क.) ने बताया कि राशियों के मिलान हेतु जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं (अक्टूबर 2015), जबकि प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि जिलों से अद्यतन स्थिति चाही गयी थी।

2-6-7 dk; Øe dk; kko; u

पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्राचार्य/अशासकीय संस्था के प्रमुख का यह दायित्व था कि विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की संवीक्षा करें और उनका परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित नोडल संस्था को भेजें। नोडल संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन

ueuk tkp fd, x,
f tyka ds l gk; d
vk; Ør] vkfne tkfr
dY; k. k@f tyk
l a kstd] vkfne
tkfr dY; k. k ds ckd
[kkrk ds 'ks'kka
dk feyku u fd; k
tkuk
₹ 71-53 djkdM+ i M\$
gq Fks

पत्रों का सत्यापन करने के उपरांत पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की ऑनलाईन अनुशंसा सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को भेजनी थी।

वर्ष 2010-11 के दौरान सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा नोडल संस्थाओं एवं अशासकीय संस्थाओं के संयुक्त खाते में छात्रवृत्ति जारी की गई थी। नोडलों और अशासकीय संस्थाओं द्वारा निर्वाह भत्ता की राशि छात्रों को बैंक के माध्यम से जारी करना था और शिक्षण शुल्क के समतुल्य राशि संस्था को अपने पास रखनी थी। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा निर्वाह भत्ते की राशि सीधे छात्रों को एवं शिक्षण शुल्क की राशि सीधे संबंधित संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ई.सी.एस.) के द्वारा एडवाइज के माध्यम से भेजी गई थी। वर्ष 2013-14 से छात्रवृत्ति की समस्त राशि छात्र के बैंक खाते में भेजी जा रही थी और संस्थाओं को शिक्षण शुल्क की राशि का भुगतान छात्र द्वारा किया जाना था।

2-6-7-1 *ukMyka dk / euqs'ku*

ekun. Mka ds
foijhr , d ukMy
l s vf/kd l d ; k ea
v'kkI dh;
l d Fkkvka dks
l Ec) fd; k x; k

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्राचार्य/अशासकीय संस्थाओं के प्रमुख विद्यार्थियों से समय पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने एवं पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधित नोडलों को स्वीकृति जारी करने के लिए भेजने हेतु उत्तरदायी थे। अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (नवम्बर 1999), जिले की समस्त अशासकीय संस्थाएं समीपस्थ शासकीय संस्था से संबद्ध होगी और अधिकतम दस अशासकीय संस्थाएं ही एक शासकीय संस्था से सम्बद्ध होगी।

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि भोपाल और ग्वालियर में दस नोडलों में दस से ज्यादा अशासकीय संस्थाएं संबद्ध थीं जिनमें 12 से 80 के बीच अशासकीय संस्थाएं थीं, जबकि इसके विपरीत भोपाल और ग्वालियर जिले के चार नोडलों से कोई भी अशासकीय संस्था संबद्ध नहीं थी। नोडलों एवं उसके साथ संबद्ध संस्थाओं की संख्या की विस्तृत जानकारी *ifj'k"V&2.56* में दी गई है।

आगे, हमने पाया कि इंदौर एवं जबलपुर जिले में नोडल का चयन नहीं किया गया था। उक्त दोनों जिलों में संबंधित सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु नोडल की तरह कार्य किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि सभी जिला कलेक्टरों को समानुपातिक युक्तिसंगत रूप से अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को नोडल से संबद्ध करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा यह भी बताया गया कि इंदौर और जबलपुर जिलों को नोडलों का चयन करने एवं इन नोडलों के साथ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को समानुपातिक रूप से संबद्ध करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

नोडलों का चयन मापदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का अनुवीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।

2.6.7.2 *Nk=ofRr vkonu i =ka dh vi wkz / dh'kk*

जिला कलेक्टर द्वारा चयनित, नोडल अधिकारियों के लिए यह आवश्यक था कि वे छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के सत्यापन का कार्य करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वास्तविक छात्रों को न्यूनतम विलम्ब से छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।

Nk=ofRr vkonu
i = ds l kfk
vko'; d Lrkost
l ayXu ugha Fks

नमूना जाँच किए गए चौदह जिलों² के 2600 आवेदन पत्रों की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज³ यथा जाति प्रमाण-पत्र, गैप प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं थे।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (मई 2012) के अनुसार छात्रों को उनके प्रवेश लेने के 15 दिवस के अन्दर छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने थे। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की पात्रता, संबंधित अशासकीय संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त होने के एक माह के भीतर निश्चित की जानी थी। उसके पश्चात इन आवेदन पत्रों को अशासकीय संस्थाओं द्वारा संबंधित नोडलों को अग्रेषित किया जाना था। हमने देखा कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा 971 आवेदन पत्रों को 2 से 12 माह के विलंब से अग्रेषित किया गया। विस्तृत विवरण ifj'k"V&2.57 में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर नमूना जाँच किये गये जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा बताया गया कि संबंधित विभागों यथा—उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा और कौशल उन्नयन/विकास विभाग को पत्र लिखे जाएंगे। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा जिलों से अद्यतन जानकारी चाहा जाना बताया गया।

2-6-7-3 Nk=ofRr dh vufpr Lohdfr

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया (जुलाई 2010) कि यदि छात्र/छात्रा द्वारा गलत विवरण के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किया जाना पाया गया तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि वसूल की जाएगी।

राज्य शासन आ.जा.क. विभाग और अ.जा.क. विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों के डाटा का रख-रखाव "www.scholarshipportal.mp.nic.in" पर किया जाता है। लेखा परीक्षा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का डाटा अनुसूचित जनजाति विभाग से सी.डी. में प्राप्त किया गया था तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा डाटा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। डाटा न तो विभाग द्वारा और न ही राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा प्रमाणित था। उपलब्ध कराए गए डाटा से एक छात्र को एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों का पता लगाने के लिए छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, के मानदण्ड के आधार पर विश्लेषण किया और हमने उपरोक्त मापदण्ड के संदर्भ में छात्रों की ऑनलाइन स्वीकृति भी डाउनलोड की। विश्लेषण में एक छात्र को एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों के 5,441 संदिग्ध प्रकरण परिलक्षित हुए जैसा कि rkfydk&1 में वर्णित किया गया है :

² भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मुरैना, पन्ना, सागर, सीहोर और उज्जैन

³ गैप प्रमाण-पत्र : 639, आय प्रमाण-पत्र : 180, विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र : 1,427 एवं जाति प्रमाण-पत्र : 51

rkfydk&1 , d Nk= dks , d l s vf/kd Lohdfr; ka dh oxbkj fLFkfr

Ok"KZ	, d Nk= dks , d l s vf/kd Lohdfr Nk=ofRr ds ixdj. kka dh l a; k		, d Nk= dks , d l s vf/kd Lohdfr Nk=ofRr ds ixdj. kka dh dly l a; k		Lohdfr Nk=ofRr dh jkf' k % djkm+ e% jkf' k	
	v-tk-	v-t-tk-			v-tk-	v-t-tk-
2010-11	573	36	609	2.55	0.14	2.69
2011-12	1217	988	2,205	6.42	4.54	10.96
2012-13	764	796	1,560	3.69	3.13	6.82
2013-14	661	406	1,067	3.18	1.60	4.78
; kx	3]215	2]226	5]441	15-84	9-41	25-25

¼kksr % foHkx }kjk i nRRk vkMM%½

चयनित 10 जिलों⁴ में ऑनलाईन डाउनलोड की गई स्वीकृतियों की आगे जाँच यह अभिनिश्चित करने के लिए की गई कि एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ था अथवा नहीं। तथापि, जिला/नोडल स्तर पर सुसंगत अभिलेखों यथा-बैंक स्क्रोल, आवेदन पत्र आदि की अनुपलब्धता के कारण नोडल अथवा संस्था स्तर पर हितग्राहियों को भुगतान की जानकारी तथा एक से अधिक छात्रवृत्ति के वास्तविक भुगतान को लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

नमूना जाँच किए गए जिलों में भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने के लिए निम्न प्रणाली अपनाई गई :

- *l gk; d vk; Ør] vk-tk-d-@ftyk l a kstd] vk-t-d- }kjk tkjh Hkxrk ds, Mokbt ds vk/kkj ij l R; ki u*

स्वीकृत छात्रवृत्ति के भुगतान की स्थिति का सत्यापन सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा उनके बैंक खातों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान को जारी भुगतान के एडवाइज के आधार पर किया गया।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सात जिलों⁵ में नमूना जाँच के 123 प्रकरणों में ₹ 0.40 करोड़ (77 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ₹ 0.27 करोड़ और 46 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ₹ 0.13 करोड़) एक छात्र को उसी शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान के एडवाइज जारी किए गए थे।

- *ftyk dk; kll; u vf/kdkjh }kjk fd, x, Hkxrk dh i q"V*

लेखा परीक्षा के दौरान, सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को एक छात्र को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति की सूची सहित इन छात्रों को भुगतान हुआ अथवा नहीं, को अभिनिश्चित करने हेतु ज्ञापन जारी किए गए थे।

तीन जिलों (इंदौर, जबलपुर तथा खरगौन) के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने 1,106 प्रकरणों में, जिनमें एक ही शैक्षणिक सत्र में एक छात्र

4 भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, सागर एवं उज्जैन
5 भोपाल, धार, ग्वालियर, झाबुआ, मण्डला, सागर एवं उज्जैन

को एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी, ₹ 3.81 करोड़ (300 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ₹ 1.04 करोड़ और 806 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ₹ 2.77 करोड़) के भुगतान की पुष्टि की। इनमें से खरगौन जिले के 15 प्रकरणों में हमने एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 2.50 लाख के संदेहास्पद अनुचित भुगतान की पुष्टि की। इन 15 प्रकरणों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि छात्रों ने एक ही शैक्षणिक सत्र में अलग-अलग संस्थाओं से अलग-अलग पाठ्यक्रमों में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त की थी।

- *l gk; d vk; Ørj vk-tk-d-@ftyk l a kstdj vk-tk-d- ds dk; kly; ea l akkfjr p.d jftLVj l s Hkqrku dk l R; ki u*

सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के कार्यालयों में संधारित चैक पंजियों से भी भुगतान की स्थिति सत्यापित की गई। भोपाल जिले में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चैक पंजी में नौ प्रकरणों (एक अनुसूचित जाति तथा आठ अनुसूचित जनजाति) में, जिनमें उसी शैक्षणिक सत्र में एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी, ₹ 2.93 लाख (अनुसूचित जाति के लिए ₹ 0.13 लाख + अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 2.80 लाख) का भुगतान दर्ज पाया गया।

इंगित किए जाने पर, सहायक आयुक्त, आ.जा.क. भोपाल ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें छात्र प्रथम दृष्टया एक से अधिक छात्रवृत्ति लेने के दोषी पाए गए, 27 छात्रों से छात्रवृत्ति की वसूली कर ली गई थी तथा 70 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अन्य नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से अगस्त 2015) कि प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ऐसे छात्रों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि ऐसे छात्रों की अद्यतन स्थिति, जिन्होंने एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिला स्तर से मांगी गई थी। आगे यह बताया गया कि अभी तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से क्रमशः ₹ 5.82 लाख तथा ₹ 18.77 लाख की वसूली कर ली गई थी।

प्रस्तुत उत्तर, योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये जिला एवं नोडल स्तर पर नियंत्रण प्रणालियों के अभाव को रेखांकित करता है।

vuq kd k

एक छात्र को एक से अधिक स्वीकृतियों को रोकने के लिये नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे कि योजना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

2-6-7-4 Nk=oirr ds Hkqrku ea foye

पो.मै.छा.यो. का प्रमुख उद्देश्य मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उसी शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

पन्द्रह चयनित जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि **i jf'k"V&2.58** में दिए गए विवरणानुसार 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति के 1.13 लाख विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जनजाति के 0.26 लाख विद्यार्थियों को किए गए ₹ 194.29 करोड़ (अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु ₹ 159.63 करोड़ + अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु ₹ 34.66 करोड़) की छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से तीन वर्ष तक विलम्ब हुआ था।

इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि छात्रों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने तथा निधि की अनुपलब्धता के कारण छात्रवृत्ति समय पर वितरित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब की अद्यतन स्थिति जिलों से मांगी गई थी। प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) ने आगे बताया कि भविष्य में समय पर छात्रवृत्ति वितरित करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

वृत्ति का

छात्रवृत्ति को समय पर स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

2-6-7-5

छात्रवृत्ति के संवितरण से संबंधित स्थायी आदेशों में उल्लेख था कि व्यय पर निगरानी रखने के लिए अभिलेख यथा-सहायक रोकड़ बही, लेजर तथा चैक रजिस्टर आदि उचित ढंग से संधारित किए जाने चाहिए।

हमने नमूना जाँच किए गए 15 जिलों में अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना पाया जिसका विवरण **2.59** में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है, 13 जिलों में सहायक रोकड़ बही संधारित नहीं की गई थी, जबकि दस जिलों में लेजर तथा तीन जिलों में चैक रजिस्टर संधारित नहीं किए गए थे। पाँच जिलों में लेजर तथा चैक रजिस्टर संधारित किए गए थे, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में, छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु संवितरित की गई राशि तथा नोडल स्तर पर किए गए व्यय को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

इंगित किए जाने पर नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने भविष्य में अभिलेख संधारित करने का आश्वासन दिया (मार्च से जुलाई 2015)।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने अभिलेखों के संधारण के संबंध में जिलों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया था।

2-6-7-6

भारत सरकार की वेबसाइटों हेतु दिशानिर्देश की कंडिका 1.5 के अनुसार, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एस.टी.क्यू.सी.) भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संगठन है। सभी सरकारी वेबसाइटों को प्रयोग करने योग्य, उपयोगकर्ता केन्द्रित और सर्वत्र सुलभ वेबसाइटों के अनुरूप एस.टी.क्यू.सी. से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अवयवों में पुनरावृत्ति न हो एवं सभी पहचान अद्वितीय होना चाहिए। विभाग वेबसाइट की अंतर्वस्तु के साथ-साथ संधारण हेतु जिम्मेदार था।

छात्रवृत्ति पोर्टल के विकास से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच किए जाने पर यह पाया गया कि एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाईन प्रणाली को विकसित किए जाने की प्रक्रिया जून 2009 में प्रारंभ की गई थी तथा संचालनों में पारदर्शिता, नियमों को लागू कराना, ई.सी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे भुगतान व धोखाधड़ी को

, I -Vh-D; wI h- I s
i ek.k&i = fd; s
fcuk Nk=ofRr
i kV/y dk fodkl
fd; k x; k , oa
fu; æ.k ræ dk
vHkko Fkk

नियंत्रित करने के लीकेज की जाँच हेतु आश्वासन के साथ जून 2011 में पोर्टल को होस्ट तथा क्रियान्वित किया गया।

हमने पाया कि छात्रवृत्ति पोर्टल का ऑनलाईन आवेदन एवं नोडल की अनुशंसा के लिए प्रयोग पी.एम.एस.एस. के अनुचित प्रयोग रोकने के लिए नियंत्रण प्रणाली विकसित/सुनिश्चित किए बिना प्रारंभ किया गया था। विभाग द्वारा एस.टी.क्यू.सी. से प्रमाणीकरण भी प्राप्त नहीं किया गया था। पोर्टल की सीमाओं/कमियों का प्रारंभिक चरण में विश्लेषण नहीं किया गया था। एन.आई.सी. द्वारा बाद में (दिसम्बर 2013) वर्तमान पोर्टल की सीमाओं यथा विद्यार्थियों की अद्वितीयता बनाए रखने हेतु विश्वसनीय तंत्र का अभाव, पहले आओ- पहले पाओ पद्धति लागू करने का अभाव इत्यादि सूचित किया गया तथा नए वर्जन को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया।

आगे, हमने पाया कि एन.आई.सी. द्वारा नवीन पोर्टल विकसित करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति संवितरित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जिला स्तर पर बड़ी राशि बैंकों में अवितरित शेष रही।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में एन.आई.सी. को पत्र लिखा गया था, तथापि, यह भी बताया गया कि वर्ष 2014-15 से प्रारंभ छात्रवृत्ति पोर्टल के नवीन वर्जन में आवश्यक उपाय कर दिए गए थे।

vud kd k

भारत सरकार की वेबसाइट की दिशानिर्देशों के अनुसार वेब छात्रवृत्ति पोर्टल का उन्नयन किया जाना चाहिए।

2-6-8 vuph{k.k

2-6-8-1 jkT; , oafTyk Lrj ij ; kstuk dk vuph{k.k u fd; k tkuk

मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त, आदिवासी विकास ने राज्य, जिला एवं नोडल स्तर पर अपेक्षाएं निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (सितम्बर 1991)। राज्य स्तर पर विभाग प्रमुख को संभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर योजना की प्रगति के संबंध में राज्य शासन को सूचित करना अपेक्षित था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पी.एम.एस.एस. योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा एक समिति का गठन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति को सत्यापित कर अशासकीय संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण करना था।

हमने पाया कि अ.जा. एवं अ.ज.जा. संचालनालयों, नमूना जाँच किए गए 14 जिलों एवं नोडलों द्वारा योजना के अनुवीक्षण से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे, जबकि, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान जिला एवं नोडल स्तर पर मुरैना जिले द्वारा निर्धारित अनुवीक्षण किया गया था।

हमने यह भी पाया कि कार्यालय सहायक आयुक्त, आ.जा.क., भोपाल में कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के लिए सभी सम्बद्ध अशासकीय संस्थानों के साथ उनकी मान्यता एवं सम्बद्धता का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया था (जनवरी 2015)। हमने पाया कि नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि हेतु सम्बद्ध संस्थानों के मान्यता एवं सम्बद्धता से संबंधित अभिलेख प्राप्त किए बिना ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा बताया गया कि अनुवीक्षण प्रणाली की भविष्य में गहन समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि जिलों से अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि उचित अनुवीक्षण के अभाव में विभिन्न अनियमितताएं यथा अभिलेखों का सत्यापन न किया जाना, स्वीकृतियों में विलम्ब तथा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की छानबीन में लापरवाही हुई।

2-6-9 vkrfjd ys[kk ijh{kk

आंतरिक लेखा परीक्षा नियमों एवं निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण एवं मूल्यांकन करती है जिससे उच्च स्तर पर प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया जा सके।

हमने पाया कि विभाग द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा 2010-15 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षा के अभाव में शासकीय निधि के दुर्विनियोजन का जोखिम हो सकता है।

निर्गम सम्मेलन में, दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों द्वारा भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-6-10 fu"d"kl , oa vuqkd k, a

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों पर पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत आवंटित राशि ₹ 1,129.33 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए गए, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत आवंटित राशि ₹ 571.92 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए गए।

- आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही जिलों को निधियां जारी की गई थी। मार्च 2015 के अंत में, नमूना जाँच किए गए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में राशि ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थी।

सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण भेजे जाने चाहिए और अव्ययित शेष राशि समय पर वापस करना चाहिए।

- मानदण्डों के विपरीत एक नोडल से बहुत अधिक संख्या में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया था।

नोडलों का चयन मापदण्ड के अनुसार किया जाना चाहिए जिससे कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का अनुवीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि, जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति रोकने के लिए नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए जिससे योजना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 1.13 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.26 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक वर्ष से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत की जानी चाहिए जिससे कि छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

यूकेड | ओक | डी/कु फोल्क

2-7 जेके; ए यूकेड | ओक डी वी/केके डीके डीके डीके; डीके; डीके; डीके

डीके; डीके डीके | केकेकेके

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया। अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम का क्रियान्वयन करने हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 (नियम) अधिसूचित किया गया (सितम्बर 2010)। अधिनियम में सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) अधिसूचित करना एवं बिना पर्याप्त कारण से सेवा प्रदान करने पर विलंब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के प्रावधान अधिनियम में शामिल हैं।

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग स्थापित किया गया था, जिसके प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन हैं। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) का भी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठन किया गया (मई 2013), कार्यपालन संचालक जिसके प्रमुख हैं। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, ब्लॉक स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सितम्बर 2012 से लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) की स्थापना की गई।

सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणों में अधिनियम के अन्तर्गत 22 विभागों की 124 सेवाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया। जिसमें से, 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रदाय नौ विभागों की 36 अधिसूचित सेवाओं की जाँच की गई थी। जाति, स्थानीय निवास, आय, अपंगता प्रमाण-पत्र जारी करना, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र), नवीन एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड, विवाह पंजीयन इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं थी। हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- अवधि 2012-13 से 2014-15 के दौरान, 181.41 लाख ऑनलाइन आवेदनों को समय सीमा में निराकृत किया गया, जो कि ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों का 75 प्रतिशत था। हमने पाया कि विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों को सहायता प्रदान करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के दिनांक को सेवा प्रदायगी मानकर आवेदनों का निराकृत दर्शाया गया था। ऐसा हितग्राहियों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता पर ऑनलाइन निगरानी रखने का कोई प्रावधान न होने के कारण था।

¶dfMdk 2-7-7 , oa 2-7-7-1½

- राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना के उद्देश्यों में एक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था जिसके लिए अधिक से अधिक नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत लाना था। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ही संसाधित किया जा रहा था। हालांकि समस्त सेवाओं को ऑनलाइन परिधि में लाने की प्रक्रिया प्रचलन में थी।

¶dfMdk 2-7-7-2½

- अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं पदाभिहित अधिकारियों तथा अपील अधिकारियों

के नाम पदाभिहित अधिकारियों/अपील अधिकारियों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। किन्तु 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 38 एवं 40 अपील अधिकारियों में से 18 के कार्यालयों में यह जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी परिणामस्वरूप नागरिकों को उचित जानकारी के प्रसार में कमी को दर्शाता है।

¶dfMdk 2-7-8-3½

- विभागों के जिला प्रमुखों को पदाभिहित अधिकारियों के निरीक्षण के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा निरीक्षण के निष्कर्ष कलेक्टर को प्रतिवेदित किया जाना था। किन्तु विभागों के जिला प्रमुखों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवाएं प्रदान की गई थी न तो निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया एवं न ही उनके द्वारा पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया गया।

¶dfMdk 2-7-10-1½

2.7.1 iLrkouk

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील किया गया था। अधिनियम का क्रियान्वयन करने हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत (म.प्र. शासन) द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 (नियम) अधिसूचित किया गया (सितम्बर 2010)। सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) एवं बिना पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विलम्ब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के बुनियादी सांविधिक प्रावधान अधिनियम में अधिसूचित थे।

सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणों में अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया जिसका विवरण ifjf'k"V 2-60 में दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानीय निवासी, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना, श्रम विभाग में प्रसूति सहायता एवं निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, सामाजिक न्याय विभाग में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रथम बार पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में एपीएल एवं बीपीएल राशन कार्ड जारी करना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं थीं।

2.7.2 I lFkkxr 0; oLFkk

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य स्तर पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग (पी.एस.एम.) स्थापित किया गया (सितम्बर 2010) था, सचिव, म.प्र. शासन जिसके प्रमुख हैं। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) एक पंजीकृत सोसायटी, का गठन किया गया था (मई 2013), कार्यपालन संचालक जिसके प्रमुख हैं। अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के समय सीमा में प्रदाय का प्रबंधन के उद्देश्य हेतु संस्थागत, नीति निर्धारण एवं प्रक्रियागत सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना राज्य लोक सेवा अभिकरण के मुख्य कार्य है। लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) जिनकी स्थापना सितम्बर 2012 से आवेदनों को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विकासखण्ड स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत की गई थी, के संचालन में भी राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा समन्वय किया जा रहा था।

जिला स्तर पर जिलाधीश अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। जिलों में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (डीईएस) का गठन मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था (जून 2009)। जिलाधीश जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के सचिव हैं। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटियों को पदाभिहित अधिकारियों, अपील अधिकारियों एवं लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) के मध्य समन्वय, अधिनियम तथा लोक सेवा केन्द्रों के बारे में जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए बैठकों/कार्यशालाओं को आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था (अगस्त, 2012)।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के आदेश (फरवरी 2012 एवं अगस्त 2012) द्वारा विभाग प्रमुख स्तर एवं संभागायुक्त स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए थे। उन्हें निगरानी प्रशिक्षण, अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रसार, तथा संभागीय स्तर के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। विभाग के जिला प्रमुखों को भी सेवाओं को प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने, पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा निगरानी का काम सौंपा गया था।

2.7.3 य[kk i jh{kk ds mnns ;

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- अधिसूचित सेवाएं प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था;
- अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई गई थी;
- अधिनियम के संबंध में नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न की गई थी;
- सेवा प्रदाताओं के क्षमता विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गये थे; तथा
- शिकायतों का समाधान एवं निगरानी हेतु तंत्र स्थापित किया गया था।

2.7.4 य[kk i jh{kk ekun.M

सेवा विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने के लिए अधिनियम के क्रियान्वयन का मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों, अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों/आदेशों/अधिसूचनाओं एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आकलन किया गया था।

2.7.5 य[kk i jh{kk dk dk; [{ks=} | eko's ku , oa dk; i z kkyh

मुख्यालय स्तर पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं चयनित जिलों में डी.ई.एस., के माध्यम से डी.ओ., ए.ओ. एवं डी.ई.एस. एल.एस.के. के 2012-13

से 2014-15 की अवधि से संबंधित अभिलेखों/आंकड़ों की जाँच की गई। पांच जिलों (भोपाल, गुना, ग्वालियर, हरदा एवं नरसिंहपुर) एवं दस तहसीलों¹ (हुजूर, बैरसिया, गुना, मकसूदनगढ़, ग्वालियर, डबरा, हरदा, खिड़किया, नरसिंहपुर एवं गोटेगांव) को 'सरल यादृच्छिक (असंगत) प्रतिदर्शी' पद्धति से चयनित किया गया।

फरवरी 2015 से जुलाई 2015 के मध्य चयनित जिलों/तहसीलों में नौ विभागों की 37 अधिसूचित सेवाओं (मार्च 2014 तक) में से 36 प्रदायित सेवाओं की जाँच की गई। ये विभाग थे श्रम विभाग (सात सेवाएं), सामान्य प्रशासन विभाग (तीन सेवाएं), सामाजिक न्याय विभाग (पांच सेवाएं), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (एक सेवा), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (पांच सेवाएं), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पांच सेवाएं), महिला एवं बाल विकास विभाग (दो सेवाएं), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (एक सेवा), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (सात सेवाएं)। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण, लेखा परीक्षित इकाइयों के अभिलेखों/आंकड़ों से एकत्र की गई जानकारी एवं अर्ध हाशिया के उत्तर प्रारम्भिक लेखापरीक्षा साक्ष्य थे।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, समावेशन एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श हेतु सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन 17 मार्च, 2015 को आयोजित हुआ था। कार्यपालन संचालक के साथ 28 अक्टूबर, 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के तथ्यों एवं आंकड़ों का सत्यापन किया एवं आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी; विभाग के विचार उपयुक्त रूप से समीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं।

यसके अलावा

अधिनियम के क्रियान्वयन में लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न विषयों पर पाई गई कमियों/अनियमितताओं को आगामी कड़िकाओं में लिया गया है:

2-7-6 लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकती है जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 2010 से मार्च 2015 के मध्य 8 चरणों में 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था। तथापि, हमने पाया कि लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने दिसंबर 2014 की अधिसूचनाओं द्वारा चार सेवाएं विलोपित कर दी थीं—सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की दो सेवाएं, अर्थात् 'जाति प्रमाण पत्र जारी करना' एवं 'राज्य निर्वाचन के अंतर्गत शहरी निकायों एवं ग्रामीण निकायों की मतदाता सूची की सत्यप्रतिलिपि प्रदान करना' एवं गृह विभाग की दो सेवाएं, अर्थात् 'लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण' एवं 'लायसेंस अवधि की समय-सीमा के समाप्ति पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण'।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि अधिसूचित सेवाओं की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागों की सेवाओं की समीक्षा की जाती है एवं प्राथमिकता तथा नागरिकों के लिए सेवाओं के महत्व के अनुसार सेवाओं को अधिसूचित/विलोपित किया जाता है। तथापि, महत्वपूर्ण

¹ प्रत्येक जिले से दो।

प्रकृति की सेवाएं जिनमें 'जाति प्रमाण पत्र जारी करना' सम्मिलित है, को विलोपित करने का कारण उत्तर से स्पष्ट नहीं होता है।

2-7-7 लोक, जाति; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति पर निश्चित समय-सीमा के भीतर या तो सेवा प्रदाय करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा।

विभागों द्वारा सेवाएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रणाली द्वारा प्रदाय की गई थीं। ऑफलाइन आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारियों² के कार्यालय में सीधे प्राप्त किये गये थे तथा www.lokseva.gov.in के माध्यम से या मैन्युअली संसाधित किए गये थे, तथापि दोनों विधियों/प्रक्रियाओं में माह का डाटा www.mid.mp.nic.in/mploksewa में परिवीक्षण हेतु प्रविष्ट किया जाना था। ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के संचालकों द्वारा प्राप्त कर www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से संसाधित किए जा रहे थे।

अवधि 2012-15 के दौरान चयनित नौ विभागों में आवेदनों की प्राप्ति एवं निराकरण की विभागवार स्थिति नीचे दी गई रकमों में दर्शाई गई है:

रकमों में दर्शाई गई है:

विवरण	आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकरण की संख्या	अवधि के अंत में निराकरण की संख्या	अवधि के अंत में निराकरण की प्रतिशत
श्रम	मातृत्व एवं विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभ, अनुग्रह सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	5,05,471	4,97,470	4,69,871	93
सामान्य प्रशासन	जाति, मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र	1,93,40,225	1,41,76,957	1,37,39,020	71
सामाजिक न्याय	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	6,17,774	5,90,701	5,62,758	91
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आकस्मिक योजना के अंतर्गत राहत राशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में शिकायत का निराकरण करना।	1,355	1,307	1,306	96
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	नवीन बी.पी.एल/ए.पी.एल राशन कार्ड	8,44,275	8,10,739	7,52,178	89
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य बीमारी सहायता निधि योजना, निःशक्त प्रमाण पत्र एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड	3,74,195	3,73,276	3,68,897	99
महिला एवं बाल विकास	लाइली लक्ष्मी योजना	4,29,456	4,23,253	4,20,475	98
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (ग्रामीण क्षेत्र) की सूची में नाम सम्मिलित किया जाना	26,72,867	25,90,241	22,64,691	85
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	जन्म एवं मृत्यु का अप्राप्तता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन	2,06,495	2,04,692	2,03,954	99

(रकमों में दर्शाई गई है)

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि इन नौ विभागों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन पत्रों के निराकरण का प्रतिशत कुल प्राप्त आवेदन पत्रों के 71 एवं 99 के मध्य रहा। कुछ चयनित सेवा विभागों में पाई गई विभाग विशेष की कमियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

² अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने हेतु अधिसूचित अधिकारी।

¼d½ I kekU; i 7 kkl u foHkkx

विभाग के लिए अधिसूचित सेवाओं में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाना सम्मिलित था। विभाग में 1.93 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए तथा 71 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया गया था। आगे 51.63 लाख आवेदन विभाग में निराकरण के लिए लम्बित थे।

¼[k½ Je foHkkx

नौ³ पदाभिहित अधिकारियों के ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों में हमने देखा कि प्रणाली में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 156 प्रकरण, विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 60 प्रकरण तथा अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत 36 प्रकरण में केवल पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सेवा की स्वीकृति दिनांक के आधार पर निर्धारित समय के भीतर निराकृत किया जाना दर्शाया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

¼x½ I kekftd U; k; foHkkx

11⁴ पदाभिहित अधिकारियों के अभिलेखों में हमने देखा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 279 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रकरणों में, आवेदकों को वित्तीय सहायता निर्धारित समयावधि के बाद प्रदान की गई थी। यद्यपि ऑनलाइन प्रकरणों को प्रणाली में पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सेवा की स्वीकृति दिनांक के आधार पर समय सीमा में निराकृत किया जाना दर्शाया गया था। हमने छह⁵ पदाभिहित अधिकारियों के अभिलेखों में यह भी देखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत पहली बार पेंशन स्वीकृत एवं प्रदान करने हेतु 650 आवेदनों को, आवेदकों को सहायता प्रदान किए जाने के पूर्व ही निराकृत दर्शाया गया था। इन 650 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशनों की स्वीकृति दिनांक को सेवा प्रदाय करने का दिनांक माना गया था।

निर्गम सम्मेलन में, कार्यपालन संचालक ने बताया कि वर्तमान में हितग्राहियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लेनदेन पर ऑनलाइन निगरानी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए धनराशि अंतरण की वास्तविक तिथियां अभिलिखित नहीं की जाती हैं। लोक सेवा प्रबंधन, वित्त एवं अन्य विभागों ने इसका समाधान करने हेतु विचारावेश सत्र संचालित किए थे। आगे यह बताया गया कि इस मामले पर विभागों से औपचारिक सम्प्रेषण के माध्यम से विभागों से चर्चा की जाएगी।

vuq kd k

वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को अधिसूचित सेवाओं की शर्तों के अनुसार अपेक्षित हितग्राहियों को वास्तविक रूप से लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात् ही निराकृत दर्शाया जाना चाहिये।

i d ku ; kst ukvka
ds vUrxir
vkondka dks
l gk; rk i nku
fd; s tkus ds i wZ
gh vkonuka dks
fujkd'r n'kkz; k
x; k Fkk

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया तथा गुना, विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बैरसिया तथा डबरा, श्रम कार्यालय, भोपाल, हरदा तथा ग्वालियर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरदा, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैरसिया, हरदा तथा खिरकिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया, फंदा, मुरार, डबरा, हरदा तथा खिरकिया एवं आयुक्त नगर निगम भोपाल तथा ग्वालियर
5 आयुक्त, भोपाल नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा तथा हरदा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैरसिया, खिरकिया तथा हरदा

2-7-7-1 jkT; Lrj ij vf/kfu;e ds vllrxr Lok, a ink; djkus dh fLFkfr

2012-13 से 2014-15 के दौरान राज्य में सभी अधिसूचित सेवाओं के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों की प्राप्ति एवं निराकरण की स्थिति आगामी तालिकाओं में दर्शाई गई है:

vkWbykbu , oa vkWdykbu vkonuka dh ikfkr , oa fujkdj.k dh fLFkfr dks n'kkZus okyk foaj.k i=d rkydk&2% ykd Lok dlnka }kjk l d kf/kr vkonu %vWbykbu%

o"Z	ikr vkonuka dh dgy l a; k	fujkdr vkonu	fu/kkjr l e; l hek ea fujkdr vkonu	dgy ikr vkonuka ds l a; k ea l e; l hek ea fujkdj.k dk ifr'kr
2012-13	19,76,867	17,03,503	16,01,078	81
2013-14	77,84,257	77,17,671	68,10,783	87
2014-15	1,43,78,904	1,02,08,559	97,29,148	68
; ksx	2,41,40,028	1,96,29,733	1,81,41,009	75

(Lkkr% jkT; ykd Lok vllkdj.k }kjk ocl kbV www.mpedistrict.gov.in }kjk r\$ kj tkudkjh ds vk/kkj ij ink; tkudkjh)

Rkkydk&3% inkfHkfgfr vf/kdkfj; ka }kjk l h/ks ikr vkonu %vWdykbu%

o"Z	ikr vkonuka dh dgy l a; k	fu/kkjr l e; l hek ea fujkdr vkonu	dgy ikr vkonuka ds l a; k ea l e; l hek ea fujkdj.k dk ifr'kr
2012-13	74,92,104	74,30,326	99
2013-14	64,21,418	62,85,236	98
2014-15	70,20,938	62,29,040	89
; ksx	2,09,34,460	1,99,44,602	95

(Lkkr% jkT; ykd Lok vllkdj.k }kjk ink; ifjoh{k.k l ipuk izkkyh MkVk)

Rkkydk&2 तथा rkydk&3 दर्शाती हैं कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान कुल 450.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रणाली से प्राप्त आवेदन क्रमशः 2012-13 में 21 एवं 79 प्रतिशत, 2013-14 में 55 एवं 45 प्रतिशत तथा 2014-15 में 67 एवं 33 प्रतिशत थे। ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों में से 181.41 लाख आवेदन (75 प्रतिशत) निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकृत किए गए, जबकि ऑफलाइन आवेदनों का समय सीमा में निराकरण का प्रतिशत 95 था।

राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2015 की स्थिति में 4.55 लाख ऑफलाइन आवेदन लंबित थे। तथापि, प्राप्त तथा निराकृत आवेदनों से संबंधित जानकारी से हमें ज्ञात हुआ कि लंबित आवेदन 10.29 लाख पाए गए। इस प्रकार, अवधि 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान लंबित आवेदनों की संख्या में 5.74 लाख का अन्तर था।

निर्गम सम्मेलन में, कार्यपालन संचालक ने बताया कि ऑफलाइन आवेदनों के संबंध में डाटा का पुनः परीक्षण कर तदनुसार वांछित सुधार किया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि डाटा के प्रभावी परिवीक्षण हेतु जिलाधीशों को अनुदेश जारी किये जाएंगे।

vuq kd k

प्रभावी परिवीक्षण हेतु सभी आवेदन/सेवाएं एक ही वेबसाइट के माध्यम से संसाधित की जानी चाहिए।

2.7.7.2 राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना के उद्देश्यों में एक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना था जिसके लिए अधिक से अधिक नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत

लाया जा सके। तथापि 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से केवल 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लोक सेवा केन्द्रों द्वारा संसाधित किया जा रहा था। शेष सेवाएं राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में नहीं लायी जा सकी थी तथा पदाभिहित अधिकारियों के माध्यम से ऑफलाइन प्रदाय किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि समस्त सेवाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

vud kd k

राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा समस्त अधिसूचित सेवाएं समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्रणाली में लाने का प्रयास करना चाहिए।

2-7-8 I lok ink; xh ds fy, I LFkkxr 0; oLFkkvka esa dfe; ka

सेवा प्रदायगी के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं में निम्न कमियां परिलक्षित हुई:

2-7-8-1 ykd I lok dnz

अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, खण्ड स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत राज्य में 336 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई थी। लोक सेवा केन्द्रों से सेवाओं को प्राप्त करने के लिए शुल्क ₹ 30 प्रति आवेदन निर्धारित किया गया था। लोक सेवा केन्द्रों का मुख्य कार्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदनों को प्राप्त कर संसाधित करना तथा पूर्ण आवेदन को पदाभिहित अधिकारियों को ऑनलाइन भेजना था। लोक सेवा केन्द्रों का यह भी दायित्व था कि प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा तैयार किए गए अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को निःशुल्क प्रदान करे। हमें लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में निम्न कमियां परिलक्षित हुई:

• **I lok ink; xh dh rkjh[k dh ifof"V u fd; k tkuk**

चार लोक सेवा केन्द्रों (डबरा, गोरखी, जिलाधीश कार्यालय हरदा तथा खिरकिया) के भौतिक सत्यापन के दौरान सॉफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट में हमने पाया कि लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदायगी की तारीख की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी (डबरा लोक सेवा केन्द्र को छोड़कर)। आगे हरदा एवं खिरकिया लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदायगी के साक्ष्य के रूप में आवेदकों की अभिस्वीकृति से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि प्रणाली में सेवा प्रदायगी की तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

• **Loep dk; bkgi grq vi hy vf/kdkfj; ka dks idj. k vxr"kr u djuk**

अनुबन्ध के अनुसार, पदाभिहित अधिकारियों/प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा जहाँ सेवा निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं की गई थी अथवा आवेदन नामंजूर किए गए थे, लोक सेवा केन्द्र ऐसे प्रकरणों को स्वमेव कार्यवाही हेतु अगले उच्च प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। हमने पाया कि चयनित जिलों में लोक सेवा केन्द्रों द्वारा इस अनुदेश का अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि कार्य प्रणाली के अनुसार आवेदक अपील दायर कर सकता है अथवा अपील अधिकारी लंबित प्रकरणों को स्वमेव अपील के रूप में विचार में ले सकते हैं।

उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुबंध के तहत लोक सेवा केन्द्रों को प्रकरण स्वमेव कार्यवाही हेतु अगले उच्च प्राधिकारी को अग्रेषित करना अपेक्षित था।

● *tu'kfDr ds yxk, tkus ea dfe; ka*

प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र पर तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित कम से कम पाँच व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक था तथा यदि लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या लगातार तीन माहों में 2000 से अधिक होती है तो प्रत्येक 750 आवेदनों की वृद्धि पर संचालक द्वारा एक अतिरिक्त कंप्यूटर टर्मिनल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया जाएगा।

हमने पाया कि नमूना जाँच किए गए 12 लोक सेवा केन्द्रों में से, चार लोक सेवा केन्द्रों (जिलाधीश कार्यालय भोपाल, जिलाधीश कार्यालय हरदा, खिरकिया एवं गोरखी) में लगातार तीन से नौ माहों में 2,750 से अधिक आवेदन (3,004 से 17,506 आवेदन) प्राप्त हुए, लेकिन लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर एवं टर्मिनल की व्यवस्था नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि मामले की समीक्षा की जाएगी एवं लेखा परीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण किया जाएगा।

2-7-8-2 ft yk b&xoudll l kd k; Vh

जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटियों को पदाभिहित अधिकारियों, अपील अधिकारियों एवं लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) के मध्य समन्वय तथा प्रक्रिया शुल्क के अलावा लोक सेवा केन्द्रों द्वारा संग्रहीत राशि को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सांविधिक शुल्क को संग्रह करने एवं कोषालय में (जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी के माध्यम से) जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित की थी (जुलाई 2012 एवं सितंबर 2012)। एक माह में किसी विशिष्ट सेवा हेतु जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में संचित सांविधिक शुल्क की राशि संबंधित राजस्व शीर्ष में शासन के खाते में अनुगामी माह में जमा की जानी थी।

हमने देखा कि जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी भोपाल एवं हरदा ने लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदकों से प्राप्त किए गए सांविधिक शुल्क का विवरण संधारित नहीं किया। जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी ग्वालियर ने सूचित किया कि 2012-15 के दौरान सांविधिक शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था। जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी गुना ने सूचित किया कि अवधि सितंबर 2012 से अक्टूबर 2015 में सांविधिक शुल्क ₹ 10.88 लाख संग्रहीत किया गया था जो उनके खाते में जमा थे। जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी नरसिंहपुर ने सूचित किया कि अवधि 2012-15 में सांविधिक शुल्क ₹ 42.79 लाख संग्रहीत किया गया था जिसमें से ₹ 33.47 लाख कोषालय में जमा किए गए थे एवं ₹ 9.32 लाख जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में जमा थे।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि यह मामला पहले से ही संज्ञान में लिया जा चुका है एवं समस्त ई-गवर्नेन्स सोसायटियों को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि सांविधिक शुल्क शासन के खाते में समय पर जमा करें।

2-7-8-3 i nkflkfg r vf/kdkjh rFkk vihy vf/kdkjh

अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, राज्य सरकार समय समय पर, समय सीमा में सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए, पदाभिहित अधिकारी/अपील अधिकारी अधिसूचित कर सकती है। पदाभिहित अधिकारी/अपील अधिकारी के कार्यों में हमें निम्न कमियां परिलक्षित हुईं:

• *ift; ka@vfhkysfkkk dk l akkj.k u fd; k tkuk*

नियम 16 में प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदकों को सेवा प्रदाय करने से सम्बन्धित जानकारी का अभिलेख रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (प्रपत्र 3 एवं 4) निर्धारित किए गए थे।

हमने अभिलेखों की संवीक्षा में देखा कि 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 41 तथा 40 अपील अधिकारियों में से तीन $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ने प्रपत्र 3 एवं 4 में निर्धारित पंजियाँ संधारित नहीं की थीं। पंजी का संधारण न किए जाने के कारण, यह अभिनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं था कि सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्रदाय की गई थीं।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय में आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने का प्रावधान किया जा रहा था। पंजी का संधारण एवं समस्त सम्बन्धित जानकारी की प्रविष्टि करने के लिए सभी विभागों एवं जिलों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

• *UkksVI ckMZ ij tkudkjh inf'kr u fd; k tkuk*

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली एवं प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम 6 तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग म.प्र. शासन के आदेश (सितंबर, 2010) के अनुसार, कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय-सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज तथा पदाभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी⁶ का नाम दर्शाया जाना था।

हमने देखा कि 82 पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों में से 38 तथा 40 अपील अधिकारियों में से 18 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ के कार्यालयों में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने वाले नोटिस बोर्ड नहीं लगाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि सभी जिलों के जिलाधीश को पूर्व में ही अनुपालनार्थ अनुदेश जारी किए गए थे।

2-7-9 {kerk fodkl

अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानवशक्ति का परिनियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेखा परीक्षा के दौरान आठ⁷ पदाभिहित अधिकारियों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रबंधन में स्टाफ की कमी को एक अवरोध बताया। प्रकरण की आगामी संवीक्षा में छह⁸ पदाभिहित अधिकारियों ने बताया कि स्टाफ की मांग मौखिक रूप से की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि परिवीक्षण के उद्देश्य से विभाग राज्य स्तर कार्यालय में स्टाफ की वृद्धि कर रहा है तथा बेहतर परिवीक्षण एवं निष्पादन के लिए जिला स्तर के कार्यालयों में भी स्टाफ में वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है। आगे यह भी बताया गया कि राजस्व विभाग के पदाभिहित अधिकारियों के लिए,

⁶ अधिनियम के अंतर्गत अपील सुनवाई के लिए अधिसूचित अधिकारी

⁷ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया एवं फंदा (भोपाल), तहसीलदार, बैरसिया एवं हरदा, सिविल सर्जन, हरदा, परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, हरदा (दो इकाईयाँ) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैरसिया।

⁸ सिविल सर्जन, हरदा, परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, हरदा (दो इकाईयाँ), तहसीलदार, हरदा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैरसिया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया

जहाँ सबसे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, कार्यालय सहायक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पूर्व में ही शासन द्वारा अनुमोदित है।

2-7-10 f'kdk; rka ds fuokj .k rFkk fuxjkuh ds fy, iz.kkyh

अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिकायतों के निवारण तथा प्रभावी निगरानी आवश्यक है। हमने निम्नलिखित कमियाँ देखी:

2-7-10-1 i nkfHkfg r vf/kdkfj; ka ds dk; k; dk; dk fujh{k.k k ugha fd; k x; k

लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र. शासन ने सम्बन्धित विभागों के जिला प्रमुखों को पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों के निरीक्षण का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने, तदनुसार निरीक्षण करने तथा अपने निष्कर्ष जिलाधीश को प्रतिवेदित करने के लिए निर्देशित किया गया था (फरवरी 2012 एवं अगस्त 2012)।

जिलाधीश द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से ज्ञात हुआ कि 2012-15 के दौरान भोपाल जिले में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। भोपाल, ग्वालियर तथा हरदा में चयनित नौ विभागों के जिला प्रमुखों ने यह आश्वस्त करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नागरिकों को सेवाएं प्रदाय की गई थी, निरीक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया और न ही उन्होंने पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय का आवधिक निरीक्षण किया।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये थे और नागरिकों को निर्बाध रूप से सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्राधिकारियों को आगामी अनुदेश जारी किये जाएंगे।

2-7-10-2 f'kdk; rka dk fuokj .k

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर किया गया था अथवा जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा प्रदाय नहीं की गई थी, आवेदन नामंजूर किए जाने की तारीख अथवा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से, 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील दाखिल की जा सकती है। द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील को रद्द या स्वीकार कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक के अनुसार (यथा जनवरी 2012 में संशोधित), अपील अधिकारी स्वमेव, रद्द किये गये या निर्धारित समय-सीमा के बाद लंबित आवेदनों का अभिलेख माँग सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

राज्य लोक सेवा अभिकरणों द्वारा दी गई जानकारी में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

कुल 45,387 प्रथम अपील प्रकरणों में से, 33,370 (74 प्रतिशत) प्रथम अपील प्रकरणों का समय पर निराकरण किया गया जबकि अन्य 10,908 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया। वर्षवार स्थिति नीचे रकमों में दी गई है:

रकफयदक&4% jkT; ea i Fke vihy nkf[ky rFkk fujkdj.k djus dk o"kbkj fooj.k
%vklWykbu%

o"kl	nkf[ky dh xbz i Fke vi hyka dh l a ; k	l e; &l hek ea vi hyka dk fujkdj.k	fujkdj.k dk i fr'kr	l e; &l hek ds ckn vi hyka dk fujkdj.k
2012-13	5,440	2,357	43	96
2013-14	27,202	19,659	72	6,420
2014-15	12,745	11,354	89	4,392
; kx	45,387	33,370	74	10,908

%lkr-% jkT; ykd l ok vflkdj.k }kj k i nk; dh xbz tkudkj h%

पाँच चयनित जिलों में हमने पाया कि 3,154 प्रथम अपील प्रकरणों में से 2,442 (77 प्रतिशत) समय पर निराकृत किए गए जबकि अन्य 543 आवेदन निर्धारित समय-सीमा के बाद निराकृत किए गए थे।

¼[k½ 2012-13 से 2014-15 की अवधि में अपील प्राधिकारियों ने राज्य में 230 पदाभिहित अधिकारियों पर ₹ 11.56 लाख की शास्ति अधिरोपित की जिसमें से ₹ 4.24 लाख की राशि 414 आवेदकों को क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित की गई थी।

¼x½ हमने पाया कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान राज्य में 37.07 लाख ऑनलाइन आवेदन या तो समय-सीमा के भीतर नामंजूर कर लिए गए अथवा निर्धारित समय-सीमा के बाद सेवाएं प्रदाय/नामंजूर की गईं। इनमें से, प्रथम अपील अधिकारियों ने 3,528 ऑनलाइन प्रकरणों में स्वमेव कार्यवाही की जो इन विलम्बित/नामंजूर ऑनलाइन प्रकरणों का 0.1 प्रतिशत था। इनमें से, 815 प्रकरणों (23 प्रतिशत) में सेवाएं प्रदाय की गईं थी। आगे हमने देखा कि पाँच चयनित जिलों में केवल भोपाल जिले में स्वमेव कार्यवाही की गई।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को स्वमेव कार्यवाही करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा था तथा भविष्य में भी उन्हें निर्देशित किया जाएगा।

2-7-11 fu"d"kl rFkk vuq ka k, a

- विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों को सहायता प्रदान करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिनांक को सेवा प्रदाय मानकर आवेदनों को निराकृत दर्शाया गया था।

वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों को, आवेदकों को वास्तविक रूप से लाभ प्रदाय करने के पश्चात ही निराकृत दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि अधिसूचित सेवाओं की शर्तों के अनुसार अपेक्षित है।

- 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से, केवल 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली से संसाधित की जा रही थी। अधिकांश लोक सेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन प्रकरणों में आवेदकों को वास्तविक रूप से सेवा प्रदाय की तारीख की प्रविष्टि प्रणाली में नहीं की गई थी। जिला ई-गवर्नेंस सोसायटियों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त सांविधिक शुल्क का लेखांकन नहीं किया गया था।

i Fke vihy
vf/kdkfj; ka us doy
3528 vklWykbu
idj.kka ea Lo% j .kk
l s dkj bkbz dh tks
vof/k 2012&15 ds
nkj ku foyfcr@
ukeatj vklWykbu
idj.kka dk ek= 0-1
i fr'kr Fkk

राज्य लोक सेवा अभिकरण को समयबद्ध तरीके से सभी अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली में लाने का प्रयास करना चाहिए।

- पदाभिहित अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों ने परिवीक्षण हेतु वांछित पंजियाँ संधारित नहीं की थी। शिकायत निवारण प्रणाली प्रभावकारी रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था।

आवेदनों के निराकरण हेतु परिवीक्षण प्रणाली को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

vkfne tkfr dY; k.k foHkx

2-8 e/; in'sk ea fo'k'sk : i l s detkj tutkrh; l engka ds fodkl
ds fy; s dk; Øeka dk fØ; kÙo; u

dk; ï kyu l kjk k

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.व्ही.टी.जी.), जिनमें साक्षरता का स्तर कम है, उनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई) द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराई जा रही थी। भारत सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिये दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश में तीन जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की पहचान की गई थी जो 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2004-05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या 4.87 लाख थी। राज्य सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के लिये सी.सी.डी. योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, आवास, रोजगार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिये गतिविधियों/योजनाओं को शुरू किया गया। राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिए 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की स्थापना पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु की थी।

अवधि 2010-11 से 2014-15 के लिए मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए संरक्षण-सह-विकास योजना लागू की जा रही थी। आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने सर्वेक्षण उपरान्त चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवास करने वाले पी.व्ही.टी.जी. को भी समान लाभ देने का निर्णय लिया (मार्च 2010)। सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवम्बर 2012 में चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवासरत 1.05 लाख पी.व्ही.टी.जी. परिवारों की 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. जनसंख्या को चिन्हांकित किया गया। तथापि, इन पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना (2012-17) में शामिल नहीं किया गया था, जबकि सरकार को पिछली योजना में उनके शामिल न किये जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

¶dfMdk 2-8-6-1¶

- पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012-17) पी.व्ही.टी.जी. समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए थी। सामाजिक-आर्थिक बेसलाइन सर्वेक्षण न केवल जनसंख्या के आंकड़े बल्कि अन्य सभी संबंधित आंकड़े जैसे साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना की उपलब्धता इत्यादि जानने के लिये किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना (2012-17) वर्ष 2004-05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी.योजना 2012-17 तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

¶dfMdk 2-8-6-2¶

- 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने पी.व्ही.टी.जी. के विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ₹ 246.96 करोड़ व्यय किए। सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी थी।

¶¶¶Mdk 2-8-8½

- हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना के तहत 2010-15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010-15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

¶¶¶Mdk 2-8-8-1½

- संचालनालय और पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्तर पर अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था। निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कमियों को दूर करने हेतु संचालनालय को सुदृढ़ किया जायेगा।

¶¶¶Mdk 2-8-9½

- राज्य में रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में गंभीर बीमारियों के उपचार एवं ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों का प्रावधान है। हमने देखा कि गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जारी ₹ 11.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) उपयोग किए गए। आगे, राज्य में 2011-15 के दौरान लक्षित 1,517 चिकित्सा जाँच शिविरों में से 788 चिकित्सा जाँच शिविर पी.व्ही.टी.जी. के लिये आयोजित किए गए थे।

¶¶¶Mdk 2-8-10 vksj 2-8-10-1½

2-8-1 iLrkouk

अनुसूचित जनजातियों में से, कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कृषि में प्रौद्योगिकी पूर्व स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पी.व्ही.टी.जी.) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जिन्हें पहले विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के रूप में जाना जाता था। मध्यप्रदेश में तीन जनजातियाँ बैगा, सहरिया और भारिया की पहचान की गई थी जो राज्य के 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2004-05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में बैगा, सहरिया और भारिया की जनसंख्या क्रमशः 1,73,493; 3,11,722; एवं 2,135 थी। बैगा अनूपपुर, बालाघाट, डिंडौरी, मण्डला, शहडोल एवं उमरिया जिलों में, सहरिया गुना (अशोकनगर सहित), ग्वालियर (दतिया सहित), श्योपुर (भिण्ड, मुरैना सहित) और शिवपुरी जिले में तथा भारिया छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत हैं।

पी.व्ही.टी.जी. का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराई जा रही थीं। इसके तहत कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, सेवा गतिविधि, लघु सिंचाई और आय सृजन कार्यक्रम के लिए गतिविधियों/योजनाओं को किया जाना था।

पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिए दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के लिए सी.सी.डी. योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, आवास, रोजगार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए गतिविधियों/योजनाओं को शुरू किया गया था।

2-8-2 | xBukkRed | j puk

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये कार्यक्रम लागू करता है। आयुक्त आदिवासी विकास (सी.टी.डी.) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। संचालनालय पी.टी.जी. के अधीन संचालक पी.टी.जी., पी.व्ही.टी.जी. की कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करता है। जिला स्तर पर उनकी सहायता सहायक आयुक्त (ए.सी.)/जिला संयोजक (डी.ओ.)/परियोजना प्रशासक (पी.ए.) द्वारा की जाती है।

राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिये 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन स्थापना की थी। ए.सी./डी.ओ./पी.ए., पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के सदस्य सचिव हैं। पी.टी.जी. विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए थे कि भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता निधि व्यपगत न हो तथा इन निधियों का प्रयोग आने वाले वर्षों में पी.व्ही.टी.जी. के हित में हो सके। ये अभिकरण एस.सी.ए./सी.सी.डी. योजना तैयार कर रहे हैं और इसके क्रियान्वयन का निरीक्षण करते हैं।

2-8-3 ys[kki jh{kk dk mnns ;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि :

- वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी तथा पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई थी;
- निधियाँ पर्याप्त रूप से एवं समय से आवंटित एवं जारी की गई थीं, तथा कार्यक्रमों के वित्त पोषण का प्रबंधन कुशलता से किया गया था;
- योजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त एवं प्रभावी था; तथा
- स्वास्थ्य योजना के विशेष संदर्भ में पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया।

2-8-4 ys[kki jh{kk ekun.M

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नानुसार थे :

- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं के दिशा-निर्देश;
- पी.व्ही.टी.जी. की पहचान से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत;
- वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना; तथा
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश/आदेश।

2-8-5 ys[kki jh{kk | ekoš ku rFkk dk; ũ z kkyh

अवधि 2010-15 के दौरान पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए सी.सी.डी. एवं एस.सी.ए. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा संचालक पी.टी.जी. और पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के कार्यालयों से एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण एवं अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से दिसम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य की गई। राज्य में 11 पी.टी.जी.

विकास अभिकरणों में से छह पी.टी.जी विकास अभिकरणों अर्थात् डिंडोरी, गुना, शहडोल, शिवपुरी, तामिया (छिन्दवाड़ा) और उमरिया का चयन किया गया।

प्रवेश सम्मेलन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ 18 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव के साथ 20 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया गया। विभाग के उत्तरों को उपयुक्त रूप से सुसंगत कांडिकाओं में शामिल कर लिया गया है।

2-8-6 vk; kst uk

2-8-6-1 I h-l h-Mh- ; kst uk ea i h-0gh-Vh-th- dh cMh tul d; k dks 'kkfey u fd; k tkuk

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य में पहचान किये गये पी.व्ही.टी.जी. से संबंधित प्रत्येक समुदाय के बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्था (टी.आर.आई.) से या स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने पर जोर दिया था (जून 2002 और अगस्त 2002)। टी.आर.आई. द्वारा वर्ष 2004-05 में उन्हीं ग्रामों, विकासखण्डों में सर्वेक्षण किया गया जहां वर्ष 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या प्रतिवेदित की गई थी।

चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए संरक्षण-सह-विकास योजना लागू की जा रही थी। तथापि, आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने सर्वेक्षण उपरान्त चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवास करने वाले पी.व्ही.टी.जी. को भी समान लाभ देने का निर्णय लिया (मार्च 2010)। सर्वेक्षण टी.आर.आई. द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले बैगा, सहरिया और भारिया क्रमशः 1,60,204; 2,09,372; एवं 79,920 पाए गए थे। सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को नवम्बर 2012 में भेजा गया था।

हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना (2012-17) वर्ष 2004-05 में आयोजित बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी। यद्यपि पी.व्ही.टी.जी. की छोड़ी गई जनसंख्या के तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में थे, टी.आर.आई. से नवीनतम सर्वेक्षण इनपुट को सी.सी.डी. योजना (2012-17) के लिए संग्रहीत नहीं किया गया था। इस प्रकार, 4.49 लाख की पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या को सी.सी.डी. योजना में शामिल नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. को लाभ का विस्तार करने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012-17) अगस्त 2012 में तैयार की गई थी एवं टी.आर.आई. से बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवम्बर 2012 में प्राप्त हुआ था।

तथ्य यह है कि चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना (2012-17) में शामिल नहीं किया जा सका था जबकि सरकार को पिछली योजना में उन्हें शामिल न किए जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

2-8-6-2 I kekftd vkffkd I oqk.k fd, fcuk ipo"khz I h-l h-Mh- ; kst uk 1/2 2012&17 1/2 dks r; kj fd; k tkuk

जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को जनसंख्या के आंकड़े, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर इत्यादि कारकों को ध्यान में रखते हुए किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012-17) तैयार

fplgkfd r {ks= l s
ckgj jgus okys
4-49 yk[k i h-0gh-
Vh-th- tul d; k
dks I h-l h-Mh-
; kst uk 1/2 2012&17 1/2
ea 'kkfey ugha
fd; k x; k Fkk
tcf d l jdkj dks
fi Nyh ; kst uk ea
mlg a 'kkfey u
fd, tkus ds ckjs
ea tkudkj h Fkh

करनी थी। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों से प्राप्त योजना को राज्य सरकार को प्रेषित करने से पहले संचालनालय स्तर पर संकलित किया जाता है एवं वहां से भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया (जनवरी 2012) कि अवधि 2012-17 के लिए योजना पी.व्ही.टी.जी. समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से तैयार की जानी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक बेसलाइन सर्वेक्षण न केवल जनसंख्या के आंकड़े बल्कि अन्य सभी संबंधित आंकड़े जैसे साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना की उपलब्धता इत्यादि जानने के लिए किया जाना था।

संचालनालय एवं नमूना जाँच किए गए अभिकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि पी.व्ही.टी.जी. का बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.डी. योजना (2012-17) तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी.योजना (2012-17) तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि पी.व्ही.टी.जी. के वार्षिक सर्वेक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, योजना 2004-05 के बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सी.सी.डी. योजना (2012-17) तैयार करने हेतु भारत सरकार ने अपने निर्देशों (जनवरी 2012) में जनसंख्या के आंकड़े और अन्य संबद्ध आंकड़ों को जानने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण करने के विशेष रूप से सुझाव दिए थे।

2-8-6-3 *vfHkdj.k Lrj ij vf/k'kkl h fudk; dk xBu u gkuk*

प्रत्येक पी.टी.जी. विकास अभिकरण में अधिशासी निकाय का गठन दो वर्ष के लिए किया गया था। अधिशासी निकाय के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल को पी.व्ही.टी.जी. समुदाय से राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिये नामित किया जाता है। अधिशासी निकाय को पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये योजना बनाने एवं उसका कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन सौंपा गया है। अधिशासी निकाय के गठन होने तक संबंधित जिलों के जिलाधीशों को अधिशासी निकाय के अध्यक्ष की शक्ति होगी।

हमने देखा कि नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में 2010-15 के दौरान अधिशासी निकाय का गठन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अधिशासी निकाय के गठन हेतु कार्यवाई की जा रही थी।

2-8-7 *l h-l h-Mh- ; kstuk , oa , l-l h-, - ; kstuk ds fØ; kJo; u ea i h-Vh-t-h-fodkl vfHkdj.k ka dh Hkafedk*

जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना था कि भारत सरकार से प्राप्त एस.सी.ए. निधि व्यपगत नहीं होनी चाहिए और ये निधियां पी.व्ही.टी.जी. के हितार्थ आगामी वर्षों में उपयोग की जाए। तथापि, हमने सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. योजना के कार्यान्वयन में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं अनुवीक्षण में कमियां पाईं जिन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2-8-8 foRrh; i x/ku

भारत सरकार से सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार को अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन निधियों का उपयोग करने के लिये बजट में प्रावधान करती है। इसके पश्चात राज्य सरकार जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को निधियां जारी करती है और पी.टी.जी. विकास अभिकरण कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते हैं।

2010-15 के दौरान बजट प्रावधान और व्यय की स्थिति rkydk&1 में दर्शाई गई है:

rkydk&1% | h-l h-Mh- ; kstuk , oa , l-l h-, - dk ctV vkoW/u vksj 0; ;
(₹ djkm+e#)

o"kl	ctV iko/kku	0; ;	vkf/kD; %\$%@cpr%&½
2010-11	58.47	59.59	1.12
2011-12	42.57	42.57	..
2012-13	82.92	75.26	1.66
2013-14	58.10	57.24	1.86
2014-15	12.44	12.30	1.14
; ksx	254-50	246-96	

¼ kr&foLr'r fofu; ksx yq'k#

वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हमने निम्नलिखित कमियां पाई:

- नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में हमने पाया कि मार्च 2015 की स्थिति में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों में ₹ 88.81 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही थी। मुख्य अव्ययित शेष शिवपुरी में (₹ 46.25 करोड़) और गुना, अशोकनगर सहित (₹ 32.77 करोड़) था। विवरण i f' k"V&2-64 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अव्ययित शेष का मुख्य कारण वर्ष के अंत में निधि जारी होना एवं गंभीर बीमारियों पर निधियों का अनुपयोग है। तथापि, शिवपुरी एवं गुना में अधिक शेषों की स्थिति की जाँच कराई जाएगी।

- हमने पाया कि अवधि 2010-15 के दौरान सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. अंतर्गत भिंड जिले को सहरिया परिवारों हेतु राशि ₹ 1.45 करोड़ जारी की गई थी। तथापि, इन पी.व्ही.टी.जी. पर निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र या अधिवास प्रमाणपत्र नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि पी.व्ही.टी.जी. के पास स्थाई निवास न होने से राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। राशि का उपयोग अन्य पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में स्वीकृत योजनाओं पर किया जाएगा।

- जनश्री बीमा योजना अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को ग्वालियर जिले के 25,015 सहरिया परिवारों को बीमा अंतर्गत कवर करने के लिये राशि ₹ 1.25 करोड़ प्रेषित की गई थी (मार्च 2011)। एल.आई.सी. ने ₹ 0.10 लाख वापस कर दिए और 24,995 परिवारों का विवरण मांगा (सितम्बर 2011)। पी.टी.जी. विकास अभिकरण, ग्वालियर परिवारों का विवरण नहीं दे सका और एल.आई.सी. से राशि लौटाने का आग्रह किया गया (फरवरी 2014)। हमने देखा कि ग्वालियर जिले में वर्ष

uewuk tkp fd, x, Ng
uewuk tkp ih-Vh-th-
fodkl vfhkdj.kka ds
Ck&d [kkrka ea ₹ 88-81
djkm iM&gq Fks

2004-05 के सर्वेक्षण में केवल 6,995 परिवारों को बताया गया। इस प्रकार, गलत प्रस्ताव के कारण ₹ 1.25 करोड़ की निधि एल.आई.सी. के पास अवरुद्ध थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

- पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को वित्तीय वर्ष के अंत में संचालनालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) अग्रेषित करना आवश्यक था। हमने देखा कि नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में से दो अभिकरणों (शिवपुरी और गुना के अंतर्गत अशोकनगर) ने 2010-15 के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। शेष चार अभिकरणों ने जारी राशि ₹ 138.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 19.69 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। विवरण i f j f ' k " V & 2-65 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे।

2-8-8-1 , l - l h , - , o a l h - l h - M h - ; k s t u k v a r x r f o r r h ; , o a H k k f r d i x f r

अवधि 2010-15 के लिए संचालनालय द्वारा प्रस्तुत की गई 11 अभिकरणों की सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को r k f y d k 2 एवं 3 में दर्शाया गया है:

r k f y d k & 2 % l h - l h - M h - ; k s t u k v a r x r f o r r h ; , o a H k k f r d i x f r

deh

l h - l h - M h - ; k s t u k	f o Y k h ; i x f r			H k k f r d i x f r		
	v k o a / u	0 ; ;	' k s k	y { ;	m i y f c / k	d e h
शिक्षा	41.25	30.38	10.87	1,22,071	91,512	30,559(25.03%)
स्वास्थ्य	14.93	3.80	11.13	1,965	882	1,083(55.11%)
पेयजल	22.12	17.68	4.44	2,481	2,052	429(17.29%)
कृषि	15.59	10.80	4.79	11,394	7,002	4,392(38.55%)
आवास	61.81	38.18	23.63	12,535	7,942	4,593(36.64%)
संस्कृति	0.79	0.54	0.25	41	39	02(4.88%)
रोजगार	10.25	5.77	4.48	4,826	2,723	2,103(43.58%)
; k s x	166-74	107-15	59-59	1]55]313	1]12]152	43]161]27-79%½

½ k s r % f o ' k s k f i N M h t u t k f r f o d k l v f h k d j . k k a d s i x f r i f r o n u d s v u d k j ½

R k f y d k & 3 % , l - l h , - , v a r x r f o r r h ; , o a H k k f r d i x f r

deh

l h - l h - M h - ; k s t u k	f o Y k h ; i x f r			H k k f r d i x f r		
	v k o a / u	0 ; ;	' k s k	y { ;	m i y f c / k	d e h
कृषि	19.55	15.43	4.12	9,631	7,811	1,820(18.90%)
आय अर्जित योजना	3.40	2.43	0.97	2,246	1,777	469(20.88%)
उद्यानिकी	1.64	1.20	0.44	828	525	303(36.59%)
मत्स्यपालन	0.49	0.33	0.16	320	145	175(54.69%)
रोजगार योजना	2.40	2.05	0.35	1,040	943	97(9.33%)
पूजीगत व्यय	9.01	6.43	2.58	693	621	72(10.39%)
; k s x	36-49	27-87	8-62	14]758	11]822	2]936]19-89%½

½ k s r % f o ' k s k f i N M h t u t k f r f o d k l v f h k d j . k k a d s i x f r i f r o n u d s v u d k j ½

जैसा कि r k f y d k & 2 और r k f y d k & 3 से स्पष्ट है, सी.सी.डी. योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 2010-15 की अवधि के दौरान पांच से 55 प्रतिशत की कमी थी। आगे, एस.सी.ए. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत नौ से 55 प्रतिशत की कमी थी। इंगित किए जाने पर, पी.टी.जी. विकास अभिकरणों ने सूचित किया (अप्रैल-जून 2015) कि

कमी का कारण संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना तथा इसके अतिरिक्त 2014-15 में निधि का मार्च माह में जारी होना था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संदर्भ में प्रकरण की जाँच की जाएगी और अभिकरणों के माध्यम से पी.व्ही.टी.जी. को लाभ दिया जाएगा।

2-8-9 i h-0gh-Vh-t-h- ds fy; s ; kst ukvka dk vuph{k.k , oa eW; kadu

● भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सी.सी.डी. योजना की दो वर्ष पश्चात मध्यावधि समीक्षा आयोजित करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2008)। संचालनालय एवं पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि विभाग द्वारा अवधि 2010-15 के दौरान सी.सी.डी. योजना का प्रभाव जानने के लिए किसी भी अध्ययन का आयोजन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि हितग्राही परिवारों से संबंधित प्रलेखन की कार्रवाई की जाएगी।

● मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निरीक्षण, अनुवीक्षण एवं कार्य/योजना के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में परियोजना अधिकारी के दायित्व को परिभाषित किया गया है (नवम्बर 1998)।

हमने देखा कि संचालनालय स्तर एवं नमूना जाँच किए गए पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में आवश्यक निरीक्षण, अनुवीक्षण एवं कार्य/योजना का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। 2010-15 की अवधि के दौरान संचालनालय द्वारा केवल एक निरीक्षण वर्ष 2013-14 में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संचालनालय को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कर सकें।

2-8-10 I h-l h-Mh- ; kst uk ds v/khu LokLF; dk; Øe dk dk; kJo; u

राज्य में रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. अर्थात् सहरिया जनजाति मुख्यतः क्षय रोग, अज्ञात श्वसन संक्रमण और मेटेड लिम्फोडेनोपेथी बीमारियों से पीड़ित हैं। बच्चों में आम बीमारियाँ फोड़े, बीटोट चित्ति, रतौंधी, गलगंड ग्रेड एक इत्यादि थीं। भारिया जनजाति के बच्चों में श्वसन संक्रमण की उच्च व्यापकता, सिकल सेल जीन की व्यापकता और माइक्रोसायटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर की बीमारियाँ पाई गईं। इसी प्रकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, हर्बो मेडिसिन मेन में अटूट विश्वास एवं स्वदेशी औषधि कोष के कारण बैगा जनजाति कई बीमारियों से ग्रस्त है।

आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में गंभीर बीमारियों के उपचार एवं ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों का प्रावधान है। हमने देखा कि 448 पी.व्ही.टी.जी. में गंभीर बीमारियाँ के उपचार के लिए जारी राशि ₹ 11.04 करोड़ (दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013) के विरुद्ध राशि ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) का उपयोग 94 पी.व्ही.टी.जी. के लिए किया गया था। आगे, चिकित्सा जाँच शिविरों के लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त किया गया था। पी.व्ही.टी.जी. के लिए चिकित्सा जाँच शिविरों के आयोजन में कमियों की आगामी कड़िकाओं में चर्चा की गई है।

2-8-10-1 i h-0gh-Vh-t-h- i fjokjka ds fy; f'kfojka ds y{; dk i klr u gkuk

संचालनालय द्वारा 2011-15 की अवधि के दौरान ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों को आयोजित करने के लिये सी.सी.डी. योजना के तहत पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को

fpfdRI k t'kp
f'kfoj y{; vuq kj
vk; k'ftr ugha fd,
x,

₹ 3.89 करोड़ जारी किए गये। इन निधियों में से ₹ 3.27 करोड़ की राशि 1517 चिकित्सा जाँच शिविरों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई थी। इसके विरुद्ध राशि ₹ 2.26 करोड़ का व्यय कर केवल 788 चिकित्सा जाँच शिविर आयोजित किए गए। इस प्रकार, 729 चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। विवरण i f j f ' k " V & 2-66 में दिया गया है।

हमने आगे पाया कि नमूना जाँच किए गए पी.टी.जी. विकास अभिकरण शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) शिवपुरी द्वारा चिकित्सा जाँच शिविरों में वितरण के लिए दवाईयां और श्रवण यंत्र राशि ₹ 23.75 लाख के खरीदे गए। तथापि, इन दवाओं को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को भेज दिया गया था। ₹ 3.92 लाख के श्रवण यंत्र सीएमएचओ शिवपुरी के भण्डार में पड़े हुए थे। इस प्रकार, दवाओं और श्रवण यंत्र का लाभ अभिष्ट पी.व्ही.टी.जी. हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा था और विवरण स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किया जाएगा। शिविरों के आयोजन के लिये पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के पास पड़ी शेष धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दी जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी.टी.जी. विकास अभिकरण, पी.व्ही.टी.जी. के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

2-8-11 fu"d"kl , oa vuq ka k, a

- सी.सी.डी. योजना चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए लागू की जा रही थी। तथापि 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रह रहे थे। ये पी.व्ही.टी.जी. सी.सी.डी. योजना (2012-17) में शामिल नहीं थे जबकि सरकार को पिछली योजना में उनके शामिल न किए जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

मध्यप्रदेश शासन सुनिश्चित करे कि सभी चिन्हांकित पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना में शामिल हैं।

- पंचवर्षीय सीसीडी योजना (2012-17) सामाजिक आर्थिक बेसलाईन सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई जबकि भारत सरकार के निर्देश के तहत सी.सी.डी. योजना उक्त उपरांत तैयार की जानी है।

पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना तैयार करने के लिए किया जाए।

- सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी थी। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किये जा रहे थे।

जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी उसी पर उपयोग किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र संहिता प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएं।

- सी.सी.डी. योजना के तहत 2010-15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010-15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. अंतर्गत परिकल्पित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

- संचालनालय और पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्तर पर मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समुचित मूल्यांकन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।

- आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों एवं गंभीर बीमारियों के उपचार का प्रावधान है। तथापि चिकित्सा जाँच शिविरों के लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त किया गया और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 14 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया।

विभाग सी.सी.डी. प्लान अंतर्गत परिकल्पित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करे।

tsy foHkkx

2-9 tsy çca'ku ç.kkyh , oa epykdkr çca'ku ç.kkyh dh l ipuk
i kS| kfxdh fu"i knu ys[kki jh{kk

dk; i kyu l kjka k

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस.) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर विंडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना का उद्देश्य डाटा का प्राथमिक स्रोत अर्थात जेल की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और बंदियों और मुलाकातियों की जानकारी का प्रबंधन एवं रिकार्ड करना था। पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. की सूचना प्रौद्योगिकी की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न कमियां परिलक्षित हुईं:

- प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई थी जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामंजस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

%dfMdk 2-9-8-1 , oa 2-9-8-2%

- हार्डवेयर की लोकेशन प्लान के अनुसार स्थापना न किए जाने एवं अपूर्ण डाटा प्रविष्टि के कारण पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. के उद्देश्य, बंदियों और मुलाकातियों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर की कम आपूर्ति के कारण हार्डवेयर निष्क्रिय रहे और परियोजना अपनी निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह विलंब से पूर्ण हुई।

%dfMdk 2-9-9%

- पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर के डिजाइन में कमियाँ थी परिणामस्वरूप अपूर्ण डाटा प्रविष्टि हुई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में 2.47 लाख बंदियों की आमद हुई थी जिसके विरुद्ध 1.12 लाख बंदियों की प्रविष्टि डाटाबेस में की गई थी। मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। बंदियों के आमद की दोहरी प्रविष्टि रोकने में सिस्टम विफल रहा।

%dfMdk 2-9-10-1 , oa 2-9-11-5%

- विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तंत्र, भौतिक नियंत्रण एवं पासवर्ड नीति अपर्याप्त थी। डाटा प्रविष्टि बंदियों एवं जेल प्रहरियों द्वारा की गई थी।

%dfMdk 2-9-11] 2-9-11-1 , oa 2-9-11-2%

- सी.सी.टी.व्ही प्रणाली ₹ 10.27 करोडरु की लागत से 14 जेलों में संस्थापित की गई थी। तथापि पाँच जिलों की नमूना जाँच में हमने पाया कि कैमरों की डिस्प्ले साइट में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे।

%dfMdk 2-9-12 , oa 2-9-12-1%

- वर्ष 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान 23 जेलों में जेल एवं जिला अदालत के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि वे स्थापित नहीं किये गये थे।

¶d¶Mdk 2-9-13½

2-9-1 iLrkouk

मध्य प्रदेश में जेलों की स्थापना जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अंतर्गत की गई थी एवं इनके अंतर्गत बनाए गए म.प्र. जेल नियम, 1968 के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू आदर्श जेल नियमावली को (दिसम्बर 2003) म.प्र. राज्य द्वारा फरवरी 2008 में आंशिक रूप से मान्य किया गया। तत्पश्चात राज्य की जेल नियमावली में लगभग 200 संशोधन समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना जारी कर किए गए हैं।

जेलों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधी व्यक्तियों को कैद में रखना है। कानून के उल्लंघनकर्ताओं की हिरासत एवं समुचित देखभाल के अलावा जेल एवं सुधारात्मक सेवा विभाग का यह भी कर्तव्य है कि बंदियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे और बंदियों में सुधार के उद्देश्य से शैक्षणिक, नैतिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सामाजिक सुधार के रूप में प्रदाय करे साथ ही उचित चिकित्सा सेवा प्रदाय करे जिससे वे रिहाई के पश्चात परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

2-9-2 vuc; ks ds l cdk es ¶i h-, e-, l - , oa 0gh-, e-, l -½

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस.) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सरकार से सरकार एवं सरकार से ग्राहक हेतु एक एप्लिकेशन है जिसमें जेल रूल बुक के हस्तचलित कार्य प्रणाली अर्थात् बंदियों के पंजीकरण, जेल के अंदर एवं बाहर गतिविधि एवं रिहाई को संक्षिप्त करना है।

यह प्रशासनिक, निष्पादन एवं सांख्यिकीय संबंधी 65 से अधिक रिपोर्ट तैयार करने में सहायक है। यह जेल प्राधिकारियों को फिंगरप्रिंट आधारित पहचान उपकरण के उपयोग से बंदियों की पहचान/सत्यापन में भी सहायता प्रदान करता है।


पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर, विंडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी., नई दिल्ली द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यह नवीनतम जीयूआई सुविधाओं सहित, क्लाईंट-सर्वर आक्रिटेक्चर पर आधारित था।

b& t sy , flyd's ku

यह पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर से उन्नत एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसे एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया जाकर 10.02.2015 से लागू किया गया। मात्र पी.एम.एस. प्रचलन में था और व्ही.एम.एस. का प्रचलन प्रारम्भ नहीं हुआ था (जून 2015)।

पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. का उद्देश्य बंदियों के अभिलेखों का सुगमता से रख-रखाव, बंदियों के डाटा की तुरंत प्राप्ति, बंदियों का सुगम वर्गीकरण, बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों के अभिलेखों का सुगमता से प्रबंधन एवं अभिलेखों को भौतिक क्षति से बचाना था।

पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के आक्रियेक्चर को निम्न आरेख में दिखाया गया है:



- क्लाइंट 1 सर्वर कक्ष में स्थापित किया जाना था एवं डाटा बैकअप के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना था।
- क्लाइंट 2 मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाना था जिसमें सभी आने-जाने वाले बंदियों और व्यक्तियों तथा उनके अधिकार में पाई गई वस्तुओं जैसे भण्डार, उपकरण इत्यादि की प्रविष्टि की जानी थी।
- क्लाइंट 3 और 4 वारंट कक्ष में स्थापित किये जाने थे एवं बंदियों की समस्त जानकारी जैसे स्वास्थ्य स्थिति, दण्ड की अवधि, बंदियों की निजी सम्पत्ति, माफी, पैरोल इत्यादि की प्रविष्टि की जानी थी।
- क्लाइंट 5 मुलाकातियों की जानकारी के उपयोग किये जाने हेतु मुलाकात कक्ष में स्थापित किया जाना था।

2-9-3 foHkkx dh I aBukRed I j puk

प्रमुख सचिव शासन स्तर पर जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (जे.सी.एस.) विभाग के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (डी.जी.पी.) विभाग के प्रमुख हैं जिनकी सहायता अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (ए.डी.जी.पी.) एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक जेल (ए.आई.जी.पी.) द्वारा की जाती है।

ग्यारह केन्द्रीय जेल (08 संभाग स्तर पर और 03 जिला स्तर पर) 33 जिला जेल जिला स्तर पर और 78 उपजेल जिला एवं तहसील स्तर पर विद्यमान हैं। केन्द्रीय जेल एवं जिला जेल का जेल अधीक्षकों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। जबकि उप जेल का प्रबंधन उप अधीक्षक/उप जेलर द्वारा किया जाता है। विभाग के अधीन एक खुली जेल होशंगाबाद, एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र सागर में संचालित है।

लेखापरीक्षा अवधि 2010-2015 के दौरान पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. मात्र ग्यारह केन्द्रीय जेलों में क्रियान्वित किया गया था तथा 16 जेलों¹ और 23 जेलों² में क्रमशः सी.सी.टी.व्ही. और वीडियो कान्फ्रेसिंग की नवीन संस्थापना/बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

¹ बड़वानी, भोपाल, जिला भोपाल, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल और उज्जैन

² बालाघाट, भिण्ड, दमोह, देवास, धार, गुना, कटनी, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ और विदिशा

2-9-4 यस्कि जहक दस मनस ;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- परियोजना का क्रियान्वयन समय सारणी से किया गया था और सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संचालन के लिए व्यक्तियों को विभिन्न स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था;
- डाटा की गोपनीयता, सम्पूर्णता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपलब्ध थे। पूर्णतः स्पष्ट एवं व्यापार निरंतरता योजना निर्धारित एवं क्रियान्वित की गई थी; तथा
- परियोजनाओं ने चाही गई जानकारी एवं विभिन्न रिपोर्टों को स्वचालित प्रक्रिया से प्राप्त करने के अपने प्रारम्भिक उद्देश्य को प्राप्त किया।

2-9-5 यस्कि जहक एकुन.म

- जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900, मध्यप्रदेश कैदी नियम 1968 और उसके अंतर्गत बनाई गई जेल नियमावली तथा आदर्श जेल नियमावली;
- जेलों के प्रबंधन के लिए समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचना और निर्देश एवं विभागीय नियम एवं विनियम;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता तथा मध्यप्रदेश बजट नियम पुस्तिका; तथा
- सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां।

2-9-6 यस्कि जहक दक दक; ङ्कस= , oa दक; fof/k

मध्य प्रदेश के ग्यारह जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का क्रियान्वयन एवं लैन की स्थापना कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से चार माह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाकर क्रियाशील होना था। अतः सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की अधोसंरचना के निर्माण से लेकर प्रणाली के प्रारम्भ होने तक की विभिन्न गतिविधियों की जाँच शामिल थी।

प्रवेश सम्मेलन दिनांक 17.03.2015 को प्रमुख सचिव और महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवा के साथ आयोजित किया गया था। प्रवेश सम्मेलन के समय सी.सी.टी. व्ही. एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग को महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के अनुरोध पर लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। इन ग्यारह जिलों में सी.सी.टी. व्ही. एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग की संस्थापना की नमूना जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए की गई थी। इस लेखापरीक्षा में कार्यालय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल एवं सभी पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. संचालित 11 केन्द्रीय जेल शामिल थे। निर्गम सम्मेलन 23 अक्टूबर 2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ आयोजित किया गया, विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में यथास्थान उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

ys[kki jh{kk fu"d"Kz

2-9-7 foRrh; çcāku

2-9-7-1 vfxæ Hkqarku dli ol iyh@l ek; kstu u gkuk , oa vfre 0; ;
n'kkZuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार अस्थाई अग्रिम का शीघ्रातिशीघ्र समायोजन करना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए एवं नियम 53 (viii) की टिप्पणी iv के अनुसार कोई ऐसा भुगतान जो अंतिम स्वरूप का नहीं है, को लाल स्याही से संवितरण अधिकारी की रोकड़ बही में भुगतान की तरफ वाले विवरण-कॉलम के राशि कॉलम में प्रविष्टि किए बिना नोट करना चाहिए। इस प्रकार दिया गया अग्रिम, तब तक संवितरण अधिकारी के रोकड़ शेष का एक भाग होगा जब तक कि संबंधित भुगतान के देयक/प्रमाणक प्राप्त किया जाकर भुगतान हेतु पारित किया जाये।

कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से चार माह के अन्दर ग्यारह केन्द्रीय/सक्रिल जेलों में पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. परियोजना पूर्ण करने हेतु एन.आई.सी. को कार्य आदेश (अक्टूबर 2009) जारी किया गया था। इस कार्य आदेश के विरुद्ध राशि ₹ 81.00 लाख अवधि माह अक्टूबर 2008 से माह मार्च 2009 के दौरान एन.आई.सी. को अग्रिम भुगतान की गई थी। तथापि, एन.आई.सी. से देयक, प्रमाणक या कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान राशि ₹ 81.00 लाख को अंतिम भुगतान मान लिया गया था। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2015) और बताया कि एन.आई.सी. से वास्तविक व्यय के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

इसी प्रकार यह भी पाया गया कि वर्ष 2013-2015 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल को वीडियो कान्फ्रेंसिंग संस्थापित करने के लिए अग्रिम भुगतान की गई राशि ₹ 58.00 लाख को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कॉरपोरेशन से देयक, प्रमाणक या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अंतिम भुगतान मान लिया गया था।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई और बताया कि अंतिम देयक प्राप्त होने पर समायोजन किया जाएगा।

2-9-8 ; kst uk

2-9-8-1 I kVVoş j fMtkbu nLrkost rş kj u fd; k tkuk

दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। दस्तावेजीकरण के प्रकारों में उपयोगकर्ता की आवश्यकता विशिष्टता, प्रणाली आवश्यकता विशिष्टता एवं प्रणाली डिजाइन दस्तावेज शामिल होते हैं।

हमने देखा कि प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे। सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज के अभाव में अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं था कि सॉफ्टवेयर विस्तृत विचार उपरांत और बिजनेस नियमों के अनुसार विकसित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे बुनियादी दस्तावेज के न होने से प्रणाली आक्रेटेक्चर में भविष्य में बदलाव या उन्नयन में कठिनाई होगी। न तो विस्तृत

ç.kkyh fodfl r
djus ds iwz
I kVVoş j
fMtkbu rş kj
ugha fd; k x; k
Fkk

परियोजना प्रतिवेदन और न ही अंतराल विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार किया गया था और न ही एन.आई.सी. से कोई एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर तैयार करने में आंतरिक सामंजस्य एवं विश्वसनीयता की कमी थी जिसे कांडिका क्रमांक 2.9.11.5 की अभ्युक्ति द्वारा दर्शित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस) द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं बताया कि सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जाएगा।

2-9-8-2 *l k/Vos j dh 0; ogk; rk dk v/; ; u , oa l ekuklrj tkp ugha fd; k tkuk*

0; ogk; rk
dk v/; ; u
ugha fd; k
x; k

प्रणाली उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार है यह अभिनिश्चित करने के लिए प्रणाली का व्यवहार्यता अध्ययन एवं समानान्तर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की जाँच प्रणाली के प्रचालन के पूर्व अवश्य की जानी चाहिए। विस्तृत परीक्षण से संबंधित दस्तावेज भी प्रणाली की उपलब्धता और उपयोगिता को समझने के लिए तैयार होना चाहिए।

हमने पाया कि प्रणाली के परीक्षण से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे। अतः प्रणाली किस सीमा तक उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप थी यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। आगे, यह भी पाया गया कि विभाग में यूजर मैनुअल उपलब्ध नहीं थे। बंदियों और मुलाकातियों से संबंधित सभी रिपोर्ट हस्तलिखित तैयार की जा रही थीं। इस प्रकार विभाग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सका जिसके लिये वह स्थापित/क्रियान्वित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं बताया कि सॉफ्टवेयर अद्यतन किया जावेगा।

2-9-8-3 *orëku Lrj rd MKVk çfof"V dk çko/kku u gkuk*

ग्यारह जेलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बंदियों एवं मुलाकातियों के डाटा प्रविष्टियों को वर्तमान स्तर तक लाने एवं पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. के प्रारम्भ करने की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मास्टर निर्देशिका एवं केन्द्रीकृत डाटाबेस इस स्तर तक पूर्ण नहीं थे। परियोजना के वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ होने के बावजूद मास्टर निर्देशिका में डाटा अपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।

2-9-9 *i fj; kst uk fØ; kko; u*

• *ih, e-, l - vkj 0gh, e-, l - i fj; kst uk ds fØ; kko; u dh fLFkfr*

बंदियों एवं मुलाकातियों की जानकारी के प्रबंधन एवं अभिलेखन के लिए केन्द्रीकृत दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक, निष्पादन और सांख्यिकीय प्रकृति की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना जेलों में लागू की गई थी। यह बंदियों के प्रारम्भिक विवरण, बंदियों के परिवार विवरण, बंदियों के बायोमैट्रिक एवं फोटोग्राफ, बंदियों के चिकित्सा विवरण, बंदियों की केस हिस्ट्री, बंदियों के सजा विवरण, बंदियों की गतिविधियों और मुलाकातियों की समस्त सुसंगत जानकारी रिकार्ड करता है और मुलाकातियों को जारी उच्च गुणवत्ता के पिक्चर पास जारी करता है।

कार्य आदेश जारी करने के चार माह के अन्दर ग्यारह केन्द्रीय जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण होकर क्रियाशील हो जाना था। माह अक्टूबर 2009 में एन.आई.सी. को कार्य आदेश जारी किए गए थे। हमने पाया कि दतिया केन्द्रीय जेल में प्रदाय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आज दिनांक (अक्टूबर 2015) तक संस्थापित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य दस जेलों में हार्डवेयर

dk; l dk
nkgjhdj . k

प्रस्तावित स्थान योजना के अनुसार संस्थापित नहीं किए गए थे। इससे बंदियों और मुलाकातियों के केन्द्रीकृत डाटाबेस के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हमने पाया कि पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि निरंतर नहीं की जा रही थी एवं अपूर्ण फॉर्म में की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयीन उपयोग हेतु कोई रिपोर्ट नहीं निकाली जा रही थीं। जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के लागू होने के बाद भी बंदियों का इतिहास, चिकित्सा इतिहास, परिवार विवरण, बंदियों के सजा विवरण, बंदियों की गतिविधियां अभी भी हाथ से भरी जा रही थी जिसके कारण हस्तलिखित अभिलेख/पंजियों के संधारण में कोई कमी नहीं आई। मुलाकात की मैनुअल बुकिंग की व्यवस्था अभी भी अस्तित्व में है। इस प्रकार डाटा/अभिलेख मैनुअली एवं सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से संधारित किए जा रहे थे, परिणामस्वरूप प्रयासों का दोहराव था।

इस प्रकार पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. प्रारम्भ करने का उद्देश्य, बंदियों एवं मुलाकातियों की जानकारी का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि एन.आई.सी. के नए सॉफ्टवेयर में ये समस्याएं दूर कर ली जाएगी। आगे यह भी बताया कि सभी जेल अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

● इस परियोजना के अंतर्गत पाँच कम्प्यूटर, तीन प्रिंटर, एक सर्वर, चार यू.पी.एस, चार वेब कैमरा, तीन बायोमैट्रिक डिवाइस एवं एक स्विच प्रत्येक ग्यारह जेलों में प्रदाय किये जाने थे। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना के लिए हार्डवेयर के प्रदाय, परीक्षण एवं संस्थापना हेतु एन.आई.सी. द्वारा एच.सी.एल. इन्फो सिस्टम लिमिटेड पॉण्डिचेरी एवं ट्राईटोनिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड सोलन को क्रय आदेश जारी किए गए थे। ग्यारह जेलों में हार्डवेयर माह फरवरी 2010 से दिसम्बर 2012 तक प्राप्त किए गए थे एवं इनकी संस्थापना मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 तक की गई थी और सॉफ्टवेयर दिसम्बर 2012 में संस्थापित किया गया था। जिससे प्रदाय किये गये सभी हार्डवेयर 33 माह तक निष्क्रिय पड़े रहे एवं पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना की पूर्णता में निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह का विलम्ब हुआ।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया गया था। तथापि अब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

तथापि तथ्य यह है कि विभाग द्वारा कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

● जिला जेल दतिया में प्रदाय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर राशि ₹ 3.53 लाख आज दिनांक (अप्रैल 2015) तक संस्थापित नहीं किए गए थे जिसके कारण राशि ₹ 3.05 लाख के हार्डवेयर अक्रियाशील हो गए थे (i f j f ' k " V & 2-67)। अतः दतिया जिले में परियोजना किसी भी रूप में प्रारम्भ नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि निष्क्रिय हार्डवेयर अपलेखित किये जाएंगे।

gkMbs j dh
I 4 Fkki uk
vksj
i fj; kst uk
dh i w k r k
ea foyc

nfr; k tsy ea
j kf' k ₹ 3-05 yk [k
ds vfØ; k' khy
gkMbs j

ykds' ku
; kst uk
ds
vuq kj
gkMbs j
dh
l f'kki uk
u gkuk

नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों में से दस³ जिलों में पाया गया कि कंडिका 2.9.2 में उल्लेखित प्रस्तावित योजना अनुसार हार्डवेयर की संस्थापना नहीं की गई थी। मुख्य द्वार एवं मुलाकात कक्ष में कोई हार्डवेयर संस्थापित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि औसतन दो कम्प्यूटर, दो बायोमैट्रिक डिवाइस, दो वेब कैमरे एवं एक प्रिंटर की संस्थापना प्रस्तावित स्थान योजना अनुसार की गई थी और पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के लिए उपयोग किये गए थे। इस प्रकार, शेष हार्डवेयर पिछले दो से तीन वर्षों से निष्क्रिय/अल्प प्रयुक्त पड़े थे जिसका विवरण i f'k"V&2-68 में दिया गया है। यह भी पाया गया कि i f'k"V&2-69 में दर्शित विवरण अनुसार हार्डवेयर के 38 नग एन.आई.सी. द्वारा प्रदाय नहीं किए गए थे। इस प्रकार कम आपूर्ति एवं हार्डवेयर की संस्थापना नहीं किए जाने से कार्य का भार जेल के सभी चार स्थानों पर वितरित नहीं किया जा सका फलस्वरूप डाटाबेस अपूर्ण रहा।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया गया था और अंतिम समायोजन एन.आई.सी. के समन्वय से किया जाएगा।



l fdy tsy nfr; k ea vuq; kxh i M; gkMbs j fnukad% 23-03-2015



dlnh; tsy blnkj ea fuf"Ø; i M; gkMbs j fnukad% 25-04-2015

● i f'k"V&2-70 के अनुसार प्रदाय किए गए हार्डवेयर एक से लेकर पाँच वर्षों की अवधि की वारंटी में थे। ग्यारह जिलों⁴ की नमूना जाँच में पाया गया कि वारंटी अवधि समाप्त होने के बावजूद भी वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर और अन्य पेरिफेरल्स या तो यू.पी.एस. के बिना या बिजली बैकअप के बिना चल रहे थे। यह भी पाया गया था कि जो कम्प्यूटर एवं अन्य पेरिफेरल जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी मरम्मत के अभाव में निष्क्रिय पड़े रहे। चार जिलों में लैन (LAN) आधारित सर्वर अक्रियाशील थे।

³ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

⁴ भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जाएगी।

vfØ; k' khy
gkMbs; j

- नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों⁵ में पाया गया कि अकार्यशील हार्डवेयर के संबंध में शिकायत के दर्ज करने एवं वेंडर की प्रतिक्रिया से संबंधित कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं रखा गया था जिस कारण जुर्माना से संबंधित धारा की कार्यवाही नहीं की जा सकी। तथापि यह भी पाया गया कि ifjf'k"V&2-71 में दर्शित विवरण अनुसार हार्डवेयर जैसे सर्वर, कम्प्यूटर, यू.पी.एस., दो से चार वर्षों से अकार्यशील थे। इस कारण प्रणाली में नियमित अंतराल पर रूकावट हुई। इससे दर्शित होता है कि विक्रेताओं द्वारा वारंटी अवधि में खराब गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान की गईं जिससे प्रणाली के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि अभिलेखों के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

हार्डवेयर की संस्थापना आवश्यकता अनुसार की जानी चाहिए। वारंटी अवधि की समाप्ति के पूर्व हार्डवेयर की वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जानी चाहिए।

2-9-10 vuq; kx fu; æ.k

2-9-10-1 dñndr MkVksd i wkz u fd; k tkuk

dñndr
MkVksd
vi wkz
jguk

ifjf'k"V&2-72 के अनुसार नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों के हस्त (मैनुअल) अभिलेख में पाया गया कि मैनुअल अभिलेखों के अनुसार अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 2,46,964 बंदियों की जेलों में आमद हुई थी उनमें से 1,12,463 बंदियों की प्रविष्टि सिस्टम में दर्ज की गई थी। इसी प्रकार यह भी पाया गया कि प्रत्येक दिन लगभग 100–150 मुलाकाती अपने संबंधियों से मिलने आते हैं किन्तु सिस्टम में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि एन.आई.सी. के केन्द्रीकृत सर्वर में डाटा संग्रहीत किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पाँच वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी मात्र 50 प्रतिशत बंदियों का डाटाबेस पूर्ण था एवं मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

- I kñVos; j ea I Hkh cfn; ka ds Okk/kxskQ] vaxqyh fpllg , oa LokLF; tkp dks vi ykM u fd; k tkuk

सॉफ्टवेयर में कैदियों के जेलों में प्रवेश के समय उनके फोटो, अंगुली चिन्ह और स्वास्थ्य जाँच को अपलोड करने का प्रावधान किया गया था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों⁶ के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 59,049 बंदियों के डाटा सॉफ्टवेयर में भरे गए थे परंतु मात्र 42,001 बंदियों के फोटो, 34,176 बंदियों के अंगुली चिन्ह एवं 6,820 बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण डाटाबेस में लिए गए थे विवरण ifjf'k"V&2-73 vkj 2-74 में दिया गया है।

⁵ भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

⁶ भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन

MkVkd
ea viwz
i fof"V; ka

• I Hkh cfn; ka dh i jkky çfof"V; ka fl LVe ea ugha dh xba

सॉफ्टवेयर में बंदियों की पैरोल हिस्ट्री का डाटाबेस भरने का प्रावधान था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों⁷ के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 13,934 बंदियों को पैरोल दिया गया था किन्तु डाटाबेस में मात्र 686 पैरोल प्रविष्टियां की गई थीं विवरण i f j f ' k " V & 2-75 में दिया गया है।

• I kVVoş j ea I Hkh cfn; ka dh I quokbz çfof"V; ka ugha dh xbz

सॉफ्टवेयर में बंदियों की कोर्ट में सुनवाई हिस्ट्री की प्रविष्टि करने का प्रावधान था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों⁸ के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 3,20,065 बंदियों को कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था किन्तु मात्र 7,591 बंदियों की कोर्ट सुनवाई की प्रविष्टियां डाटाबेस में की गई थी (i f j f ' k " V & 2-76½)।

• I kVVoş j ea I Hkh cfn; ka dh , Q-vkbzv kj Øekad vkj fnukad /kkjk@vf/kfu; e vkj i f y l LV\$ku dh i fof"V ugha dh xbz

ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए दस जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में पाया गया कि कुल 7,534 बंदियों की प्रविष्टियां डाटाबेस में की गई थीं परंतु मात्र 2,433 बंदियों के एफ.आई.आर क्रमांक और दिनांक, धारा/अधिनियम जिसके अंतर्गत बंदी दोषसिद्ध हुए थे और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन डाटाबेस में प्रविष्ट किए गए थे इस प्रकार 5101 बंदियों का डाटाबेस पूर्ण नहीं था जैसा कि विवरण i f j f ' k " V & 2-77 में दिया गया है।

• ekLVj MkVk ea xyr çfof"V

यह पाया गया कि अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, बम्डोरी, भिलाई और बाधगाना जिले जो छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं उन्हें मास्टर डाटा में मध्य प्रदेश में दर्शाया गया था।

यह देखा गया कि प्रत्येक ग्यारह जेलों के लिए विशिष्ट कोड आवंटित किया गया है परंतु सॉफ्टवेयर में मात्र नौ जेलों को रिहाई से संबंधित रिपोर्ट निकालने के लिए विकल्प की सुविधा दी गई थी। अतः दो जेलों सिवनी एवं नरसिंहपुर में रिहाई से संबंधित रिपोर्ट का प्रावधान नहीं था।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कुछ समस्याओं के कारण प्रविष्टियां नहीं की गई थी अब सभी प्रविष्टियां की जाएगी।

• cfn; ka ds i d\$ k dh nkgjh i fof"V; ka dks jkdus ea fl LVe dh vl Qyrk

यह पाया गया कि बंदियों के नामों के विवरण में सिस्टम दोहरी प्रविष्टियां स्वीकार कर रहा था। बंदी की आमद के समय प्रकरण में बंदी के सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र और पता दर्ज करते समय सिस्टम एक ही बंदी की एकसमान प्रविष्टि को दो बार स्वीकार कर उसी बंदी के पृथक पीआईडी और जेआईडी क्रमांक प्रदान कर देता है। यह डाटाबेस में दोहरीकरण को रोकने में सिस्टम की असफलता को प्रकट करता है।

MkVkd
ea
nkgjh
i fof"V

⁷ भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन।

⁸ भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

2-9-11 I keku; fu; #.k

2-9-11-1 I puk çks/ kfxdhi I gj {kk

vkbZVh
I gj {kk uhfr
dk LFkkfi r
u gkuk

- डाटा सभी समय संरक्षित एवं सुरक्षित होना चाहिए, डाटा (मास्टर डाटा सहित) में सभी परिवर्तन/आशोधन प्रलेखित और उपयुक्त रूप से प्राधिकृत किए जाने चाहिए। एक अच्छी प्रणाली में, एक विशिष्ट प्रविष्टि (प्रारम्भिक या संशोधित) को उस व्यक्ति जिसने वह प्रविष्टि की थी से जोड़ना संभव होना चाहिए इसके लिये आवश्यक है कि उचित लॉग रखा जावे एवं इस लॉग की समीक्षा की प्रणाली अस्तित्व में हो। यह पाया गया कि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई संरचना एवं नीति नहीं बनाई गई थी। पूर्ण आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

- सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई भौतिक नियंत्रण जैसे अग्नि सुरक्षा, वातानुकूलन इत्यादि क्रियान्वित नहीं किए गए थे इसके अतिरिक्त न तो अनाधिकृत व्यक्तियों के कम्प्यूटर साइट में प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रतिबंध लगाए गए थे और न ही कम्प्यूटर साइट कम्प्यूटर ऑपरेटरों, रखरखाव कर्मचारियों, सफाई और अन्य अनुभागों के कर्मचारियों हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए थे। प्रविष्टियां, कोई भी उपलब्ध बंदियों या जेल प्रहरी कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी।

- सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा कार्यप्रणाली के अनुसार नियमित अंतराल पर पासवर्ड को बदलने की पासवर्ड नीति होनी चाहिए। यह पाया गया कि विभाग के पास ऐसी कोई नीति जिसमें न्यूनतम अवधि की समाप्ति, पासवर्ड को नियमित बदलना एवं पूर्व पासवर्डों को फिर से उपयोग पर रोक लगाने हेतु अस्तित्व में नहीं थी। यद्यपि एन.आई.सी. द्वारा विभाग को पासवर्ड जारी किया गया था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति एक ही यूजर नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिंग कर डाटा एक्सेस कर सकता था। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में नियमित अंतराल पर पासवर्ड बदलने के लिये कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।

- यह देखा गया कि विभाग के पास कोई भी लिखित औपचारिक एन्टीवाइरस नीति नहीं थी। इसके अतिरिक्त सिस्टम में कोई भी एंटीवाइरस सॉफ्टवेयर संस्थापित नहीं किया गया था जिससे डाटा के करप्ट होने का खतरा था।

vuq kd k

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने बताया कि सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे और इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2-9-11-2 vi; klr i; bçkh fu; #.k

दस जिलों⁹ की नमूना जाँच में हमने पाया कि नए आमद हुए बंदियों के संबंध में पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में की गई प्राथमिक प्रविष्टियों का सत्यापन संबंधित जेल के अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

⁹ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq kd k

इनपुट नियंत्रण और पर्यवेक्षी जाँच द्वारा डाटा के सही होने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-9-11-3 0; kikj fuja jr k ; kstuk , oa vkin k ifri r r z ; kstuk

डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु यह आवश्यक है कि विभाग के पास जेलों के लिये व्यापार निरंतरता योजना, आपदा प्रतिपूर्ति योजना एवं डाटा बैकअप नीति, जिसमें डाटा बैकअप समय सारणी, बैकअप प्रोसेस, मीडिया का आजीवन एवं डाटा का निरंतर बैकअप लेने एवं डाटा के पुनः प्राप्त करने की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये। यह देखा गया था कि विभाग द्वारा इस प्रकार की बैकअप योजना न तो बनाई गई और न ही कोई अन्य प्रावधान जैसे दैनिक बैकअप पंजी आदि का संधारण किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दो जिलों (ग्वालियर और इन्दौर) के संबंध में 2011-12 से 2013-14 की अवधि में प्रविष्टि किए गए सभी डाटा करप्ट हो गए एवं पुनः प्राप्त नहीं किए जा सके।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में पंजी संधारित की जाएगी।

2-9-11-4 çf'kf{kr ekuo'kfDr dh vi ; krrrk vkj vi hkkoh if'k{k.k

प्रत्येक ग्यारह जेलों के अधीक्षकों को पी.एम.एस एवं व्ही.एम.एस परियोजना के लिए एन.आई.सी. से समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था एवं डाटा प्रविष्टि कार्य हेतु तीन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का प्रावधान किया गया था। तथापि यह देखा गया कि विभाग के पास कोई डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। डाटा प्रविष्टि का कार्य उपलब्ध बंदियों या जेल प्रहरियों द्वारा किया जा रहा था और कोई उच्च श्रेणी के अधिकारी शामिल नहीं थे। इसलिए, बंदियों एवं मुलाकातियों की सभी प्रविष्टियां पूर्ण नहीं हो सकी थीं और किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.02.2011 को एन.आई.सी. अधिकारी द्वारा जेल प्रहरियों के लिए आधे दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था परंतु यह पर्याप्त नहीं था एवं इन प्रशिक्षित जेल प्रहरियों को जेल के अन्य कार्यों को भी सौंपा गया था एवं उन जेलों में भी तैनात किया गया था जहां पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सिस्टम लागू नहीं था।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जेल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि की जा रही थी।

vuq kd k

डाटाबेस की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक जेल में पर्याप्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रदाय किए जाने चाहिए।

2-9-11-5 ih, e-, l-@0gh, e-, l- l kVos j vkj bñfitu , flyds'ku ds fMtkbu ea dfe; ka

ई.प्रिजन पी.एम.एस-व्ही.एम.एस का उन्नत वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसे भी एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया था एवं दिनांक 10.02.2015 से लागू/प्रारम्भ किया गया था।

नमूना जाँच किए गए जिलों की लेखा परीक्षा के दौरान सिस्टम डिजाइन में निम्न कमियाँ पाई गई थीं।

cđvi
ulfr dh
deh

i f' kf{kr
depkjh
dh deh

l kVos j
ea deh

I-Ø	I kʌ Vos j eə vko'; d i ko/kku	D; k yʌ vk/kkfjr ih-, e-, l & Ogh-, e-, l eə i ko/kku fd, x, Fks \	D; k o: vk/kkfjr bʌfi t u , flydʌ ku eə i ko/kku fd, x, Fks \
1	बंदी के आमद के समय बंदियों की पहचान के विवरण जैसे बंदियों के सीने, रंग, आँखें, कान, बाल, नाक, दांत, दाँई भुजा, बाँई भुजा, बाँयां पैर, दाँया पैर और गर्दन इत्यादि के लिये प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया गया था ।	नहीं	नहीं
2	सहायक चिकित्सा अधिकारी के विवरण को दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
3	पूर्व की सजा की संख्याओं को दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
4	जेल में आने के कारण को दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	हां
5	पुलिस रजिस्टर कालम दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
6	बंदी के आमद के समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति जैसे-भौतिक तुल्यांक, छोटी माता, टीकाकरण, मजदूरी की श्रेणी और शिक्षा के विवरण दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
7	दोषसिद्ध, ट्रायल (सी.टी) बंदियों के सजा की अवधि को दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
8	दोषसिद्ध बंदियों के संबंध में वारंट के विवरण जैसे जमानत की अवधि, जेल में रहने की पूर्व अवधि इत्यादि का प्रावधान । नजरबंदियों के प्रकरण में नजरबंद की अवधि तथा अपील का परिणाम दर्ज करने का प्रावधान नहीं ।	नहीं	नहीं
9	कारावास की अवधि को दर्ज करने एवं रिहा होने की संभावित तिथि की गणना का प्रावधान और जुर्माना न चुकाने, माफी एवं अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए रिहाई की निश्चित तिथि की गणना का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
10	जुर्माने के भुगतान की प्रविष्टि करने एवं उसकी गणना तथा रिहाई की निश्चित तिथि दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
11	अपील के परिणाम की प्रविष्टि एवं परिणामस्वरूप सजा में परिवर्तन का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
12	डाटा का हिन्दी फॉट में प्रविष्टि का प्रावधान ।	हां	नहीं
13	दोषसिद्ध बंदियों के हिस्ट्री टिकिट रिपोर्ट का प्रावधान ।	नहीं	नहीं
14	रिमांड बंदी के संबंध में प्रकरण क्रमांक और संबंधित कोर्ट का नाम एवं रिमांड बंदी सुनवाई की अगली तिथि दर्ज करने का प्रावधान ।	नहीं	हां
15	अवधि अनुसार बंदियों के आमद की रिपोर्ट को जानने का प्रावधान । रिपोर्ट किसी विशेष तिथि को जेल में वर्तमान में शेष बंदियों को दर्शा रही है । अतः, कुल बंदियों की संख्या जिनके डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था ।	नहीं	नहीं

1 - 0-	ç. kkyh ea dfe; ka	yu vk/kfjr i h-, e-, l - 0gh-, e-, l - ea i kbz xbz =fV	ox vk/kfjr bz fi rtu , flyds ku ea i kbz xbz =fV
1	सभी पुलिस थानों के नाम दर्ज करने का प्रावधान।	प्रविष्टि नहीं की गई	प्रविष्टि नहीं की गई
2	यूजर लॉग स्टेटस रिपोर्ट में प्रविष्टि का प्रदर्शित किया जाना।	प्रदर्शित नहीं किया गया	प्रदर्शित नहीं किया गया
3	सॉफ्टवेयर को बंदियों की केवल पूर्ण पहचान ही स्वीकार करना चाहिए।	सॉफ्टवेयर ने अपूर्ण प्रविष्टि स्वीकार की थी	सॉफ्टवेयर ने अपूर्ण प्रविष्टि स्वीकार की थी
4	लीगल ऐड और एक्शन टेकन प्रविष्टि फार्म में त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होना।	प्रावधान नहीं	हां
5	बंदियों की पहचान रिपोर्ट निकालने का प्रावधान।	प्रावधान नहीं	रिपोर्ट नहीं निकाली गई
6	बंदियों की विभिन्न श्रेणियों विचाराधीन /दोषसिद्ध/नजरबंद के पृथक सरल क्रमांक के लिए प्रावधान।	मात्र क्रमानुसार प्रविष्टि	मात्र क्रमानुसार प्रविष्टि
7	बंदियों का ठौर-ठिकाना का दर्ज किया जाना।	दर्ज नहीं था	दर्ज नहीं था
8	सजा और धारा अनुसार बंदियों के जेल में गुजारी हुई अवधि प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट की सूची।	तैयार नहीं की गई थी	तैयार नहीं की गई थी

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर में कमियों के परिणामस्वरूप डाटा प्रविष्टि एवं रिपोर्ट जनरेशन अपूर्ण थी।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने आश्वस्त किया कि सॉफ्टवेयर की कमियां दूर की जाएंगी।

वृद्धि का

सॉफ्टवेयर में कमी को उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेकर एवं एप्लिकेशन विकसित कर्ता (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के माध्यम से समय से परिशोधन कर आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए।

2-9-12 I h-l h-Vh-0gh dh LFkki uk

क्लोज सॉफ्ट टेलिविजन की संस्थापना का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा बढ़ाने और जेल/बंदियों के प्रभावी प्रबंधन में जेल प्रशासन की मदद करना था।

वित्तीय व्यय समिति द्वारा 2012-13 से 2016-17 की पंचवर्षीय योजना के दौरान 38 जेलों में सी.सी.टी.वी. की संस्थापना के लिए ₹ 5.43 करोड़ अनुमोदित किए गए थे। इनमें से अवधि 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 3.46 करोड़ 16 जेलों में सी.सी.टी.वी. की संस्थापना के लिए स्वीकृत किए गए थे। हमने देखा कि जेल विभाग ने 14 जेलों में सी.सी.टी.वी. की संस्थापना के लिए ₹ 10.27 करोड़ व्यय किए। इस प्रकार, 2014-15 तक मूल अनुमानों के संदर्भ में राशि ₹ 6.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दो जेलों में सी.सी.टी.वी. स्थापना की कमी रही थी।

नमूना जाँच किए गए दस जिलों¹⁰ में हमने देखा कि विभाग में न तो कोई प्रशिक्षित कर्मचारी थे और न ही विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था। नौ जिलों¹¹

¹⁰ भोपाल, दतिया, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

¹¹ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन

I h-l h-Vh-
0gh dh
LFkki uk
ds y{; ks
dk iklr
u gksuk

की नमूना जाँच में पाया गया कि सी.सी.टी.व्ही कैमरों के अंतर्गत निगरानी आवृत्ति क्षेत्र कम था अर्थात् प्रत्येक नौ जेलों का कोई न कोई भाग छूट गया था।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने कहा कि अतिरिक्त व्यय तकनीक में परिवर्तन के कारण हुआ था। आगे यह भी सूचित किया गया कि प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और जेलों में अतिरिक्त कैमरे संस्थापना की योजना बनाई जा रही है।

2-9-12-1 Hkkfrd igp fu; &.k

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों¹² में देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई भी भौतिक नियंत्रण नीति लागू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कैमरों के प्रदर्शन स्थल पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेज में लगातार रूकावट रही जिसकी वजह से कैमरे 15 दिनों की अवधि तक बंद रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2-9-13 ohfM; ks dWUÝfI & ç.kkyh

जेल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा की स्थापना का उद्देश्य जेल बंदियों की भौतिक रूप से अदालतों में पेशी पर किये जाने वाले व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना था। एक बंदी की भौतिक पेशी हेतु सशस्त्र पुलिस कर्मियों के दस्ते का परिवहन, बंदियों के बीच झगड़े को रोकने की आवश्यकता और हर मामले में लगभग छह घंटे की बर्बादी होती है। भौतिक पेशी के दौरान हिरासत तोड़ने का डर हमेशा बना रहता है।

दिनांक 4 जुलाई 2012 को विभाग की वित्तीय व्यय समिति की बैठक के अनुसार, जेल और जिला अदालत के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की जानी थी एवं जिसका वित्तीय प्रावधान निम्न प्रकार था :-

o"kl	y{;		ikflr		deh ifr'kr
	Hkkfrd %tsyka dh l a[; k½	foRrh;	Hkkfrd %tsyka dh l a[; k½	foRrh;	
2013-14	4 ¹³	28.00	निरंक	निरंक	100
2014-15	19 ¹⁴	35.00	निरंक	निरंक	100
; ksx	23	63	निरंक	निरंक	100

यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसी म.प्र. एस.ई.डी.सी. भोपाल को इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कुल ₹ 58 लाख का अग्रिम भुगतान जिसमें ₹ 23 लाख मार्च 2014 में और ₹ 35 लाख जून 2014 तथा मार्च 2015 में किया गया था। लेकिन दो वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी 23 जेलों में से किसी में भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और समस्त राशि ₹ 58 लाख अवरूद्ध रही। अतः वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

¹² दतिया, इन्दौर, नरसिंहपुर, रीवा और सिवनी

¹³ धार, राजगढ़, शाजापुर और टीकमगढ़

¹⁴ बालाघाट, भिण्ड, दमोह, देवास, गुना, कटनी, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, सीधी, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा

ohfM; ks
dWUÝfI &
iz.kkyh dh
LFkki uk u
fd; k tkuk

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य प्रगति पर है।

2-9-14 fu"d"kl , oa vuq ka k, a

- सिस्टम विकसित करने के पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामन्जस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

- बंदियों एवं मुलाकातियों के डाटाबेस के लिए रिकॉर्डिंग एवं बंदियों की जानकारी के लिए प्रबंधन एवं पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर अपूर्ण था। लोकेशन प्लान के अनुसार लैन (LAN) की संस्थापना न किए जाने से संस्थापना में विलंब, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी एवं हार्डवेयर का अल्प उपयोग किए जाने से बंदियों एवं मुलाकातियों के केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का उद्देश्य बंदियों एवं मुलाकातियों का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- हार्डवेयर की संस्थापना न किए जाने और वार्षिक संधारण संविदा संपादित न किए जाने से मरम्मत के अभाव में हार्डवेयर आइटम निष्क्रिय रहे।

हार्डवेयर की संस्थापना आवश्यकता अनुसार की जानी चाहिए। वारंटी अवधि की समाप्ति के पूर्व हार्डवेयर की वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जानी चाहिए।

- पासवर्ड नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई एवं न ही पालन किया गया जिससे डाटा की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता चिंतनीय हो गई। पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में की गई बंदियों की प्राथमिक प्रविष्टियां सत्यापित नहीं की गई थीं।

उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण और पर्यवेक्षी जाँच द्वारा डाटा के सही होने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाटा को खराब होने से बचाने हेतु कोई व्यापार निरंतरता योजना या आपदा प्रतिपूर्ति नीति नहीं थी। नियमित अंतराल पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था एवं प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा सॉफ्टवेयर पर कार्य नहीं करने के उदाहरण थे।

डाटाबेस की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक जेल में पर्याप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदाय किए जाने चाहिए।

- सॉफ्टवेयर में कमियों के कारण उपयुक्त डाटा प्रविष्टि एवं अभिलेखों को प्राप्त करने में बाधा आ रही थी। अपूर्ण डाटाबेस, प्रशिक्षण का अभाव और सॉफ्टवेयर में कमी के रहते परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करना अभी दूर है।

सॉफ्टवेयर में कमी को उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेकर एवं एप्लिकेशन विकसित कर्ता (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के द्वारा समय से परिशोधन कर आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए।

- सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के अंतर्गत परिक्षेत्र में कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और भौतिक पहुंच नियंत्रण न होने से सी.सी.टी.व्ही. परियोजना के उद्देश्य, जेल की सुरक्षा में वृद्धि और प्रभावी नियंत्रण में जेल प्रशासन की मदद करना प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

; kst uk] vkfFkZd , oa l kf [; dh foHkkx

2-10 “e/; i n’s k fo/kku l Hkk fuokpu {ks= fodkl ; kst uk” ij fu”i knu l eh{kk dh vuprhZ ys[kki jh{kk

dk; i kyu l kjk k

मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई 1994 में मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.) शुरू की जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य किए जाने थे। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.1 में 2005–10 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में कार्य अपूर्ण पड़े थे, परिसंपत्ति पंजियां संधारित नहीं की गई थीं, संबंधित विभागों/एजेंसियों को पूर्ण कार्यों के हस्तांतरण का विवरण उपलब्ध नहीं था, कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था और पर्याप्त अनुवीक्षण नहीं था।

वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि:

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित आठ में से सात जिलों में जिलाधीश द्वारा जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस के अन्तर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

¶dfMdk 2-10-6½

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी जो 2005–10 के दौरान परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे उनके द्वारा अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, रतलाम को छोड़कर किसी भी चयनित जिला योजना अधिकारी के पास परिसंपत्तियों की हस्तांतरण पंजी उपलब्ध नहीं थी।

¶dfMdk 2-10-7½

हमने अनुशंसा की थी कि कार्यों के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलम्ब के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि इस हेतु संचालनालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।

¶dfMdk 2-10-8½

2-10-1 iLrkouk

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.), मध्यप्रदेश के सभी 231 विधान सभा क्षेत्रों में जुलाई 1994 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि विधायकों की अनुशंसाओं पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किए जाएं।

एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. राज्य वित्त पोषित योजना है। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निधि राज्य बजट के माध्यम से जिला योजना अधिकारियों को प्रदान की गई थी। प्रत्येक विधायक को उसके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा हेतु प्रति वर्ष राशि ₹ 77 लाख (वर्ष 2007-08 से) आवंटित की गई।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण मौसमी सड़कें, पहुँच मार्ग, आंतरिक सड़कों का डामरीकरण, पैदल पथ, पुलों, ग्रामों में खरजों, चबूतरों, शासकीय वित्त पोषित/गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं से संबंधित भवनों के निर्माण, बस स्टॉप/शेडों, सार्वजनिक अध्ययन कक्ष, लघु सिंचाई सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शवदाह गृहों, नलकूपों (ट्यूब वैल्स), बगीचों, खेल परिसरों के साथ, सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्य, कृषि विकास, संस्कृति आदि संबंधी कार्यों को योजनान्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। सार्वजनिक उद्देश्य हेतु निर्माण कार्य किए जाने थे एवं उन्हें एक या अधिकाधिक दो मौसम में पूर्ण किया जाना था।

राज्य में योजना के क्रियान्वयन की पूर्व समीक्षा अवधि 2005-10 के लिए की गई थी एवं निष्कर्ष 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में शामिल थे। निष्पादन समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां राज्य बजट के माध्यम से जिला योजना अधिकारियों (डी.पी.ओ.) को प्रदान की जाती हैं। तथापि डी.पी.ओ. द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 18.60 करोड़ विमुक्त नहीं किए गए। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में 37 से 980 दिनों का विलम्ब हुआ था।
- जिला योजना अधिकारी भिण्ड द्वारा ₹ 1.93 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाते में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखे गए। 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित कुल अव्ययित राशि ₹ 96.29 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी हुई थी।
- 68,728 स्वीकृत कार्यों में से 55,953 कार्य पूर्ण किए गए थे जबकि 10,522 कार्य अपूर्ण रहे, 2,067 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे और 186 कार्य निरस्त कर दिए गए थे।
- सात जिलों में, ₹ 13.91 करोड़ की लागत के 814 कार्य 25 से 431 दिनों के विलंब से स्वीकृत किए गए।
- छह जिलों में, ₹ एक करोड़ की लागत के 111 कार्य विवादित स्थलों के चयन के कारण प्रारंभ नहीं हो सके थे और निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी रहीं थीं। ₹ 40.63 करोड़ की लागत के 2,828 कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एजेंसियों से वांछित थे।
- संबंधित विभागों/एजेंसियों के उपयोग हेतु, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख या तो अपूर्ण थे या उपलब्ध नहीं कराए गए। आयुक्त ने योजनान्तर्गत चयनित कार्यों की पूर्ण/अद्यतन जानकारी संधारित नहीं की। नमूना जांच किए गए जिलों में परिसंपत्तियों की पंजियों का संधारित नहीं किया जाना पाया गया।

- नोडल एजेंसियां कार्यों के निरीक्षण के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने में असफल रहीं।

लेखापरीक्षा के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए हमने अनुशंसा की :

- स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके।
- परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग करने वाले विभागों को परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण तथा रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- कार्यों के विलम्ब से निष्पादन और पूर्ण होने पर समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा को लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) में लिखित परीक्षण हेतु चयनित किया गया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने अपने उत्तर में पी.ए.सी. को अवगत कराया (सितम्बर 2012) कि जिलाधीशों को लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

2-10-2 I xBukRed I j puk

राज्य स्तर पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी (आयुक्त) योजना के क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर योजना के लिए नोडल अधिकारी हैं। एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के अन्तर्गत कार्य जिलाधीशों द्वारा सरकारी एजेंसियों/निगमों/मण्डलों/स्थानीय निकायों से कराए जाते हैं।

2-10-3 ys[kki j h{kk ds mnns ;

इस अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

2-10-4 ys[kki j h{kk eki n. M

अनुवर्ती लेखापरीक्षा हेतु मुख्य मापदण्ड निम्नानुसार थे:

- एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. दिशानिर्देश एवं सरकार/आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश;
- मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता;
- परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव को निर्धारित करने वाले अनुबंधों से संबंधित प्रावधान; तथा
- स्वीकार की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना या कार्यनीति।

2-10-5 **ys[kki jh{kk dk; ;ks= rFkk dk; ; z kkyh**

वर्तमान अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा 2010-15 की अवधि के लिए है। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी और आठ जिला योजना अधिकारियों (डी.पी.ओ.) बैतूल, भोपाल, छतरपुर, डिंडोरी, खरगौन, मंडला, रतलाम एवं सीहोर के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। ये डी.पी.ओ. साधारण यादृच्छिक नमूना पद्धति से चयनित किए गए थे।

आयुक्त के साथ 12 जून 2015 को प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के संबंध में चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के साथ 16 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन हुआ था। शासन के अभिमत को अनुवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

; kst uk ds fØ; kÙo; u dh fLFkfr

2010-11 से 2014-15 के दौरान, एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा आवंटित ₹ 897.54 करोड़ के विरुद्ध ₹ 857.51 करोड़ व्यय किए गए। 2010-11 से 2014-15 के दौरान निधियों का आवंटन एवं व्यय rkydk&1 में दिया गया है।

rkydk&1% vof/k 2010&15 ds nkjku , e-i h-, -l h-, -Mh-, l - ea fuf/k; ka dk vkoà/u , oa 0; ;

o"z	, e-, y-, - dh l ; k	ctV ea inku dh xbz jkf'k	l Hkh ftyka ds fy, LohNr jkf'k	0; ;	l efi r jkf'k
2010-11	231	177.87	177.87	177.35	00.51
2011-12	231	179.50	179.50	179.50	00.05
2012-13	231	177.87	177.87	177.85	00.10
2013-14	231	177.87	177.87	171.17	06.69
2014-15	231	184.43	184.43	151.64	32.78
; ksx		897.54	897.54	857.51	40.13

4. kksr-% vk; Ør }kjk mi yC/k dj, vkdMz

2010-15 के दौरान, राज्य के 231 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 60,214 कार्यों के प्रस्तावों की अनुशांसा विधायकों ने की थी। कार्य ग्रामीण सड़कें, पैदल पथ, पैदल पुल, चबूतरों, भवनों, बस स्टॉप/शेडों, पेयजल व्यवस्था, नलकूप, बगीचों, सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्य, कृषि विकास, संस्कृति आदि के निर्माण से संबंधित थे। इन 60,214 प्रस्तावों में से 56,201 प्रस्ताव जिला योजना अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियां 38,274 कार्य पूर्ण कर सकी थीं जबकि 4,877 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे।

vuprhZ ys[kki jh{kk ds i fj . kke

2-10-6 **tu l keku; ds fgrykHk , oa okLrfod mi ; kfxrk dk vkdyu fd, tkus gsrq dk; kà dk vkof/kd eW; kadu ugha fd; k x; k**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.6 में उल्लेख किया गया था कि जिला कलेक्टर द्वारा विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु लिखित में सुझाव मांगे जाने की आवश्यकता थी अथवा कराए जाने वाले कार्यों की पहचान हेतु वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए थी तथा उन्हें केन्द्र प्रवर्तित एवं

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। वे कार्य जो सूचीबद्ध किए गए थे, उन्हें किए जाने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को दिया जाना चाहिए था। क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत कार्यों की सूची तथा निरस्त किए गए प्रस्तावों की सूचना संबंधित विधायकों को 45 दिवसों के अन्दर भेजी जानी चाहिए थी। तथापि यह देखा गया कि 2005-10 की अवधि में चयनित जिलों में इस प्रकार की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी तथा कार्यों को विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ही कराया गया था।

हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के अन्तर्गत आवधिक मूल्यांकन केवल एक चयनित जिला खरगौन में किया गया। शेष सात चयनित जिलों (बैतूल, भोपाल, छतरपुर, डिंडोरी, मण्डला, रतलाम एवं सीहोर) में इसका अनुपालन नहीं किया गया। कार्य विधायकों की अनुशंसा के आधार पर किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि योजना के अंतर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन करने हेतु जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2-10-7 i f j l a f R r ; k a d h i a t h d k l a k k f j r u g h a f d ; k t k u k

आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2003) के अनुसार, योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को पृथक से परिसंपत्तियों की पंजी में लेखांकित किया जाना आवश्यक था तथा परिसंपत्तियों को संबंधित विभाग/एजेंसी को उपयोग हेतु हस्तान्तरित किया जाना था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.9.2 में उल्लेख किया गया था कि जिला योजना अधिकारियों के पास परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे एवं नौ जिलों (भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, टीकमगढ़ एवं उमरिया) में परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की गई थी।

हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी (भिण्ड, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, टीकमगढ़ एवं उमरिया) अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे। जिला योजना अधिकारी, बुरहानपुर से जानकारी प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2015)। हमने देखा कि आठ चयनित जिलों में से चार जिलों¹ में जिला योजना अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की गई थी एवं बैतूल तथा मण्डला जिले में अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त, रतलाम को छोड़कर किसी भी जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में परिसंपत्तियों की हस्तांतरण पंजी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, विद्यमान परिसंपत्तियों के आकलन की प्रणाली कमजोर थी जिसके कारण जिला योजना अधिकारियों द्वारा नए कार्यों की योजना प्रभावित हुई।

¹ भोपाल, छतरपुर, डिंडोरी, एवं सीहोर

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव, ने बताया कि जिला योजना अधिकारियों को परिसंपत्तियों की पंजी का संधारण करना अनिवार्य था।

2-10-8 dk; k̄ ds fu"i knu dh vk̄u ykbu fuxjkuh , oa vuṃph{k.k

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.9.1 में उल्लेख किया गया था कि योजनान्तर्गत जिला स्तर पर पूर्ण हो चुके कार्यों से संबंधित संपूर्ण डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) में तैयार किया जाना अपेक्षित था। तथापि, आवश्यक डाटाबेस जिला स्तर पर तैयार नहीं किया गया था। हमने अनुशंसा की थी कि कार्यों के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलंब के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। तथापि जिला योजना अधिकारी खरगौन में एन.आई.सी. के माध्यम से कार्यों का अनुवीक्षण किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि निदेशालय स्तर पर इस हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

हमने देखा कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई विभिन्न कमियाँ कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण के अभाव में जारी रहीं, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2-10-8-1 dk; k̄ dh LohN̄fr es foȳc

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.8.2 में उल्लेख किया गया था कि प्रशासकीय स्वीकृतियाँ 25 से 431 दिनों के विलंब से जारी की गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर स्वीकृतियाँ जारी करने के निर्देशों के बावजूद अवधि 2010-15 के दौरान 833 कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृतियाँ 14 से 382 दिनों के विलंब से जारी की गई थीं। विवरण i f j f ' k " V & 2-78 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी जिला योजना अधिकारियों को दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2-10-8-2 dk; k̄ lo; u , t̄ fl ; k̄ l s i w̄ k̄ dk; k̄ dh 'k̄ k̄ j k̄ f' k ol ny ugha fd; k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.7.5 में उल्लेख किया गया था कि 2005-10 के दौरान 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित शेष राशि ₹ 96.29 लाख 10 जिलों की कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि तीन जिलों (बैतूल, रतलाम एवं धार) में 239 पूर्ण कार्यों से सम्बंधित सम्पूर्ण राशि ₹ 24.92 लाख की वसूली कर ली गई थी। विभाग ने सूचित किया कि बुरहानपुर जिले में पुराने बकाया ₹ 52.46 लाख के विरुद्ध ₹ 50,000 की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया थी। अन्य छह जिलों से जानकारी अक्टूबर 2015 तक अपेक्षित थी।

2-10-8-3 dk; kll; u , tfl ; ka l s vk; &0; ; fooj.k i=d iklr u fd; k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.10.3 में उल्लेख किया गया था कि किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियमित रूप से जिला योजना अधिकारियों को मासिक आय-व्यय विवरण पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। खरगौन जिले को छोड़कर, चयनित आठ जिलों में से किसी में भी कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग की गई राशि के सम्बंध में मासिक आय-व्यय विवरण पत्रक प्राप्त नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015), के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी जिला योजना अधिकारियों को वांछित विवरण पत्रक प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2-10-8-4 dk; kll; u , tfl ; ka }kjk dk; iwwkirk iek.k i= iLrqr u fd; k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.8.5 में उल्लेख किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियों से 2,828 कार्यों के सम्बंध में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे जिसके कारण निर्मित परिसंपत्तियों का न तो लेखांकन किया गया न ही स्थानीय निकायों/विभागों को उनके रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जा सका। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि जिला योजना अधिकारी को 2005-10 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में 596 कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना शेष था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि जिला योजना अधिकारियों को कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

2-10-9 fu"d"kl , oa vuqkl k

हमने देखा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.12 में की गई तीन अनुशंसाएं जो विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी, प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा परिपत्र जारी किए गए लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।

विभाग एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के क्रियान्वयन में स्वीकार की गई अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।